आज़ादी का अमृत महोत्सव

46 गौरवपूर्ण वर्ष











राष्ट्रीय अवसंरचना का विकास
अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व की निरंतरता

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22





विषय सूची

कॉर्पोरेट विवरण

हमारे पथप्रदर्शक / कॉर्पोरेट सूचना	1
इरकॉन की एक झलक	2
अध्यक्ष का संबोधन	5
निदेशक मंडल	8
वरिष्ठ कार्यपालक	11
वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान चालू परियोजनाओं की प्रमुख उपलब्धियां	13
मानव पूंजी	16
पुरस्कार एवं मान्यताएं	17
पर्यावरण, समाज और शासन (ईएसजी)	18
प्रमुख निष्पादन संकेतक	20
वित्तीय विशेषताएं	21

प्रबंधन रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	22
निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	40
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	72
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	103
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता की वार्षिक रिपोर्ट	116
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तरें	124
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म ओएसी–2)	130
लाभांश वितरण नीति	134

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	138
तुलन पत्र	170
लाभ और हानि विवरण	172
रोकड़ प्रवाह विवरण	173
इक्विटी परिवर्तन विवरण	175
वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 से 49	176
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	270

समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताए(फ़ॉर्म एओसी–1)	272
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	275
तुलन पत्र	297
लाभ और हानि विवरण	299
रोकड़ प्रवाह विवरण	301
इक्विटी परिवर्तन विवरण	303
वित्तीय विवरणों के नोट – नोट स 1 से 52	304
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	406



हमारे पथप्रदर्शक



संकल्पना

एक ऐसे निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान निर्मित्त हुई है जिसकी तुलना अवसंरचना सेक्टर में निर्माण कियाकलापों एवं सेवाओं के समग्र विस्तार कम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगठन से की जा सकती है।



लक्ष्य

हमारा लक्ष्य कम्पनी को ऐसी स्थिति में स्थापित करना है जिससे यह भारत एवं विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अवसंरचना विकास की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की समय पर एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग व्यवहारों के अनुरूप पूर्ति करके विश्व में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं।



मूल्य

- रचनात्मक अभिमुखता
- टीम वर्क
- निष्पादन उत्कृटता
- कार्य एवं संव्यवहार में सत्यनिष्ठा
- उत्तरदेयता एवं जवाबदेही

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
दूरभाष: 91–11–29565666
फैक्स: 91–11–26522000 / 26854000
ई–मेल: info@ircon.org
वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन: L45203DL1976GOI008171

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सुश्री रितु अरोड़ा

कंपनी मुख्य वित्त अधिकारी एवं मुख्य निवेश सम्पर्क अधिकारी
श्री मुगुंधन बोजू गौड़ा

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक, इंडसेंड बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
205–208ए अनारकली परिसर, झंडेवालान एक्टेंशन,
नई दिल्ली–110055
वेबसाइट: www.alankit.com
ई–मेल: info@alankit.com
टोल फ्री न.: 011-42541234 / 23541234

शेयर सूचीबद्ध
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

डिपोजिटरी
नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

स्किप्ट कोड
बीएसई : 541956
एनएसई: IRCON

आईएसआईएन नम्बर
INE962Y01021

31 मार्च 2022 को

कुल ऑर्डर बुक मूल्य

+ 43700 करोड़ रूपए

अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2022

7181 करोड़ रूपए

परियोजनाएं पूरी हुई

घरेलू

398

विदेशी (25 देशों में)

128

निष्पादित कार्य

रेलवे ट्रैक

5263 टीकेएम

रेलवे विद्युतीकरण

7979 आरकेएम

सड़कें और राजमार्ग

6624 किमी

इरकॉन विहंगावलोकन

इरकॉन, एक **मिनी–रत्न श्रेणी–I अनुसूची 'क' का सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम** है जो त्वरित रूप से एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी के रूप में विकसित हो रही है, जिसे अवसंरचनात्मक क्षेत्र विशेषज्ञता प्राप्त है।

सेवाएं

- इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी)
- परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
- रियल इस्टेट

रैंकिंग (2021)

हमारा प्रमाणन

गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त आईएसओ प्रमाणित कंपनी।

क्रेडिट रेटिंग:

केयर रेटिंग्स द्वारा इस रेटिंग की पुष्टि; इरकॉन की दीर्घावधि बैंक सुविधा के लिए केयर एएए, स्थिर/ केयर ए1+रेटिंग

सूचना प्रौद्योगिकी

- मोबाइल ऐप इरकॉन निविदाएं इरकॉन सीएसआर इरकॉन कैरियर
- सेप व्यवसाय उद्देश्य
- एनआईसी जीईपीएनआईसी द्वारा ई–प्रापण

यूएसए ईएनआर निर्माण कंपनी

केवल पीएसयू और पांच भारतीय कंपनियों में एक

229वां रैंक

फॉर्चून इंडिया 500

254वां रैंक

बीएस 1000 राजस्व

190वां रैंक

निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र

11वां रैंक

विविध वैश्विक अवसंरचना पीएसयू

"इरकॉन, विकट स्थानों पर परियोजनाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने में अपनी विशेषज्ञता के साथ, क्षेत्रीय और साथ ही भौगोलिक कवरेज दोनों के मामले में विविध अवसंरचना निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है।"

प्रचालन के प्रमुख क्षेत्र



प्रमुख निष्पादित कार्य

रेलवे निष्पादित कार्य

- सिग्नलिंग और दूरसंचार: 3182 केएमपी
- आरओबी: 159
- सुरंग: 119 केएमपी
- मेट्रो: 348 टीकेएम

सड़कें और राजमार्ग

- राष्ट्रीय राजमार्ग: 922 किमी
- अन्य सड़कें (विदेशी परियोजनाओं सहित): 4516 किमी
- राज्य राजमार्ग: 1186 किमी

भवन

1.5 मि.व.मी

31 मार्च, 2022 को

(रूपये करोड़ में)

परियोजना स्थिति मूल्य 43758 करोड़ रूपए



विदेशी (3364 करोड़ रूपये)



नई परियोजनाए

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान प्रदान की गई (16181 करोड़ रूपए)



भौगोलिक पदचिह्न





अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जो हमारे लिए प्रभावशाली कार्य निष्पादन का एक और वर्ष रहा है। यह बहुत गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने वर्ष के आरंभ में वैश्विक महामारी के कारण प्रतिकूल बाजार परिदृश्य का सामना करने के बावजूद, समग्र रूप से अच्छा निष्पादन किया है। स्टैंडअलोन आधार पर, आपकी कंपनी ने 38.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 7181 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5200.31 करोड़ रूपए) का सर्वकालिक उच्च कुल टर्नओवर प्राप्त किया है; समेकित आधार पर भी, कुल टर्नओवर ने इरकॉन के इतिहास में 37.76 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और यह इस वर्ष 7585.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 5506.45 करोड़ रूपए) रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि विशिष्ट रूप से एक रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में अपना परिचालन आरंभ करने वाली आपकी कंपनी ने पिछले 46 वर्षों में विविध अवसंरचना क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की है और विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। कंपनी के पोर्टफोलियों में विश्वभर के 25 देशों में 128 पूर्ण परियोजनाएं और भारत में 398 परियोजनाएं हैं।

भारत और विदेशों में प्राप्त की गई संविदाएं

विश्वभर में निर्माण उद्योग में कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव और वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के कमजोर होने के बावजूद, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी,1780 करोड़ रूपए के मूल्य पर म्यांमार में ईपीसी मोड पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (केएमएमटीटीपी) के तहत,पलेटवा (म्यांमार) से जोरिनपुरी (मिजोरम) तक सड़क निर्माण के लिए एक विदेशी परियोजना प्राप्त करने में सफल रही है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लगभग 14,400 करोड रूपए के नई घरेलू परियोजाएं भी प्राप्त की हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेगमेंट में नए ऑर्डर प्राप्त होने के साथ, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ऑर्डर बुक, पिछले वित्तीय वर्ष में 34,689 करोड़ रूपए (लगभग) की तुलना में 43,758 करोड़ रूपए (लगभग) थी। आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख नए कार्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, अर्थात रेलवे विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजना, मेट्रो ट्रैक कार्य, कारखाने, हवाईअड्डे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। आपकी कंपनी ने भारत में पहली बार निष्पादित की जा रही प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेलवे परियोजना में सिविल और ट्रैक कार्य पैकेज भी प्राप्त किए हैं। रेल मंत्रालय की नीति में परिवर्तन की पृष्ठभूमि में, जहां नामांकन के आधार पर अनुबंधों को समाप्त कर दिया गया है, आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए नए व्यवसाय की सीमा और मूल्य सराहनीय है और दिनांक 30 जून, 2022 तक ऑर्डर बुक का मूल्य 42,066 करोड़ रूपए (लगभग) था।

आपकी कंपनी के पोर्टफोलियो में 50 से अधिक परियोजनाएं हैं, जिसमें बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में 05 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं शामिल हैं। हम अच्छे लाभ मार्जिनों को प्राप्त करने के लिए घरेलू मोर्चे पर उद्योग क्षेत्रों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निरंतर भाग ले रहे हैं। कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के अपने प्रयास में, कंपनी एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट लाइन/निर्यात वित्तपोषण व्यवस्था वाली अन्य परियोजनाओं और बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय विशिष्टताएं:

अब तक का सर्वाधिक कुल टर्नओवर प्राप्त करने के अतिरिक्त, हमने वित्त वर्ष 2021–22 में 6910 करोड़ रूपए का उच्चतम परिचालन टर्नओवर भी रिकार्ड किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह 4956 करोड़ रूपए था, जोकि 39.43 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वित्तीय वर्ष में 574 करोड़ रूपए की तुलना में 610 करोड रूपए रहा, जिससे 6.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2021–22 में 544 करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 405 करोड़ की तुलना में 34.32 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। आपकी कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2021–22 में 4.88 प्रतिशत बढ़कर 4621 करोड़ रूपये हो गई है, जबकि यह

वित्त वर्ष 2021–22 में 4406 करोड़ रूपये थी।
वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, रेलवे क्षेत्र ने हमारे कुल राजस्व में लगभग 92 प्रतिशत का योगदान किया है। हमारा प्राथमिक ध्येय, निरंतर रूप से रेलवे क्षेत्र में गहनता से निष्पादन करना है, जो हमारी प्रमुख शक्ति है। हमने राजमार्ग व्यवसाय में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और इस वर्ष कुल राजस्व में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 7.19 प्रतिशत है और कुल राजस्व में इलेक्ट्रिकल, भवन और अन्य कार्यों की हिस्सेदारी लगभग 0.37 प्रतिशत है।

समेकित आधार पर, कंपनी का प्रभावशाली वित्तीय निष्पादन, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान परिचालन टर्नओवर में 37.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो 7380 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 5350 करोड़ रूपए) तक पहुंच गया है। हमने पिछले वर्ष के 391 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में 592 करोड़ रूपए का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

इसके अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या टिप्पणी नही दी है और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 'शून्य' टिप्पणी प्रस्तुत की है।

दिनांक 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम:

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही (स्टैंडअलोन) के लिए टर्नओवर और लाभप्रदता 2022की पहली तिमाही की तुलना में काफी बेहतर हुई है। इस तिमाही के लिए कुल टर्नओवर 1103.49 करोड़ रूपए से 77.34 प्रतिशत बढ़कर 1956.95 करोड़ रूपए हो गया है; परिचालन टर्नओवर पिछले वर्ष के 1053.10 करोड़ की तुलना में 80.15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1897.20 करोड़ रूपए हो गया है और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 84.70 करोड रूपए 45.37 प्रतिशत बढ़कर 123.13 करोड़ रूपए हो गया है।

लाभांश:

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (188.10 करोड़ रूपए) पर 174 करोड़ रूपए (लगभग) के तीन अंतरिम लाभांशो के अलावा, आपकी कंपनी ने प्रदत्त शेयर पूंजी के 32.50 प्रतिशत के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो 61.13 करोड़ रूपए है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश,प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 125 प्रतिशत होगा, जो कुल मिलाकर 235.13 करोड़ रूपए (लगभग) होगा और यह वित्त वर्ष 2021–22 के कर–पश्चात लाभ का 43.20 प्रतिशत और दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के निवल मूल्य का 5.09 प्रतिशत है।
प्रस्तावित अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2021–22 तक शेयरधारकों को दिया गया संचयी लाभांश 2374.47 करोड़ रूपए (लगभग) होगा।

शेयर पूंजी:

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, मई 2021 में 1:1 के अनुपात में नए पूर्णत प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के कारण प्रदत्त शेयर पूंजी दोगुनी होकर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत था। आपकी कंपनी, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता का अनुपालन कर रही है।

इरकॉन की नई समूह कंपनियों का निगमन

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पांच नई सहायक कंपनियों के निगमन के साथ इरकॉन समूह उत्तरोत्तर विस्तार कर रहा है। नई कंपनियों में हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के निष्पादन के लिए शामिल चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से दो परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, एक पंजाब में और एक उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) की 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर परियोजना की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इरकॉन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली एक सहायक कंपनी को शामिल किया गया है। अभी तक, इरकॉन समूह में ग्यारह सहायक कंपनियां और सात संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं, जिनका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

> "अपने प्रमुख व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भी हम अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हिस्सेदारी में सक्रिय रूप से वृद्धि करने का लक्ष्य रखते हैं।"

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में 212.84 करोड़ रूपए की इक्विटी/अर्ध–इक्विटी का निवेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 1421.68 करोड़ रूपए का संचयी निवेश किया गया है।

अपनी सहायक कंपनियों में इरकॉन के वित्तीय निवेश को कम करने और इरकॉन की तरलता स्थिति में सुधार की प्रगतिशील दिशा में, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉनवीकेएल में 589.50 करोड़ रूपए और इरकॉनएसजीटीएल में 501 करोड़ रूपए के मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान इन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां द्वारा इरकॉन को अनुसूचित बैंकों से सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करके किया गया है, जिसके लिए इरकॉन ने कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉन द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और गारंटियों के अन्य विवरण, वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का भाग हैं।

रेटिंग और प्रशस्तियां

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी को वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। कंपनी को वर्ष 2021–22 के लिए (बहुत अच्छा) रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

वित्त वर्ष 2021 की वित्तीय स्थिति के आधार पर, यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के अनुसार, इरकॉन शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय संविदाकारों (229वें स्थान पर) की सूची में स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है; मार्च 2022 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका के अनुसार, इरकॉन को कुल राजस्व के क्षेत्र में 190वां स्थान प्रदान किया गया है, और 'निर्माण और अवसंरचना' क्षेत्र के तहत क्षेत्र निष्पादन के मामले में 11वें स्थान पर रखा गया है; और फॉर्चयून इंडिया 500 की सूची में 254वें स्थान प्रदान किया गया है।

वर्ष–दर–वर्ष पुरस्कार जीतने की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉन ने 'गवर्नेंस नाउ 8वां पीएसयू अवार्ड' की दो श्रेणियों मे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अर्थात सीएसआर प्रतिबद्धता और सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार;'पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' की तीन श्रेणियों में अर्थात इनोवेशन सोशल मीडिया आउटरीच, जिया–स्ट्रेटेजिक रीच में वृद्धि हेतु पुरस्कार, और अनुकरणीय नेतृत्व और निर्माण सुरक्षा के लिए 'ग्रीनटेक फाउंडेशन सेफ्टी अवार्ड' प्राप्त किए हैं।

कॉर्पोरेट शासन

हम पूरी तरह से जानते हैं कि दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के ठोस सिद्धांत आवश्यक हैं और हम इन सिद्धांतों के दायरे में कार्य कर रहे हैं। उत्तरदायी व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने में, हम एक सुदृढ कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यवसाय संचालन और सर्वोत्तम पद्धतियों के उच्चतम मानकों का पालन कर रहे हैं। आपकी कंपनी, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013, और डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं में निहित प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

सेबी विनियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर एक प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन में, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)

इरकॉन में, हमारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढांचा, हमारे व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत है। हमारे ईएसजी प्रयास हमारी नीतियों और सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं, जो हमारे संगठन के संचालन को नियंत्रित करते हैं। हम लगातार उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं,जिनके साथ हम कार्य करते हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में व्यापक पहल की हैं। हमारा ईएसजी प्रबंधन एक विचारशील ढांचा है, जिसमें महत्वपूर्ण कारक जैसे पारदर्शी शासन प्रणाली, हमारे कर्मचारियों में निवेश और विविध कार्यस्थल का पोषण, हमारे ग्राहकों को उच्च–मूल्य वाली परियोजनाएं प्रदान करना और उन समुदायों को सशक्त बनाना शामिल हैं, जिनके साथ हम कार्य करते हैं।

हमारी व्यावसायिक नीतियों का उद्देश्य, निरंतर संधारणीय और उत्तरदायी विकास को प्राप्त करना है। उत्तरदायी व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने में हम एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यवसाय संचालन के उच्चतम मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करते हैं।

हम उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का लगातार प्रयास करते हैं जिनमें हम काम करते हैं। एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए 10.50 करोड़ रूपए के आवंटित बजट के प्रति 10.52 करोड़ रूपए का खर्च किए हैं। डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम – 'स्वास्थ्य और पोषण और कोविड संबंधित गतिविधियों' पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने सीएसआर के तहत आकांक्षी जिलों को वरीयता देने के लिए, कंपनी की सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों में समस्तीपुर में एक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना शामिल है। वर्तमान कोविड–19 संकट का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे अस्पताल, दिल्ली क्षेत्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली, नेत्र जांच शिविर, अंग वितरण, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम और खेल, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के क्षेत्र में अन्य पहल शामिल हैं। हमने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में भी 1.14 करोड़ रूपए का योगदान दिया है।

मानव संसाधन, हमारी सर्वोत्तम संपत्ति

इस विश्वास के साथ बढ़ते हुए कि कर्मचारी किसी संगठन की सफलता की कुंजी होतो हैं, कंपनी की नीतियों को कर्मचारियों के ज्ञान, क्षमता, कौशल और उत्पादकता को लगातार उन्नत करने के नवीनतम तरीकों को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संगठन के भीतर एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कर्मचारियों को उनके कैरियर की प्रगति, कल्याण और विकास पर जोर देते हुए भागीदारों के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सक्षम और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को बनाए रखना और हमारे कार्यबल का विस्तार करना, जो नए विचारों, नीतियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत कर सकते हैं, अंततः कंपनी की दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक हमारे मानव संसाधन की कुल संख्या 1278 थी, जिसमें 181 नए कर्मचारी शामिल थे।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तिकरण

प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता के स्तर में सुधार की प्रक्रिया में, आपकी कंपनी एंड–टू–एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए एस4–हाना प्रणाली के नवीनतम उन्नयन को अपना रही है। वर्ष के दौरान, कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल पूरे संगठन के लिए प्रक्रियाधीन हैं और पांच पायलट स्थानों में इसकी पूर्ण कार्यात्मकता के लिए लाइव किया जा रहा है। कागज रहित कार्यालय की दिशा में कंपनी की अन्य पहलों में संगठन के भीतर आधिकारिक दस्तावेजों के अनुमोदन और संचलन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ई–ऑफिस प्रणाली, सार्वजनिक खरीद में पूर्ण पारदर्शिता की पेशकश करने वाले एनआईसी–जीईपीएनआईसी की सरकारी ई–प्रापण प्रणाली, और आधिकारिक ई–मेल आईडी से सिस्को वीसी और गूगल मीट पर समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को प्रोत्साहित किया गया है, जिसने परियोजनाओं की समीक्षा, बोर्ड की बैठकों, इसकी समितियों और सामान्य बैठकों के लिए निर्बाध प्रकिया को संभव बनाया है।

भविष्य का दृष्टिकोण

भविष्य में, इरकॉन का व्यवसाय विकास, मुख्य रूप से अपने मुख्य व्यवसाय अर्थात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में रेलवे और राजमार्गों पर केंद्रित होगा, जिसमें रेलवे, राजमार्गों, निर्माण परियोजनाओं, बंदरगाहों, पोतों, पुलों, सुरंगों और मेट्रो रेल शामिल हैं।

अवसंरचना क्षेत्र के विकास के प्रति प्रयासों को बल देने के साथ–साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक उपाय की गई हैं। केंद्रीय बजट 2022–23 में, सरकार ने अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 10 लाख करोड़ रूपए (130.57 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित करके अवसंरचना क्षेत्र को भारी बढ़ावा दिया है। सरकार ने 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)' का विस्तार 9,335 परियोजनाओं तक किया है। आत्मानिर्भर भारत के एक भाग के रूप में, वर्ष 2022–23 में 2,000 किमी नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्वस्तरीय तकनीक कवच के तहत शामिल किया जाएगा।

वर्ष 2022–23 में, 20,000 करोड़ रूपए (2.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण परिव्यय के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। सरकार की ये पहल आपकी कंपनी के अवसरों और ऑर्डर बुक के विस्तार की रूपरेखा तैयार करने में सहायक होगी।

हम रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, पुल आदि जैसे मुख्य व्यवसायिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी में सुधार करके घरेलू बाजार में अपने व्यापार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रगतिरत हैं। इनमें हाइब्रिड डीबीएफओटी मोड पर पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के लिए पुल और सुरंगों के लिए ईपीसी अनुबंध, ईपीसी निविदाएं, भारतीय रेलवे परियोजनाओं के लिए पीएमसी कार्य, एनसीआरटीसी, एनएचएआई, और ऐसी अन्य संस्थाओं के लिए हाई–स्पीड रेल की परियोजनाएं शामिल हैं। आपकी कंपनी की भारत के कई राज्यों में उपस्थिति है और अपने व्यापार विकास मॉडल के भाग के रूप में देशभर में अपने घरेलू परिचालन का और विस्तार करने का मंशा रखती है।

हम घरेलू परियोजनाओं की तुलना में अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं द्वारा दिए गए बेहतर लाभ मार्जिन को प्राप्त करने के लिए नए भौगोलिक और नए व्यावसायिक क्षेत्रों में उद्यम करके, अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिस्सेदारी को सक्रिय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

आभारोक्ति

मैं सभी पूर्वाधिकारियों और बोर्ड के वर्तमान सदस्यों, हमारे शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों को इरकॉन में उनके सहयोग और विश्वास के लिए अत्यधिक आभारी हूं। निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी के सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए अपनी कृतज्ञता और उनकी प्रशंसा प्रस्तुत करने का अवसर लेता हूं। कंपनी, भारत सरकार, विशेष रूप से रेल मंत्रालय, और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है। सर्वोत्तम स्तर पर, मैं भारत और विदेशों में अपने सम्मानित ग्राहकों का इरकॉन में निरंतर विश्वास और भरोसा करने के लिए बहुत आभारी हूं।

मुझे विश्वास है कि इरकॉन लगातार परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य के साथ स्वयं को अद्यतन रखते हुए अपनी स्थिति और उपस्थिति को और मजबूत करेगा।

आभार,

(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ



निदेशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
[निदेशक (कार्य) के अतिरिक्त प्रभार सहित]

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ [निदेशक (कार्य) के अतिरिक्त प्रभार के साथ] श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन : 07654014), हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। इन्हें दिनांक 04 सितंबर, 2021 को इरकॉन के निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व, वह दिनांक 28 दिसंबर, 2018 से इरकॉन के निदेशक (कार्य) थे। इससे पहले, उन्होंने इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (कार्य) का पद संभाला था। वह वर्ष 2006 में इरकॉन में अपर महाप्रबंधक, विपणन, नई दिल्ली के रूप में कार्यरत रहे।

वे 1987 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और इन्हें रेलवे में 35 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है। इनके नेतृत्व में, इरकॉन ने भारत और विदेशों में अल्जीरिया, बांग्लादेश और म्यांमार में ईपीसी/बीओटी/बीएलटी/वार्ता आधार पर परियोजनाएं प्राप्त की हैं। इन्हें टर्नकी रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं, विस्तृत सर्वेक्षण, संरेखण डिजाइन, सुरंगों, पुलों आदि क्षेत्रों में परियोजना विकास और परामर्श में विशेषज्ञता प्राप्त है।

> “इरकॉन उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं की प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्रीय और भौगोलिक कवरेज में विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।”



श्री श्याम लाल गुप्ता
निदेशक (परियोजना)

श्री श्याम लाल गुप्ता (डीआईएन : 07598920) हमारी कम्पनी में निदेशक (परियोजना) हैं। वे रूड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त हैं तथा उन्होंने स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्जीक्यूटिव एजुकेशन (एसपीईईडी), एशिया ई यूनिवर्सिटी से परियोजना प्रबंधन विज्ञान में एक्जीक्यूटिव मास्टर प्राप्त की है।

उनके पास 37 वर्षों का समग्र अनुभव है और उन्होंने अवसंरचना क्षेत्र में और भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें नवंबर, 2006 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स द्वारा महाप्रबंधक के रूप में इरकॉन में प्रतिनियुक्त किया गया था और तत्पश्चात इन्हें दिनांक 17 अगस्त, 2011 से स्थायी रूप से इरकॉन में नियुक्त किया गया था। निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त होने से पहले वे इरकॉन में कार्यकारी निदेशक (सामान्य) थे। उनके कार्यकाल में श्रीलंका में कई परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया गया। वह वर्तमान में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, श्रीलंका आदि में रेलवे परियोजनाओं के प्रभारी हैं। उन्हें इरकॉन की कई संयुक्त उद्यम कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है। वे दिनांक 01 नवंबर, 2019 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्रीमती रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)

श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएनः 09575213), हमारी कंपनी की निदेशक (वित्त) हैं। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एकाउंटेंट हैं, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक होल्डर हैं।

इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने तेल और गैस क्षेत्र की तकनीकी परामर्शदाता सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), में महाप्रबंधक (एफएंडए) के रूप में काम किया है और वह लेखांकन की प्रभारी थीं तथा उन्होंने सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों, सभी विपणन प्रस्तावों की सहमति और विपणन वित्त, बिलिंग और संबंधित मामलों, बजट और एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्ताव के क्षेत्र में कार्य किया है। वह 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष कार्यालय के भाग के रूप में भी कार्यरत रहीं और उन्होंने ईआईएल में लगभग एक वर्ष के लिए कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

उनके पूर्व अनुभवों में एनटीपीसी, सेल, पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी शामिल हैं। उनके पास कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय / डिमर्जर और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई–नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस,नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ संव्यवहार, टैरिफ ऑर्डर को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी के साथ संव्यवहार करना और लंबी अवधि के पीपीए पर हस्ताक्षर करना शामिल है। वह वित्त मामलों के संबंध में ईआईएल के इन–हाउस वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों की विषय वस्तु विशेषज्ञ/संरक्षक भी रही हैं।
वह 19 अप्रैल 2022 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री धनंजय सिंह
सरकारी नामित [अंशकालिक]
(सरकारी), निदेशक

श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500), को लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हैं।

वे वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड) वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर रेलवे) सहित विभिन्न कार्य पदों पर रेलवे बोर्ड में कार्य किया है। वह मुंबई रेल विकास निगम में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। वह दिनांक 10 नवंबर 2020 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्रीमती रंजना उपाध्याय
स्वतंत्र [अंशकालिक
(गैर आधिकारिक)] निदेशक

श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएन : 07787711) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता में स्नातक और पत्रकारिता में परास्नातक हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

वह हिंदुस्तान टाइम्स (2002–2004) की लेखिका रही हैं ये सिटी न्यूज, चित्रकूट की संपादक और समाचार वाचक (2003–2007) रही हैं। इसके अलावा, वह दृष्टि, नेत्रहीन लोगों के लिए एक एनजीओ और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक गैर–सरकारी संगठन, भारत कल्याणमंच की सक्रिय सदस्य हैं। वह 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री अजय कुमार चौहान
स्वतंत्र [अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशक]

श्री अजय कुमार चौहान भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1984 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने विभाग के कर प्रशासन, जांच, अर्ध–न्यायिक, लेखापरीक्षा, न्यायाधिकरण और अनुसंधान प्रभागों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले महानिदेशक के रूप में भी प्रतिनियुक्ति पर थे, जहां उनके कार्यकाल के दौरान कार्टेल, धांधली और प्रभुत्व के दुरुपयोग आदि के कुछ बड़े मामलों की जांच की गई थी।

श्री चौहान ने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, सिडनी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए डिग्री, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल (संगठन व्यवहार) और एम.ए. (औद्योगिक मनोविज्ञान), अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उनके पास सिरैक्यूज विश्वविद्यालय, ओईसीडी और आईआईएम से उन्नत प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा कानूनों और प्रथाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन पर कई डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हैं।

उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला द्वारा सम्मानित प्रतिष्ठित मेरिट स्कॉलरशिप और मध्य प्रदेश के वाणिज्य और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए "इनोवेटर ऑफ द ईयर 2017" के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह कई समितियों अर्थात प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन समिति, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन योजना, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद और बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग परियोजना के अध्यक्ष/सदस्य रहे हैं। वह दिनांक 11 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता
स्वतंत्र [अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशक]

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएन : 09398271) पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उनके पास प्रबंधन, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। वह व्यवसाय और कृषि क्षेत्र के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 2015 से 2018 की अवधि के लिए नेहरू युवा केंद्र में राज्य सलाहकार और 2010 से 2013 की अवधि के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति में जिला सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह जिला बिसुत्री के सदस्य भी रहे हैं। वह दिनांक 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

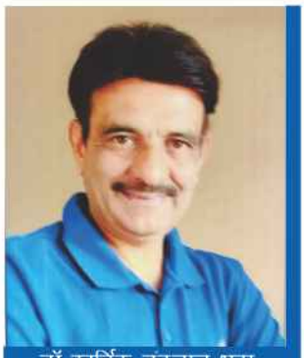

डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्रा
स्वतंत्र [अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशक]

डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएन : 09453387), एमबीबीएस, डीसीएच हैं। वर्ष 1991 से गुजरात के वलसाड में कालराव चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हैं।

वह दक्षिण गुजरात के एक प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल है, जहाँ वे पिछले 29 वर्षों से चिकित्सा प्रेक्टिस कर रहे हैं और समुदाय की सेवा कर रहे हैं। वे वलसाड के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और लगातार पांच वर्षों तक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वलसाड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह एक परोपकारी व्यक्ति हैं, जो समाज की सेवा करने और समुदाय को मजबूत करने में विश्वास करते हैं जैसा कि उनकी कई पहलों द्वारा प्रदर्शित होता है। वह सक्रिय रूप से 10 से अधिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। वह विद्याभारती से संबद्ध स्कूल "श्री सरस्वती शिशु मंदिर" के उपाध्यक्ष ट्रस्टी हैं, जहां निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के 800 से अधिक छात्र, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। उन्होंने उड़ान (उन्नत देश–आदर्श नागरिक) फाउंडेशन की स्थापना की है – एक अनूठा जागरूकता कार्यक्रम, जिसका प्रबंधन और संचालन उनके और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों की उनकी देशभक्ति टीम द्वारा किया जाता है। वह दिनांक 31 दिसंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री अशोक कुमार गोयल
कार्यपालक निदेशक (कार्य)



डॉ सुभाष चंद
कार्यपालक निदेशक (विद्युत)



श्री सुरेंद्र सिंह
कार्यपालक निदेशक (विशेष कार्य)

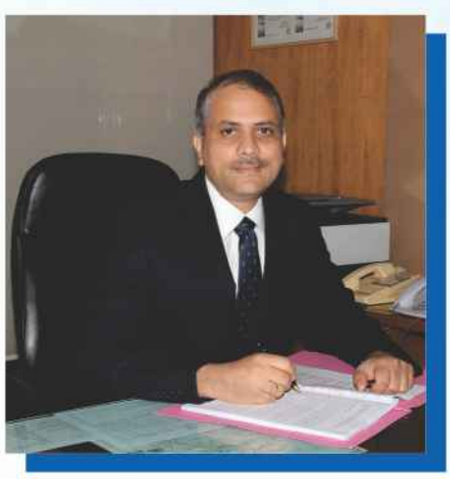

श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

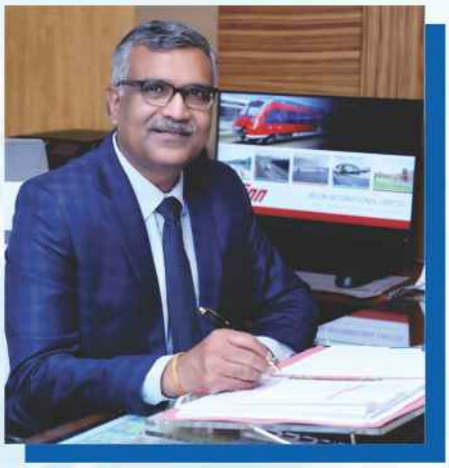

श्री पराग वर्मा
कार्यपालक निदेशक (अवसंरचना)



श्री पवन कुमार
कार्यकारी निदेशक (जम्मू और कश्मीर)



श्री प्रमोद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक (पटना)

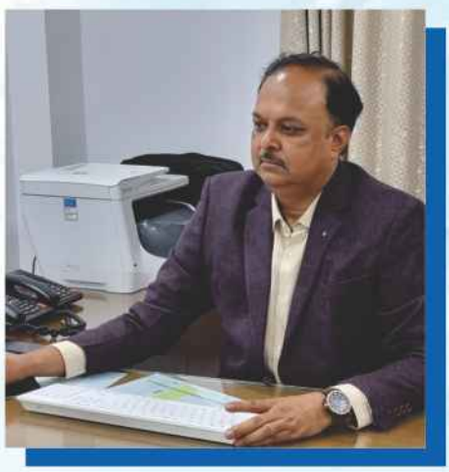

श्री मोहिंदर सिंह
परियोजना निदेशक (रंगपो)



श्री अंकुश गुप्ता
परियोजना निदेशक (छत्तीसगढ)



श्री देवेंद्र कुमार शर्मा
परियोजना निदेशक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे)



श्री सीतेश कुमार सिंह
परियोजना निदेशक (सिविल–मुंबई)

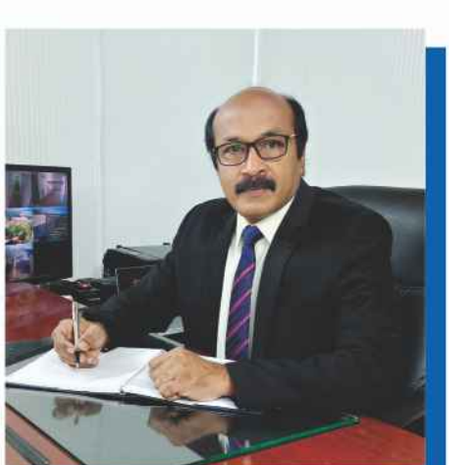

श्री वी.के. जयशंकर
परियोजना निदेशक (अल्जीरिया)

जयनगर (भारत)–बिजलपुरा (नेपाल) परियोजना



दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जयनगर (किमी. 0.00) से कुर्था (किमी. 34.90) तक सीमा पार रेल खंड का उदघाटन किया गया।

उद्यमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना



दिनांक 18 जनवरी 2022 को टी–15 की प्रमुख सुरंग में लगभग 11 किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई है।



दिनांक 15 फरवरी 2022 को यूएसबीआरएल परियोजना में 12.76 किलोमीटर लंबी सुरंग टी–49 की मुख्य सुरंग की खुदाई कार्य।



हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजना

- दिनांक 24 मार्च, 2022 को हाजीपुर–अक्षयवत राय नगर (11.5 किमी) का सीआरएस निरीक्षण (रेलवे सुरक्षा निरीक्षण आयोग) आयोजित किया गया था और इस खंड को 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चालू किया गया था।
- दिनांक 07 जनवरी, 2022 को शाहपुर पटोरी–सहदेई बुजुर्ग (12.41 किमी) का सीआरएस निरीक्षण आयोजित किया गया था और इस खंड को अधिकतम 90 किमी प्रति घंटे की गति से चालू किया गया था।









ईस्ट रेल कॉरिडोर (चरण–I) : खरसिया से धर्मजयगढ़



डीजल कर्षण वाली मालगाड़ी के संचालन के लिए दिनांक 21 जून, 2021 को कोरिछापर से धरमजयगढ़ खंड के 30 किलोमीटर को खोला गया।



दिनांक 25 फरवरी, 2022 को 14 किलोमीटर [स्पर (सिंगल) लाइन] के घरघोड़ा से भालुमुडा खंड को मालगाड़ी के लिए चालू किया गया।



सीईआरएल–I विद्युतीकरण कार्य



सीईआरएल–I विद्युतीकरण कार्य

कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना

43.33 किमी कमीशनः

- 7.80 किलोमीटर के नई कटनी जं.–कटंगी खुर्द खंड को दिनांक 14 जून, 2021 को चालू किया गया।
- 8.30 किमी के देवग्राम मझौली खंड को दिनांक 07 सितंबर, 2021 को 90 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चालू किया गया।
- 5.90 किमी के महेदिया–सिंगरौली खंड को दिनांक 11 फरवरी, 2022 को चालू किया गया।
- 21.33 किलोमीटर के सलहाना–पिपरिया–खन्ना बंजारी खंड को दिनांक 13 फरवरी, 2022 को चालू किया गया।









सिवोक रंगपो परियोजना

मुख्य सुरंगों के 10.34 किमी उत्खनन का कार्य पूरा किया गया। दिनांक 08 फरवरी, 2022 को 1.98 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 14 में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट।









डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना, सीटीपी–12



इरकॉन ने थलसाड और पारडी रेलवे स्टेशन, गुजरात के बीच सडक उपरिपुल (आरओबी) थलसाड में सबसे बडे प्रीकास्ट पीएससी सेगमेंटल ट्रियन शेल बॉक्स (लंबाई 18.47 मीटर, चौड़ाई 15.8 मीटर और ऊंचाई 9. 73 मीटर) के निर्माण और लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है।



अंचेली (गुजरात) में डीएफसी स्टेशन भवन

मई 2022 में बेहला में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन





अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरी तरह से वातानुकूलित बहुउद्देश्यीय इंडोर स्टेडियम को दो स्तरीय दर्शक दीर्घा में लगभग 1,100 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ विकसित किया गया था।

31.03.2022 तक कर्मचारियों की संख्या











"हम अपनी योग्य और अनुभवी मानव पूंजी को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह हमारी सफलता और विशाल ग्राहक समूह को विकसित करने की हमारी क्षमता के प्रति प्रेरक शक्ति है। हम अपने कर्मचारियों के विकास और कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।"

"कई प्रसिद्ध संस्थानों से पुरस्कारों द्वारा निरंतरता कार्यनिष्पादन को मान्यता"

ग्रीनटेक फाउंडेशन संरक्षा पुरस्कार



(निर्माण संरक्षा हेतु)

गवर्नेंस नाव 8वां पीएसयू पुरस्कार



(सीएसआर प्रतिबद्धता)



(सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार)

पीएसयू में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार



(सृजनात्मक सोशियल मीडिया आउटरीच)



(जियो सर्च पहुंच में वृद्धि)



(उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार)

"हमारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन ढांचा, हमारे व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत है। हम लगातार उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, जिनमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कार्य करते हैं।"

वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2022 तक कुल सीएसआर खर्च

+67 करोड़ रूपए

रूपए करोड़ में

स्वच्छ भारत (सेनिटेशन सहित)
11.07%(16.46%)

कला, संस्कृति एवं खेलकूद
1.68%(2.50%)

स्वच्छ गंगा
4.58%(6.81%)

ग्रामीण विकास
2.24%(3.34%)

स्वास्थ्य और पोषण
7.95%(11.83%)

पीएम केयर्स निधि
21.14%(31.44%)

शिक्षा एवं कौशल विकास
9.68%(14.40%)

अन्य
3.63%(5.40%)

वन एवं पर्यावरण
4.20%(6.25%)

प्रशासनिक एवं अन्य लागत
1.05%(1.57%)

वित्तीय वर्ष 2022 में सीएसआर खर्च
10.52 करोड़ रूपए

स्वास्थ्य



दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का संवितरण



मेसर्स पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के आकांक्षी जिले के 30 स्कूलों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर



बिहार के समस्तीपुर जिले के मंडल रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग संयंत्र की स्थापना।

कौशल विकास







मेसर्स फ्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा भुवनेश्वर में एक आवासीय व्यवस्था में रहने वाले 150 आदिवासी छात्रों के प्रायोजन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवर्धन।

शिक्षा



मेसर्स केशव श्रुति द्वारा महाराष्ट्र में "नॉलेज ऑन व्हील्स" कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का संवर्धन



मेसर्स गोधुली द्वारा नांगलोई, दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों में लगभग 140 झुग्गी बस्तियों के बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन।

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (स्टैंडअलोन)

रूपए करोड़ में

कुल राजस्व/प्रचालनिक राजस्व

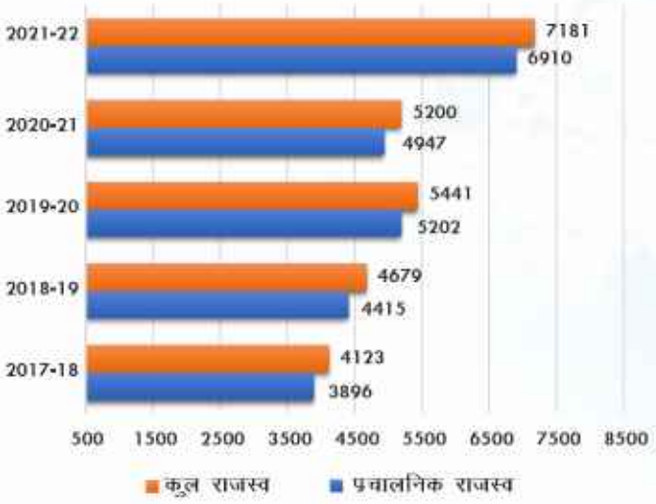

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और निवल संपत्ति



ईबीआईटीडीए/मुख्यईबीआईटीडीए

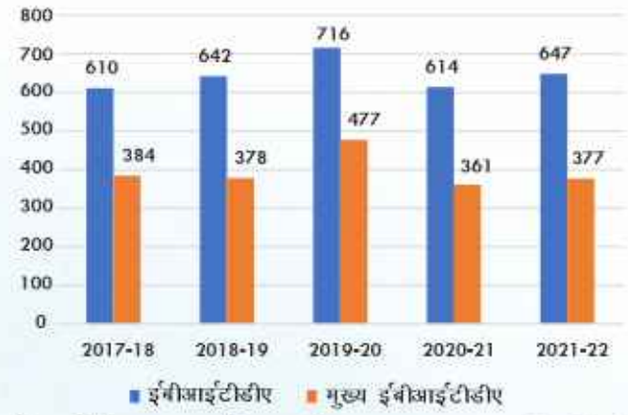

ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ+ वित्त लागत+ मूल्यह्रास और परिशोधन
मुख्य ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ+ वित्त लागत+ मूल्यह्रास और परिशोधन – अन्य आय

कर पश्चात लाभ (पीएटी)/लाभांश

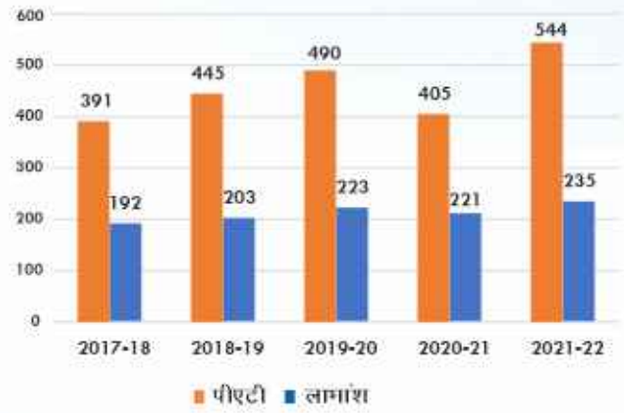

आर्डर बुक

43,758 करोड़ रूपए



"हमारा विकास केवल संयोग नहीं है। यह एक साथ काम करने वाली ताकतों का परिणाम है।"

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (स्टैंडअलोन)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	इंड एएस							आईजीएएपी		
		2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1	प्रचालनों से राजस्व	**6,910**	**4,947**	**5,202**	**4,415**	**3,896**	**2,994**	**2,419**	**2,864**	**4,057**	**4,232**
2	अन्य आय	271	253	239	264	227	260	442	258	250	249
3	कुल आय	7,181	5,200	5,441	4,679	4,123	3,254	2,861	3,122	4,307	4,481
4	वित्तीय लागत और मूल्ह्रास व परिशोधन पूर्व व्यय	6,534	4,587	4,726	4,037	3,513	2,717	2,187	2,258	2,985	3,413
5	वित्तीय लागत	10	15	27	16	64	61	43	9	38	11
6	मूल्ह्रास व परिशोधन	27	25	16	12	13	18	28	10	34	43
7	ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पूर्व आमदनी (ईबीआईटीडीए)	647	614	716	642	610	611	673	863	1,321	1,069
8	ब्याज और कर से पूर्व आमदनी (ईबीआईटी)	620	589	700	631	597	593	645	853	1,287	1,026
9	**कर पूर्व लाभ**	**610**	**574**	**673**	**615**	**533**	**532**	**602**	**844**	**1,249**	**1,015**
10	**कर पश्चात लाभ**	**544**	**405**	**490**	**445**	**391**	**369**	**395**	**579**	**907**	**730**
11	वर्ष के लिए लाभांश	235	221	223	203	192	192	168	182	182	148
12	शेयर पूंजी	188.10	94.05	94.05	94.05	94.05	98.980	19.800	19.800	19.800	19.800
13	प्रयुक्त पूंजी	4,621	4,406	6,007	6,510	6,952	3,828	3,667	3,354	2,993	2,300
14	**निवल संपत्ति**	**4,621**	**4,406**	**4,161**	**3,950**	**3,751**	**3,828**	**3,667**	**3,354**	**2,993**	**2,300**
15	पीबीटी मार्जिन (%)(पीबीटी/कुल आय)	8.49	11.04	12.37	13.14	12.93	16.35	21.04	27.05	29.00	22.64
16	पीएटी मार्जिन (%)(पीएटी/कुल आय)	7.58	7.78	9.00	9.51	9.48	11.34	13.81	18.56	21.06	16.29
17	निवल संपत्ति पर प्रतिफल(%)(पीएटी/निवल संपत्ति)	11.77	9.18	11.77	11.27	10.42	9.64	10.77	17.27	30.30	31.73
18	प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (%)(ईबीआईटी/प्रयुक्त पूंजी)	13.42	13.36	11.66	9.69	8.59	15.48	17.59	25.44	43.01	44.58
19	कर्मचारियों की संख्या(संख्या)	1,278	1,295	1,369	1,576	1,622	1,496	1,499	1,472	1,579	1,704
20	प्रति कर्मचारी आय (कुल आय/कर्मचारी संख्या)	5.62	4.02	3.97	2.97	2.54	2.17	1.91	2.12	2.73	2.63

*वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने IRFC से ऋण की भटपाई की और RLDA से वसूली योग्य राशि। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

देश में विश्व स्तर के अवसंरचना के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र, भारत सरकार के लिए एक प्रमुख ध्यान आकर्शण क्षेत्र बन गया है। भारत के शहरों की रहने की क्षमता के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार महत्वपूर्ण है। यह भारत की उत्पादकता और कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता का भी केंद्र है। भारत के, वर्ष 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बनने की उम्मीद है।

वैश्विक आर्थिक अवलोकन

कोविड–19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह उम्मीद की गई थी कि ओमीक्रोन वेरियेंट के अल्पकालिक प्रभाव के बाद, वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही से वैश्विक सुधार मजबूत होगा। हालाँकि, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण पूर्वी यूरोप में एक दुखद मानवीय संकट और रूस पर शत्रुता समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक संभावनाएं काफी हद तक खराब हो गई हैं।

यह संकट तब सामने आया, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एक सुधार पथ पर थी, लेकिन अभी तक यह कोविड –19 महामारी से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजार और विकासशील लोगों की आर्थिक सुधार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। युद्ध के अलावा चीन में प्रमुख विनिर्माण केंद्रों सहित लगातार और व्यापक लॉकडाउन ने भी,आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में नई बाधाएं पैदा कर सकता है। उच्च, व्यापक, और अधिक लगातार मूल्य दबावों ने भी कई देशों में मौदिक नीति को कड़ा किया है। आर्थिक संभावनाओं के लिए समग्र जोखिम तेजी से बढ़े हैं और नीतिगत व्यापार व्यवस्था अब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।

कई देशों में, मुद्रास्फीति,समग्र रूप से चिंता का विषय बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों सहित कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, यह कड़े श्रम बाजारों के संदर्भ में, 40 से अधिक वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस बात का जोखिम बढ़ रहा है कि मुद्रास्फीति की आकांक्षाएँ अस्थिर हो रही हैं, जिससे केंद्रीय बैंकों की ओर से अधिक आक्रामक व कड़ी प्रतिक्रिया होती है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से सामाजिक अशांति का खतरा काफी बढ़ सकता है।

युद्ध से प्रभावित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और कीमतों के बढ़ते दबाव से प्रेरित होकर, मुद्रास्फीति पिछले पूर्वानुमान की तुलना में अधिक समय तक बनी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत और उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो जनवरी 2022 में अनुमानित 1.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत अधिक है। युद्ध के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 में वैश्विक विकास काफी धीमा रहने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय मौदिक रिपोर्ट (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित "वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ)" (अप्रैल, 2022 संस्करण) के अनुसार, वैश्विक विकास दर, वर्ष 2021 में 6.1 प्रतिशत से 2022 और 2023 में 3.6 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। यह आईएमएफ द्वारा जनवरी, 2022 में किए गए पूर्वानुमान की तुलना में 2022 और 2023 के लिए 0.8 और 0.2 प्रतिशत अंक कम है। यह कमी, काफी हद तक रूस और यूक्रेन और वैश्विक विवाद पर युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभावों को दर्शाती है। वर्ष 2023 के बाद, मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर घटकर लगभग 3.3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। कुछ अपवादों के साथ, रोजगार और उत्पादन आमतौर पर वर्ष 2026 तक पूर्व–महामारी प्रवृत्तियों से नीचे रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं था। हालाँकि, महामारी की स्थिति में धीरे–धीरे सुधार के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था, इसके साथ ही, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने देश की आर्थिक सुधार को पटरी से उतार दिया है। वर्ष 2022 की पहली तिमाही के दौरान,वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जो यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों के साथ–साथ मांग में निरंतर वृद्धि और आपूर्ति पर विभिन्न बाधाओं को दर्शाती है। वस्तुओं की आपूर्ति पर युद्ध के विघटनकारी प्रभावों के बारे में चिंताओं के बीच, कीमतों में वृद्धि विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए स्पष्ट की गई, जहां रूस और यूक्रेन बड़े निर्यातक हैं, विशेष रूप से ऊर्जा, उर्वरक, और कुछ अनाज और धातु।

धातु और खनिज सूचकांक 2022 की प्रथम तिमाही (वयू/वयू) में 13 प्रतिशत बढ़ा और अब एक साल पहले की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। इस तिमाही में निकल की कीमतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लंदन मेटल एक्सचेंज को मार्च के मध्य में कई दिनों के लिए धातुओं का व्यापार रोकना पड़ा। एल्युमीनियम और लौह अयस्क की कीमतों में भी भारी वृद्धि देखी गई, जो आपूर्ति में रूस के महत्व को दर्शाती है। रूस गेहूं, कच्चा लोहा, समृद्ध यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, पैलेडियम और निकल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। तनावपूर्ण वैश्विक भू–राजनीतिक स्थिति और परिणामस्वरूप वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें ने घरेलू मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से काफी अनिश्चितता उत्पन्न की है।

दिनांक 31 मई, 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021–22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 8.7 प्रतिशत थी। यह पूर्व–महामारी स्तर (2019–20) से 1.5 प्रतिशत अधिक है। 2021–22 की चौथी तिमाही में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तीसरी तिमाही की तुलना में 5.4 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से ओमीक्रोन लहर के परिणामस्वरूप, निजी खपत में कमजोरी के कारण थी।

भावी पथ

जून, 2022 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौदिक नीति वक्तव्य के अनुसार, घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सुधार मजबूत हो रहा है। सामान्य दक्षिण–पश्चिम मानसून की संभावना और कृषि संभावनाओं में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण खपत को लाभ हो सकता है। संपर्क–गहन सेवाओं में तेजी से आगे चलकर शहरी खपत में तेजी आने की संभावना है। क्षमता उपयोग में सुधार, सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और बैंक ऋण को मजबूत करने से निवेश गतिविधि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की वृद्धि का रुझान निरंतर बने रहने की संभावना है। लंबे समय से चल रहे भौगोलिक –राजनीतिक तनावों, वस्तुओं की ऊंची कीमतों, आपूर्ति की निरंतर बाधाओं और वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने से, होने वाले नुकसान से वैश्विक परिदृश्य पर असर पड़ता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.1 प्रशित और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमडी) ने विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2022) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को वर्ष 2022 में 7.4 प्रतिशत और वर्ष 2023 में 6.1 प्रतिशततक कम कर दिया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

मार्च, 2022 में जारी विदेशी मुद्रा भंडार पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 के अंत में 635.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर मार्च 2022 के अंत में 607.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में यह कमी, मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रयोग से उत्पन्न आय, केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त बाहरी सहायता, और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की वजह से हुई है।

भुगतान संतुलन के आधार पर (अर्थात मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर), विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रैल–दिसंबर 2021 के दौरान 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल–दिसंबर 2020 के दौरान यह 83.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आंशिक दृष्टि से, विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन सहित) प्रभाव) में अप्रैल–दिसंबर 2021 के दौरान 56.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 108.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

उद्योग समीक्षा

केंद्रीय बजट 2022–23 में, सरकार ने अवसंरचना के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 10 लाख करोड़ रूपए (130.57 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित करके अवसंरचना के क्षेत्र को भारी बढ़ावा दिया है। सरकार ने 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)' का विस्तार 9,335 परियोजनाओं तक किया है। वर्ष 2020 तक 1.10 लाख करोड़ रूपए (15.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की 217 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

अवसंरचनाक्षेत्र पर सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के रूप में और राष्ट्रीय अवसंरचना प्राथमिकता, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और गतिशक्ति के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को और गति देने के लिए, जन अधिकारियों के बीच अवसंरचना–केंद्रित क्षमता को बढ़ाने पर नये रूप से बल दिया गया है। बजट, 2022 में क्षमता निर्माण के महत्व को भी विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "क्षमता निर्माण आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी मूलभूत एजेंसियों के तकनीकी समर्थन से उनके कौशल को उन्नत किया जाएगा। यह योजना, डिजाइन, वित्तपोषण (नवीन तरीकों सहित), और पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगी।

अप्रैल 2000–दिसंबर 2021 के बीच निर्माण विकास (टाउनशिप, आवासन, निर्मित अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाएं) और निर्माण (अवसंरचना) गतिविधि क्षेत्रों में एफडीआई क्रमश: 26.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 26.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत, वर्ष 2022 तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बन जाएगा। भारत को देश में सतत विकास के लिए वर्ष 2022 तक बुनियादी ढांचे में 50 ट्रिलियन रूपए (777.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में मल्टी–मोडल सम्पर्कता के लिए 100 लाख करोड़ रूपये के मास्टर प्लान की घोषणा की है, जिसमें लॉजिस्टिक लागत कम करने और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अवसंरचना को विकसित करने का लक्ष्य है।

रेलवे सेक्टर

केंद्रीय बजट 2022–23 में, भारतीय रेलवे के लिए रू1,40,367 करोड़ (18.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय की घोषणा की गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़ों से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय रेलवे का राजस्व 2.57 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा और वित्तीय वर्ष 2019 में 27.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2020 में सकल राजस्व रू174,660.52 करोड़ (24.99 बिलियन अमरीकी डॉलर) था। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए राजस्व रू2,25,913 करोड़ (30.42 बिलियन अमरीकी डॉलर) होने का अनुमान है।

रेल मंत्रालय अगले 10–20 वर्षों में रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) के माध्यम से रू15,000 करोड़ (बिलियन अमरीकी डॉलर)अर्जित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। भारतीय रेलवे को क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2032 तक 35.3 ट्रिलियन (545.26



बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में सालाना 92 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। रेलवे, जलवायु चुनौती के प्रति भारत की लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है और वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन संगठन होने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में सबसे अधिक लोडिंग दर्ज की गई है। इसके साथ, भारतीय रेलवे का माल ढुलाई राजस्व इसी अवधि में बढ़कर रू1,17,386 करोड़ (15.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया, जबकि 2019–20 में रू1,13,897 करोड़ (15.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। अगस्त 2021 में, माल ढुलाई आय रू10,866.20 करोड़ (1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी और माल ढुलाई 110.55 मिलियन टन थी। रेल मंत्रालय ने पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सहित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की योजना बनाई है, पीपीपी के माध्यम से 150 आधुनिक रेक को शामिल करना, पीपीपी के माध्यम से स्टेशन पुनर्विकास, रेलवे भूमि पार्सल, बहुआयामी परिसर, रेलवे कॉलोनियां, पहाड़ी रेलवे और स्टेडियम तैयार करने की योजना है।

बजट 2022 में, यह घोषणा की गई थी कि रेलवे, छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल लॉजिस्टिक सेवाओं का विकास करेगा, इसके अलावा, पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए 'एक स्टेशन–एक उत्पाद' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में, वर्ष 2022–23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक कवच के तहत 2,000 किमी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी के अनुभव वाली चार सौ नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों के दौरान विकसित और निर्मित की जाएंगी। अगले तीन वर्षों के दौरान

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए सौ पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

सड़क क्षेत्र

वर्ष 2022–23 के बजट में, 20,000 करोड़ (2.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण परिव्यय के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए रू1,99,107.71 करोड़ (26.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016से वित्तीय वर्ष 2019 के बीच भारत में राजमार्ग निर्माण 21.44 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2019 में, 10,855 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक रू 5.35 लाख करोड़ (741.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की लागत से 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार 25,000 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये (2.61 अरब अमेरिकी डॉलर) का खर्च होगा)। मार्च में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा और राजस्थान में कुल रू1,407 करोड़ (183.9 मिलियनअमेरिकी डॉलर) की 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वर्ष 2024 तक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर दिन 40 किलोमीटर की दर से 60,000 किलोमीटर विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना चाहता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सड़क के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए, भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये (1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से 313 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है।



सितंबर 2021 में, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सड़क अवसंरचना को विकसित करने के लिए रू1 लाख करोड़ (13.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। इस क्षेत्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों में भी 2014 में 7 से 2021 में 11 तक कीवृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर 2021 में, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में रू 26,831 करोड़ (3.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की 173.7 किलोमीटर लंबी बाहरी रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2022 में, सरकार की पहल, जैसे कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, भारतमाला परियोजना, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) में परिवर्तन और सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति मुद्रीकरण की तेज गति, आरंभ की गई हैं। अक्टूबर 2021 के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 तक 4,956 किलोमीटर की तुलना में 4,450 किलोमीटर का विस्तार करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। अगस्त 2021 में, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने 1,080किमी (सड़क निर्माण) भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात में रू25,370 करोड़ (3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की परियोजनाएं– महत्वाकांक्षी सड़क और राजमार्ग परियोजना, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से राजमार्गों का निर्माण करना है और फिर हिमालय के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करना है।

मेट्रो और मोनो रेल सेक्टर

सितंबर 2020 तक मेट्रो रेल नेटवर्क 637.2 किलोमीटर तक पहुंच गया। जून 2020 में, ए एंड एम डेवलपमेंट ग्रुप, एक यूरोपीय अवसंरचना विकास कंपनी, ने हाल ही में गठित, भारतीय इक्विटी, ओबेरॉय–ए एंड एम इंफ्रा–कंसोर्टियम के साथ आरसीसी इंफ्रा वेंचर्स के साथ मुंबई मेट्रो परियोजना में 100 करोड़ (14.19 मिलियन अमरीकी डॉलर) निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नवंबर 2020 में, एल्स्टॉम ने घोषणा की है कि उसने आंध्र प्रदेश में अपने 'श्रीसिटी' कारखाने में अपनी 500वीं मेट्रो कार का उत्पादन



सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो शहरी मेट्रो परियोजनाओं के लिए 'रोलिंग स्टॉक' (मेट्रो ट्रेनें) बनाती है। मार्च 2021 में, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने बेंगलुरु में रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) बैंगलोर मेट्रो के 'आर 6, 2ए और 2बी' के चरण:2 के विकास के लिए रू 3,717 करोड़ (560.85 मिलियन अमरीकी डॉलर) तक का ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

भारत सरकार, आयात बिल को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान दे रही है। सरकारी मिशन के भाग के रूप में, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2014 और 2021 के बीच भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की बिजली की आवश्यकता बढ़कर 817 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी।



अधिकांश मांग रियल एस्टेट और परिवहन क्षेत्रों से आएगी। वर्ष 2025–2030 में भारत में, सौर और पवन परियोजनाओं से बिजली

अप्रैल 2000 और दिसंबर 2021 के बीच गैर–पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में 11.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है। अक्षय क्षेत्र में बढ़ते विदेशी निवेश (जैसे यूएई से 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश) से देश में और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बजट 2022–23 के अनुसार, वर्ष 2030 तक 280 डब्ल्यूजी स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, घरेलू विनिर्माण की सुविधा के लिए, पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ, पॉलीसिलिकॉन से सोलर पीवी मॉड्यूल उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु रू 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

जनवरी 2022 तक, भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 152.36 जीडब्ल्यू (पनबिजली सहित) थी, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता के 38.56 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है और हरित डेटा केंद्रों के विस्तार के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है। जी20 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है, जो पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्य हासिल करने की राह पर अग्रसर है। आईसीआरए को वित्तीय वर्ष 2022 में 125 जीडब्ल्यू और वित्तीय वर्ष 2023 में 16 जीडब्ल्यू की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 500 गीगावॉट तक बढ़ने और नवीकरणीय साधनों के माध्यम से भारत की 50 ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है।

कंपनी का विहंगावलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसकी विशेषज्ञता प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों में रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाइओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, ईएचवी उपस्टेशन, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और अवसंरचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। इरकॉन विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नियत टर्नकी आधार पर तथा मद दर आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करता है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयला निकासी को बढ़ावा देने के लिए इरकॉन कोयला मंत्रालय के तहत अन्य सीपीएसई के साथ संयुक्त उद्यम में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा, इरकॉन कंपनी की दीर्घकालीन परिसंपत्ति बनाने के लिए वित्तीय क्षमता का लाभ उठाकर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) मोड और हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। इरकॉन अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानीजाती है।

आपकी कंपनी ने पिछले 46 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है।इसने क्षेत्र तथा भौगोलिक कवरेज दोनों ही दृष्टिकोणों से विविध अवसंरचनात्मक प्रचालक बनने के लिए सक्रीय रूप से कार्य किया है। वर्ष 1976 में रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात वर्ष 1985 से इसने उत्तरोत्तर निर्माण गतिविधियों तथा अवसंरचनात्मक सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम में विविधता प्राप्त की है। इसके बावजूद भी इसका मुख्य केन्द्र तथा शक्ति अभी भी रेल क्षेत्र से संबंधित है।

इरकॉन सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछेक निर्माण कंपनियों में से एक है जिसने देश के लिए व्यापक स्तर पर विदेशी विनिमय अर्जित किया है और प्रत्येक वर्ष निरंतर लाभांश का भुगतान किया है।

इन वर्षों में कंपनी ने अल्जीरिया, अफगानिस्तान बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया ईरान, इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, मोजाबीक, म्यामार, नेपाल, नाइजीरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, यूके और जांबिया जैसे देशों सहित अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक अपने प्रचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने विश्वभर में अब तक 25 से अधिक देशों में 128 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है तथा भारत में 398 परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत में विशेष रूप से यह दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में भी परियोनजाओं को निष्पादित कर रही है और राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं में सक्रीय रूप से भाग ले रही है।

हालांकि कम्पनी पहले ही भारत के अनेक राज्यों में परियोजनाएं निष्पादित कर चुकी है, यह अपने व्यवसाय विकास मॉडल के भाग के रूप में भारतवर्ष में अपने घरेलू प्रचालनों का विस्तार करना चाहती है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

इरकॉन, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथाभारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार समय–समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

आपकी कंपनी के प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत भाग है। भारत सरकार ने सितंबर 2018 में इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के माध्यम से 10.53 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का विनिवेश किया है। इसके अलावा, मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा 18 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के बाद, कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए में निर्दिष्ट आवश्यकताए के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) का अनुपालन कर रही थी।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2021 संस्करण के अनुसार, इरकॉन शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय संविदाकारों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा, मार्च 2022 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को कुल राजस्व में 2021 में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 'निर्माण और अवसंरचना' क्षेत्र के तहत इस क्षेत्र में कार्यनिश्पादन के मामले में 11वें स्थान प्राप्त हुआ है।

व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग

इरकॉन की प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग इस प्रकार हैं:

1. व्यवसाय विकास विभाग

इरकॉन का व्यवसाय विकास प्रकोष्ठ ऑर्डर बुक प्राप्त करने, बोली लगाने की रणनीतियों का विकास और मूल्यांकन करने के साथ–साथ इस तीव्र प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी के लिए लीड / अवसर पैदा करने और उन अवसरों का पोषण करने के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने हेतु एक समर्पित विपणन दल है।

पिछले वर्षों में इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रेलवे, राजमार्ग,

सुरंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिग्नलिंग और दूरसंचार, भवन आदि में प्रतिस्पर्धा और नामांकन के आधार पर परियोजनाएं हासिल की हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों को नामांकन के आधार पर काम देने की अपनी नीति में बदलाव किया है, अब रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बोली प्रक्रिया द्वारा रेलवे कार्यों का आवंटन किया जाता है। इरकॉन अपने व्यवसाय विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न रेलवे और अन्य विभाग की निविदाओं में प्रतिस्पर्धी बोली पर भाग लेता है।

वर्ष 2021–22 में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रू16180.71 करोड़ की 12 परियोजनाओं को प्राप्त किया है। इसमें भारत में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना से रू 6857 करोड़ की राशि के दो पैकेज, एनएचएआई की रू 4528 करोड़ की चार सड़क परियोजनाएं, म्यांमार में रू1780 करोड़ की एक सड़क परियोजना, रू1960.04 करोड़ की 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना, रू658.64 करोड़ की एक रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, रू337 करोड़ की चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए ट्रैक कार्य परियोजना, रू11.74 करोड़ की भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के लिए एक पीएमसी परियोजना और रू48.06 करोड़ की भारतीय रेलवे की एक कार्यशाला परियोजना शामिल हैं।

यह विभाग, नए व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए नीतिगत समझौता ज्ञापनों और गठबंधनों के गठन और कंपनी की कॉर्पोरेट योजना की रूपरेखा और समीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया में है ।

यह विभाग,सक्रीय रूप से बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो इरकॉन के भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

2. सिविल इंजीनियरिंग विभाग

इरकॉन देश में एक अग्रणी निर्माण संगठन के रूप में उभरा है और सिविल इंजीनियरिंग विभाग कंपनी के लिए राजस्व का बड़ा हिस्सा अर्जित करके कंपनी की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। इस विभाग का नेतृत्व पेशेवर रूप से अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन टीम द्वारा किया जाता है, जो प्रमुख बिजनेस स्कूलों से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके आए हैं और भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आदि से स्नातक उच्च प्रेरित और कुशल सिविल इंजीनियरों के एक बड़े पूल के साथ समर्थित है। वर्तमान में, सिविल विभाग की कुल श्रमक्षमता इंजीनियर 597 हैं, जो व्यापक अनुभव के साथ कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 46 प्रतिशत है।

इरकॉन हमेशा विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के साथ परियोजना को निष्पादित करने का प्रयास करता है और निश्चित समय–सीमा के भीतर इन्हें उपलब्ध करता है। अत्यधिक योग्य और अनुभवी कर्मचारी आधार के साथ इरकॉन ने मौजूदा व्यवसाय की अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को पूरी तरह से बढ़ाया है।





कंपनी के पास विकास का उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड और रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, हवाईअड्डों, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों, सुरंगों, जल उपचार संयंत्रों, आवासीय क्वार्टरों आदि जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लगभग सभी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इरकॉन के सिविल इंजीनियरों को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए देश और विदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करना, इसकी शुरुआत से लेकर अत्याधुनिक आधुनिक परियोजना प्रबंधन उपकरण, जैसे कि प्राइमावेरा, टीआईएलओएस, एमएस प्रोजेक्ट, आदि का उपयोग करने आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। विभाग के अधिकांश सिविल इंजीनियर दुनियाभर में उपलब्ध नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों में, जैसे कि जीपीएस सर्वेक्षण, एरियल लिडार ड्रोन के साथ सर्वेक्षण, कुल स्टेशन सर्वेक्षण, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित हैं।

इस विभाग ने कई मेगा परियोजनाओं को पूरा किया है, और



परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जैसे ईराक में हाई–स्पीड रेलवे लाइन, बांग्लादेश में जमुना ब्रिज रेल लिंक–।।सेरेम्बन और जेम्स, मलेशिया के बीच डबल ट्रैक परियोजना, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लाइनों का उन्नयन (4 अनुबंध), जम्मू–कश्मीर में काजीगुंड–बारामूला नई बीजी रेलवे लाइन के 118 किलोमीटर का निर्माण, जम्मू और कश्मीर में 11.2 किलोमीटर पीरपंजाल सुरंग का निर्माण (भारत में सबसे लंबा परिवहन सुरंग)।

इस विभाग ने एनएटीएम जैसी नवीनतम तकनीक के साथ हिमालय में सुरंग बनाने में विशेषज्ञता विकसित की है और इसे 200 से अधिक प्रशिक्षित सुरंग इंजीनियरों के होने पर गर्व है। कंपनी अपने स्वयं के



वित्तीय वर्ष 2021–22 में, इस विभाग ने प्रतिस्पर्धी बोली और वार्ता आधार पर इरकॉन के लिए प्रमुख निर्माण अनुबंध प्राप्त किए हैं। बड़ी आधारभूत अवसंरचना परियोजना पर सरकार के ध्यान को देखते हुए, यह विभाग इंजीनियरिंग परियोजनाओं की सरणियों के तहत प्रभावी निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इरकॉन को प्रदान की गई बड़ी संख्या में परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन के लिए इनपुट और नेतृत्व आवश्यक है।

3. डिजाइन और विकास विभाग

इरकॉन का डिजाइन और विकास प्रकोष्ठ (डीडीसी) प्रासंगिक सीओडीएएल प्रावधानों, मूल्य इंजीनियरिंग, विभिन्न बड़ी स्तर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और अन्य सिविल इंजीनियरिंग की बोली के लिए मात्राओं के आकलन के अनुसार सलाहकारों द्वारा



प्रस्तुत आंतरिक सिविल डिजाइन और समीक्षा डिजाइन विकसित करने के लिए समर्पित है, जो इरकॉन की अधिकांश परियोजनाओं का समाधान है। कुशल सीएडी इंजीनियरों के सहयोग हेतु, बेंटले ओपन रेल/ओपन रोड्स (संरेखण डिजाइन के लिए), एसटीएएडी प्रो और एमआईडीएएस (स्ट्रक्चरल डिजाइन और ब्रिज डिजाइन के लिए), आईआईटीपीएवीई और केजीपीबीएसीके (फुटपाथ और ओवरले डिजाइन), एसएलआईडीई (मिट्टी के ढलान स्थिरता विश्लेषण के लिए) जैसे परिष्कृत डिजाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

इन–हाउस डिजाइन टीम को एलाइनमेंट डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, आरसीसी/स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन, हाईवे पेवमेंट डिजाइन, जियो टेक्निकल समाधान और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन आदि में व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन–हाउस डिजाइन टीम के पास, भारत के शीर्ष रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक डिग्री प्राप्त अनुभवी सिविल इंजीनियर से युक्त विशेष समूह है।

डीडीसी के माध्यम से, इरकॉन निम्नलिखित कोड/मानक समितियों में सदस्य है और इनके साथ ज्ञान साझा करता है और कोड विकसित/संशोधित करने में अपना योगदान देता है:

आईएस कोडल समिति सीईडी54: कंक्रीट सुदृढीकरण अनुभागीय समिति: प्री–स्ट्रेसिंग स्टील सहित कंक्रीट के लिए सुदृढीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण।

ब्रिज गर्डर्स का मानकीकरण: इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित लंबी अवधि के स्टील आधारित सड़क पुलों का अभिकल्पन।

इरकॉन की डिजाइन टीम, विभिन्न घरेलू परियोजनाओं के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के डिजाइन को अंतिम रूप देने में व्यापक रूप से शामिल रही है अर्थात डीएफसीसीआईएल सीटीपी–12, सीईआरएल धरमजयगढ–खरसिया खंड, जिसमें स्पर लाइन और फीडर लाइन शामिल है, अगरतला–अखौरा (इंडिया पार्टिशन) वायाडक्ट परियोजना, बिहार में दीघा घाट, बीकानेर–फलौदी रोड प्रोजेक्ट, सीईडब्ल्यूआरएल में गंगा नदी पर 2–टियर रोड कम रेलवे पुल गेवरा–पेंड्रा खंड, गुड़गांव–रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना और आरएपीडीआरपी, जम्मू आदि का निर्माण, और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेल सम्पर्क, जयनगर के रेलवे पुल – बर्दिबास रेलवे परियोजना (भारत और नेपाल), मलेशिया में सेरेम्बन–जेमास विद्युतिकरण दोहरी ट्रैक रेलवे परियोजना (एसजीईडीटी), बीरा रेल परियोजना, मोजाम्बिक,तथा विशाल नदी जम्बेजी पर डोना एना ब्रिज, आदि।

इस टीम ने विभिन्न प्रमुख रेल/सड़क परियोजनाओं जैसे हाइ स्पीड रेल परियोजना सी–4, सी–5, सी–6 और सी–7 पैकेज, डीएफसीसीआईएल सीटीपी–1,2,3,3ए,11,12 पैकेज, गुडगांव–रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना,शिवपुरी–गुना राजमार्ग परियोजना, संयुक्त अरब अमीरात में एतिहाद रेल, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान, इथियोपिया, ओमान आदि, जैसी परियोजनाओं की बोली प्रकिया के समय मात्रा के आकलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. विद्युत विभाग

रेलवे क्षेत्र में अग्रणी टर्नकी परियोजना निष्पादन कंपनी के रूप में, रेलवे विद्युतीकरण स्कंध एंड–टू–एंड समाधान में परियोजना को सहयोग प्रदान करता है। विद्युत विभाग, 25 केवी रेलवे विद्युतीकरण कार्यों, एचटी ग्रिड और 400 केवी तक वोल्टेज वर्गों के ट्रैक्शन सब–स्टेशन, ईएचटी ट्रांसमिशन लाइन, ईएचवी केबलिंग कार्य, मेगा औद्योगिक संयंत्रों और लोको शेड के औद्योगिक विद्युतीकरण, शहरों के लिए बिजली आपूर्ति वितरण नेटवर्क मेट्रो रेलवे (एसी और डीसी सिस्टम) और हवाईअड्डे, सुरंग की बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन सिस्टम, मेट्रो रेलवे में बिजली आपूर्ति उप–स्टेशनों सहित विद्युतीकरण और अक्षय सौर ऊर्जा कार्यों में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इरकॉन ने वर्ष 1980 में दिल्ली–रिंग–रेलवे की अपनी पहली प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और 1982 में आयोजित एशियाई खेलों में यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल विद्युत कर्षण



सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद, 4 दशकों की अपनी यात्रा में, कंपनी ने भारत और विदेशों में रेलवे विद्युतीकरण के 6500 टीकेएम का निष्पादन किया है और स्वयं को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया।

इरकॉन ने भारत और विदेशों में 400 केवी तक के कई एच.टी. सब–स्टेशन का कार्य निष्पादित किया है। डीएमआरसी के तीनों चरणों में अधिकांश सब–स्टेशनों का कार्य इरकॉन द्वारा निष्पादित किया गया हैं। इरकॉन ने 220 केवी तक गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन



विद्युत क्षेत्र में इरकॉन के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ, इसने भारत के पहले सेमी हाईस्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल कार्यों के नए क्षेत्र में प्रवेश किया है और इसे दिल्ली–मेरठ खंड को क्रियान्वित किया है। यह रेलवे ट्रैक्शन में उभरता हुआ क्षेत्र है।भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'मिशन रेलवे विद्युतीकरण' में इरकॉन 2700 से अधिक आरकेएम और 29 सब–स्टेशन कार्यों का निष्पादन कर रहा है। इरकॉन ने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय क्षेत्र में भी प्रवेश किया है और 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण– I। (सरकारी निर्माता योजना) के तहत 500 मेगावाट ग्रिड समर्पित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को क्रियान्वित कर रहा है।

5. यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग

यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग, कुशल, अनुभवी और साथ ही युवा, गतिशील और ऊर्जावान मैकेनिकल इंजीनियरों की का एक है। इसमें मौजूदा इकाइयों की पुनःसंरचना के अतिरिक्त नई रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाई, कारखानों या डीजल शेड को डिजाइन करने, स्थापित और चालू करने की क्षमता है, जिसका उद्देश्य इष्टतम उपयोग करके एक कुशल और किफायती तरीके से आउट–टर्न में वृद्धि करना है, जिसे घरेलू और विदेशी बाजार के अंतिम उपयोग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार संसाधित किया जाता है। यह विभाग, रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव के सभी संबंधित क्षेत्रों को संभालने में भी सक्षम है, अर्थात सुविधाओं के निर्माण



के क्षेत्रों से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव के साथ–साथ मौजूदा सुविधाओं की व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग।

यह विभाग, दुनिया भर में भौतिक संसाधनों को जुटाने के साथ–साथ एमएस प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा, प्रिमावेरा आदि जैसे नवीनतम परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार निकट लक्ष्यों के साथ भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करती है।

इस विभाग ने, न केवल रिकॉर्ड समय में रायबरेली में आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील कोच उत्पादन इकाइयों की स्थापना की है और लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया है, बल्कि डीजल शेड को भी उन्नत किया है ताकि यह एक साथ डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों की व्यवस्था कर सके। यह विभाग वर्तमान में बोंडामुंडा, दक्षिण पूर्व रेलवे के एक्सचेंज यार्ड में डिटेचमेंट मुक्त रेक परीक्षण सुविधाओं के संबंध में पीईबी के साथ औद्योगिक कारखानों के निर्माण से जुड़े समग्र कार्यों (सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) को देख रहा है।

रायबरेली में कोच उत्पादन सुविधा एक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और एकीकृत इकाई है, जिसमें मूल कच्चे माल जैसे रोल्ड स्टील शीट से तैयार कोच को बाहर निकालने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सुविधा में कोच/शेल फैब्रिकेशन लाइन, रोबोटाइज्ड वेल्डिंग से



लैस बोगी फैब्रिकेशन शॉप, फर्निशिंग, फिनिशिंग शॉप, व्हील शॉप, अत्याधुनिक आर्ट पेंट शॉप के साथ–साथ मैटेरियल ऑटो स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम आदि जैसे सभी सहायक प्रणालियां, पावर सबस्टेशन उपलब्ध हैं। क्षेत्र में 3 मेगावाट के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक के साथ, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, एफआईएच प्रमाणित हॉकी स्टेडियम और 18 होल गोल्फ कोर्स के साथ–साथ काम करने वाले कर्मियों के लिए आवासीय कॉलोनी और शीर्ष प्रबंधन के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

लोकोमोटिव, फ्रेट वैगन और यात्री कारों के निर्यात के साथ–साथ लोकोमोटिव के रखरखाव और अनुरक्षण, ट्रैक मशीन विभाग की अन्य प्रमुख क्षमताएं हैं। इस प्रकार हमारे यांत्रिक विभाग को रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति प्रबंधन के सभी डोमेन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है, अर्थात सुविधाओं के निर्माण के क्षेत्रों से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव के साथ–साथ मौजूदा सुविधाओं की बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग। यह अनुभव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विभिन्न सरकारी और/या बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों और अन्य संगठनों के लिए बड़ी परियोजनाओं को लागू करके प्राप्त किया गया है।

इस विभाग ने कई परियोजनाओं को आरंभ और निष्पादित किया है अर्थात रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में व्हील शॉप की स्थापना, डीजल लोको शेड, विशाखापत्तनम का विस्तार, रॉयल रेलवे, कंबोडिया को 10 (दस) इकाइयों वाईडीएम–4 (मीटर गेज) इंजनों की आपूर्ति, श्रीलंकाई रेलवे, श्रीलंका को बोगियों के साथ 2300एचपी के

को दर्शाता है।

6. सिग्नल और दूरसंचार विभाग

वर्ष 1976 में अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन भारत और विदेशों में टर्नकी सिग्नलिंग समाधान प्रदान कर रहा है, और उसे विभिन्न देशों में अपने स्थानीय कोड, मैनुअल और मानकों के अनुसार सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) परियोजनाओं को निष्पादित करने का उत्कृष्ट गौरव प्राप्त है। इन–हाउस डिजाइन, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ, सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा पर संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया है। इरकॉन ने रिले इंटरलॉकिंग से कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग (सीबीआई), स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी), केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली और अद्वितीय रेल इन्फ्रा कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली (सीएएस) से शुरू होने वाली कई अत्याधुनिक सिग्नलिंग परियोजनाओं को निष्पादित किया है। भारत में किसी अन्य संगठन को इस तरह की विविध और अत्याधुनिक सिग्नलिंग परियोजनाओं का अनुभव नहीं है।



इरकॉन दूरसंचार कार्यों के निष्पादन में प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रहा है, और हाल ही में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और भारत में मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) और सिंक्रोनस डिजिटल पदानुक्रम (एसडीएच) प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को निष्पादित किया है। इस तकनीक के आधार पर, इरकॉन ने आईपी–ईपीएबीएवस, आईपी–सीसीटीवी, पीए सिस्टम और यात्री सुविधा संबंधी परियोजनाओं का निष्पादन किया है।

7. संपदा प्रबंधन विभाग

पिछले कुछ वर्षों में, विविधीकरण से लेकर अवसंरचना के पूरे आयाम में आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति भी एक निर्माण कंपनी से एक परियोजना विकास और संचालन कंपनी में परिवर्तित हो गई है। आपकी कंपनी अन्य गतिविधियों के साथ–साथ बीओटी/एचएएम परियोजनाओं, पट्टे और परामर्श सेवाओं, रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संचालन जैसी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला चला रही है।

अचल संपत्ति व्यवसाय क्षेत्र में मध्यम और लंबी अवधि में वृद्धि के उद्देश्य से, भूखंडों का विकास, भवनों का निर्माण, अचल संपत्तियों को पट्टे पर देना और / या बेचना और संपत्ति से संबंधित अन्य मामले जैसे कर और कानूनी मामले के निष्पादन हेतु, इरकॉन ने संपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है। यह विभाग इरकॉन की मौजूदा अचल संपत्ति के प्रबंधन और संपत्ति कर मामलों सहित अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित और संगठित है।

अचल संपत्ति परियोजनाओं में, इरकॉन ने भारत में कई वाणिज्यिक, संस्थागत भवनों, रेलवे स्टेशनों और टाउनशिप आदि का निर्माण किया है, जैसे नवी मुंबई में सिडको के लिए बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, भोपाल में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, आइजोल में पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन महाविद्यालय परिसर, ऋषा मंत्रालय के लिए झांसी, भोपाल और इलाहाबाद में तीन प्रमुख आवासीय टाउनशिप, पूसा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीआईएफई, मुंबई, वाशी रेलवे स्टेशन से जुड़ी परियोजनाएं, मल्टी–फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी), कपूरथला के साथ–साथ रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना, आदि। इरकॉन ने अपना स्वयं का कॉर्पोरेट कार्यालय विकसित किया है, जो एक आधुनिक और स्मार्ट कार्यालय है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के सभी तत्व शामिल हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए, इरकॉन ने वाणिज्यिक विकास के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, नोएडा और



गुरुग्राम आदि महानगरीय शहरों में अचल परिसंपत्तियों और संपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो विकसित किया है।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष में रू5200 करोड़ की तुलना में रू7181 करोड़ रही, इस प्रकार इसमें 38.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कंपनी की कुल आय का 96 प्रतिशत से अधिक अर्थात रू8910 करोड़, प्रचालन क्षेत्र से दर्ज किया गया है, जो वित्त वर्ष 2021 के रू4956 करोड़ के परिचालन कारोबार की तुलना में 39.43 प्रतिशत अधिक है। परिचालन की कुल राशि में से, 6.95 प्रतिशत, अर्थात रू480.43 करोड़ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से हासिल किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में रू582 करोड़ की तुलना में 17.53 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में क्रमशः 6.27 प्रतिशत और 34.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह क्रमशः रू610 करोड़ और रू544 करोड़ रहा है।

आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतरिम लाभांश के अलावा, शेयरधारकों द्वारा विचार और घोषणा के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए घोषित और भुगतान और प्रस्तावित अंतिम लाभांश का विवरण 'वित्तीय विशेषताओं' के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात, प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का परिवर्तन) के साथ–साथ विस्तृत स्पष्टीकरण वित्तीय विवरण का भाग है।

क्र. सं	अनुपात का नाम	सूत्र	इकाई	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021	प्रतिशत परिवर्तन	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
1.	देनदार टर्नओवर	प्रचालनों से राजस्व / औसत लेखा वसूलीयोग्य	दिनों की संख्या	32	39	22.22	संग्रह अवधि में कमी परिचालन से राजस्व में वृद्धि की तुलना में औसत प्राप्य में कमी के कारण है।
2.	निवेशक टर्नओवर अनुपात	प्रचालनिक व्यय / औसत इन्वेंटरी	दिनों की संख्या	11	19	62.38	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में औसत दरसूची में कमी के कारण सुधार हुआ है
3.	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं	समय	1.32	1.22	8.03	-
4.	ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण / कुल शेयरधारक इक्विटी	प्रतिशत	-	-	-	चूंकि, ऋण इक्विटी अनुपात शून्य है, ब्याज कवरेज अनुपात लागू नहीं होता है।
5.	प्रचालनिक लाभ मार्जिन (%)	(पीबीआईटी अन्य आय)/टर्नओवर	प्रतिशत	5.06	6.95	(27.19)	बढी हुई उद्योग प्रतिस्पर्धा का समग्र प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप कम लाभप्रदता हुई।
6.	निवल लाभ मार्जिन (%)	निवल लाभ / कुल आय	प्रतिशत	7.58	7.78	(2.56)	-
7.	निवल परिसंपत्ति पर प्रतिफल	निवल लाभ / औसत निवल संपत्ति	प्रतिशत	12.06	9.44	27.69	औसत निवल मूल्य की मात्रा में वृद्धि की तुलना में शुद्ध लाभ की मात्रा में वृद्धि के कारण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों (समेकित और स्टेंडअलोन) का निर्माण लेखांकन मानकों के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया है तथा वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग में किसी प्रकार का कोई व्युतक्रम नहीं किया गया है।

परिचालनात्मक निष्पादन

सेक्टर निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इरकॉन को लगभग 92 प्रतिशत राजस्व योगदान, रेलवे सेक्टर से प्राप्त हुआ है। इरकॉन के व्यापार का मुख्य ध्यान केन्द्रण क्षेत्र रेलवे है, तथापि कम्पनी राजमार्ग व्यवसाय की ओर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है जहां से लगभग 7 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा शेष राजस्व इलैक्ट्रिक एवं भवन कार्यों से प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन:

(रूपये करोड़ में)

सेक्टर	वित वर्ष 2022		वित वर्ष 2021		वित वर्ष 2020	
	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%
रेलवे	6387.72	92.44	4215.21	85.05	4128.21	79.35
राजमार्ग	496.92	7.19	718.56	14.50	953.17	18.32
अन्य	25.51	0.37	22.16	0.45	121.07	2.33
योग	**6910.15**	**100**	**4955.93**	**100**	**5202.45**	**100**

अवसर

अवसंरचना पर सरकार का जोर: सरकार अवसंरचना के विकास और विभिन्न नीतियों के कियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अवसंरचना के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख पक्षों में से एक होने के कारण, हमारे लिए इस क्षेत्र में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

अक्षय ऊर्जा पर सरकार का जोर: हाल के समय में, हमने ऊर्जा क्षेत्र में कमी देखी है। सरकार हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है और विभिन्न योजनाएं लेकर आ रही है। इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनी के निगमन के साथ अपने व्यवसाय को हरित ऊर्जा के बढ़ते क्षेत्र में विविधता प्रदान की है। अक्षय ऊर्जा पर सरकार का जोर इरकॉन को अपार अवसर देता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी): सरकार ने नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की है। भारत में परिवहन क्षेत्र के 5.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा। एनआईपी के तहत 9 क्षेत्रों में 4676 अवसर उपलब्ध हैं।

जोखिम

इरकॉन के मुख्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि : सरकारी नीतियों में बदलाव और क्षेत्र में विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अब इरकॉन को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ–साथ निजी कंपनियों के साथ ऑर्डर हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

वस्तुओं की कीमतों में उच्च अस्थिरता: भौगोलिक राजनीतिक कारणों और रूस और यूक्रेन में उत्पन्न युद्ध की स्थिति के कारण, हमने तेल, लौह और अलौह धातुओं, सीमेंट आदि जैसे वस्तुओं की कीमतों में उच्च अस्थिरता और तेज वृद्धि देखी है, जो लघु से मध्यम अवधि में कंपनी कीलाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है।

वैश्विक मंदी की संभावना: हाल के समय में मुद्रास्फीति बढ़ रही है और कुछ देशों में यह कई दशक के उच्च स्तर पर है। उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, दुनियाभर के केंद्रीय बैंक आक्रामक कदम उठा रहे हैं। इस मुद्रास्फीति के माहौल में, वैश्विक मंदी का खतरा है, जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

कोविड –19 की पुनरावृत्ति: चीन, भारत और यूरोप के कुछ देशों में हाल ही में कोविड के मामलों के वृद्धि ने महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का जोखिम फिर से बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र का विकास, आने वाले समय में सामने आने वाली कोविड की स्थिति पर निर्भर करेगी।

व्यापारिक रणनीतियां

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार: इरकॉन सकीय रूप से (सेक्टर) एवं भौगोलिक कवरेज, दोनों, के साथ विविधता अवसंरचना कम्पनी बनने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। कंपनी ने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपने अवसंरचना कार्य विशेषज्ञता में विविधता का समावेश करके किए हैं। वर्तमान में, कंपनी बीस राज्यों में घरेलू स्तर पर और पांच देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। भारत में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, यह अपने व्यवसाय मॉडल के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करके घरेलू स्तर पर अपने परिचालनों को और अधिक विस्तारित करने का मंशा रखता है। अपनी भौगोलिक कवरेज का विस्तार करने और देश के भीतर नए क्षेत्रों में भूमिका बढ़ने से, इरकॉन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिक परियोजनाओं को लेने में सक्षम होगा और अवसंरचना के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, जबकि यह रेलवे क्षेत्र में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, इसे विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिम के खिलाफ बचाव करने की संभावना है, और विशेष रूप से उद्योग क्षेत्रों और / या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता से उत्पन्न बाजार विविधताओं से स्वयं का बचाव कर सकता है। । बढ़ते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि निर्माण उद्योग में सर्वश्रेष्ठ या उससे बेहतर विस्तार की दर के साथ अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है।

इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखते हुए घरेलू परियोजनाओं की तुलना में अच्छे लाभ मार्जिन वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अधिक ऑर्डर प्राप्त करना है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण: इरकॉन व्यवसाय विविधीकरण के लिए नए उभरते क्षेत्रों की खोज कर रहा है। अपनी विविधीकरण नीति के भाग के रूप में, कंपनी ने संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ 500 मेगावट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार के जोर के साथ, इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं और कंपनी को इस क्षेत्र में अच्छा निष्पादन करने की बहुत उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र नियमित राजस्व सुनिश्चित करेगा और इसकी लाभप्रदता को भी मजबूत करेगा।

राजस्व उत्पति के पीपीपी माध्यम: इरकॉन धीरे–धीरे केवल अपनी परियोजनाओं के माध्यम से आय अर्जित करने के स्थान पर नियमित रूप से अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण इरकॉन की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में संधारणीय आधार पर राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की संभावनाएं व्याप्त हैं। कंपनी का लक्ष्य बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी और अन्य परियोजना विकास कार्य करने के अपने एवं अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से करने के साथ एक निर्माण कम्पनी के स्थान पर एक विविधता सम्पन्न पोर्टफोलियो वाली कम्पनी का स्वरूप धारण करना है।

नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रण : इरकॉन की व्यावसायिक वृद्धि को मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में अधिक कार्य सक्रियता से सम्बद्ध किया जाता है। टर्नकी आधार पर रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में कंपनी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता के साथ, इसके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा परियोजनाओं द्वारा संचालित है, जो सीधे सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अपनी लाभकारी स्थिति को भुनाकर अपनी प्रवीणता और वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा संचालित बड़ी–उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को शुरू करना है। भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से

कंपनी के लिए विकास की गति को जारी रखने में मदद मिलेगी।

कंपनी अन्य प्रमुख निजी कम्पनियों के साथ घरेलू और विदेशी बाजारों में रणनीतिक गठजोड़ तैयार करने और व्यापार के अवसरों के अपने कार्यों का और विस्तार करने के लिए आक्रामक तरीके से बोलियों में भाग लेने का भी प्रयास करती है।

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफाइल: इरकॉन का वित्तीय प्रोफाइल बेहतर लाभप्रदता मार्जिन और अपने परिचालनों में योगदान देने वाले सुगम रोकड़ प्रवाह की स्थिति को इंगित करता है, । कंपनी की मंशा है कि अपनी सकारात्मक पूंजी संरचना को बनाए रखा जाए ताकि टर्नओवर और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके।

सरकार द्वारा किए गए सेक्टरल प्रयास: वर्षों से, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न मैक्रो–स्तरीय और क्षेत्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषकर रेलवे क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों के केंद्रीय बजट में भी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और रेलवे और सड़क क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए एक बड़ी राशि आरक्षित है। हाल के वर्षों में, सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और हमने इस क्षेत्र में काफी पूंजीगत व्यय देखा है।अवसंरचना क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों के साथ, इरकॉन अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर और परिवहन इंजीनियरिंग, नागरिक और औद्योगिक निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी अवसंरचनात्मक विविधता प्रदान करके इन अवसरों को भुनाना है।

प्रतिभा पूल को आकर्षित करना एवं धारण करना: इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को पहचानता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, इसकी जटिल निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और मांग के अनुकूल समय पर अपने ग्राहकों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उन पर निर्भर है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह नियमित रूप से कार्य सम्बद्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक सहज और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन का इरादा अपेक्षाकृत कर्मचारी संघर्षण दर को कम रखना है और अपने भविष्य के विस्तार के लिए अपने अधिक कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना है। यह बेहतर समग्र लाभ पैकेज और सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण प्रदान करके किया जाता है।

रणनीतिक समझौता ज्ञापन एवं गठबंधन

इरकॉन ने व्यापार के नए अवसरों का पता लगाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है।वित्तीय वर्ष 2021–22 में, इरकॉन ने भारत में रेलवे, मेट्रो रेल और राजमार्ग क्षेत्रों (परियोजना के अवसर) में टनलिंग परियोजनाएं (एनएटीएम या टीबीएम प्रौद्योगिकी द्वारा) में, सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग करने और समन्वय हेतु विस्तृत डिजाइन और परियोजना प्रबंधन परामर्श के पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने, पहचानने, अनुसरण करने और संयुक्त रूप से निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। कंपनी ने रेलवे, राजमार्ग, मेट्रो रेलवे, सुरंगों और आसियान क्षेत्र में हवाईअड्डे, विशेष रूप से फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पीडीआर और बांग्लादेश और श्रीलंका में हवाईअड्डे की परियोजना जैसे क्षेत्रों में ईपीसी के आधार पर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यावसायिक अवसरों की खोज, पहचान, अनुसरण करने और संयुक्त रूप से निष्पादित करने में एक दूसरे के साथ सहयोग और सहयोग करने के लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के तहत "प्रीफैब तकनीक का उपयोग करके उत्तर प्रदेश, भारत में 75 जिलों में चुनिंदा स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण" प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए एडसिल इंडिया लिमिटेड के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना मॉडल: ईपीसी, डीबीएफओटी, एचएएम और वार्षिकी के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में कई उच्च–मूल्य की परियोजनाएँ संभावित हैं। इरकॉन ने बीओटी, डीबीएफओटी और एचएएम आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है और भारत के तीन राज्यों में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी की है। कंपनी ईपीसी, एचएएम और वार्षिकी आधार सहित कई परियोजना निष्पादन मॉडल के तहत टर्नकी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए तैयार है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन: कंपनी ने उन्नत प्रौद्योगिकी और निर्माण पद्धति को अपनाया है जिससे प्रतियोगियों पर बढ़त सुनिश्चित हो पाती है। इससे परिचालन क्षमता और बेहतर बनती है, विश्वसनीयता स्थापित होती है, ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ती है और ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को प्रचलित प्रौद्योगिकियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षित करने और ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं का अन्वेषण करना है जिनमें नवीनतम तकनीक की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान, इरकॉन ने मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (एमएएचएसआर) के निर्माण के लिए परियोजना प्राप्त की है, जो भारत में निर्मित होने वाला पहला हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। इस नेटवर्क के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की जापानी प्रणाली को इसकी सुरक्षा, निष्पादन और विश्वसनीयता रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। परियोजना को प्राप्त करने के बाद, इरकॉन ने वापी और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच कुल 237 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए शिंकानसेन तकनीक पर आधारित हाई–स्पीड ट्रैक निर्माण के विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। यह शिंकानसेन ट्रैक 350 किमी प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति से बुलेट ट्रेन चलाने में सक्षम होगा। शिंकासेन तकनीक भारत में रेलवे के मेट्रो नेटवर्क में बनाए जा रहे पारंपरिक गिट्टी–रहित ट्रैक के बजाय आरसीसी ट्रैक बेड, जे ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर ग्राउट, विशेष फिटिंग और जेआईएस रेल का उपयोग करेगी।

जोखिम प्रबंधन

इरकॉन स्वीकार करता है कि उसे कई अनिश्चितताओं का जोखिमें हैं, जो निर्माण क्षेत्र के लिए अंतर्निहित हैं, और जिसमें यह प्रचालन करता है। इस क्षेत्र की अस्थिरता, व्यवसाय को विभिन्न बाहरी और आंतरिक जोखिमों को उत्पन्न करती है, जो वित्तीय और गैर–वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इरकॉन जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के लाभों को महत्व देता है और

यहां एक विस्तृत उत्तम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा मौजूद है। इरकॉन के पास वर्ष 2007 से जोखिम प्रबंधन प्रणाली है और वर्ष 2013 में पहली बार जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी) बनाई गई थी, और इसका निर्माण बदलते कारोबारी माहौल के अनुसार और समय–समय पर नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए किया गया था। इसलिए, संगठन के व्यापक जोखिम प्रबंधन के बारे में जागरूकता का एक बड़ा स्तर प्रदान करने के लिए, जिससे व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो और इस प्रकार संगठन में एक स्थायी जोखिम जागरूकता संस्कृति पैदा हो, आरएमपी को अंतिम बार दिसंबर 2021 में बोर्ड द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया था। ईआरएम ढांचे के अनुसार और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, इरकॉन की एक सुस्थापित बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है, जो जोखिम तत्वों और उनकी शमन योजनाओं के बारे में बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है।

आरएमसी का प्राथमिक कार्य, प्रमुख जोखिम कारक गतिविधियों की पहचान करना, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता के संबंध में अंतराल को वर्गीकृत करना; लघु व महत्वपूर्ण या अत्यंत महत्वपूर्ण, किसी भी संभावित खतरे के लिए मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रिया में अंतराल की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना,त्वरित कार्य दल (आरएजी) द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा और सुधार के लिए दिशानिर्देश देना, और संभावित व्यवसाय के लिए इरकॉन की तैयारियां करना आदि शामिल हैं। विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या किसी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए ढांचे सहित आरएमपी का निर्माण और समीक्षा या पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय, निगरानी, कार्यान्वयन की निगरानी आदि भी आरएमसी के दायरे में हैं।

ईआरएम के अनुसार इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) तथा मुख्य महाप्रबंक स्तरों, व्यवसाय समूह, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के स्तर पर त्वरित कार्यदल विद्यमान है, जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। त्वरित कार्यदल तथा आंतरिक लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिमप्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति में परिवर्तन के साथ, नए महत्वपूर्ण जोखिम की पहचान, निगरानी, समीक्षा, महत्वपूर्ण जोखिमों की निवारक योजना और सुधारात्मक कार्रवाई अब ऑनलाइन वेब आधारित जोखिम प्रबंधन आईटी उपकरण के माध्यम से की जा रही है, जिसे संगठनात्मक जोखिम भंडार की समीक्षा के लिए आरएजी के माध्यम से आरएमसी को प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसे कई बार क्लाइंटों द्वारा पूरा किया जाता है। परियोजनाओं से सृजित होने वाले राजस्व का पूर्वानुमान कठिन है और इसमें विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन की संभावना रहती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी उपयुक्तता

प्रचालन तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित अभिकल्पित तथा निरंतर सुदृढ़ प्रणाली से कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन को अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, तथा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावपूर्ण आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करता है और इनके प्रस्तुत होने पर समय पर इनके संसूचना में सहायता करती है। इरकॉन के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है, जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है ताकि प्रचालनों की कुशलता को बढ़ाया जा सके और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने व्यवसाय को सुलभ बनाने के लिए प्राधिकार के ईष्टतम प्रयायोजन के लिए नीतियों और दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित प्रयास द्वारा और सुदृढ़ किया गया है:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी)

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग (आईसीएफआर) के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन नियंत्रणों को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है ताकि उचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके, तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण एवं संसूचन, वित्तीय और प्रचालनिक सूचना की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में आश्वासन उपलब्ध कराया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण (आईसीएफआर) सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। प्रबंधन कंपनी के वित्त और उसके संचालन की उचित समझ के लिए आवश्यक सभी वित्तीय और बजटीय जानकारी का खुलासा करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए अनुभवी पेशेवरों और बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और पूर्णता के प्रतिशत से जुड़ी होती है।

कंपनी का अपना विकसित और स्वीकृत आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा है जो आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे को निर्धारित करता है और निविदा और संबद्ध मामलों, परियोजना निष्पादन, सामग्री की खरीद, संयंत्र और मशीनरी, उप–अनुबंध, वैधानिक अनुपालन आदि सहित समग्र वित्तीय लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करता है। आंतरिक नियंत्रण और लेख परीक्षा प्रणाली

लगाने और नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) के साथ–साथ निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति ई–शिकायतों को विश्वास में करने की सुविधा के साथ है।

गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 के अनुसार एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

गुणवत्ता

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को वर्ष 1996 से सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें लगातार सुधार किया गया है जबसे कंपनी को पहली बार टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ: 9002–1994 के लिए प्रमाणित किया गया था। हमने प्रमाणन जारी रखा है और गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, अर्थात आईएसओ: 9001 – 2015 (हर तीन साल की समाप्ति के बाद आवधिक पुन:प्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रणाली को बनाए रखा है। नवीनतम पुन: प्रमाणन संपरीक्षा जनवरी, 2020 में आयोजित की गई थी, जिसके तहत कंपनी को टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन साल की और अवधि के लिए, अर्थात मार्च 2023 तक फिर से प्रमाणित किया गया है।

कोविड–19 के प्रभावों को दूर करने के लिए, इरकॉन ने कोविड–19 की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीकों और डिजिटल समाधानों को अपनाया है और अपने ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को सुनिश्चित करके गुणवत्ता केंद्रित संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है।

कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कंपनी ने कंक्रीट सेंसर, हेलिकल पाइल्स, रिजिड जियोसेल्स, टनल ड्रेनेज और रॉकफॉल प्रोटेक्शन जैसे विषयों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म (अर्थातगूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि) को अपनाकर तकनीकी ज्ञान साझा करने की पहल जारी रखी है। ट्रैक फास्टनिंग्स और नवीनतम ट्रैक पेरिफेरल्स, बीआईएम सॉल्यूशंस, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस और कई अन्य तकनीकी और साथ ही संगठन की मुख्य क्षमता अर्थात रेलवे, राजमार्ग, सुरंग और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में तकनीकी समाधान को लागू किया है।

इसके अलावा, संगठन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुपुर्दगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पेशेवरों के साथ गुणवत्ता परिषद बैठक आयोजित की गई हैं। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे परियोजना स्थलों पर आरएसीआई मैट्रिक्स को निर्धारित और कार्यान्वित किया गया है। सामग्री परीक्षण योजना और प्रारूपों के साथ परियोजना प्रक्रिया नियमावली (पीपीएम) का मानकीकरण कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्ञान साझा करने और परियोजनाओं को परियोजना स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद मिल सके। परियोजनाओं की जटिल और विविध प्रकृति के बावजूद, गुणवत्ता प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए इरकॉन की पहल संगठनात्मक ढांचे के भीतर पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में अग्रणी मार्ग प्रदान करता है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं पर क्यूएमएस की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कार्यनिष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट गुणवत्ता परिषद और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना स्थल पर त्रैमासिक रूप से आयोजित की जा रही है। गुणवत्ता उद्देश्यों को कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना दोनों स्तरों पर मापा जाता है और समीक्षा की जा रही है। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर परियोजना और कॉर्पोरेट कार्यालय के समन्वय से सभी आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट, और गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए हैं। इन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट न केवल लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई गैप–अनुरूपताओं का विवरण प्रदान करती है बल्कि परियोजना की मुख्य विशेषताएं, प्रगति, सकारात्मक बिंदु, यदि कोई हो, और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को भी प्रकट करती है।

सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन (एसएचई)

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना की है और अक्टूबर 2011 में आईएसओ: 14001–2004 के लिए प्रमाणित किया गया था। आईएसओ 14001–2015 के लिए नवीनतम पुन: प्रमाणन ऑडिट जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसके तहत कंपनी को अन्य तीन वर्षों के लिए पुन: प्रमाणित किया गया थाअर्थात फरवरी 2023 तक। इरकॉन के पास आईएसओ:45001–2018 भी है, और आईएसओ: 45001–2018 का पुन: प्रमाणीकरण दिसंबर, 2024 तक की वैधता के साथ उपलब्ध है।

कोविड–19 महामारी के दौरान, कंपनी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निवारक उपायो/ दिशानिर्देशों का पालन करती है। थर्मल स्कैनर, आरोग्यसेतु ऐप, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन, पेपर डिसइंफेक्शन मशीन आदि जैसे निगरानी उपकरणों को लागू करके कार्यस्थल में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से पहल की गई है। कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक सतर्क टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए एसएचई अधिकारियों को उनकी संबंधित परियोजनाओं में वैधानिक कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और इसे कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है ताकि ठेकेदार द्वारा एसएचई प्रबंधन मानकों को लागू किया जा सके। काम से बाहर।

इसके अलावा, आपातकालीन तैयारी योजना, एसएचई मैट्रिक्स, पीपीई मैट्रिक्स, सुरक्षा और पर्यावरण जांच सूची जैसे दस्तावेज भी इरकॉन इंट्रानेट परउपलब्ध हैं।

वर्ष 2021–2022 के दौरान, इरकॉन को "निर्माण सुरक्षा में उत्कृष्ट

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा फरवरी, 2023 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अधिकारियों को ईएमएस और उनके संबंधित परियोजनाओं पर पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और ठेकेदार द्वारा पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है। पर्यावरणीय जाँच सभी परियोजनाओं द्वारा विकसित और प्रचालित की गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर पैनलों को भीविभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव, तथा (एमएफसी) भवनों में भी किया जा रहा है।

विद्युत और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैस, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश की ईंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग,ताकिभवन को धारणीय बनाया जा सके।

पर्यावरण अनुकूल संगठन होने के नाते, इरकॉन अपने हितधारकों के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिताओं और बैनरों के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (यानी विश्व पर्यावरण दिवस) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

मानव संसाधन

इरकॉन स्वीकार करता है कि इसके कर्मचारी इसकी सफलता के प्राथमिक स्तंभ हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।यह अपने मानव संसाधन में निवेश करके अपने संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के पास अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता है। इरकॉन के मानव संसाधन विकास प्रयास उद्योग के प्रचलित मानकों के साथ संरेखित हैं। कंपनी सकारात्मक कार्यस्थल के महत्व को समझती है, और इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। इरकॉन का लक्ष्य एक प्रेरक और संतोषजनक कार्यशील वातावरण बनाना है, जहाँ कर्मचारी कंपनी में अधिक योगदान देते हैं।

कंपनी को अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और इसके योगदान पर गर्व है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को हमारी कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या 1278 हैं, जिसमें 954 नियमित कर्मचारी, 28 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, 259 संविदा पर, 34 परामर्शदाता/सलाहकार और 03 निश्चित कार्यकाल के आधार पर शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान नौकरी छोड़ने की दर कम हो गई है और पिछले वर्ष के 7.85 प्रतिशत की तुलना में यह 6.84 प्रतिशत हो गई है।

कर्मचारी उत्पादकता

पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की कुल आय 7181 करोड़ रूपए है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय 5. 02 करोड़ रूपए रही, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में यह 4.01 करोड़ रूप्ए थी।

भर्ती

अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने के लिए, कंपनी विभिन्न माध्यम से पदानुक्रम में सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली जनशक्ति को शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिनियुक्ति पर और अन्य सरकारी विभागों और रेलवे से अवशोषण के आधार पर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती और तीसरे पक्ष के पेरोल परनए स्नातक इंजीनियर, पेशेवर, प्रबंधन प्रशिक्षु, खुले बाजार से अनुभवी कर्मियों को शामिल किया जाता है। कंपनी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिला कर्मचारियों की उन्नति के लिए समान अवसर और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम भर्ती पद्धितियों को अपनाया है। ये नीतियां "समान अवसर नियोक्ता" बनने पर जोर देने के साथ प्रबंधन की खुली और नवीन मानसिकता को दर्शाती हैं। कंपनी अपनी भर्ती नीतियों को कंपनी के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए पुनःनिर्धारित करती है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 31 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किया गया था, जबकि 135 को सेवा अनुबंध सहित अनुबंध के आधार पर भर्ती किया गया था, समावेशी रोजगार की नीति के रूप में, शामिल किए गए लोगों में से 63अ.जा/अ.ज. जा/अ.पिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। कंपनी ने 5 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल करने के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू किया है। खुले बाजार से भर्ती के अलावा आईसीएआई और आईसीएमएआई जैसे प्रमुख संस्थानों से कैंपस भर्ती भी की जाती थी।

प्रतिनियुक्ति

प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए, अनुभवी और प्रशिक्षित जनशक्ति को भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से एक निश्चित कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया जाता है। वर्ष के दौरान, 15 कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति पर कुल कार्मिक संख्या 28 हो गई है।

प्रशिक्षण एवं विकास

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों के योग्यता पूल के निर्माण के उद्देश्य से सक्षमता–आधारित संरचना के निर्माण की ओर अग्रसर है। सक्षमता मैपिंग के परिणामस्वरूपें, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विकास को एक उच्च फोकस क्षेत्र के रूप में देखते हुए, कर्मचारियों को अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, परियोजना प्रबंधन, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, वार्ता, व्यवसाय विकास और रणनीति, जोखिम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न डोमेन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 211 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 252 कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें आईओ/पीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जेम पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षण, निवारक सतर्कता पर पाठ्यक्रम, महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य व्याख्यान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर व्याख्यान, ईआरपी कार्यों पर पाठ्यक्रम, आईआरआईएस प्रमाणन पर प्रशिक्षण, आभासी प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शामिल थे और भारत के प्रबंधन संस्थान द्वारा इन कार्यक्रमों में कई अन्य व्यवहारिक, तकनीकी, गैर–तकनीकी आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं प्रदान की गई। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे कार्यों का मूल आधार है। इरकॉन कर्मचारियों को उनके करियर में बढ़ने में मदद करने के लिए कई पहल करता है। कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रम और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी प्रगतिशील नीतियां कार्यस्थल को अधिक कर्मचारी–अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ी हैं।

कैरिअर प्रोग्रेशन

कंपनी की पदोन्नति नीति सुदृढ है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह योग्य कर्मचारियों को कैरियर की प्रगति और उत्तराधिकार योजना के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता, उपयुक्तता, निष्पादन और पेशेवर उपलब्धियों के अनुरूप, कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया जाता है। विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) 2021 में कार्यपालक श्रेणी में कुल 135 और गैर–कार्यपालक श्रेणी में 09 को पदोन्नत किया गया था।

निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

कंपनी के पास एक निष्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो आईटी सक्षम है और निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) से जुड़ी है। पीआरपी प्रणाली कंपनी के वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कंपनी के निष्पादन, टीम के निष्पादन और व्यक्तिगत योगदान जैसे शीर्षों के तहत कर्मचारी के निष्पादन के विभिन्न घटकों को प्राप्त करने में मदद करती है। दल के प्रदर्शन पर जोर से कर्मचारियों को दल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तालमेल और सामंजस्य के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम पारिश्रमिक, आदि के संबंध में कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल (नियमित चिकित्सा जांच), लंबे समय तक इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति, एलोपैथिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों की उपलब्धता और वैकल्पिक चिकित्सा की सुविधा, जिम की सुविधा जैसी मनोरंजक गतिविधियों, वेंडिंग मशीनों द्वारा मुफ्त चाय/कॉफी का प्रावधान जैसी नीतियों में अतिरिक्त लाभ शामिल किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग

व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाने के लिए, आईटी विभाग ने डिजिटल प्रारूप में रिकॉर्ड रखने और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए ई–ऑफिस को लागू करने के लिए एक पहल की है। कर्मचारी रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), वार्षिक संपत्ति रिटर्न, कर्मचारी केक कार्य, आदि जैसे मानव संसाधन कार्यों को एक ई–प्रारूप में रखा गया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो जाता है, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और गुणवत्ता में सुधार होता है। कर्मचारी स्वय सेवा पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया मोड के माध्यम से कर्मचारियों को नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया जाता है।

प्रेरणा, पुरस्कार और मान्यता

असाधारण प्रदर्शन को पहचानने के लिए, कर्मचारियों को समय–समय पर पुरस्कार और मान्यता प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन करने वाले मेधावी कर्मचारी को सीएमडी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए विभिन्न व्यक्तिगत और समूह पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

कर्मचारी कल्याण

सेवा के दौरान, कर्मचारियों को परिवहन, आवास, पट्टे पर आवास, रियायती भोजन और चिकित्सा सुविधाओं जैसे मौद्रिक और गैर–मौद्रिक लाभों के संदर्भ में उदार भत्ते, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस प्रकार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

मातृत्व और दत्तक ग्रहण अवकाश, जैसे वैधानिक लाभों के अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिक्षा के लिए कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति नकद पुरस्कार का भुगतान और उच्च शिक्षा, अंतिम संस्कार खर्च, रिसॉर्ट सुविधा आदि भी प्रदान की जा रही है।

बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, अग्रिम, हाउस लीज पॉलिसी के रूप में कर्मचारी सहायता कार्यक्रम, टीबी, कुष्ठ, कैंसर, मानसिक रोग या किसी अन्य लाइलाज बीमारी जैसी लंबी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को संकट से राहत, जब वे बिना वेतन के छुट्टी पर हों, और कार्यकारी–I श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों के लिए आवश्यक होने पर कृत्रिम अंगों की आपूर्ति आदि की व्यवस्था है।

कर्मचारियों और कंपनी के बीच एकता की भावना को बढ़ाने के लिए आवधिक उपहार जैसे सेवानिवृत्ति उपहार, कर्मचारी की शादी और उसके बच्चे की शादी के लिए उपहार, जन्मदिन का उपहार, पिकनिक उपहार, दिवाली उपहार और वार्षिक दिवस उपहार आदि दिए जाते हैं।

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना सहित उदार सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलन में हैं। प्रतिधारण उपकरण के रूप में काम करते हुए ये योजनाएं कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु और ग्रुप–डी (गैर–कार्यकारी वलस्टर I) कर्मचारियों के आश्रित (पति या पत्नी या बच्चों के लिए) की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार खर्च प्रदान किया जाता है, और सेवा में रहते हुए कर्मचारी

समर्पित मोबाइल नंबर (क्षेत्रवार) उपलब्ध होता है।

महिला विकास

कंपनी ने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया है और लैंगिक मुद्दों, यौन उत्पीड़न और अनुकूल कार्य परिस्थितियों पर कई कार्यक्रम आयोजित करके महिला कर्मचारियों की उन्नति और विकास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान किया है। साथ ही, महिला कर्मचारियों को बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के समान अवसर की व्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए उन्हें बैठकों, परियोजना कार्यों और समितियों आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। प्रबंधन हमेशा ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाने और ऐसा वातावरण बनाने में अग्रणी रहा है, जहां महिलाएं निर्णय लेने के लिए मजबूत, आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करती हैं। अपनी महिला कर्मचारियों को संरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति (पीओएसएच) मौजूद है।

ई–शिकायत निवारण

कर्मचारियों की शिकायत को तुरंत और समान रूप से संबोधित करने और उनका समाधान करने के लिए कंपनी में ई–शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है, जिसमें कर्मचारी अपनी शिकायत ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और इसके प्रतिउत्तर और शिकायत की लाइव स्थिति देख सकते हैं। कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से भी कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जनता का कोई भी सदस्य या कंपनी का पूर्व कर्मचारी भी कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति

इरकॉन का एक अलग और सु–संरचित सतर्कता विभाग है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वालों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध कदाचार से निपटने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा, अनैतिक गतिविधियों की निगरानी और उन पर नियंत्रण लगाने के लिए व्हिसलब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति भी लागू है।

भारत सरकार की पहलों के लिए योगदान

कंपनी हमेशा भारत सरकार की पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करती रही है जैसे कि स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्ट–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसमें एमएसएमई, डिजिटल इंडिया, सरकार के अनुरूप अपने व्यवसाय या शासन उद्देश्यों को तैयार करके सौर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है।

एमएसएमई को बढ़ावा देना

एक सीपीएसई होने के नाते, कंपनी की खरीद नीति और पद्धतियां सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सरकारी नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं, जो स्थानीय और छोटे उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को भी बढ़ावा देता है। इरकॉन एमएसई से सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है। तदनुसार, उन छोटे उत्पादकों को खरीद वरीयता दी जाती है जो कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपनी कीमत उद्धृत करते हैं। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया भी अपनाई है। इसके अलावा, एमएसई के बीच अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने सामग्री और स्टोर पर 600.09 करोड़ रुपए मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई विक्रेता से 181.24 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने खरीद नीति के अनुपालन में एमएसई के दायरे/क्षमता से भिन्न वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर रू 270.85 करोड़ मूल्य की शुद्ध खरीद का 66.92 प्रतिशत प्राप्त किया है।

चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों, अनुमानों, संभावनाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण कंपनी के प्रबंधन के मतानुसार लागू नियमों और विनियमों के भीतर अग्रणी विवरण हो सकते हैं। ऐसे विवरण भावी घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं और यह जोखिमों और अनिश्चितताओं के मद्देनजर हो सकते हैं। कई कारक इस रिपोर्ट के पूर्वानुमान से सामग्रीगत रूप से भिन्न परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें, अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यवसायिक परिस्थितियां, व्यवसाय नीति में परिवर्तन, ब्याज की दरों मुद्रास्फीति, मुद्रा अवनति, विदेशी मुद्रा दरों तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर नियमों तथा अन्य सांविधिक और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन। कंपनी किसी भावी विवरणों के सार्वजनिक उद्गतन के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, वह चाहे नई सूचना, भावी घटना या अन्यथा हो।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07654014)

दिनांक : अगस्त 08, 2022
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी के व्यापार एवं परिचालनों की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय विवरणों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम

(रूपए करोड़ में)

विवरण	स्टैंडएलोन			समेकित		
	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21	प्रतिशत परिवर्तन	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21	प्रतिशत परिवर्तन
वित्तीय परिणाम:						
कुल आय/टर्नओवर	7181	5200	38.09	7586	5506	37.78
कुल प्रचालन आय/टर्नओवर	6910	4956	39.43	7380	5350	37.94
ईबीआईडीए	648	614	5.54	853	693	23.09
कर पूर्व लाभ	610	574	6.27	689	578	19.20
कर पश्चात लाभ	544	405	34.32	592	391	51.41
निवल सम्पत्ति	4621	4406	4.88	4667	4403	6.00
विनियोजन:						
लाभांश (अंतिम और अंतरिम)*	235.13	221.02	6.38			
प्रति शेयर आमदनी (रू.)#	5.79	4.30	34.65	6.30	4.16	51.44

नोट:

* अंतिम प्रस्तावित लाभांश (आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारों के अनुमोदन के आधार पर)।
# मई 2021 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी होने के पश्चात।

वित्तीय विशिष्टताएं

कड़ी प्रतिस्पर्धा, अस्थिर बाजार स्थितियों और व्यावसायिक परिदृष्य पर कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान रू7181 करोड़ की अपनी उच्चतम कुल आय अर्जित की है, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में यह रू5200 करोड़ थी, जो 38 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के प्रचालनिक टर्नओवर में भी 39.43 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2020–21 में रू4956 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रू6910 करोड़ रहा है। परियोजनाएं पिछले दो वर्षों की तुलना में तेज गति से क्रियान्वित हो रही हैं और इसके परिणामस्वरूप कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रू610 करोड़ रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 में रू574 करोड़ की तुलना में 6.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर पश्चात लाभ (पीएटी)वित्त वर्ष 2020–21 में रू405 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में 34.32प्रतिशत की वृद्धि के साथ रू544 करोड़ दर्ज किया गया है।

आपकी कंपनी की निवल वित्त वर्ष 2020–21 में 4406 करोड़ रुपये से 4.88 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2021–22 में 4621 करोड़ हो गया है, और वित्त वर्ष 2021–22 में प्रति शेयर आय रू5.79 प्रति शेयर (बोनस शेयरों को जारी होने के बाद मई 2021 में 1:1 का अनुपात) हो गई है।

लाभांश

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने आरंभिक चरण से ही लगातार लाभांष का भुगतान करने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हुए है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मंडल ने तीन बार अंतरिम लाभांष घोषित किया और भुगतान किया, जो रू2/–प्रति शेयर की अंकित मूल्य पर कुल रू1.85 प्रति इक्विटी शेयर है, जिसकी कुल राशि रू174 करोड़ (लगभग)है और यह कंपनी की रू188.10 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी कालगभग 92.50 प्रतिशत है। इन सभी अंतरिम लाभांषों को जून, सितंबर और दिसंबर 2021 को समाप्त तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी के लाभ में से घोषित किया गया है।

बोर्ड ने आगे, वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लाभ में से रू61.13 करोड़ की राशि के लिए 2 रूपए के अंकित मूल्य (अर्थात प्रदत्त शेयर

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

पूंजी का 32.50 प्रतिशत पर रू188.10 करोड़), पर प्रति इक्विटी शेयर 0.65 रूपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है,जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश रू235.13 करोड़ (लगभग)(अर्थात रू188.10 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 125 प्रतिशत) होगा, जो कर के बाद वित्त वर्ष 2021–22 के लाभ का 43.20 प्रतिशत और 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के निवल संपत्ति का 5.09 प्रतिशत है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2021–22 तक शेयरधारकों को भुगतान किया गया संचयी लाभांश रू2374.47 करोड़ (लगभग) होगा।

लाभांश की घोषित, लाभांश वितरण नीति के अनुरूप की गई है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, संशोधित ('सूचीकरण विनियम') के विनियम 43ए और "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशानिर्देश के अनुसार तैयार किया गया है।

शेयर पूंजी और शेयरों का विनिवेश

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की प्रदत्त और अंशदायी इक्विटी शेयर पूंजी प्रति 2/– रूपए के अंकित मूल्य पर 94,05,15,740 इक्विटी शेयर के साथ रू188.10 करोड़ है। वर्ष के दौरान, 1:1 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के कारण कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रू94.05 करोड़ से बढ़ाकर रू188.10 करोड़ कर दी गई, अर्थात प्रति 2/– रूपए के मौजूदा एक (1) इक्विटी शेयर के लिए प्रति 2/– रूपए का पूर्णत प्रदत्त एक इक्विटी शेयर, जिसे कंपनी के सदस्यों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि 21 मई, 2021 थी और शेयरों का आवंटन 23 मई, 2021 को किया गया था। 25 मई, 2021 को बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के पश्चात, बोनस शेयरों के क्रेडिट की कॉर्पोरेट कार्रवाई 1 जून, 2021 को पूरी हुई।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को, कंपनी के प्रमोटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी, कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत थी। इरकॉन में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के बाजार मूल्य के आधार पर, इसे शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में रखा गया है। दिनांक 31 मार्च 2022 को आपकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण रू3743.25 करोड़ था।

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 10.53 प्रतिशतइनीशियल पब्लिक आफर (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश किया था। इसके अलावा, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 16 प्रतिशत वित्त वर्ष 2020–21 में स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश किया गया था। इन दो विनिवेशों से भारत सरकार को कुल आय रू1144 करोड़ थी। भारत सरकार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ओएफएस द्वारा आपकी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पेयर पूंजी के 15 प्रतिशततक के विनिवेश की प्रक्रिया में है, जिसके लिए वित्तीय सलाहकार और मर्चेंट बैंकरों को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डीआईपीएएम द्वारा नियुक्त किया गया है।

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन

दिनांक 30 जून, 2022 तक, सभी शेयर (नौतिक रूप में केवल 5607 शेयरों को छोड़कर) डीमैट रूप में रखे गए हैं और शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

आरक्षित निधि में अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारित आय का विनियोग 61.13 करोड़ रूपए के प्रस्तावित अंतिम लाभांश के पश्चात 214.54 करोड रूपए था और 1:1 के अनुपात में जारी बोनस 94.05 करोड रूपए था।

पूंजीगत व्यय और चलनिधि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टैंडअलोन आधार पर घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में पूंजीगत परियोजनाओं पर रू4.86 करोड़ की राशि खर्च की है, जिसमें भवन निर्माण हेतु रू0.07 करोड तथा अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण करने के लिए रू1.35 करोड़ और रू3.44 करोड़ शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण खर्च के बावजूद, कंपनी वर्ष के दौरान सकल ऋण स्तर को स्थिर रखने में सफल रही। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की तरलता की स्थिति रू5340 करोड़ पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें रू1206 करोड़ नकद और नकद समतुल्य और रू4134 करोड़ अन्य बैंक शेष शामिल हैं, जिसमें रू3291 करोड़ की ग्राहक निधि और रू1010 करोड़ की परियोजना निधि शामिल है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की इक्विटी/अर्ध–इक्विटी में भी रू212.84 करोड़ का निवेश किया है, जो 31 मार्च, 2022 तक रू1421.68 करोड़ था।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में अर्जित रू 561.03 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रू 521.26 करोड़ रूपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय रू 515.55 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रू 467.10 करोड़ रूपए हुआ है। इस प्रकार, निवल विदेशी मुद्रा आय में 19.09 प्रतिशत अर्थात वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू 45.48 करोड़ रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू 54.16 करोड़ रूपए की कमी है जो कि विदेशी परियोजनाओं से उच्चतर लाभप्रदता के कारण है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

इरकॉन समूह का कार्यनिष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनियों ('समूह') के साथ समेकित आधार पर रू 7586 करोड़ (पिछले वर्ष रू 5506 करोड़) का अब तक का उच्चतम कुल टर्नओवर दर्ज किया है। समूह ने परिचालन कारोबार में 37.94 प्रतिशत की मात्रा में वृद्धि करके रू 7380 करोड़ (पिछले वर्ष रू 5350 करोड़) दर्ज किया है। समूह ने रू689 करोड़ (पिछले वर्ष रू 578 करोड़) के कर पूर्व लाभ और रू 592 करोड़ (पिछले वर्ष रू 391 करोड़) के कर पश्चात लाभ की सूचना दी, दोनों में क्रमशः 19.20 प्रतिशत और 51.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

समूह, ईडीआईटीडए रू 853 करोड़ (पिछले वर्ष रू693 करोड़) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, वित्तीय कार्यनिष्पादन के संदर्भ में, कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देश पर आधारित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित रू 6261 करोड़ (समेकित आधार पर) के टर्नओवर लक्ष्य मानदंड को हासिल किया और पार कर लिया है।

कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी।

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिसमें कोविड देखभाल केंद्र, टीकाकरण केंद्र स्थापित करना और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने महामारी से निपटने के लिए सभी निवारक उपायों को लागू करने की दिशा में भी कई पहल की हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए रू1.14 करोड़ का योगदान दिया था।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई सामग्रीगत परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत नहीं हुई है।

वित्तीय विवरण [(स्टेंडएलोन तथा समेकित)]:

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2021–21 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टेंडएलोन तथा समेकित) को अनुमोदित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने,क) अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियोंयथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल), इरकॉन दावांगेरे हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉनवडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) और इरकॉनगुड़रगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल), इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल), इरकॉन मोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल), और इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल) और सहायक कंपनी अर्थात इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल), के लिए लाइन–बाई–लाइन विधि के अनुसार और, ख) सात संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल), इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइआरएसडीसी), (निरंतर आधार पर नहीं) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल), छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)के लिए इक्विटी विधि के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। अनिगमित संयुक्त उद्यमों के लेखों को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

आईआरएसडीसी को रेल मंत्रालय से दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को व्यापार बंद करने और अपने व्यवसाय/संपत्ति के हस्तांतरण/सौंपने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। तदनुसार, आईआरएसडीसी (इसकी सहायक कंपनियों जैसे गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (जीएआरयूडी) और सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सिटको) में निवेश के अलावा) की सभी संपत्ति और देनदारियां,दिनांक 31 मार्च 2022 तक रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)/ रेल मंत्रालय (एमओआर) को मंदी बिक्री के आधार पर बुक वैल्यू के मूल्य तक के प्रतिफल के लिए स्थानांतरित किया गया है। ऐसे समय तक, मंदी की बिक्री को सक्षम प्राधिकारी (अर्थात आईआरएसडीसी/आरएलडीए/रेल मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, इरकॉन समेकन उद्देश्यों के लिए इक्विटी पद्धति को लागू करना जारी रखेगा।

कंपनी अपनी आठ सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन जीआरएचएल, इरकॉन एएसईएली तथा इरकॉन एलआरएचएल) के अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)/वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी। अन्य तीन सहायक कंपनियां अर्थात। इरकॉन बीएमईएलएप, इरकॉन एचबीएल और आईआरपीएल को 31.12.2021 के बाद निगमित किया गया है, इसलिए, उनका पहला वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त होगा, इसलिए, इन तीन सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2022–23 से कंपनी की वेबसाइट पर रखे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, फॉर्म एओसी–1 में ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उपक्रम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

वर्तमान कोविड–19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियों (नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट या संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित) को भेजने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निर्धारित किया है कि इस तरह के विवरण केवल उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ डिपॉजिटरी और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकृत हैं, जो इसके लिए पात्र हैं।इन छूटों को एमसीए और सेबी द्वारा क्रमशः दिनांक 05 मई, 2022 और 13 मई, 2022 को अपने परिपत्रों के माध्यम से 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त रियायत और हरित पहलों के भाग के रूप में, उन शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक सुपुर्दगी प्रदान की गई है, जिनका ई–मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पहले से पंजीकृत है और डिपॉजिटरी यथा एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड किया गया है। इन अभिलेखों को कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई और एनएसई में उपलब्ध कराया गया है।

प्रबंधन और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–ट और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के साथ पठनीय विनियम 34 के अंतर्गत अपेक्षित है जो रिपोर्ट (पृष्ठ.....) में संलग्न है और यह संदर्भ और स्वरूप के अंतर्गत रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है। यह वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी के मामले, इसकी गुणवत्ता के मानक, इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2022 में शुरू की गई परियोजनाएं और आगामी परियोजनाएं, शक्तियां, कार्य स्कोप और अवसर, प्रमुख चिंता के क्षेत्र, कोविड–19 के प्रति प्रतिक्रिया, व्यापार रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता के साथ–साथ मानव संसाधन में सामग्रीगत विकास का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते है।

बाहरी वातावरण

समष्टि अर्थशास्त्र

वित्तीय वर्ष 2021–22 कोरोनावायरस (कोविड–2.0) के प्रसार के साथ आरंभ हुआ और तत्पश्चात,ओमीक्रोन संस्करण ने अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण पूर्वी यूरोप में एक दुखद मानवीय संकट और रूस पर वस्तुतः समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक संभावनाएं काफी हद तक खराब हो गई हैं। युद्ध के अलावा, चीन में प्रमुख विनिर्माण केंद्रों सहित लगातार और व्यापक लॉकडाउन ने भी वहां गतिविधि को धीमा कर दिया है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में नई बाधाएं पैदा कर सकता है। उच्च, व्यापक, और अधिक लगातार मूल्य दबावों ने भी कई देशों में मौद्रिक नीति को कड़ा किया। आर्थिक संभावनाओं के लिए समग्र जोखिम तेजी से बढ़े हैं और नीतिगत व्यवसाय संव्यवहार, अब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।

राजकोशीय पक्ष पर, कई देशों में आवश्यक कोविड संबंधित खर्चों के कारण नीतिगत संभावनाएं पहले ही समाप्त हो गई थीं। ऋण का स्तर काफी बढ़ गया है, और 2022–23 में असाधारण वित्तीय समर्थन को हटा जाने की संभावना है। युद्ध और वैश्विक ब्याज दरों में आसन्न वृद्धि कई देशों, विशेष रूप से तेल और खाद्य–आयात करने वाले उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजकोशीय स्थान को और कम कर देगी।

युद्ध ने विशिष्ट प्रौद्योगिकी मानकों, सीमा पार भुगतान प्रणालियों और आरक्षित मुद्राओं के साथ भू–राजनीतिक क्षेत्रों में विश्व अर्थव्यवस्था के अधिक स्थायी विखंडन के जोखिम को भी बढ़ा दिया है। इस तरह के एक विखंडनीय बदलाव में उच्च समायोजन लागत और लंबे समय तक दक्षता हानि होगी क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन नेटवर्क पुनः समायोजित किए गए हैं। यह पिछले 70 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम–आधारित ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती को भी प्रस्तुत करता है!

वर्ष 2022 की पहली तिमाही के दौरान वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जो यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों के साथ–साथ मांग में निरंतर वृद्धि और आपूर्ति पर विभिन्न बाधाओं को दर्शाती है। वस्तु आपूर्ति पर युद्ध के विघटनकारी प्रभावों के बारे में चिंताओं के बीच, कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए स्पष्ट की गई, जहां रूस और यूक्रेन बड़े निर्यातक हैं, विशेष रूप से ऊर्जा, उर्वरक, और कुछ अनाज और धातु। इन घटनाक्रमों ने वस्तुओं की कीमतों में व्यापक–आधारित वृद्धि को जोड़ा है जो कि 2020 के मध्य में कोविड–19 महामारी के बारे में चिंताओं को कम करके मांग में वृद्धि के साथ शुरू हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में वस्तुओं की मांग में सुधार हुआ, जबकि वस्तु उत्पादन में और धीमी वृद्धि हुई, जो कई वर्षों के कमजोर निवेश के साथ–साथ विभिन्न आपूर्ति व्यवधानों के कारण है।

आर्थिक दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक रिपोर्ट (आईएमएफ) द्वारा "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ)" (जुलाई, 2022 संस्करण) के अनुसार, भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अपने अनुमानों को कम करके 2022 में 7.4 प्रतिशत और 2023 में 6.1 प्रतिशत रखा है। यह आईएमएफ द्वारा जनवरी, 2022 में 2022 और 2023 के लिए किए गए पूर्वानुमान की तुलना में 0.8 है और 0.2 प्रतिशत अंक कम है। यह कमी, काफी हद तक रूस और यूक्रेन और वैश्विक तनाव पर युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभावों को दर्शाता है। वर्ष 2023 के बाद, मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर घटकर लगभग 3.3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। कुछ अपवादों के साथ, रोजगार और उत्पादन आम तौर पर 2026

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

तक पूर्व–महामारी प्रवृत्तियों से नीचे रहेगा।

युद्ध से प्रेरित वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी और कीमतों के बढ़ते दबाव से प्रेरित होकर, मुद्रास्फीति पिछले पूर्वानुमान की तुलना में अधिक समय तक बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत अनुमानित है, जो जनवरी में अनुमानित 1.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत अंक अधिक है। बड़े पैमाने पर युद्ध के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 में वैश्विक विकास के काफी धीमी गति से होने की संभावना है।

दिनांक 31 मई, 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021–22 में भारत को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 8.7 प्रतिशत थी। यह पूर्व–महामारी स्तर (2019–20) से 1.5 प्रतिशत अधिक है। 2021–22 की चौथी तिमाही में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दूसरी तिमाही की 5.4 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से ओमीक्रोन लहर के कारण निजी क्षेत्र की खपत में कमजोरी के कारण है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक आउटलुक (अप्रैल 2022) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को वर्ष 2022 में 8.2 प्रतिशत और 2023 में 6.9 प्रतिशत कर दिया है, जो कि जनवरी, 2022 में आईएमएफ द्वारा किए गए अनुमानों की तुलना में 0.8 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत कम है।

इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग

अवसंरचना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जो समग्र आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। अवसंरचना, अन्य उद्योगों और भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए, सरकार खुले एफडीआई मानदंड, अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए बड़े बजट आवंटन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी केंद्रित नीतियों के माध्यम से अवसंरचना और निर्माण सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारत में निर्माण उद्योग, अचल संपत्ति और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की बढ़ती मांग के कारण उत्साहित रहेगा। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बाजार आकार तक पहुंचने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटी मिशन ने अर्बन आउटलुक फ्रेमवर्क 2022 आरंभ किया, जिसमें, शहरों और एएमपीएलआईएफआई के लिए आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस प्लेबुक – रहनेयोग्य हेतु आकलना और मॉनीटरिंग प्लेटफॉर्म, जटिल शहरी समस्याओं के समाधान के लिए डाटा के प्रयोग को संवर्धित करने हेतु समेकित और नायी तत्पर शहरी भारत की परिकल्पना शामिल है। स्मार्ट सिटीज मिशन और विश्व अर्थव्यवस्था फोरम ने, शहरी परिवर्तनों पर सहयोग के लिए 'वर्ल्डअल हब' स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। यह हब, भारतीय शहरों को स्थायी, समावेशी और लचीला विकास के केंद्रों में बदलने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का लाभ उठाएगा।

भारत को देश में सतत विकास के लिए 2022 तक अवसंरचना के क्षेत्र में रू 50 ट्रिलियन (777.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी। नवंबर 2021 में, भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच स्थापित किया। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स' (नवंबर 2021 में लॉन्च) पहल से, भारत को दुनिया के अन्य कमजोर देशों की बेहतरी में योगदान करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा।

अप्रैल 2000 और दिसंबर 2021 के बीच निर्माण विकास क्षेत्र (टाउनशिप, आवासन, निर्मित अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाएं) और निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्रमशः 26.17 बिलियन अमरीकी डॉलर और 26.30 बिलियन अमरीकी डॉलर था। मार्च 2021 में, संसद ने, भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तपोषित के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है।

उद्योग दृष्टिकोण

अवसंरचना के क्षेत्र पर सरकार द्वारा बल किए जाने के रूप में और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकता, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और गतिशक्ति के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को और गति देने के लिए, जन–अधिकारियों के बीच अवसंरचन केंद्रित क्षमता को बढ़ाने पर नया जोर दिया गया है। बजट 2022 में क्षमता निर्माण के महत्व को भी विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "क्षमता निर्माण आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी मूल एजेंसियों के तकनीकी समर्थन से उनके कौशल को उन्नत किया जाएगा। यह योजना, डिजाइन, वित्तपोषण (नवीन तरीकों सहित), और पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगा।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2022–23 में अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रू10 लाख करोड़ (130.57 बिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित करके अवसंरचना क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। सरकार ने 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)' का विस्तार 9,335 परियोजनाओं तक किया है। वर्ष 2020 तक रू 1.10 लाख करोड़ (15.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की 217 परियोजनाएंपूरी की गई। लॉजिस्टिक लागत कम करने और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अवसंरचना के विकास के लक्ष्य के साथ, माननीय प्रधान मंत्री ने अक्टूबर 2021 में मल्टी–मोडल सम्पर्कता की 100 लाख करोड़ रुपये के मास्टर प्लान की घोषणा की है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वस्तु बाजार अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहे हैं, इससे कुछ कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, खासकर उन वस्तुओं की कीमतें, जिनका रूस

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

या यूक्रेन एक प्रमुख निर्यातक है। अधिकांश वस्तु की कीमतें वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में अत्यधिक रहेंगी और पिछले पांच वर्षों में अपने स्तर की तुलना में वर्ष 2023–24 में इनके अत्यधिक रहने की संभावना है। ऊर्जा और गैस–ऊर्जा की कीमतों में क्रमशः 2022 में 50 और 20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में कुछ कम होंगी। वस्तुओं की कीमतों में कमी आने के बाद अवसंरचना क्षेत्र में सुधार होगा।

आर्डर बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, उसमें ऑर्डर बुक को भविष्य का एक संकेतक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्याशित भविष्य के राजस्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज, दोनों, में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और रेलवे मंत्रालय द्वारा नामांकन के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली–प्रक्रिया दोनों पर आदेश प्राप्त करती है। रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजनाओं के आवंटन पर अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, और पात्र सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली की प्रणाली को समाप्त कर दिया है, और रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की शुरुआत की है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, योग्य पीएसयू के बीच प्रतिस्पर्धी बोली को समाप्त करके रेल मंत्रालय की नीति में बदलाव के बावजूद, आपकी कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लगभग रू 16181 करोड़ के नए कार्य प्राप्त किए हैं। ऑर्डर बुक, दिनांक 31 मार्च, 2021 को रू 34,689 करोड़ (लगभग) की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक रू 43,758 करोड़ (लगभग) थी। प्रमुख नए कार्यों में रेलवे विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजना, मेट्रो ट्रैक कार्य कारखानों, हवाई अड्डे और नवीकरणीय ऊर्जा, तथा भारत में पहली बार प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेलवे परियोजना में सिविल और ट्रैक कार्य भी लागू किया जा रहा है। दिनांक 30 जून, 2022 को ऑर्डर बुक रू 42,066 करोड़ (लगभग) थी। ऑर्डर बुक में उन कार्यों का मूल्य होता है जिनका निष्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

घरेलू परियोजनाएं

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में विविधता ला दी है और यह अब रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित खिलाड़ी है। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों, बिजली पारेषण लाइनों, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, पुल और फ्लाईओवर, सुरंगों, बिजली और यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, कोच फैक्ट्री, स्टेशन भवन, मल्टी पार्पज कॉम्प्लेक्स और हवाईअड्डों के निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना पोर्टफोलियो के विविधीकरण ने हमें निर्माण व्यवसाय को खत्म करने और किसी भी क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद की है।

आगामी भविष्य में, इरकॉन भारत में हाई–स्पीड रेल, एनसीआरटीसी, एनएचएआई, भारतीय रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं पर काम करेगा।

नई भारतीय परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी को भारत में 14400 करोड रूपए मूल्य की परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारत में प्राप्त प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में)

क्र.सं	परियोजना का ब्यौरा	कुल मूल्य
1.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के लिए महाराष्ट्र–गुजरात सीमा पर जारोली गांव (एमएएचएसआर किमी. 156.000) और वडोदरा (एमएएचएसआरकिमी. 393.700) मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज नंबर एमएएचएसआर टी–2) के निर्माण के लिए परियोजना हेतु गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में अभिकल्प निर्माण एकमुश्त मूल्य आधार पर परीक्षण और कार्यआरंभ सहित रेलपथ का अभिकल्प, आपूर्ति और निर्माण और रेलपथ संबंधी कार्य।	5,143
2.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरइडीए) के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(सीपीएसयू) योजना चरण–।। (सरकारी निर्माता योजना) के तहत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (खंड–।।।)।	1,960
3.	एनएचएसआरसीएल के लिए मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज नंबर एमएएचएसआर सी–7) के निर्माण के लिए परियोजना हेतु गुजरात राज्य में एमएएचएसआर कि.मी. 507.599 और एमएएचएसआर कि.मी 489.467 के बीच स्थित अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, पुल और पुल, क्रॉसिंग ब्रिज (स्टील ट्रस गर्डर्स के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबंधित कार्यों सहित डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिजाइन निर्माण एकमुश्त मूल्य आधार पर परीक्षण और कमीशनिंग सहित सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन।	1,714

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क.सं	परियोजना का ब्यौरा	कुल मूल्य
4.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)के लिए भारतमाला परियोजना (चरण–द्वितीय–पैकेज–7टप्) के तहत एचएएम आधार पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,436
5.	एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण II–पैकेज XIV) के तहत महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसद से अकोली सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर) तक आठ लेन एक्सेस–नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य।	1,124
6.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए पैकेज –3 (डिजाइन) सीएच 66.440 से डिजाइन सीएच 90.500 और स्पर से खरर डिजाइन के लिए सीएच 0.000 से डिजाइन सीएच 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी हेतु रा.रा–205के मानेयाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से मियोरा गाँव (रूपनगर) के पास एनई–205 के साथ जंक्शन, जिसमें एचएएम पर पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ शामिल है के लिए चार/छह लेन ग्रीनफील्ड लुधियाना–रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का निर्माण कार्य।	1,107
7.	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर उत्तराखंड राज्य में किमी. 0+000 (एनएच–58 के किमी 188+100) से किमी15+100 (एनएच 74 का किमी 5+100) तक हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 का उन्नयन एवं चार लेन निर्माण कार्य।	861
8.	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (एनएरएफ) के लिए बदरपुर–जिरीबाम, कटखल–मैरबी और बड़ापुर–करीमगंग–सबरूम सहित करीमगंग–सैशासन, अगरतला–अखौरा और बरईग्राम–दुल्लाबाचेरा (590 आरकेएम) के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य	659
9.	चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण –2 के कॉरिडोर–4 में लाइट हाउस स्टेशन और पूनमल्ले बाईपास स्टेशन और पूनमल्ले डिपो के बीच भूमिगत और एलिवेटेड खंड में सभी संबद्ध कार्यों सहित मानक गेज के ट्रैक कार्यों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग कार्य।	337

चालू परियोजनाएं:

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट–क में प्रस्तुत है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत और विदेशों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित थीं:

1. उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना में, आपकी कंपनी ने दिनांक 15 फरवरी, 2022 को यूएसबीआरएल परियोजना में 12.76 किलोमीटर लंबी सुरंग यथा टी–49 की मुख्य सुरंग की खुदाई का काम पूरा कर लिया है। साथ ही, लगभग टी–15 की मुख्य सुरंग के 11 किलोमीटर की खुदाई का काम दिनांक 18 जनवरी, 2022 को पूरी हुई थी। आपकी कंपनी ने 03 मार्च, 2022 को सुरंग संख्या 77डी में भी ब्रेकथ्रे ब्लास्ट किया है, जो कि 2.65 किमी लंबा है और रामबन जिले के ग्राम बांहूट में स्थित है। सुरंग टी77डी का निष्पादन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कम ओवरबर्डन, अत्यंत खराब भूविज्ञान की स्थिति और सामाजिक चुनौतियों के साथ यह सुरंग आवासीय क्षेत्र के समीप थी। टनल टी77डी के पूरा होने के साथ, बनिहाल से अर्पिथला तक 15 किमी ब्लॉक खंड आगे के कार्यों के लिए उपलब्ध है।

2. सिवोक–रंगपो रेल लिंक परियोजना में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य सुरंगों का 10.34 उत्खनन पूरा किया है। आपकी कंपनी ने 08 फरवरी, 2022 को सुरंग संख्या 14 को भी सफलता पूरा किया है, जो 1.96 किलोमीटर लंबी है और सिक्किम के रंगपो में स्थित है। इस परियोजना में एक जटिल ज्यामिति है जिसमें पुलों के बीच में 14 सुरंगें शामिल हैं। 4 स्टेशन यार्ड को छोड़कर पूरे संरेखण पर व्यावहारिक रूप से कोई खुली जगह नहीं है। गंगटोक और उसके बाद भारत–चीन सीमा (नाथुला दर्रा) से भविष्य की सम्पर्कता के साथ यह परियोजना रणनीतिक महत्व की है और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. हाजीपुर–बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजना में, हाजीपुर–अक्षयवट राय नगर (11.5 किमी) का सीआरएस निरीक्षण (रेलवे सुरक्षा निरीक्षण आयोग) दिनांक 24 मार्च, 2022 को आयोजित किया गया था और इस खंड को 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

गति से चालू किया गया था। शाहपुर पटोरी–सहदेई बुजुर्ग (12.41 किमी) का सीआरएस निरीक्षण, दिनांक 07 जनवरी, 2022 को आयोजित किया गया था और इस खंड को अधिकतम 90 किमी प्रति घंटे की गति से चालू किया गया था। परियोजना के जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धर्मजयगढ़ परियोजना के बीच ईस्ट कॉरिडोर के कॉरिडोर–1 का कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां दिनांक 21 जून, 2021 को केवल एक ट्रेन प्रणाली के साथ डीजल ट्रैक्शन वाली मालगाड़ी के परिचालन के लिए 30 किलोमीटर के कोरिछापर से धर्मजयगढ़ सेक्शन को औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। यह पहली कोयला सम्पर्कता परियोजना है, जहां 74 किमी (सिंगल डाउन लाइन) चालू किया गया है। इस खंड के शुरू होने से उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कोयले की निकासी में मदद मिलेगी, जिससे पूरे देश के विकास में मदद मिलेगी। यह 74 किलोमीटर पीपीपी मॉडल के तहत चालू होने वाला पहला खंड है। इसके अलावा, दिनांक 25 फरवरी, 2022 को मालगाड़ी के लिए 14 किलोमीटर (स्मर लाइन (सिंगल लाइन), को घरघोड़ा से लालुमुडा खंड को भी चालू किया गया। 24 जून, 2021, 31 मार्च, 2022 और 25 अप्रैल, 2022 को क्रमशः गुरदा–कोरिछापर (डोहरी) के बीच छल टेकऑफ पॉइंट से छल साइडिंग होल्डिंग यार्ड के बीच, और खरसिया–गुरदा (दोगुना) के बीच इंजन रोलिंग भी किया गया है।

5. कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कटनी–सिंगरौली खंड के 257 किलोमीटर के लिए, सीआरएस निरीक्षण के बाद, 43.33 किलोमीटर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है अर्थातदिनांक 07 सितंबर, 2021 को 8.30 किलोमीटर के देवराग्राम मझौली खंड को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चालू किया गया है,14 जून, 2021 को 7.80 किलोमीटर का नया कटनी जं.–कटंगी खुर्द खंड चालू किया गया, 11 फरवरी, 2022 को 5.90 किमी के मडेदिया–सिंगरौली खंड को चालू किया गया और 13 फरवरी, 2022 को 21.33 किमी के सलहाना–पिप्रिया–खन्ना बंजारी खंड चालू किया गया।

6. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना, सीटीपी–12 में, इरकॉन ने गुजरात के वलसाड और पारडी रेलवे स्टेशनों, बीच वलसाड सडक उपरिपुल (आरओबी) पर सबसे बड़े प्रीकास्ट पीएससी सेगमेंटल दिवन शेल बॉक्स (लंबाई में 18.47 मीटर, चौड़ाई 15.8 मीटर और ऊंचाई 9.73 मीटर) के निर्माण और परिचालन आरंभ करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह कार्य 3 जून, 2021 को शुरू हुआ था और 7 जून, 2021 को पूरा हुआ। आपकी कंपनी ने आयातित नई ट्रैक निर्माण मशीन का उपयोग करके वैतरणा–सचिन खंडों के बीच इस परियोजना के 372 किलोमीटर के हिस्से को जोड़ने वाले 100 किलोमीटर ट्रैक को भी पूरा कर लिया है।

7. वर्ष की समाप्ति के बाद, दिनांक 30 मई, 2022 को, माननीय रेल मंत्री ने बेहाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूरी तरह से वातानुकूलित बहुउद्देश्यीय इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण इरकॉन द्वारा किया गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यह पूरी तरह से वातानुकूलित बहुउद्देश्यीय इंडोर स्टेडियम दो स्तरीय दर्शक दीर्घा में लगभग 1,100 की बैठने की क्षमता के साथ विकसित किया गया था। पूरे परिसर को 22 मीटर ऊंचाई की एक अनूठी आकार की संरचना में निर्मित किया गया है, जिसकी अर्ध–गोलाकार गुंबद अंतरिक्ष फ्रेम छत संरचना है और इसका 60 मीटर ग 45 मीटर का आयाम है। यह एक समर्पित पावर बैकअप व्यवस्था और भवन के बेसमेंट में पार्किंग के अलावा सर्विस लिफ्ट और एक कैफेटेरिया आदि से सुसज्जित है।

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का योगदान वित्त वर्ष 2020–21 में रू 582.13 करोड़ की तुलना में रू 480.43 करोड़ था, और इसमें लगभग 6.95 प्रतिशत की कमी आई है। परिचालन लाभ के संदर्भ में, विदेशी परियोजनाओं का योगदान रू 34.75 करोड़ की तुलना में रू 39.51 करोड़ रहा और इसमें 11.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कंपनी ने म्यांमार में एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना हासिल की है। कंपनी विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखे हुए है, और बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में प्रत्येक में एक–एक परियोजना चल रही है। अपने व्यवसाय और भौगोलिक कार्यक्षेत्र में विविधता लाने के लिए, कंपनी व्यवसाय की मात्रा और लाभ मार्जिन को अधिकतम करने के लिए परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की ऋण व्यवस्था/अन्य परियोजना निर्यात निधि व्यवस्था तथा बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी के माध्यम से वित्तपोशित परियोजनाओं के माध्यम से विदेशी परियोजनाओं को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई विदेशी परियोजनाएं

कंपनी को म्यांमार में एक विदेशी परियोजना अर्थात ईपीसी मोड पर कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना (केएमएमटीटीपी) के तहत रू 1780 करोड़ के कुल मूल्य में पलेटवा (म्यांमार) से जोरिनपुरी (मिजोरम) तक सड़क निर्माण, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर प्रदान की गई थी।

चालू परियोजनाएं:

कंपनी विदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है:

i. बांग्लादेश

(क) खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना

कंपनी ने बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण के लिए 147.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग रू 911 करोड़ के बराबर) पर एक परियोजना

प्राप्त की है, और इसकी संशोधित लागत 182.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग रू 1349.53 करोडके बराबर) तक पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना में तटबंध का निर्माण, ट्रैक, सभी सिविल कार्य, बड़े और छोटे पुल (रूपा ब्रिज को छोड़कर), पुलिया और पैकेज डब्ल्यूडी 1 के प्रति ईएमपी का कार्यान्वयन शामिल है। मार्च 2022 तक भौतिक प्रगति 80.35 प्रतिशत है। जबकि यह परियोजना सभी क्षेत्रों पर पूर्ण गति से कार्य कर रही थी, किन्तु यह कोविड महामारी के कारण फिर से धीमी हो गई। 2021 में जोड़े गए अतिरिक्त कार्य दायरे ने परियोजना के पूरा होने में और देरी की है। कार्य के अतिरिक्त दायरे और विविधताओं के लिए लंबित अनुमोदन के साथ, पूरा करने का कार्यकाल दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) अगरतला (भारत)–अखौरा (बांग्लादेश खंड)

कंपनी ने अगरतला (भारत)–अखौरा (बांग्लादेश) से नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाएं (टीएएस) प्रदान करने और विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ बांग्लादेश हिस्से में निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए निर्माण ठेकेदार बांग्लादेश रेलवे द्वारा नियुक्त किया गया है और अनुबंध मूल्य बीडीटी 240.9 करोड़ (लगभग रू 209.47 करोड़ के बराबर) है। निर्माण ठेकेदार की पूर्णता अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी गई है और दिसंबर 2022 तक का समय विस्तार प्रक्रियाधीन है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 56 प्रतिशत है।

ii. अल्जीरिया

अल्जीरिया में, कंपनी ने जून 2008 में 93 किमी की डबल–ट्रैक लाइन स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्राप्त की है। परियोजना एएनईएसआरआईएफ, रेलवे निवेश की योजना और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार, अल्जीरियाई द्वारा दिनार 1,628 करोड़ (1,003 करोड़ रूपए परिवर्तित) के मूल्य पर प्रदान की गई थी, जिसकी समापन तिथि नवंबर 2012 थी। इस परियोजना में दूसरी लाइन का निर्माण और मौजूदा लाइन का उन्नयन शामिल है, जिसमें अल्जीरियाई रेलवे के अल्जीयर्स–ओरान खंड में ओएड स्ली से येलल तक 10 किमी की दूरी तय की गई है। डबल लाइन की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित अनुबंध का मूल्य अल्जीरियाई दिनार 3,268 करोड़ (2,248 करोड़ रूपए समकक्ष) में संशोधित किया गया है।

कार्य के संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ इस परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि दिसंबर, 2023 है।

एएनईएसआरआईएफ के रोकड़ प्रवाह समस्याओं, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से उप–ठेकेदारों को प्रदान किए गए संरचनात्मक कार्यों में, के बावजूद ग्राहकों को 78 किमी नए रेलपथ को प्रचालनिक कर दिया गया है। मौजूदा लाइन के 77 किमी में से 50 किमी के पहले खंड में मौजूदा लाइन पर भी काम शुरू हो गया है, 7 स्टेशन भवनों में से 6 को सौंपने के लिए तैयार हैं, और 8 प्रमुख पुलों को भी समय परनुगतान के आश्वासन के साथ पूरा कर लिया गया है। ग्राहक ने निर्बाध भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे काम की प्रगति में सुधार होगा और दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

iii. श्रीलंका:

श्रीलंका में, कंपनी ने भारतीय क्रेडिट लाइन – ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्यों के तहत महो से ओमनथाई तक रेलवे लाइन के उन्नयन के लिए एक परियोजना प्राप्त की है। परियोजना श्रीलंकाई रेलवे द्वारा परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के तहत 91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग रू 637.22 करोड़ के बराबर) के मूल्य पर प्रदान की गई है। कार्य के दायरे में ट्रैफिक ब्लॉक के तहत महो–ओमानथाई से लगभग 128 किमी लंबाई के सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक का उन्नयन शामिल है। परियोजना को अप्रैल 2019 में 36 महीने की पूर्णता अवधि (अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से शुरू) के साथ प्रदान किया गया था। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अनुसार इस परियोजना को एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वित्तपोशित किया गया है। अनुबंध के अनुसार परियोजना के पूरा होने की तिथि 28 नवंबर, 2022 है।

कोविड–19 महामारी, यातायात को बंद करने की अनुमति में विलंब और श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक और ईंधन संकट से प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई है, फिर भी परियोजना की कुल प्रगति लगभग 50 प्रतिशत लगभग है।

iv. नेपाल

नेपाल में, कंपनी निम्नलिखित दो परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है:

(क) भारत–नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत)–विराटनगर (नेपाल) के बीच बीजी लाइन का निर्माण।

इस परियोजना में बथनाहा (भारत), सीएच. 0.00 किमी से विरातनगर (नेपाल), सीएच. किमी 18.60 तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग (5.45 किमी) में प्रस्तावित संरेखण, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के अंतर्गत बिहार राज्य के अररिया जिले में और मोरंग जिले में नेपाल की ओर (13.15 किमी) पर पड़ता है।

रू 395.94 करोड़ का संशोधित मूल्य विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 84 प्रतिशत है।

(ख) गेज परिवर्तन द्वारा बीजी लाइन का निर्माण – जयनगर

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(भारत)–बिजलपुरा (नेपाल) भारत–नेपाल सीमा पर बर्दीबास तक विस्तार सहित

इस परियोजना में जयनगर (भारत), बर्दीबास तक विस्तार के साथ सीएच 0.00 किमी से सीएच किमी 68.72 तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग (2.975 किमी) में प्रस्तावित संरेखण बिहार राज्य के मधुबनी जिले में और नेपाल की ओर (65.745 किमी) महोतारी जिले में पड़ता है।

रू 783.83 करोड़ का संशोधित अनुमान विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की ओर से 22 अक्टूबर, 2021 को जयनगर (कि.मी. 0.00) से कुर्था (किमी. 34.90) तक सीमा पार रेल खंड (खंड–1) आरंभ करके नेपाल सरकार को सौंप दिया है, जिसका उद्घाटन दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया था। 34.9 किमी जयनगर (भारत) – कुर्था (नेपाल) खंड का पहला चरण 68.72 किमी जयनगर का हिस्सा है– भारत सरकार के तहत निर्माणाधीन, बिजलपुरा–बरदीबास रेल लिंक 8.77 अरब एनपीआर की अनुदान सहायता के तहत बन रहा है। यह खंड पहले जयनगर और बिजलपुरा के बीच एक नैरो गेज रेल लिंक था। जयनगर–कुर्था खंड पर 8 स्टेशन और हॉल्ट हैं, जिसमें जनकपुर का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन भी शामिल है।

परियोजना के खंड –2 के तहत किमी 34.900 से किमी 52. 34, कुर्था–बिजलपुरा तक का कार्य पूरा हो गया है। खंड–3 में किमी 52.34 से किमी 68.72, बिजलपुरा–बरदीबास, बिजलपुरा–बरदीबास के बीच की भूमि अभी तक नेपाल सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 73 प्रतिशत है।

v. म्यांमार

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने फरवरी 2022 में विदेश मंत्रालय के माध्यम से ईपीसी मोड पर रू 1780 करोड़ की एकमुश्त लागत पर म्यांमार में कलादान मल्टी–मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटी परियोजना), के तहत (पलेटवा (म्यांमार) से जोरिनपुई मिजोरम) (कलादान रोड प्रोजेक्ट) के निर्माण के शेष कार्य के लिए एक परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलना और मिजोरम को जोरिनपुई में म्यांमार के चिन राज्य से जोड़ना है। इस परियोजना के दो भाग हैं अर्थात (प) बंगाल की खाड़ी द्वारा कोलकाता से सित्तवे तक और कलादान नदी द्वारा सित्तवे से पलेटवा तक जलमार्ग भाग (पप) सड़क भाग अर्थात कलादान रोड परियोजना पलेटवा से जोरिनपुई (109.20 किमी)। केएमएमटीटी परियोजना को भारत सरकार से म्यांमार सरकार को सहायता अनुदान के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए अनुबंध, दिनांक 07 मार्च, 2022 को निष्पादित किया गया है और इस कार्य को समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 40 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

स्थावर सम्पदा क्षेत्र

कॉर्पोरेट योजना के संदर्भ में, इरकॉन ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षमता को ध्यान में रखते हुए, चुनिंदा विविधीकरण के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र की पहचान की है। वर्ष 2014 में, आपकी कंपनी ने नोएडा में विभिन्न क्षेत्रों में 90 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर 8 भूखंडों का अधिग्रहण किया था और इन भूखंडों पर निर्माण गतिविधियों को पूरा किया जा चुका है। भवनों को आंशिक/पूर्ण पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने सेक्टर–32, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक भूखंड पर भी संपत्ति विकसित की है, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) से खरीदा गया था। इस संपत्ति का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इस भवन में अत्याधुनिक 250 सीटों वाला सभागार और प्रशिक्षण केंद्र है, जो आवास सुविधा के साथ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है, और भारत में ट्रेडमार्क प्राधिकरणों के साथ 'इरकॉन इंटरनेशनल टावर' के रूप में पंजीकृत है। भवन को पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही है।

कंपनी ने 26 मार्च, 2018 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के साथ अपफ्रंट लीज प्रीमियम के भुगतान पर 99 वर्षों के लिए बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र में 4.3 (चार बिंदु तीन) हेक्टेयर भूमि पार्सल पर वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को लीजहोल्ड अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया था। इरकॉन आरएलडीए से अग्रिम लीज प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए शुल्क प्राप्त करने का हकदार है। यह समझौता ज्ञापन 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया है और इसके नवीकरण की प्रकिया चल रही है।

कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां, और सहयोगी कंपनियां

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को निगमित किया है अर्थात दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल), दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल), दिनांक 06 जनवरी, 2022 को इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल) और दिनांक 13 जनवरी, 2022 को इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड को निगमित किया गया है। इन सभी चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं को अधिवासित करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है।

इसके अलावा, एक सहायक कंपनी अर्थात इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) को दिनांक 13 जनवरी, 2022 को संयुक्त उद्यम कंपनी और एसपीवी (जेवी–एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है, जिसमें इरकॉन के पास 76 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। जेवी–एसपीवी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (`सीपीएसई`) योजना चरण–।। के तहत 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर परियोजना की स्थापना संबंधी परियोजना के निष्पादन का कार्य कर रहा है।

ग्यारह सहायक कंपनियों (वित्त वर्ष 2021–22 में गठित नई कंपनियों सहित) और इरकॉन की सात संयुक्त उद्यम कंपनियों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, उनके वित्तीय और कार्य निष्पादन के साथ परिशिष्ट–ख पर प्रस्तुत की गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लिस्टिंग विनियमों के `मटेरियल सब्सिडियरी` और विनियम–24ए के निर्धारण पर कंपनी की नीति के अनुसार, कोई भी सहायक कंपनी `मटेरियल सब्सिडियरी` नहीं है, अर्थात जिसकी कुल आय या निवल मूल्य तात्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 में समेकित आय या इरकॉन की निवल संपत्ति के 10 प्रतिशत से अधिक है।

राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए समय–समय पर जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देश जैसे कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में अजा/ अजजा रोस्टर, वेतनमान 2017 में संशोधन आदि का अनुपालन किया गया है।

राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक उपयोग के लिए विभिन्न उपाय और उत्साहजनक पहल कर रही है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

क. सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को पूरी तरह से हिंदी में काम करने की शपथ।

ख. कॉर्पोरेट कार्यालय में छमाही आधार पर राजभाषा संगोष्ठियों का संचालन किया जा रहा है।

ग. विभिन्न विभागों द्वारा रोटेशनल आधार पर योगदान के रूप में एक विचार और एक शब्द, जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रसिद्ध कवियों की कविता आदि को स्वागत कक्ष में हिंदी में प्रदर्शित किया जा रहा है।

घ. रिसेप्शन क्षेत्र में हिन्दी भाषा में दिन का विचार और एक शब्द को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे रोटेशन आधार पर रोजाना विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है।

हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हर तीसरे महीने में कॉर्पोरेट विभाग में किसी एक विभाग के साथ हिंदी विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें और यूनिकोड प्रणाली और कार्यालयीन भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए त्रैमासिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए द्विभाषी प्रारूप को इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन:

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतरदिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी विषयों/भर्ती, वित्त, संविदा और परियोजनाओं से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार परतथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशितें किया जाता है और इसकी प्रति सूचनार्थ रेल मंत्रालय को अग्रेशित की जाती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 168 आवेदन तथा 27 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं और वर्ष के आरंभ में 06 आवेदन और 02 अपील (यथा वर्ष के दौरान कुल 174 आवेदन और 29 अपील) निर्धारित अनुमत समयसीमा में निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं। इसमें से 173 आवेदन (6 आवेदनों के आरंभिक शेष सहित) तथा 29 प्रथम अपीलों (2 अपीलों के आरंभिक शेष सहित) पर कार्यवाही की गई/उन्हें निटाए गया था। 31 मार्च 2022 को 01 आवेदन पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान हेतु कार्रवाई की गई थी।

(प्रापण) वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

आपकी कंपनी में जून 2021 से वृहत क्रय वरियता नीति विद्यमान है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड–11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु लोक प्रापण नीति (एमएसई) आदेश, 2012 की तर्ज पर है। इरकॉन अपनी खरीद के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) और गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग करता है, जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और निविदा मूल्य और बयाना राशि की लागत के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करके ई–निविदा में भाग लेता है। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करते हुए 200 करोड़ रूपए मूल्य तक की सभी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने एमएसई विक्रेता से रू 600.09 करोड़ मूल्य के व्यय के प्रति रू 181.24 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है और एमएसई विक्रेताओं के दायरे/क्षमता से परे वाली वस्तुओं का मूल्य रू 329.24 करोड़ है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021–22

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

को दौरान, कंपनी ने खरीद नीति के अनुपालन में एमएसई के दायरे/क्षमता से परे वाली वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर रू 270.85 करोड़ मूल्य की शुद्ध खरीद का 66.92 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। कंपनी ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 15 सितंबर, 2021 को पटना और कोलकाता में दो राज्य स्तरीय विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन में, कंपनी दिनांक 25 जनवरी, 2018 से व्यापार प्राप्य रियायत प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रूप से शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और देय तिथि से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

मानव संसाधन विकास

इरकॉन स्वीकार करता है कि इसके कर्मचारी इसकी सफलता के प्राथमिक स्तंभ हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन का मानना है कि उसकी सफलता अपने लोगों के संरेखण और कार्य निष्पादन और कार्यस्थल में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने पर निर्भर करती है, और कंपनी एक आरामदायक कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सहयोगी, समावेशी, निष्पादन उन्मुख है और सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इरकॉन का मानव संसाधन (एचआर) दर्शन, कर्मचारी सशक्तिकरण, कार्मिकों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने, उनकी क्षमता का स्वीकार करने, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने और कार्य निष्पादन से जुड़े पुरस्कार देने में निहित है। इसकी कार्य संस्कृति खुली और गतिशील है, जो कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के सक्रिय समर्थन से अपने कार्यों में पहल करने में सक्षम बनाती है।

इरकॉन में, मानव संसाधन प्रबंधन (एचआर), सही लोगों को रोजगार देने, उन्हें संगठन में बनाए रखने और विकसित करने का प्रयास करता है। एचआरएम लगातार सर्वोत्तम संभव कार्य वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करता है जो समावेशी, खुला, विविध पर आधारित है और यहां सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। कंपनी ने संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए, अपनी एचआर नीति को प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ अपनाया और संरेखित किया है। एचआर नीति उन कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करती है, जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और व्यक्तिगत कर्मचारियों की आकांक्षाओं के बीच एक सामन्जस्य बनाने के लिए संगठन की मुख्य क्षमता में योगदान करते हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को कार्य करने का लचीलापन और दूरस्थ कार्य विकल्प दिया है। महामारी से संबंधित गतिशील स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं और सभी संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त सहायता और चिकित्सा सहयोग प्रदान किया गया है।

कंपनी की निष्पादन–उन्मुख संस्कृति है, जिसमें संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को मापा जाता है और उचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। इरकॉन में एक सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) है। यह प्रणाली सभी स्तरों पर योग्यता को पुरस्कृत करने और पहचानने के कंपनी के दर्शन को बढ़ावा देती है, और कंपनी के मूल्यांकन में एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकारियों के विकास को प्रेरित करती है। कंपनी को अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और इसके योगदान पर गर्व है।

जनशक्ति बल

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की कुल जनशक्ति संख्या 1278 थी, (पिछले वर्ष 1298) जिनमें 954 नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर 28 कर्मचारी, अनुबंध पर 293 (सेवा अनुबंध सहित) और निश्चित कार्यकाल के आधार पर 03 शामिल थे। कंपनी के कुल 1278 कर्मचारियों में से 1218 भारतीय परियोजनाओं पर और 60 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर तैनात किए गए हैं। 1278 कर्मचारियों में, 1029 तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। वर्ष के अंत में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 66 थी। पिछले वर्ष की तुलना में कुल श्रमशक्ति कम हो गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा लागतों को इष्टतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, कुल नए नियोजित कार्यरत कर्मचारी 181 थे, जिसमें 31 नियमित कर्मचारी शामिल थे, प्रतिनियुक्ति पर 15 कर्मचारी, और अनुबंध (सेवा अनुबंध सहित) पर 135 कर्मचारी है।

रोजगार में आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति(अ.जा)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व) तथा दिव्यांग जनों की श्रेणियों के उम्मीदवारों को रोजगार में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित विषय में भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन को सर्वाधिक महत्व देती है। दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी में कुल 515 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 31 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, जिनमें से 03 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अलग–अलग श्रेणियों के हैं। इसी प्रकार संविदा पदों पर 111 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिनमें से 52अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व और दिव्यांग वर्ग के हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 252 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 78 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजन वर्ग के हैं। इन कर्मचारी श्रेणियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

कंपनी की अवसंरचना दिव्यांगजन कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सुनिर्मित है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इरकॉन कर्मचारियों के विकास और कैरियर प्रोग्रेशन पर व्यापक बल देता है। वर्षभर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रतिष्ठित तथा विख्यात संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेशेवर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का इरकॉन की व्यावसायिक आवश्यकता की तर्ज पर ध्यानपूर्वक पहचान की गई और ऐसे कार्यक्रमों में उपयुक्त अधिकारियों को नामित किया गया था।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ, बाहरी फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है और कार्मिकों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों आदि में भेजा जाता है। कर्मचारी विकास सदैव कम्पनी की प्राथमिकता रही है और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण और विकास योजनाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 211 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन–हाऊस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और मजबूत योजनाएँ हैं। इनमें छूट सुविधा से युक्त कैंटीन सुविधा, स्वास्थ्य कवर, चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच, भत्ते, आवासीय आवास के लिए स्व–पट्टे, कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, आदि शामिल हैं। व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक सहायता, बेटियों की शादी के लिए सहायता और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में कर्मचारियों की आश्रित बहनें, सुविधा कॉरपोरेट कार्यालय में मुफ्त होम्योपैथी और एलोपैथी परामर्श, और डालमिया और स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायती दरों पर सुविधाओं का सहारा लेना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के रूप में अस्वीकरण (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोश) अधिनियम, 2013

कंपनी का लक्ष्य महिला कर्मचारियों के लिए एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निशेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है (प्रतिनियुक्ति, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध/सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर या तो सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से, कंपनी के ठेकेदार, सह–कार्यकर्ता, एक ठेका श्रमिक, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु आदि) और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।यह नीति विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में गठित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तक फैली हुई है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी के चार अधिकारियों और एनजीओ के एक बाहरी सदस्य के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी की पांच सदस्यीय शिकायत समिति है। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित प्रावधान को भी नियमन, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष से लंबित कंपनी द्वारा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

आपकी कंपनी सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है,जहां वे परिचालन कर रही है और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक स्थायी समाज विकसित करने में योगदान देती है, साथ ही साथ अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है। पिछले कुछ वर्षों में, इरकॉन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रों की पहचान की है और उन कार्यों और उपायों को लागू किया है, जो हमारे समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति), कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई है और यह सीएसआर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों और तंत्र को निर्धारित करती है। हमारी सीएसआर गतिविधियां शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, पर्यावरण स्थिरता, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, खेल, संस्कृति और विरासत, ग्रामीण परिवर्तन, और केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड में योगदान के क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

डीपीई ने सीपीएसई के लिए दिनांक 10 दिसंबर, 2018 और 12 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत सीएसआर व्यय के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए थीम–आधारित दृष्टिकोण को अपनाने हेतु, विक्षायगत कार्यक्रमों के लिए वार्षिक सीएसआर आवंटन का न्यूनतम 60 प्रतिशत खर्च करने और आकांक्षी जिलों को वरीयता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सीएसआर के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, सीपीएसई द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने हेतु 'स्वास्थ्य और पोषण' और सीओवीआईडी संबंधित गतिविधियों को एक सामान्य विषय के रूप में चुना गया था।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शुरू की गई सभी सीएसआर गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी और उन्हें अधिकतम प्रभाव पैदा करने के लिए लक्षित लाभार्थियों की ओर एक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया और इन्हें विश्वसनीय कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 में, रू 10.50 करोड़ के आवंटित बजट की तुलना में, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर रू 10.52 करोड़ खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए अंशदान की गई कुल धनराशि रू 1.14 करोड़ है। सीएसआर बजट की अधिकतम राशि पीएम केयरस निधि में योगदान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई है। कंपनी ने समस्तीपुर रेलवे अस्पताल में एक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला संयंत्र स्थापित किया है और दिल्ली क्षेत्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली भी प्रदान की है।

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वाली सीएसआर नीति, कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के संदर्भ में सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

गुणवत्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा

इरकॉन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को स्वीकार करने वाला प्रथम सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है। वर्ष 1996 से जब टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2015 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणनजारी रखा है। अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को मार्च, 2023 तक अन्य तीन वर्षों के लिए टीयूवी एसयूडी द्वारा पुनः प्रमाणित किया गया है।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन (एसएचई)

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना की और इसे अक्टूबर 2011 में आईएसओः 14001–2004 के लिए प्रमाणित किया गया था। आईएसओ 14001–2015 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन संपरीक्षा जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसके ताहत कंपनी को अन्य तीन वर्ष, अर्थात फरवरी 2023 तक के लिए पुनः प्रमाणित किया गया था। इरकॉन आईएसओः 45001–2018 के लिए प्रमाणीकृत है जिसके वैधता दिसंबर, 2024 तक है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा फरवरी, 2023 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं उन्नयन

इरकॉन पारंपरिक स्रोतों की सीमित प्रकृति और हमारे ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के महत्व के प्रति जागरूक है। कंपनी अपने कार्यालय परिसर और विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग पर लगातार जोर दे रही है, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में इरकॉन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क) इरकॉन ने कॉर्पोरेट कार्यालय में कुल 90 किलोवाट रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है जो हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा के संरक्षण और पर्यावरण में योगदान करने की दिशा में एक कदम है। सौर ऊर्जा संयंत्रद्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा 44,853 केडब्ल्यूएच यूनिट है, जो बीसीईएस से ली जा रही ऊर्जा का 3.1 प्रतिशत अर्थात 14,27,380 यूनिट केडब्ल्यूएच है।

ख) पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो विद्युत ऊर्जा की खपत को और कम करता है। कैपेसिटर बैंकों द्वारा बचाई गई कुल ऊर्जा प्रतिवर्ष 2,20,903 यूनिट अथवा केडब्ल्यूएच है।

ग) ऊर्जा–कुशल एलईडी लैंप द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था भी लगभग 3,00,000 यूनिट या केडब्ल्यूएच प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की जा रही है।

घ) आरएसएस ऊर्जा संरक्षण के लिए एनसीआरटीसी परियोजना के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रिसीविंग सबस्टेशन (आरएसएस) में 10.7 केवीएआर क्षमता के स्वचालित पावर फैक्टर (एपीएफ) सुधार पैनल डिजाइन और स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के लिए आरएसएस कंट्रोल रूम भवन का निर्माण, उच्चतम रेटिंग भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) मानकों के अनुरूप किया गया है।

ङ.) इरकॉन ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी लाइटें भी स्थापित की हैं, जो बोंडामुंडा में लोको शेड, मथुरा – कासगंज–कल्याणपुर आरई परियोजना में स्टाफ क्वार्टर आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को 50 प्रतिशत तक कम करती हैं और इसे यूएसबीआरएल ई एंड एम सुरंग परियोजना में स्थापित करने की भी योजना है।

च) पावर फैक्टर में सुधार के लिए यूएसबीआरएल आरई परियोजना के लिए बारामूला टीएसएस (जम्मू और कश्मीर) में 2400 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक भी स्थापित किए गए हैं। घाटी में विद्युत कर्षण शुरू होने के बाद कैपेसिटर बैंक स्थापित

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

करने पर दैनिक आधार पर 3000 यूनिट से अधिक बिजली का संरक्षण किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए काजीगुंड और बडगाम टीएसएस में कैपेसिटर बैंक स्थापित करने की भी योजना है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमः

कंपनी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग कर रही हैः

क) इरकॉन कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम भवन और इसके परियोजना कार्यालयों में ग्रीन बिल्डिंग निर्माण, जैसी सुविधाएँ भी प्रदान कर रहा है, जिससे पानी, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके। इरकॉन ने विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में सौर पैनल स्थापित किए हैं, और बिजली बचाने के लिए कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर टैप का भी उपयोग किया जा रहा है।

ख) इरकॉन ने 110 केडब्ल्यूपी की क्षमता के साथ संगलदान (जम्मू और कश्मीर) में अपने कार्यालय परिसर के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल भी स्थापित किए हैं।

ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेशः

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

प्रौद्योगिकी आमेलन और उन्नयन

प्रौद्योगिकी के आमेलन के लिए किए गए उपायः

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, कंपनी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सीटीपी–12 (डीएफसी परियोजना) के लिए एक नई ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन खरीदी है, जिसे डीएफसी परियोजना में ट्रैक करने में उत्पादकता, सुरक्षा, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। वर्तमान में, केवल दो कंपनियों के पास यह मशीन है।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा सत्यनिष्ठा में संवर्धन एवं कार्यस्थल में अधिक सहयोग और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय, और अन्य परियोजना कार्यालयों में जनवरी 2020 से शुरू किया गया है।

साथ ही, संगठन के भीतर कागज, प्रिंटर, कार्ट्रिज और अन्य संबद्ध संसाधनों के उपयोग में कमी के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में सेप एस4 हाना को लागू किया गया है।

आपकी कंपनी ने 24 दिसंबर, 2021 को मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (एमएएचएसआर) परियोजना के निर्माण की एक परियोजना प्राप्त की है, जिसे भारत में निर्माण हेतु प्रथम हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है। इस नेटवर्क के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की जापानी प्रणाली को इसकी सुरक्षा, कार्यनिष्पादन और विश्वसनीयता रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। परियोजना प्राप्त करने के बाद, इरकॉन ने वापी और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच कुल 237 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए शिंकानसेन तकनीक पर आधारित हाई–स्पीड ट्रैक निर्माण के विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। यह शिंकोन ट्रैक 350 किमी प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति से बुलेट ट्रेन चलाने में सक्षम होगा। शिंकासेन तकनीक भारत में रेलवे के मेट्रो नेटवर्क में बनाए जा रहे पारंपरिक गिट्टी–रहित ट्रैक के बजाय आरसीसी ट्रैक बेड, जे–ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर ग्राउट, विशेष फिटिंग और जेआईएस रेल का उपयोग करेगी।

उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प के उपयोग से प्राप्त लाभ लाभ

एनटीसी मशीन के उपयोग 260 मीटर लंबे रेल पैनल को यूनिफार्म स्लीपर के साथ और न्यूनतम मैनुअल इंटरफेस के साथ रखा जा सकता है। यह प्रति दिन 1.5 किमी ट्रैक बिछाने की बेहतर गुणवत्ता और ट्रैक बिछाने की तीव्र प्रगति सुनिश्चित करता है।

यदि प्रौद्योगिकी आयात की गई है (पिछले तीन वर्षों में किए आयात का वर्ष के प्रारंभ से विवरण दें)

क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

मशीन द्वारा 260 मीटर लंबाई में लंबे रेल पैनल बिछाने की तकनीक का उपयोग भारतीय रेल के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम, द्वारा किया जा रहा है। इरकॉन ने भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ठेकेदार होने के कारण इस नई ट्रक मशीन (एनटीसी) की खरीद मैसर्स हरस्को, यूएसए से इसके सुपरवीजन के साथ की है, जिससे लंबे समय में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कुशल बनाने के लिए परियोजना में तैनात हमारी भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया जा सके।

ख. आयात का वर्ष 2019

ग. क्या तकनीक का पूरी तरह से अवशोषित किया गया है।

वर्तमान में डीएफसीसीआईएल सीटीपी–12 परियोजना में कुल 372 टीकेएम में से 213 टीकेएम ट्रैक लिंकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

घ. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण,वर्तमान में कंपनी के डीएफसीसीआईएल सीटीपी–12 में एनटीसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार अन्य परियोजनाओं में किया जा सकता है।

अनुसंधान और विकास

कंपनी किसी भी शुद्ध अनुसंधान परियोजना का केवल कार्य ही नहीं करती है, अपितु तकनीकी क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के साथ, लागत प्रभावी तरीके से परियोजनाओं

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

को निष्पादित करने के लिए नए तरीके विकसित करने के लिए सलाहकारों और फर्मों की मदद भी लेती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और ईआरपी

कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इरकॉन और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा रियायती के रूप में निष्पादित और संचालित प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं परडेटा नेटवर्क, कंपनी–व्यापी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन कार्यान्वयन, आईटी हार्डवेयर उपकरण खरीद, राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (एचटीएमएस), टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) और पेय–इन–मोशन से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है। आईटी न केवल सेवा प्रदाता है बल्कि इरकॉन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

एसएपी ईसीसी को इरकॉन द्वारा वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन के संचालन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह कंपनी की व्यापक सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता की ओर अग्रसर है और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम है। सेप व्यवसाय उद्देश्य (एसएपी बीओ), सेप का एक विश्लेषणात्मक उत्पाद है, जो ऑन–डिमांड वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए सेप कार्यान्वयन में जोड़ा गया था। यह रिपोर्टिंग टूल, एसएपी ईसीसी से रीयल–टाइम डेटा प्राप्त करता है और कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करता है। इरकॉन एसएपी ईसीसी प्रणाली के स्थान पर एस4–हाना प्रणाली के साथ नवीनतम उन्नयन अपनाने की प्रक्रिया में है। कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, एसएपी के वित्त और एचसीएम मॉड्यूल, पूरे संगठन के लिए रोल आउट प्रक्रिया के तहत हैं और पांच चिन्हित पायलट स्थानों को सितंबर, 2021 से लाइव कर दिया गया है। कार्यान्वयन के बाद, पूरी तरह कार्यात्मक एसएपी एस4–हाना की एंड–टू–एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कवर किया जाएगा। एस4–हाना ईआरपी सॉफ्टवेयर को सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर को रेलटेल क्लाउड पर एमईआईटीवाई पैनल में शामिल डाटासेंटर पर होस्ट किया गया है, ताकि उच्च उपलब्धता वाले वातावरण में सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जहां नियमित सेवाओं में व्यवधान के बिना क्षमता वृद्धि की संभावना हो।

सभी घरेलू और विदेशी परियोजनाओं के लिए इरकॉन में ई–ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। यह फाइलों, नोट शीटों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के अनुमोदन और संचलन के लिए भारत सरकार की ओर से कागज रहित कार्यालय पहल की दिशा में एक कदम है। यह दोषरहित और न हटाए जा सकने वाली डेटा सुविधा, और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण सुविधाओं के साथ भौतिक फाइल प्रणाली का पूर्ण प्रतिस्थापन है।

एस4–हाना के साथ–साथ ई–ऑफिस का कार्यान्वयन एक–दूसरे के संयोजन में किया जा रहा है, और यह इरकॉन को पूरे संगठन में लगभग कागज रहित वातावरण के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।

वेबसाइट https://mail.ircon.org पर होस्ट की गई आधिकारिक ईमेल आईडी से सिस्को वीसी और गूगल मीट पर समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से परियोजना कार्यालयों, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार और अनुबंध प्रबंधन मुद्दों आदि के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान, गूगल मीट समाधानों का सभी कर्मचारियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और यह परियोजना समीक्षा बैठकों और निदेशक मंडल की बैठकों, इसकी समिति की बैठकों और कंपनी की आम बैठक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक था।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि यह कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास और पालन करे ताकि न केवल लंबी अवधि के शेयरधारक मूल्य को बढ़ाया दिया जा सके बल्कि अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान किया जा सके। कंपनी के संचालन, कार्यनिष्पादन, नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी का प्रकटन करना कंपनी की अंतर्निहित जिम्मेदारी है।

मई 2010 में जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट शासन पर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम–34 के अनुसार, कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट के साथ–साथ उक्त सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का भाग हैं।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में नौ निदेशक थे, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना), दो सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक हैं। निदेशक (कार्य) का पद 04 सितंबर, 2021 से रिक्त है और रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस पद का अतिरिक्त प्रभार सीएमडी के पास है।

कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए रेल मंत्रालय से आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में रेल मंत्रालय द्वारा चार स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) को नियुक्त किया गया था। अब, स्वतंत्र निदेशक दो पद रिक्ति थीं, हालांकि, निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का रिक्त पद एक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित किया था। कंपनी के सबसे वरिष्ठ वित्त अधिकारी को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी के रूप में नामित किया गया है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 तक निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक (कार्यात्मक) निदेशक थे अर्थात श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएनः 07654014), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ निदेशक (कार्य) के पद के अतिरिक्त प्रभार के साथ, श्री मोहित सिन्हा (डीआईएनः 00843548), निदेशक (वित्त), श्री श्याम लाल गुप्ता (डीआईएनः 07599920), निदेशक (परियोजना), अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक अर्थात श्री राजेश अरगल (डीआईएनः 09171990) और श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500) और स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री अजय कुमार चौहान (डीआईएनः 09394953), श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएनः 09398271), श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएनः 07787711) (महिला स्वतंत्र निदेशक) और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएनः 09453387)।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, अन्य केएमपी में श्री सुरजीत दत्ता, कार्यपालक निदेशक (वित्त) और सीएफओ, 31 मार्च, 2022 तक, और सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव थे।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान और पश्चात निदेशकों और केएमपी की नियुक्ति और कार्यमुक्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद में परिवर्तनः

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण श्री एस.के. चौधरी (डीआईएनः 00515672), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और सीईओ दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से कार्यमुक्त हो गए हैं। श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 06607392) को 01 मई, 2021 से सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और उन्हें 11 जून, 2021 से सीईओ के रूप में भी नियुक्त किया गया था। श्री योगेश कुमार मिश्रा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा चयन पर 04 सितंबर, 2021 को कंपनी के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री योगेश कुमार मिश्रा की सीएमडी के रूप में नियुक्ति पर श्री एम.के. सिंह ने 04 सितंबर, 2021 को सीएमडी और सीईओ के पद के अतिरिक्त प्रभार को त्याग दिया है।

निदेशक (वित्त) के पद में परिवर्तनः

श्री एम.के. सिंह सेवानिवृत्ति के कारण 30 सितंबर, 2021 को निदेशक (वित्त) से कार्यमुक्त हुए हैं। श्री मोहित सिन्हा, अपर सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड को निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार 03 दिसंबर, 2021 को सौंपा गया। वित्त वर्ष 2021–22 की समाप्ति के बाद, श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएनः 09575213) को पीईएसबी द्वारा चयन किए जाने पर 19 अप्रैल, 2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में, अतिरिक्त निदेशक, नियुक्त किया गया है और श्री मोहित सिन्हा ने कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद के अतिरिक्त प्रभार को 19 अप्रैल, 2022 से त्याग दिया है।

अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक/सरकार नामित निदेशक के पद में परिवर्तनः

इसके अलावा, श्री राजेश अरगल, अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड को 13 मई, 2021 से कंपनी के अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री राजेश अरगल और श्री धनन्जय सिंह (डीआईएनः 08955500), अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशकों को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की अंतिम वार्षिक आम बैठक में नियमित किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तिः

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, श्री अजय कुमार चौहान ने 11 नवंबर, 2021 से, श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता ने 16 नवंबर, 2021 से, श्रीमती रंजना उपाध्याय (स्वतंत्र महिला निदेशक) ने 16 नवंबर, 2021, और डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्र ने 31 दिसंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक), अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक), के रूप में नियुक्त किया गया है।

केएमपी में परिवर्तनः

श्री मुकेश कुमार सिंह की सीईओ के रूप में नियुक्ति के परिणाम स्वरूप, श्री सुरजीत दत्ता, पूर्व कार्यपालक निदेशक (वित्त) को 11 जून, 2021 को कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री सुरजीत दत्ता सेवानिवृत्ति के कारण 31 मार्च, 2022 को कंपनी के सीएफओ और केएमपी से कार्यमुक्त हो गए हैं। वर्ष की समाप्ति के बाद, श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा, कार्यपालक निदेशक (वित्त), को 26 अप्रैल 2022 कोसीएफओ और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशकों द्वारा पद की नियुक्ति/कार्यमुक्ति का पूरा विवरण और अन्य संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट का भाग को रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीकरण विनियम के विनियम 16(1)(ख) और 25(8) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। निदेशक मंडल ने घोषणाओं को नोट कर लिया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मानेसर, हरियाणा (आईआईसीए) में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक के निर्माण और अनुरक्षणके संबंध में अक्टूबर 2019 में अधिसूचना जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के तहत, आईआईसीए, स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन आयोजित करता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने नाम आईआईसीए के डेटा बैंक में पंजीकृत करवाए हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

डाक मतपत्र के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक को कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किया जाना होता है। इसके अलावा, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए। निदेशक (वित्त) के रूप में श्रीमती रागिनी आडवाणी की नियुक्ति के लिए, उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अर्थात 18 जुलाई, 2022 तक शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, बोर्ड के अनुमोदन से, पोस्टल बैलेट नोटिस, जिसमें चार स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री अजय कुमार चौहान, श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, श्रीमती रंजना उपाध्याय और डॉ कार्तिक चंदूलाल भट्ट और की नियुक्ति के नियमितीकरण के लिए विशेष संकल्प हेतु और निदेशक (वित्त) के रूप में श्रीमती रागिनी आडवाणी को नियुक्त किए जानपे हेतु साधारण प्रस्ताव को कंपनी के बोर्ड अनुमोदन हेतु कंपनी के सदस्यों को 29 जून, 2022 को भेजा गया है।

रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसके दृष्टिगत, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों के अतिरिक्त) को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु पात्र माना जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना), कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक निदेशक का विवरण कंपनी की आगामी एजीएम के नोटिस में निहित है।

बोर्ड और समिति की बैठक

बोर्ड बैठक:

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की 9 बार बैठक हुई अर्थात 05 अप्रैल, 2021, 11 जून, 2021, 30 जून, 2021, 12 अगस्त 2021, अगस्त, 24, 2021, 12 नवंबर, 2021, 17 दिसंबर, 2021, जनवरी 05, 2022 और 14 फरवरी, 2022। रेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण 24 अगस्त, 2021 तक हुई बैठकों को छोड़कर सभी बैठकों के लिए लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में आवश्यक कोरम मौजूद था। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं। बोर्ड की परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की एक बैठक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी, जो देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास की क्षमता वाले गंतव्यों पर सीपीएसई की बोर्ड बैठक/नीतिगत बैठकें आयोजित करने के लिए डीपीई के निर्देश के अनुपालन में आयोजित की गई थी।

समिति की बैठकें:

आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता समिति
6. परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की दस बार बैठक हुई, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पांच बार बैठक हुई, हितधारक संबंध समिति की एक बैठक हुई, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की दो बार बैठक हुई, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता समिति की तीन बार बैठक हुई और परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की दो बार बैठक हुई।

वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में समितियों के गठन का विवरण, समितियों के संदर्भ की शर्तें और समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति प्रदान की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25(3), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और दिनांक 20 मार्च 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन में, दिनांक 14 मार्च, 2022(जो 15 मार्च, 2022 को जारी रही) को बोर्ड के अन्य सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की गई।

नए निदेशकों का चयन और बोर्ड सदस्यता मानदंड

इरकॉन के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मूल्यांकन

इरकॉन रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशकों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और सभी निदेशकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। क्रियात्मक निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है और लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा क्रियात्मक निदेशकों सहित सीएमडी के मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित है। क्रियात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु मूल्यांकन फ्रेमवर्क के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क. रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी का कार्यनिष्पादन।

ख. संबंधित निदेशक के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कार्यनिष्पादन।

ग. संबंधित क्रियात्मक निदेशकों द्वारा स्व:मूल्यांकन सहित मूल्यांकन और तत्पश्चात सीएमडी द्वारा आकलन, और इसके पश्चात रेलवे बोर्ड (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा अंतिम मूल्यांकन।

घ. सीएमडी के संबंध में मूल्यांकन में स्व:मूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकारी नामिति निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु पारिश्रमिक नीति:

इरकॉन के सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके क्रियात्मक निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और अन्य सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–178(4) की शर्तों में अपेक्षित अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की मुख्य विशेषताएं कंपनी की वेबसाईट पर वेब एड्रेस **www.ircon.org** (एचआरएम एवं कोरियर खंड) पर प्रस्तुत है। कंपनी की पारिश्रमिक नीति और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की प्रकिया और नीति की समीक्षा की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा इसकी स्वीकृति से पूर्व नामांकन और परिश्रमिक समिति द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि यह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

तदनुसार, चूंकि इरकॉन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन निगमित शासन रिपोर्ट में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से चल रहे थे। नियंत्रणों को उचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और वित्तीय एवं परिचालन सूचनाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने सहित अपने व्यवसाय का क्रमबद्ध संचालन सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित) की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग के निवारण हेतु आंतरिक आचार संहिता

आपकी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए उचित प्रकटीकरण के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है, ताकि नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, मॉनीटर और रिपोर्ट किया जा सके, तथा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं हेतु संहिता निर्धारित की जा सके। इस आचार संहिता का उद्देश्य है कि कंपनी के भीतर का कोई व्यक्ति, यूपीएसआई की पहुंच और अधिकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का निर्माण करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर निवेश खंड में में कोड और नीतियों के तहत अपलोड की गई है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति की व्यवस्था शामिल है।

सूचीकरण विनियमों के अनुसार, कंपनी की एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को अध्यक्ष के रूप में निदेशक (परियोजना), और श्री राजेष अर्गल, अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक और श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक सदस्यों के रूप में शामिल थे। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित और अद्यतन किया गया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया जाता है और जोखिम प्रबंधन समिति की रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी जाती है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

व्हीसल ब्लोअर (सचेतक) नीति / सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता क्रियाकलाप

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के पास अलग–अलग सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य दल के कर्मचारियों / प्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले देखते है। सचेतक एवं जालसाजियों से रोकथाम एवं निवारण नीतियां निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी के पास कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र है, जो अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन, अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी के दुरूपयोग करने के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए हैं। यदि कोई इस नीति के तहत कोई सूचना देता है तो शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिशोध या प्रतिशोध (भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहित) के किसी भी रूप में पीड़ित होने का जोखिम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों में सतर्कता विभाग शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में है।

विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जाँच, कार्यों के निष्पादन, और अन्य कार्यों के साथ–साथ शिकायतों की जाँच करने के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों / प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, उच्च–मूल्य वाली परियोजनाओं में से 01 औचक निरीक्षण और 04 आवधिक निरीक्षण किए गए। आवधिक निरीक्षण के अतिरिक्त विभाग ने कॉर्पोरेट कार्यालय से मंगाई गई उच्च–मूल्य निविदाओं पर 08 निवारक निरीक्षण किए गए हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) (केंद्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा) ने भी 01 परियोजना की व्यापक जांच की है। विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे सीवीसी / रेलवे बोर्ड सतर्कता, सीबीआई और प्रधान मंत्री कार्यालय) द्वारा अधिकारियों और प्रक्रियाओं के खिलाफ की गई शिकायतों और अन्य स्रोतों से प्राप्त उनकी तार्किक निष्कर्ष पर जांच की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 01 शिकायत प्राप्त हुई और पिछले वित्तीय वर्ष की 06 लंबित शिकायतों के साथ, कुल 07 शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतें निविदा के दौरान अनियमितताओं, अनुबंध के निष्पादन, अनाम और छद्म नाम और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से संबंधित थीं। साथ ही (सीटीईओ) द्वारा उठाए गए पैरा को बंद करने के लिए भी कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति रिटर्नों की संवीक्षा, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, डिबेट और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से नियमों / प्रक्रियाओं / निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का प्रचार इस विभाग की प्रमुख गतिविधियां हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए 'प्रौद्योगिकी का उत्थान' की दिशा में एक कदम के रूप में, अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना 2012–13 के दौरान शुरू किया गया था, और यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है। सतर्कता विलयरेंस, सतर्कता शिकायतों को निपटने का कार्य वर्षों से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। सभी मूल्यों के कार्यों के लिए पारदर्शिता के लिए व्यापक रूप से ई–प्रापण को 1 जुलाई, 2013 से संगठन में शुरू कर दिया गया है।

"इरकॉन कैरियर" एप्लिकेशन सार्वजनिक डोमेन में सुनिश्चित करती है कि बड़े पैमाने पर जनता इरकॉन में भर्ती गतिविधियों के बारे में मोबाइल फोन पर अलर्ट और अपडेट प्राप्त कर सकती है।

इरकॉन ने 24 जून, 2014 से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं / अनुबंधों के लिए 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की भारतीय परियोजनाओं पर अनुमानित मूल्य के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। सत्यनिष्ठा संधि को सभी कार्यों के लिए मॉडल ई–प्रापण दस्तावेजों की शर्तों में एक अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, इरकॉन ने सत्यनिष्ठा संधि लागू किया है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा विकसित एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्टाचार–मुक्त तरीके से नियंत्रित किया जाए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के सत्यनिष्ठा करार और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, डॉ. टी.एम. नसीन को 27 नवंबर, 2020 को बोलीदाता से शिकायतें प्राप्त करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है।

अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, नियमुक्त और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतर्कता का प्रयास किया जाता है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति का पूर्व सर्वव्यापी अनुमोदन वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है, जो एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपए मूल्य तक के अनुमानित और पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं। प्रदान किए गए सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसरण में किए गए लेन–देन, यदि कोई हों, को त्रैमासिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।कंपनी अधिनियम और सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता के अनुपालन में बहुप्रयोजन अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन की स्वीकृति भी लेखापरीक्षा समिति / बोर्ड से प्राप्त की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में, "कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण कतिपय आर्म लेंथ लेन–देन" का प्रकटन, फॉर्म एओसी–2 में किया

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके अलावा, सूचीकरण विनियमों के विनियमन 53 (एफ) के अनुसार दर्ज किए गए लेनदेन सहित सभी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का भाग है।

कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन नीति को वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर 'निवेशक' खंड के तहत कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्क संगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तथावित्त वर्ष 2021–22 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. वित्तीय लेखे–सुनाम–प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

v. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्वीकार किया गया था और ये कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तथा

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रही थीं।

व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के परिपत्र संख्या संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सेबी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015 के विनियम 34 के प्रावधानों के अनुपालन में "व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट" प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहल का वर्णन किया गया है।

इसके अलावा, दिनांक 05 मई, 2021 के संशोधन राजपत्र अधिसूचना सं.सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2021/22 के तहत जारी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(2)(एफ) में संशोधन ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) द्वारा अपेक्षित ईएसजी मापदंडों पर एक नई रिपोर्टिंग आवश्यकता प्रस्तुत की है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के लिए शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्वैच्छिक है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग / पुरस्कार

लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के संदर्भ में रेल मंत्रालय और इरकॉन के बीच समझौता ज्ञान किया जाता है, जिसके अंतर्गत चयनित मापदंडों पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले तय किए गए लक्ष्य और परिणाम को मापने के लिए वर्ष के अंत के बाद मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के समझौता ज्ञापन मापदंडों और निष्पादन के आधार पर, कंपनी को उत्कृष्ट रेटिंग वर्ग प्रदान किया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन के अधीन है।

कंपनी को वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

क्र. सं	अवार्ड प्राप्ति की तिथि	अवार्ड का नाम	वर्ग / परियोजना
1.	29.07.2021	गवर्नेंस नाव 8वां पीएसयू पुरस्कार	दो श्रेणियों में अर्थात – सीएसआर प्रतिबद्धता – सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार
2.	27.08.2021	पीएसयू में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार	तीन श्रेणियों में अर्थात – सृजनात्मक सोशियल मीडिया आउटरीच – जियो सर्थ महुंच में वृद्धि – उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार
3.	07.03.2022	ग्रीनटेक फाउंडेशन सुरक्षा पुरस्कार	निर्माण सुरक्षा हेतु

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने विदेशी परियोजनाओं को छोड़कर कंपनी के एकल सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण सं. 002871एन) को नियुक्त किया, जिसके लिए सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित को वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है:

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
मैसर्स एइट मिमोन रफिक	अल्जीरिया परियोजना
मैसर्स एडिरिसिंघे एंड कंपनी	श्रीलंका परियोजना
मैसर्स यूएचवाई सैफुल शमसुल आलम एंड कंपनी	बांग्लादेश परियोजना

लागत लेखापरीक्षक

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. एस 2015 यूपी 440500) की

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवाएं वित्तीय 2021–22 के लिए कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड का लेखापरीक्षण लागू नियमों /दिशानिर्देश नोटों इत्यादि के अनुसार करने के लिए प्राप्त की गई हैं।

सांविधीय लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25ए के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (फर्म पंजीकरण सं. एस2015यूपी440500) की सेवाएं कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 का सांविधीय लेखापरीक्षण करने के लिए सांविधीय लेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त की गई हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की सेवाएं निम्नलिखित से प्राप्त की गई हैं और विदेशी परियोजनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से की गई है:–

भारतीय परियोजनाओं का आंतरिक लेखापरीक्षण	
मैसर्स रवि रंजन एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार	कार्पोरेट कार्यालय
मैसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	उत्तरी क्षेत्र
मैसर्स कोहारी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	पूर्वी क्षेत्र
मैसर्स दिनेश के यादव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	पटना क्षेत्र
मैसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	मुम्बई क्षेत्र
मैसर्स डैम संदीप एंड कं., सनदी लेखाकार	जम्मू व कश्मीर क्षेत्र

ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

इरकॉन द्वारा अवसंरचना निर्माण के कार्य किए जाते हैं तथा इसे कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची (ट) के साथ पठनीय धारा 186(11)(क) के संबंध में धारा 186 [धारा 186 की उप–धारा (1) के अलावा] के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए निवेश, दिए गए ऋण एवं दी गई गारंटियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट का भाग है।

जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

वार्षिक विवरणों से उद्धृत अन्य प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ पठनीय धारा 134(3)(क) के अनुसरण में कम्पनी की वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति निवेशक खंड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत निर्मित्त नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। (आईईपीएफ) प्राधिकरण से संव्यवहार तथा उससे संबंधित अनुपालन के लिए कम्पनी सचिव नोडल अधिकारी हैं।

आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है, और 31 मार्च 2022 को अदावित लाभांश का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसे कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, डीमैट सस्पेंस अकाउंट / दावा न किए गए सस्पेंस अकाउंट /दावा न किए गए लाभांश का विवरण लागू नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण कर दिया गया है।

सांविधीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया गया है।

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा टिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न तथा कम्पनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित हो सकती है

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के भविष्य की गोइंग कंसर्न स्थिति और इसके परिचालनों को प्रभावित करने वाले कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ–साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाई का विवरण।

आपकी कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई कार्यवाई शुरू/लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

व्यवसाय की पद्धति में बदलाव

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ।

लाभांश वितरण नीति

सूचीकरण विनियमों के विनियम 43ए के उपबंधों और "केन्द्रीय लोक उद्यमों की पूंजी पुन–संरचना" के संबंध में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति का निर्माण एवं अंगीकरण किया गया है। उक्त नीति इस रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

में संलग्न है और कंपनी की वेबलिंक https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

सांविधीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट और उसपर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत फार्म एमआर–3 में अपेक्षित सांविधीय लेखापरीक्षक की "सांविधीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" प्रस्तुत की गई है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सांविधीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता पर प्रबंधन का उत्तर और निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को प्रस्तुत किया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण दोनों) वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग–अलग संलग्न हैं। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स एचडीएयजी एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अर्हता, और प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

आभार अभिव्यक्ति

कंपनी के निदेशक रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग (एमओआरटीएच), विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के मंत्रालयों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सांविधिक, शाखा, सांविधीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, भारतीय दूतावासों और विदेश मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों और दूतावासों, एक्जिम बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम के कार्यालय आप्रवास संरक्षक पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेश, दोनों, में हमारे सम्मानित ग्राहक सक्रिय समर्थन के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव नहीं था, के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण, और कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता में सुधार के उद्देश्य से सभी स्तरों पर अपनाई गई सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–

(योगेश कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएनः 07654014)

दिनांक : अगस्त 23, 2022

स्थल : नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट–क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)
रेलवे		
1.	उत्तरी रेलवे के लिए कटरा–काजीगुंड खंड (इरकॉन भाग), उधमपुर श्रीनगर बारामुला रेल सम्पर्क परियोजना	13,359
2.	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक–रंगपो नई रेल लाइन परियोजना	8,215
3.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के लिए मुम्बई अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना, पैकेज एमएएचएआर–टी–2	5143
4.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच ईस्ट–वेस्ट गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी–पश्चिम गलियारे के कॉरिडार–।।। का निर्माण कार्य।	3,198
5.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ़ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर–1 तथा स्पर लाइन का निर्माण	1,958
	सीईआरएल (सीईआरएल–।।) के लिए धरमजयगढ़ से कोबरा (उरगा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण।	1,138
6.	डेडिकेटिड फ्रांटियर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए समर्पित मालगाड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी–12 के वैतर्ना–सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य।	2,603
7.	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी–सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना।	1,763
8.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के लिए मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज संख्या एमएएचएसआर सी–7) के निर्माण परियोजना के लिए गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 489.467 और एमएएचएसआर कि.मी. 507.59 के बीच अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, पुल और पुल, क्रॉसिंग ब्रिज (स्टील ट्रस गर्डर्स के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबद्ध कार्यों को शामिल करते हुए डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे हेतु अभिकल्प, निर्माण एकमुश्त मूल्य आधार पर परीक्षण और कमीशनिंग सहित सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन और निर्माण कार्य।	1,714
9.	बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएलपी) द्वारा रेल सम्पर्कता परियोजनाओं का निष्पादन	1,466
10.	एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण–।।– पैकेज–XVII) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,436
11	आरडीयूएम–टीएएल–आरजेओ (रामपुर डुमरा–ताल–राजेंद्रपुल गंगा ब्रिज सहित दोहरीकरण) पूर्व मध्य रेलवे के लिए दोहरीकरण परियोजनाएं	1,336
12	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर/बाई पास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।	1,248
13	पूर्व मध्य रेलवे के लिए किऊल–गया दोहरीकरण परियोजनाएं	1,200
14	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल कोयला सम्पर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	1,139
15	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	1,075

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क्र. सं.	श्रेणी	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड में)
16	मध्य पूर्व रेलवे के लिए हाजीपुर – बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजनाएं	930
17	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए अकोरा– अगरतला रेल सम्पर्क परियोजना(भारतीय भाग का निर्माण)।	743
सड़क		
1	एनएचएआई के लिए एनएचडीपी चरण–VI हाइब्राइड एन्युिटी मोड (चरण– I ए–पैकेज– I ।) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सनपा से पाद्रा खंड तथा) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,378
2	एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण– I । पैकेज–XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसद से अकोली सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर) तक आठ लेन एक्सेस–नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,124
3	एनएचएआई के लिएहाइब्रिड वार्षिकी मोड परपंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ के स्पर सहित, मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के पास एनएच–205 के साथ जंक्शन तक, ग्रीनफील्ड लुधियाना–रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच–205के, का चार/छह लेन निर्माण कार्य, जिसमें पैकेज –3 (डिजाइन अध्याय 66. 440 से डिजाइन सीएच. 90.500 और स्पर से खार डिजाइन सीएच 0.000 से डिजाइन सीच 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी),	1,107
4	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर हरियाणा राज्य में रा.रा–352 डब्ल्यू के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड को फीडर रूट के रूप में अपग्रेड करने का कार्य	900
5	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर उत्तराखंड राज्य में किमी. 0+000 (एनएच–58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच 74 का किमी 5+100)हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 का उन्नयन एवं चार लेन निर्माण कार्य	861
अन्य		
1	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण– I । (सरकारी निर्माता योजना) के तहत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (खंड– I । I)	1,960
2	एनसीआरटीसी के लिए एनसीआरटीसी (लॉट–पी19 एल1 और लॉट–पी19 एल2) के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए दुहाई (ईपीई) से मोदीपुरम खोदीपुरम डिपो सहित,दो परियोजनाओं अर्थात रिसीविंग सब स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग 25 केवी एसी ट्रैक्शन सह 33 केवी सहायक मुख्य उप स्टेशनों सहित,, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज	318
	केबलिंग, 25 केवी ओवरहेड उपकरण (एफओसीएस/ आरओसीएस), सहायक बिजली आपूर्ति एनसीआरटीसी तथा सहायक सब स्टेशन,, और याया डक्ट और सुरंग के संबद्ध कार्य।	405
3	उत्तर सीमांत रेलवे के लिए बदरपुर–जिरीबाम, कटखल–भैरबी और बड़ापुर–करीमगंग–सबरूम सहित करीमगंग–मैशासन, अगरतला–अकौरा और बरईग्राम–धुलाबाघेरा के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य।	659

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट–ख

क. सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाणपत्रप्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीयरेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभीकामों का निष्पादन करना है तथा हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टेपर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं य अनुरक्षण य सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने 04 नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं।(प) ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ. ई.मोसेस रोड और वेशवराव खड़े मार्ग पर दो आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श कार्य, (पप) उत्तर पूर्व रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), (पपप) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में इम्फाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इनेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलीवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करते हुए, जमीन पर संरेखण का स्टेकिंग, भूवैज्ञानिक और भूमौतिकीय मानचित्रण आदि, (पअ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में सूचीबद्ध करना।

वर्ष 2021–22 के दौरान, उपर्युक्त नई परियोजनाओं के साथ–साथ निम्नलिखित मौजूदा परियोजाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है:

i. दुधोला, पलवल हरियाणा में हरियाणा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसवी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड़, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अत्याधुनिक भवन के लिए पीएमसी।

iii. भारतीय भू–पोत (एलपीएआई) प्राधिकरण चार (4) भू–पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरेक आवास (1. अटारी–पंजाब, 2. जोगबनी–बिहार, 3.पेट्रापोले–वेस्ट बंगाल, 4.दवकी–मेघालय) के निर्माण हेतु पीएमसी।

iv. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के लिए (क) कडाकोला, मैसूरु डिला, कर्नाटक (ख) पारादीप (ओडीशा), (ग) नागपुर, कानपुर (उ.प्र.) तथा (घ) दहेज (गुजरात) में मल्टीमॉडल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

v. दो स्थलों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, एक साबरकंटा (गुजरात) तथा दूसरा अगर मालवा (मध्य प्रदेश) हेतु पीएमसी।

vi. राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम, उच्चाहार, उ.प्र में स्टेज –1 के एनजीआर प्रणाली (2ग210 मे.वा) के पीआरसी स्लीपर्स को सीएसटी–9 स्लीपर्स से प्रतिस्थापन करने के लिए पीएमसी।

vii. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में अवसंरचना के निर्माण के लिए पीएमसी।

viii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण हेतु सलाहकार के रूप में नियुक्ति और इस कार्य को कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया है।

ix. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए नवनिर्मित बीजी खंड खरसिया–कोरिछापर के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एसऔटी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण कार्य।

x. अहमदाबाद (आर एंड बी) डिवीजन के लिए गुजरात राज्य में अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन पर एलसी नंबर 114बी के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श।

xi. महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के तहत महाराष्ट्र में एलसी फाटकों के बदले विभिन्न स्थानों पर सड़क ऊपरिपुलों (आरओबी) के निर्माण के लिए बेयरिंग के निर्माण और स्थापना सहित रेलवे हिस्से के भीतर एसेंबली के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी की नियुक्ति और स्टील सुपरस्ट्रक्चर का शुभारंभ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण का चरण–। पूरा हो गया है और वलाइंट अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) को सौंप दिया गया है। भवन का उद्घाटन 14 अक्टूबर, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया था। इसके अलावा, अटारी में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास को काफी हद तक पूरा

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कर लिया गया है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्रीद्वारा दिनांक 17 मार्च 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है।

इरकॉन आईएसएल ने भारत में 23 चिन्हित रेलवे स्टेशनों पर सभी 24 एमएफसी को सफलतापूर्वक विकसित और तीसरे पक्ष को उप–पट्टे पर देने का कार्य किया है।

2. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 30 सितंबर 2014 को स्पेशल परपज वीकल के रूप में हुआ है और इसने दिनांक 14 नवंबर 2014 को व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग–15 पर मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड में 4.200 किमी से 55. 250 किमी को चार लेन का बनाना तथा 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन करने के लिए उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य निष्पादित करना है। इरकॉनपीबीटीएल ने 7 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि निर्धारित तिथि से 26 वर्ष है, जिसकी कुल परियोजना लागत रू 844.08 करोड़ है। राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा तथा जोधपुर जिले के खीरया में स्थित सभी तीन टोल प्लाजा पर टोलिंग प्रचालनों को शुरू करने के लिए एनएचएआई द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को 156.650 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के पूरा होने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

इरकॉन पीबीटीएलएप ने दिनांक 09 जून 2021 से टोल एकत्रण और राजमार्ग अनुरक्षण कार्य मैसर्स कोरल एसोसिएट्स को ऑवशन कर दिया है।

3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

इरकॉन एसजीटीएल दिनांक 12 मई 2015 को विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने दिनांक 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में एनएचपीडी के चरण–iv के अंतर्गत अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टोल) पैटर्न पर किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग–3 के शिवपुरी–गुना खंड को चार लेन का बनाना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्यों को पूरा करना है।

इरकॉन एसजीटीएल ने 15 जून 2015 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नियुक्ति तिथि से परियोजना की रियायत अवधि 20 वर्ष है और शिवपुरी गुना परियोजना को निष्पादित करने की कुल परियोजना लागत 872.11 करोड़ रूपए है। यह परियोजना दो चरणों यथा चरण–I तथा चरण–II पर निष्पादित की जा रही है।

एनएचएआई द्वारा चरण–I से संबंधित 87.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2018 को जारी किया गया था। इस प्रकार, टोल प्लाजा का संचालन और राजस्व संग्रहणदिनांक 7 जून, 2018 से शुरू किया गया है। 12.4 किलोमीटर सड़क की लंबाई के लिए परियोजना के चरण–II का निर्माण प्रगति पर है और इसके लिए सीओडी जुलाई, 2022 के अंत तक अपेक्षित है, जिससे टोल संग्रह में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉनएसजीटीएल ने होल्डिंग कंपनी, इरकॉन से प्राप्त मौजूदा सावधि ऋण के पुनर्वित्त के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से रू 501 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

4. इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

"इरकॉन देवानगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)" नामक इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमित दिनांक 11 मई 2017 को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) के देवानगेरे–हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) को छह लेन का बनाने और रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचडीपी, चरण–टवे अंतर्गत इसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करने के लिए किया गया था।

इरकॉनडीएचएचएल ने 19 जून, 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में,निर्धारित तिथि अर्थात 24 जनवरी, 2018 (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) से 912 दिनों (30 महीने) की निर्माण अवधि और सीओडी से शुरू होने वाले 15 वर्षों की परिचालन अवधि शामिल है, जिसकी कुल परियोजना बोली लागत,संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत को छोड़कर रू 1177 करोड़ जमा मूल्य वृद्धि है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनएचएआई द्वारा 28 मई, 2021 को 72 किलोमीटर की उपलब्ध निर्बाध परियोजना लंबाई के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था और कार्य के शेष दायरे को पूरा करने के लिए एनएचएआई अवरोधों को दूर करने का प्रयास कर रहा है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

इरकॉनडीएचएएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है।

5. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेएल)

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 16 मई, 2018 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण– ए–पैकेज–।।) पर एनएचडीपी चरण–टप् के तहत गुजरात राज्य में (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के संपा से पादरा खंड तक) किमी 323.00 से किमी 355.00 में आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के व्यवसाय को करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 730 दिन अर्थात 31 जनवरी, 2019 और (सीओडी) से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है, जिसमें कुल बोली परियोजना लागत ओ एंड एम लागत को छोड़कर रू 1865 करोड़ रूपए है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी ने दिनांक 30 मार्च, 2021 तक सभी तीन परियोजना लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हैं और जून, 2022 तक प्राप्त की गई भौतिक प्रगति 94 प्रतिशत है। इरकॉन वीकेईएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है।

6. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)

इरकॉनजीआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है, और 06 जनवरी, 2021 को व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इरकॉनजी आरएचएल का मुख्य उद्देश्य एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एक फीडर रूट के रूप में एनएच–352डब्ल्यू किमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) तक गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड का उन्नयन कराना है।

इरकॉनजीआरएचएल ने 20 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि अर्थात 24 नवंबर, 2021 (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर, कुल बोली परियोजना लागत रू 900 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इरकॉनजीआरएचएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है।

इरकॉन जीआरएचएल ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 309.60 करोड़ रू. का सावधि ऋण दिया है, जिसके लिए इरकॉन ने निगमित गारंटी दी है जो एन.एच.ए.आई.की प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति अर्थात सीओडी से 180 दिन के लिए वैध है। नोविलाईजेशन की अग्रिम किस्त एन.एच.ए.आई.से 7 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई है।

7. इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल)

इरकॉनएएसईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, है जिसे दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएएसईएल, का मुख्य उद्देश्य एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई भारतमाला परियोजना (चरण–।। पैकेज XIV) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (शिरसद से अकोली सेक्शन–वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का अकोली सेक्शन–स्पर) तक आठ लेन पहुंच–नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉनएएसईएल, ने 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में निर्धारित तिथि से 548 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर बोली परियोजना की कुल लागत रू 1124 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इरकॉनएएसईएल, परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से रू 577.77 करोड़ तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, और वित्तीय समापन जून 2022 तक होने की संभावना है, उसके बाद, एनएचएआई द्वारा नियत तिथि तय की जाएगी।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

8. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

इरकॉन एलआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 24 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 31 दिसंबर, 2021 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएलआरएचएल का मुख्य उद्देश्य "एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ स्पर से खरार तक हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम)- पैकेज–3 (डिजाइन सीएच. 66.440 से डिजाइन सीएच. 90.500 और स्पर से खार डिजाइन सीएच. 0.000 से डिजाइन सीएच. 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी के लिए,मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई–5 गाँव के साथ जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के पास रा.रा 205 के साथ जंक्शन, तक ग्रीनफील्ड लुधियाना – रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रा.रा–205के का चार/छह लेन का निर्माण कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉन एलआरएचएल ने 25 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर कुल बोली परियोजना लागत रू 1107 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इरकॉनएलआरएचएल परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से रू 518.68 करोड़ तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और वित्तीय समापन अगस्त 2022 तक होने की उम्मीद है, उसके बाद, एनएचएआई द्वारा नियत तारीख तय की जाएगी।

9. इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

इरकॉनबीएमईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 6 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 13 जनवरी, 2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएलआरएचएल का मुख्य उद्देश्य "एनएचएआई के साथ रियायत समझौता की शर्तों के अनुसार भारतमाला परियोजना (चरण–।।– पैकेज–XVII) के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे सेक्शन – वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर) तक आठ लेन के एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को निष्पादित करना है"।

इरकॉनबीएमईएल ने 18 फरवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर, कुल बोली परियोजना लागत रू 1436 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इरकॉनबीएमईएल परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से रू 732.29 करोड़ तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और जुलाई 2022 तक वित्तीय समापन की उम्मीद है, उसके बाद, एनएचएआई द्वारा नियत तारीख तय की जाएगी।

10. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

इरकॉनएचबीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 13 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 19 जनवरी, 2022 को व्यवसाय के प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉनएचबीएल का मुख्य उद्देश्य "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) पर उत्तराखंड राज्य में किमी 0+000 (एनएच–58 का किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच 74 का किमी 5+100) तक हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 का उन्नयन और चार लेन का निर्माण कार्य निष्पादित करना है।

इरकॉनएचबीएल ने 8 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि (एनएचएआई द्वारा निर्धारित) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की संचालन अवधि शामिल है। ओ एंड एम लागत को छोड़कर कुल बोली परियोजना लागत रू 861 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के संदर्भ में इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इरकॉनएचबीएल परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से रू 424.80 करोड़ तक का ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही वित्तीय समापन की संभावना है, और उसके बाद, एनएचएआई द्वारा नियत तारीख तय की जाएगी।

11. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल)

आईआरपीएल, इरकॉन की एक सहायक कंपनी, जिसे 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया है और इसने 24 फरवरी, 2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईआरपीएल को इरकॉन द्वारा इक्विटी और अन्य

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) की क्रमशः 76:24 के अनुपात में भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है। आईआपीएल का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–II (सरकारी निर्माता योजना) के भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (आईआरइडीए) ("परियोजना") द्वारा प्रस्तुत की गई है 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना है। इरकॉन और अयाना ने 13 दिसंबर, 2021 को शेयर अंशदान और शेयरधारण करार (एसएसएचए) में प्रवेश किया है।

यह परियोजना,आईआरईडीए द्वारा इरकॉन को प्रदान की गई थी और इसे आईआरपीएल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कुल परियोजना लागत रू 2578.99 करोड़ है। परियोजना के लिए अंतिम व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) राशि रू 44,94,000 प्रति मेगावाट है, जिसकी गणना कुल मिलाकर रू 224.70 करोड़ की गई है, जिसे आईआरईडीए द्वारा दो चरणों में जारी किया जाएगा अर्थात (क) बोलीदाता (इरकॉन) द्वारा ईपीसी ठेकेदार को अनुबंध देने पर 50 प्रतिशत (इन–हाउस ईपीसी डिवीजन सहित), जिसके लिए ईपीसी ठेकेदार के साथ ईपीसी अनुबंध को अवार्ड पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर अर्थात दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 तक निष्पादित किया जाना है और (ख) शेष 50 प्रतिशत, परियोजना की पूर्ण क्षमता के सफलतापूर्वक चालू होने पर।

वर्ष की समाप्ति के बाद, आईआरपीएली ने दिनांक 04 मई, 2022 को दक्षिण पश्चिम रेलवे के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य समय पर वित्तीय समापन प्राप्त करना है और समय पर परियोजना को चालू करने की निगरानी करना है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

क. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

1. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

आईएसटीपीएल, संयुक्त उद्यम कंपनी को दिनांक 19 अप्रैल, 2005 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था। इरकॉन और सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड की अपने सहयोगियों के साथ आईएसटीपीएल में प्रत्येक की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, प्रचालन और अंतरण आधार पर किमी 261+720 से किमी 379+878 तक मौजूदा दो लेन की सड़क के सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण करने और राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर चार लेन विभाजित (कैरिजवे) को चौड़ा करने के कार्य को निष्पादित करना है। इरकॉन और सोमा के बीच प्रमोटर के समझौते को दिनांक 28 दिसंबर, 2005 को निष्पादित किया गया था और इरकॉन, सोमा और एसटीपीएल के बीच पूरक प्रमोटर समझौते को दिनांक 22 अगस्त, 2019 को निष्पादित किया गया था।

यह परियोजना 2010–11 में पूरी हुई थी और अप्रैल, 2010 से कंपनी 118.158 किलोमीटर की पूरी परियोजना से टोल एकत्र कर रही है।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

आईआरएसडीसी, इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका निगमन दिनांक 12 अप्रैल 2012 को किया गया था। आईआरडीएससी ने 09 मई 2012 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारतमें यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु मौजूदा स्टेशन भवनों,प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/ नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन करना है ताकि उनके मानकों में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया जा सके। आईआरएसडीसी को रेलवे की भूमि/वायुक्षेत्र के वाणिज्यिक विकास का शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में, आईआरएसडी की 1 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी इरकॉन द्वारा आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई, और यह इरकॉन और आरएलडीए की 50:50 जेवी कंपनी बन गई। वित्त वर्ष 2020–21 में, राइट्स को तीसरे रणनीतिक भागीदार / शेयरधारक के रूप में पेश किया गया था, और तब से, आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है। संशोधित शेयरधारकों के समझौते को 21 मई, 2020 को शेयरधारकों के बीच निष्पादित किया गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने 18 अक्टूबर, 2021 के पत्र के द्वारा सैद्धांतिक रूप से आईआरएसडीसी को बंद करने और उसके लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, आईआरएसडीसी द्वारा पांच स्टेशनों का सुविधा प्रबंधन सौंपने की कार्रवाई की गई है। पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और बैंगलोर को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंपना और अन्य गतिविधियों को आरएलडीए को सौंपना भी शुरू कर दिया गया है। प्रक्रिया की निगरानी और आईआरएसडीसी की बंद करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी और कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए लेनदेन सलाहकार (मैसर्स आईडीबीआई कैप्स) नियुक्त किए गए हैं। आईआरएसडीसी की संविदात्मक/अन्य देनदारियों को संबोधित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बंद करने के निर्णय के कारण, 31 मार्च, 2022 तक सभी संपत्ति और देनदारियां (इसकी सहायक कंपनियों जैसे गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (गरुड़) और सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड (सिटको) में निवेश

के अलावा) आईआरएसडीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बही मूल्य से कम मूल्य के प्रतिफल के लिए मंदी बिक्री के आधार पर आरएलडीए/रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाना है।

3. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

सीईआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार के नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ दिनांक 12 मार्च 2013 कोएक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। सीईआरएल ने 07 मई, 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। सीईआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता कॉरिडोर अर्थात ईस्ट कॉरिडोर (लंबाई 180 किमी) का विकास करना है। इस परियोजना को पीपीपी परियोजनाओं के लिए निर्माण, आरंभ, प्रचालन ओर अंतरण (बीओओटी) मॉडल के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडी के बीच शेयरधारक समझौता 11 सितंबर 2014 को निष्पादित किया गया था।

इस परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है:

(क) सीईआरएल चरण–।– यह चरण खरसिया से धर्मजयगढ़ तक फैला हुआ है, जिसमें घरघोड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन शामिल है। सीईआरएल चरण–। के लिए रियायत समझौते पर 12 जून, 2015 को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। सीईआरएल–। का वित्तीय समापन 24 नवंबर, 2017 को प्राप्त किया गया है।

सीईआरएल चरण–। के खरसिया से कोरिछापर (डीएन लाइन–44 किमी) खंड को दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को चालू कर दिया गया है। खरसिया से कोरिछापर तक दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। कोरिछापर से धर्मजयगढ़ तक खंड दिनांक 21 जून, 2021 को चालू किया गया है। घरघोड़ा से भालुमुडा (14 किमी) के बीच की स्पर लाइन को दिनांक 23 फरवरी, 2022 को चालू किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को छल फीडर लाइन (होलिडंग यार्ड तक 6.5 किमी) में इंजन रोलिंग सफलतापूर्वक किया गया है । सीईआरएल चरण–। के लिए अनन्तिम सीओडी सितंबर, 2022 है।

(ख) सीईआरएल चरण–।।– यह धर्मजयगढ़ से कोरबा तक फैला हुआ है। सीईआरएल चरण–।। के जीएसटी निहितार्थ के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 12 जून, 2018 को पांच साल के संचालन के लिए 62.5 किमी की प्रभार्य दूरी पर 60 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीईआरएल चरण–।। के लिए रियायत समझौता पर दिनांक 15 मार्च, 2022 को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। सीईआरएल द्वारा सीईआरएल के चरण–।। के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से रू 1349 करोड़ की सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है और वित्तीय समापन का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय समापन के बाद 03 वर्षों के भीतर सीईआरएल चरण–।। के लिए काम पूरा करने का लक्ष्य रख गया है।

4. छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

सीईडब्ल्यूआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार का एक नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी, जिसे दिनांक 25 मार्च, 2013 को निगमित किया गया है। सीईडब्ल्यूआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता कॉरिडोर अर्थात ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर (लंबाई 135 किलोमीटर) का विकास करना है। सीईडब्ल्यूआरएल ने दिनांक 07 मई, 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। परियोजना की रियायत अवधि 3 वर्ष और 6 महीने की निर्माण अवधि सहित नियत तिथि से 30 वर्ष है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को निष्पादित किया गया था।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेलवे ने अपने क्षेत्रीय रेलवे के माध्यम से अनुमोदित किया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दिनांक 15 जून, 2017 को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पांच वर्षों के लिए 135 किमी की प्रभार्य दूरी पर 40 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज के साथ दिनांक 01 जुलाई, 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौता किया गया था। सीईडब्ल्यूआरएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) द्वारा बैंक लीड के कंसोर्टियम से रू 3976 करोड़ की राशि के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और 04 सितंबर, 2020 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है। है। लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए, शुरू होने की तारीख तक ऋण की सेवा के लिए संचालन की तारीख, आदि के लिए ऋण की आवश्यकता के अनुसार, इरकॉन ने कुल इक्विटी आवश्यकता का 26 प्रतिशत का इक्विटी योगदान हेतु प्रायोजक सहायता सपत प्रस्तुत किया है। लक्ष्य लाइन के लिए पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और लगभग रू 1300 करोड़ के मूल्य के सिविल कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और काम प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर 2024 है।

5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल

एमसीआरएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ओआईडीसीएल) (ओडिशा सरकार का एक नामित) द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में 31 अगस्त, 2015 को इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया था। एमसीआरएल का मुख्य उद्देश्य

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

पहचान की गई रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है, जो ओडिशा राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एनसीआरएल ने दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यान्वयन के लिए अंगुल–बलराम–पुतागढ़िया–झारपाड़ा–तौंतुलोई नए रेल कॉरिडोर (68 किमी) की पहचान की गई है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जनवरी 2018 में ईस्ट कोस्ट रेलवे, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 11 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 60 प्रतिशत की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। इस परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 2018 को एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है। एनसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौते को 02 दिसंबर, 2021 को क्रियान्वित किया गया है।

एनसीएल द्वारा अंगु–बलराम खंड (14 किमी) के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार दिनांक 24 नवंबर, 2021 को ईस्ट कोस्ट रेलवे को हस्तांतरित कर दी गई है। अंगुल–बलराम खंड (14 किमी) में निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के जुलाई 2022 तक चालू होने की संभावना है। बलराम–पुतागढ़िया–जरापड़ा–तौंतुलोई खंड (54 किमी) में वन भूमि का भूमि अधिग्रहण और मार्ग परिवर्तन कार्य प्रक्रिया में है।

वित्तीय समापन के लिए, एनसीआरएल ने रू 1190 करोड़ की ऋण राशि के वित्तपोषण के लिए निविदा आमंत्रित की है।

6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

जेसीआरएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन और झारखंड सरकार (जीओजे) की इक्विटी भागीदारी के साथ क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को 31 अगस्त, 2015 को निगमित किया गया था। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर परियोजनाओं की संरचना, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है।

जेसीआरएल ने दिनांक 28 मार्च, 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेल मंत्रालय ने शिवपुर–कठौटिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को जेसीआरएल को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना श्रृंखला कठौतिया (0.000) से शिवपुर (49.085) तक कुल 49.085 किलोमीटर तक शुरू होती है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 13 जून, 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किलोमीटर की प्रभार्य दूरी पर 60 प्रतिशत के बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दी है। जेसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच दिनांक 4 दिसंबर, 2018 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जेसीआरएल ने 91.53 प्रतिशत निजी भूमि और 100 प्रतिशत सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया है, और चरण–I के लिए मंजूरी प्राप्त करने के बाद दिनांक 14 सितंबर, 2021 को एक वर्ष के लिए कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निर्दिष्ट संबंधी कार्य/छोटे पुलों के 04 पैकेजों में से 02 पैकेज दिनांक 02 फरवरी, 2022 और 11 मार्च, 2022 को प्रदान किए गए हैं। परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि 04 जून, 2025 है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, जेसीआरएल ने 05 मई, 2022 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने पीएनबी के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से रू 1260 करोड़ की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

7. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

बीआरपीएल, एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी), इरकॉन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार के नामित) द्वारा शुरू में इक्विटी भागीदारी के साथ 43:26:21:10, क्रमशः के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका निगमन दिनांक 05 मई, 2016 को किया गया था। बीआरपीएल के लिए शेयरधारकों समझौते पर दिनांक 20 जनवरी, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। बीआरपीएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में रावघाट से जगदलपुर (नारायणपुर, कोंडागांव के माध्यम से) की नई रेल लाइन की संरचना, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। संशोधित शेयरधारकों का समझौता 25 मई, 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी के शेयरधारिता पैटर्न को क्रमशः 52:26:12:10 संशोधित किया गया था।

बीआरपीएल ने दिनांक 19 जुलाई, 2017 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अक्टूबर 2017 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) यथा क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। बीआरपीएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौते को 27 सितंबर , 2018को निष्पादित किया गया है। परियोजना का वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है। वन भूमि सहित भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटन, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न फॉर्म एओसी–1 में किया गया है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

यह रिपोर्ट, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015), कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) में कॉरपोरेट शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं का विवरण है।

इरकॉन एक 'मिनी रत्न श्रेणी–I' कंपनी है, जिसे दिनांक 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध किया गया है और इसने कॉर्पोरेट शासन का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है।

कॉर्पोरेट शासन, हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का अनुप्रयोग है।

हमारा मानना है कि कॉरपोरेट शासन, सभी हितधारकों के साथ उनके मूल्य को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता के साथ मूल्यवान संबंध और विश्वास बनाए रखने से संबंधित है। अच्छी कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, विवेक, दल कार्य, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित है। यह सर्वोत्तम मानकों का पालन करने और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

1. शासन संहिता पर कंपनी के दर्शन का विवरण

इरकॉन, सुदृढ़ कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में विश्वास करता है, और इसके आवश्यक स्वरूप को, पारदर्शिता, विश्वास और अखंडता, निष्पादन अभिविन्यास, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के उच्च मानक द्वारा आकार दिया गया है। यह हमेशा संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, प्रथाओं, संरचनाओं और नैतिकता की रूपरेखा बनाने में विश्वास करता है। कॉरपोरेट शासन, वास्तव में हमने द्वारा कई वर्षों से किए गए व्यवसाय का एक अभिन्न अंग रहा है। इरकॉन दल, कॉर्पोरेट मूल्यों पर बल देता है और उन्हें नियमित रूप से उनके आचरण में आत्मसात करती है।

कंपनी के कॉरपोरेट शासन की संहिता "कंपनी की गतिविधि के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभदायक, पारदर्शी और जवाबदेह बनना है।"

निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में काम करना

ग. प्रदर्शन में उत्कृष्टता

घ. काम और व्यवहार में ईमानदारी

ड. जिम्मेदार और जवाबदेह होना

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, इरकॉन का सर्वोच्च शासन निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को नीतिगत मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध ज्ञान और अनुभव रखने वाले विविध क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। इरकॉन में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड, शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए स्वयं नेतृत्व की संस्कृति बनाता है। बोर्ड के कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हैं। कंपनी ने बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों के लिए दिशानिर्देशों और एक स्थापित ढांचे को परिभाषित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, इरकॉन एक 'सरकारी कंपनी' है, क्योंकि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 73.18 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है, और निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार, प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात, रेल मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के नौ निदेशक हैं, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (परियोजना), दो सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

अध्यक्ष, एक कार्यपालक निदेशक है और इसलिए, बोर्ड की आधी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। चूंकि इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, कंपनी समय–समय पर रेल मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक संख्या में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) और सरकार द्वारा नामित निदेशक को भी नियुक्त करे।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान, बोर्ड की संरचना वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी क्योंकि कंपनी में कार्यपालक / कार्यात्मक निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था। दिनांक 15 नवंबर, 2022 तक कंपनी में छह निदेशक नहीं थे। कंपनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक 10 नवंबर, 2021 तक नहीं था और शेष अवधि के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक (15 नवंबर 2021तक महिला निदेशक सहित) नहीं थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की स्वीकृत संख्या के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) के पद के लिए छह और सरकारी नामित निदेशक के लिए एक रिक्तियां थीं, जिसके लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में एक सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों की स्वीकृत संख्या के प्रति, निदेशक (कार्य) का पद रिक्त है (वर्तमान में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया जाता है) और स्वतंत्र निदेशकों के पद के लिए दो रिक्तियां हैं। हालांकि, निदेशकों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए एक रिक्ति है, जिसे भरने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पद सहित निदेशकों की श्रेणी और नाम

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या पदमुक्त (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
पूर्णकालीन (कियात्मक) निदेशक–कार्यपालक		
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) के अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ	07654014	04.09.2021 को निदेशक (कार्य) के पद से कार्यमुक्त हुए। 04.09.2021 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	07598920	–
श्री मोहित सिन्हा निदेशक (वित्त)*	00843548	03.12.2021 को नियुक्त
श्री सुनील कुमार चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	00515672	30.04.2021 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यमुक्त हुए
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)**	06607392	11.06.2021 को सीएफओ के पद से कार्यमुक्त हुए और 30.09.2021 को निदेशक (वित्त) के पद से कार्यमुक्त हुए
सरकारी नामिति (अंशकालीन) निदेशक– गैर कार्यपालक		
श्री धनन्जय सिंह	08955500	–
श्री राजेश अग्रवाल	09171980	13.05.2021को नियुक्त
स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन–गैर सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक		
श्री अजय कुमार चौहान	09394953	11.11.2021 को नियुक्त
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	09398271	16.11.2021को नियुक्त
श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	16.11.2021को नियुक्त
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	31.12.2021को नियुक्त

*श्री मोहित सिन्हा, आईआरएएस, अपर सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड, को 03.12.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

**श्री योगेश कुमार मिश्रा को कंपनी के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने पर क्रमशः01.05.2021 और 11.06.2021 से तथा 04.09.2021 तकअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

2.2 दिनांक 31 मार्च 2022 को बोर्ड की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा और बोर्ड समिति (समितियों) में सदस्यता/अध्यक्ष पद का ब्यौरा:

क्र. सं	निदेशकों का नाम व श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या जिनमें वह सदस्य/अध्यक्ष है[2]	धारित शेयरों की संख्या
पूर्णकालीन (कार्यकारी) निदेशक – कार्यपालक				
1	श्री योगेश कुमार मिश्रा	1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	शून्य	3,000
2	श्री मोहित सिन्हा	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री श्याम लाल गुप्ता	1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड 3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 4. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	10,600
सरकारी नामिति (अंशकालीन (सरकारी) निदेशक–गैर कार्यपालक				
4	श्री धनन्जय सिंह	सरकारी नामिति निदेशक के रूप में 1. रेल विकास निगम लिमिटेड – सूचीबद्ध कंपनी 2. पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. कोरल रेल विकास निगम लिमिटेड 4. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य
5	श्री राजेश अरगल	सरकारी नामित निदेशक के रूप में 1. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड –सूचीबद्ध कंपनी 2. रेल विकास निगम लिमिटेड – सूचीबद्ध कंपनी 3. मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य
स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक– गैर कार्यपालक				
6	श्री अजय कुमार चौहान	शून्य	शून्य	शून्य
7	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	शून्य	शून्य	शून्य
8	श्रीमती रंजना उपाध्याय	शून्य	शून्य	शून्य
9	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	शून्य	शून्य	शून्य

फुटनोट :

1. धारित निदेशकों की संख्या में विदेशकी कंपनियां और अनुच्छेद–8 कंपनियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।
2. केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पर ही विचार किया गया है। कंपनी का कोई भी सदस्य दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों में अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है, जिनमें वह निदेशक है।
3. कोई भी निदेशक एक समय पर बीस (20) से अधिक कंपनियों/10 से अधिक पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है।
4. कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकाय में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकायों में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं है।
5. कोई भी पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं है।
6. निदेशकों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। श्री धनन्जय सिंह और राजेश अरगल, नामिति निदेशक (अंशकालीन सरकारी), रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं, और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित है किन्तु उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

2.3 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ बार बैठक हुई। बोर्ड की संख्या और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है। बोर्ड की कोई भी बैठक 120 दिनों से अधिक के अंतराल के साथ आयोजित नहीं की गई थी।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
05 अप्रैल, 2021	5	5
11 जून, 2021	5	5
30 जून, 2021	5	5
12 अगस्त 2021	5	4
24 अगस्त, 2021	5	5
12 नवंबर, 2021	5	4
17 दिसंबर, 2021	8	8
05 जनवरी, 2022	9	8
14 फरवरी, 2022	9	9

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति हुए	बोर्ड बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत	क्या 24.09.2021 को आयोजित अंतिम एजीएम के उपस्थित हुए
	05.04.2021	11.06.2021	30.06.2021	12.08.2021	24.08.2021	12.11.2021	17.12.2021	05.01.2022	14.02.2022				
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100	✓
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9	100	✓
श्री मोहित सिन्हा	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	3	3	100	लागू नहीं
श्री धनन्जय सिंह	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	9	7	77.78	✓
श्री राजेश अरगल	–	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	8	7	87.5	✓
श्री अजय कुमार चौहान	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	4	4	100	लागू नहीं
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	3	3	100	लागू नहीं
श्रीमती रंजना उपाध्याय	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	3	3	100	लागू नहीं
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भट्ट	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	2	2	100	लागू नहीं
श्री सुनील कुमार चौधरी	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	100	लागू नहीं
श्री मुकेश कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	5	5	100	✓

2.4. बोर्ड के सदस्य का मानदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, और बोर्ड द्वारा आवश्यक प्रमुख योग्यता सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन, इरकॉन के निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को तालिका में सारबद्ध किया गया है। निदेशकों की वांछित योग्यता, विशेषज्ञता, कौशल आदि सीपीई/पीईएसबी और/या संबंधित मंत्रालय द्वारा संशोधनों/परिवर्धनों/परिवर्तनों के अधीन हैं और स्वतंत्र निदेशकों की योग्यताएं भी डीपीई द्वारा जांच के अध्यधीन हैं।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता तालिका में शामिल हैं:

क्र.सं	निदेशक का प्रकार	अपेक्षित विशेषज्ञता/कौशल
1.	पूर्णकालीन (कार्यात्मक) निदेशक –कार्यपालक	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अनिवार्य: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ कम से कम स्नातक की डिग्री और प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव। वांछनीय सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए में डिग्री अर्हता तथा वित्त/ विपणन/परियोजनाओं का ज्ञान। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का अनुभव, विशेष रूप से रेल उद्योग में रेल परियोजनाओं, संगठनात्मक नियोजन की तकनीकों तथा श्रमशक्ति विकास का अनुभव।

क्र.सं	निदेशक का प्रकार	अपेक्षित विशेषज्ञता/कौशल
	ii) निदेशक (परियोजना)	अनिवार्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। रेलवे के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। वांछनीय: एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त।
	iii) निदेशक (कार्य)	अनिवार्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। सड़क/राजमार्ग सहित अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। वांछनीय: एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता।
	iv) निदेशक (वित्त)	अनिवार्य: i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट या पूर्णकालीन एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता सहित) पाठ्यक्रम के साथ प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव ii) उपयुक्त स्तर पर संगठित समूह क लेखा सेवा के अधिकारी को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। iii) पर्याप्त एंव संगत अनुभव वाले केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सशस्त्र बल/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। निगमित वित्त प्रबंधन तथा लेखांकन सहित लागत लेखांकन, बजट नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन आदि क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का पर्याप्त अनुभव।
2	सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक (2 निदेशक)	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।
3	स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक)–गैर कार्यपालक (6 निदेशक)	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं हैं।

औद्योगिक क्षेत्र और अन्य प्रबंधन कौशलों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31.03.2022 को इरकॉन के निदेशकों के पास निम्नलिखित विशेषज्ञता और कौशल हैं:–

निदेशक का नाम	विशेषज्ञता और कौशलों का क्षेत्र							
	औद्योगिक ज्ञान व विशेषज्ञता	वित्तीय प्रबंधन	निगमित नियोजन और प्रबंधन नीति	नेतृत्व	तकनीकी ज्ञान	बोर्ड पद्धतियां और गवर्नेंस	व्यवसाय विकास	वैश्विक परिदृश्य
कार्यात्मक निदेशक								
श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मोहित सिन्हा निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सरकारी नामित निदेशक								
श्री राजेश अग्रवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री धनन्जय सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्वतंत्र निदेशक								
श्री अजय कुमार चौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती रंजना उपाध्याय	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. कार्तिक चंद्रशेखर भट्ट	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

निदेशकों की विशेषज्ञता और कौशल कंपनी की वेबसाइट यथा www.ircon.org पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की मात्र और गुणवत्ता समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम, 2015 में निर्धारित अपेक्षा से अधिक है। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क. कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय परिणाम।
ख. लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड बैठकों तथा अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
ग कंपनी की सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
घ पूंजीगत और राजस्व बजट तथा कोई अन्य अद्यतन।
ड. संबंधित पक्ष संव्यवहार।
च बट्टे खाते और अशोध्य ऋण।
छ. निवेश, सहायक कंपनियों और परिसंपत्तियों की सामग्रीगत प्रकृति की बिक्री।
ज. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों का गठन, नीतिगत गठबंधन आदि।
झ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।
ट. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।
ठ. प्राप्त प्रमुख आर्डर तथा अप्राप्त बोलियां।
ड. कंपनी में निदेशकों द्वारा हितलाभों का प्रकटन।
ढ. बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई।
ण. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुपालन/रिपोर्टें।
त. सूचनार्थ, अनुमोदनार्थ और समीक्षा हेतु बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी सूचनाएं।

2.6 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नए निदेशक की नियुक्त /पुनर्नियुक्त

क. श्री राजेश अरगल [डीआईएनः 09171980]– (13.05.2021 से):

श्री राजेश अर्गल, अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड को, इरकॉन के बोर्ड में सरकारी नामित [अंशकालिक (आधिकारिक), निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री अर्गल 1983 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (आईआरएसई) के अधिकारी हैं। उन्होंने एमएसीटी (मौलाना आजाद कोलाज ऑफ टेक्नोलॉजी), भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें रेलवे में 36 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है। इनको तत्काल पिछले कार्यों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, नालदा में मंडल रेल प्रबंधकशामिल हैं। रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (योजना) के रूप में, इन्होंने रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और बजट तैयार किया, जिसमें निवेश की प्राथमिकता और उसका निष्पादन शामिल है और ये रेलवे बोर्ड में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं के समन्वयक भी हैं।

ख. श्री मोहित सिन्हा [डीआईएनः 0843548] – (03.12.2021 से 19.04.2022 तक)

श्री मोहित सिन्हा, आईआरएएस, अपर सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड को कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री सिन्हा स्नातक हैं और 1986 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी (आईआरएएस) हैं। श्री सिन्हा ने वर्ष 1988 में रेलवे में कार्यभार ग्रहण किया और तब से ये रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। उनके पास रेलवे में 34 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। वह रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (राजस्व) के रूप में कार्यरत थे।

ग. श्री अजय कुमार चौहान [डीआईएनः 09394953]– (11.11.2021 से):

श्री अजय कुमार चौहान को भारत सरकार द्वारा इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी), निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री चौहान भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) 1984 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने विभाग के कर प्रशासन, अन्वेषण, अर्ध–न्यायिक, लेखापरीक्षा, न्यायाधिकरण और अनुसंधान प्रभागों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। वे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पहले महानिदेशक के रूप में भी प्रतिनियुक्ति पर थे, जहां उनके कार्यकाल के दौरान उत्पादक संघ, बोली में अव्यवस्था और प्रमुत्व के दुरुपयोग आदि के कुछ बड़े मामलों की जांच की गई थी।

श्री चौहान ने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, सिडनी विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री, दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.फिल (संगठन व्यवहार) और एमए (औद्योगिक मनोविज्ञान), की डिग्री और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा, उनके पास सिरैक्यूज विश्वविद्यालय, ओईसीडी और आईआईएम से उन्नत प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा कानूनों और पद्धतियों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर कई डिप्लोमा / प्रमाण पत्र हैं।

यह एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला द्वारा सम्मानित प्रतिष्ठित मेरिट स्कॉलरशिप और मध्य प्रदेश के वाणिज्य और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए "इनोवेटर ऑफ द ईयर 2017" के प्राप्तकर्ता हैं। यह कई समितियों यथा प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन समिति, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन योजना, क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया परिषद और बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग परियोजना के अध्यक्ष / सदस्य रहे हैं।

घ. श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता [डीआईएनः 09398271]– (16.11.2021 से)

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता को इरकॉन के बोर्ड में एक स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी), निदेशक के

रूप में नियुक्त किया गया था। श्री गुप्ता ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें प्रबंधन, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त थी। श्री गुप्ता के पास व्यवसाय और कृषि के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ–साथ वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने 2015 से 2018 तक नेहरू युवा केंद्र में राज्य सलाहकार के रूप में कार्य किया था और 2010 से 2013 तक टेलीफोन सलाहकार समिति में जिला सलाहकार और जिला बिसुत्री के सदस्य भी रहे।

ङ. श्रीमती रंजना उपाध्याय [डीआईएनः 07787711]– (16.11.2021 से):

श्रीमती रंजना उपाध्याय को इरकॉन के बोर्ड में एक स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर–सरकारी)] निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता में स्नातक और पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान टाइम्स (2002–2004) की लेखिका रही हैं, और सिटी न्यूज, चित्रकूट के संपादक और समाचार वाचक (2003–2007) भी रही हैं। इसके अलावा, वह नेत्रहीन लोगों के लिए एक एनजीओ, दृष्टि और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक गैर सरकारी संगठन, भारत कल्याणमंच की सक्रिय सदस्य भी रही हैं।

च. डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र डीआईएनः 09453387, – (31.12.2021 से):

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र को इरकॉन के बोर्ड में एक स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी), निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. भद्रा 1991 से गुजरात के वलसाड के कलरव शिशु अस्पताल में एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ये दक्षिण गुजरात के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ रहे हैं और उनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल है, जहाँ ये चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 29 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। वह विद्याभारती से संबद्ध स्कूल "श्री सरस्वती शिशु मंदिर" के उपाध्यक्ष ट्रस्टी हैं, जहां निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के 800 से अधिक छात्र, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। डॉ. भद्र ने उड़ान (उन्नत देश – आदर्श नागरिक) फाउंडेशन की स्थापना की है – एक अनूठा जागरूकता कार्यक्रम जिसका प्रबंधन और संचालन, डॉ. भद्र और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों की उनकी देशभक्ति टीम द्वारा किया जा रहा है।

सभी मौजूदा निदेशकों की विस्तृत प्रोफाइल वेबसाइट www.ircon.org पर देखी जा सकती है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों के त्यागपत्र, यदि कोई हो के कारणों का ब्यौराः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र या कार्यकाल समापन से पूर्व पद को रिक्त नहीं किया है।

2.8 बोर्ड की स्वतंत्रता

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक घोषणा करते हैं कि वे समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

2.9 बोर्ड सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य निदेशकों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना तथा निदेशकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। उन्हें कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, समझौता ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन लक्ष्य तथा उपलब्धियां, सीएसी द्वारा नैतिकता और शासन–परिदृश्य पर लेख, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, बोर्ड की सभी समितियों के संदर्भशर्तें, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि के अंतर्गत निदेशकों के कार्यों तथा दायित्वों, और अनर्हता आदि के प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुती करणों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली तथा कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकारों और उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें आपकी कंपनी प्रचालन कर रही है, कंपनी का व्यवसाय मॉडल आदि। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का ब्यौरा इरकॉन की वेबसाइट पर वेबलिंक :https://www.ircon.org/images/Details%20of%20Familiarisation%20Programme%20to%20Ircon's%20Directors.pdf पर उपलब्ध है।

3. बोर्ड समितियां

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन में निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया हैः

(i) लेखापरीक्षा समिति
(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
(iii) जोखिम प्रबंधन समिति
(iv) शेयरधारक संबंध समिति
(v) निगमित सामाजिक उत्तादायित्व और धारणीयता समिति
(vi) परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

कंपनी सचिव और इन समितियों के संबंधित अध्यक्षों के परामर्श से बोर्ड के अध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.1 लेखापरीक्षा समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भशर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उनकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 तथा 7, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 समय समय पर यथा संशोधित, के अध्याय 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तथापि, लेखापरीक्षा समिति की संरचना और गणपूर्ति, दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी और बोर्ड में रेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, 18 नवंबर, 2021 से लेखापरीक्षा समिति की संरचना और कोरम में है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2021 से 10.06.2021	11.06.2021 से 17.11.2021	18.11.2021 से 31.03.2022
अध्यक्ष		
श्री धनन्जय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक
सदस्य		
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (वित्त)	श्री धनन्जय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (वित्त)	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, लेखा परीक्षासमिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 10 बार बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजेश अरगल उपस्थित थे।

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख										कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए
	05.04.2021	11.06.2021	30.06.2021	11th08th2021	12.08.2021	12.11.2021	17.12.2021	05.01.2022	14.02.2022	25.02.2022		
श्री धनन्जय सिंह	✓	×	✓	×	×	✓	–	–	–	–	8	3
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	8	6
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
श्री राजेश अरगल	–	–	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	8	6
श्री अजय कुमार चौहान	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती रंजना उपाध्याय	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	4	4

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजेश अर्गल उपस्थित थे।

लेखा परीक्षा समिति की उपरोक्त बैठकों में कंपनी सचिव के रूप में समिति के सचिव, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी स्थायी आमंत्रितों के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और लागत

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों, अन्य कार्यकारी निदेशकों और कार्यात्मक प्रमुखों को विशेष आमंत्रितों के रूप में भी उनकी आवश्यकता के अधीन आमंत्रित किया गया था और लेखापरीक्षा समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बैठकों में भाग लिया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

2. संदर्भ शर्तें :

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति की संदर्भशर्तें सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9क(4) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा समय–समय पर यथासंशोधित डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अध्याय 4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। प्रमुख संदर्भशर्तें निम्नानुसार हैं:

क. वित्तीय विवरण

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त,तथा विश्वसनीय है।

2. निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्ववार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:
   i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
   ii. लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
   iii. प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
   vi. पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन;
   vii. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/आशोधित विकल्प।
   viii. प्रबंधन विचारविमर्श का समीक्षा और वित्तीय परिस्थितियों य प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।

3. तिमाही वित्तीय परिणामों और उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा।

4. सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 32(1) तथा (7) की शर्तों के अनुसार इश्यु (पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफरेंशियल इश्यु आदि) के माध्यम से एकत्र निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग का विवरण तथा परिवर्तन (परिवर्तनों) के विवरणों की समीक्षा करने के लिए पब्लिक इश्यु या राइट इश्यु से एकत्र निधि के उपयोग की मानीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

ख. लेखापरीक्षा और आंतरिम नियंत्रण:

5. कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए बोर्ड की सिफारिश।

6. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन।

7. आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, निरसन तथा पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।

8. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रबंधन, निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की समीक्षा और मॉनीटरिंग तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन और प्रभावपूणता की समीक्षा।

9. लेखापरीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा किसी चिंता के विषय को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा पूर्व चर्चा।

10. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिम नियंत्रण खामियों के पत्रों की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरित लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।

11. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कार्मिकों की व्यवस्था तथा विभाग के प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिम लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा।

12. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

13. आंतरिम वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

14. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों पर किसी आंतरिक अन्वेषण के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें, सामग्रीगत प्रकृति का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में जालसाजी या अनियमितता या विफलता की आशंका हो।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार:

15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या उनमें किसी प्रकार के अनुवर्ती आशोधनों, तथा कंपनी की संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति के अनुसार यथापेक्षित अन्य अनुमोदन।

घ. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा/ सीओपीयू:

16. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

ङ. सहायक कंपनियां:

17. 100 करोड़ रूपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित जो कोई भी कम हो, की राजसहायता में धारक कंपनी द्वारा ऋणों तथा/या अग्रिमों /निवेश की समीक्षा।

18. वित्तीय विवरणों की समीक्षा और विशेष रूप से गैरसूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में।

च. अन्य:

19. अंतर निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा, तथा

20. उपक्रमों या कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहांकहीं आवश्यक हो।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में), ऋणदाताओं को भुगतान में व्यापक चूक के कारणों की जांच करना।

22. व्हीसल ब्लोयर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा व्हीसल ब्लोयरों का संरक्षण।

23. यह सत्यापित करने के लिए कि आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, सेबी पीआईटी विनियमों के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन की समीक्षा वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात।

24. लेखापरीक्षा समिति को अपनी संदर्भशर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बाहरी विधि या किसी पेशेवर की सलाह (निदेशक मंडल के अनुमोदन के मद्देनजर) ले सकते हैं और कंपनी के रिकार्डों में समाविष्ट सूचना पर पूरा पहुंच होगा तथा संगत विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

25. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम, या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या किसी अन्य सेबी नियम तथा विनियम के अंतर्गत यथापेक्षित कोई अन्य कार्य।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति(एनआरसी)

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, संदर्भशर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।हालांकि, एनआरसी की संरचना और कोरम, दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं था और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, एनआरसी की संरचना और कोरम दिनांक 18 नवंबर, 2021 से से अनुपालन में है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशकों और / या स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, एनआरसी की दिनांक 10 जून, 2021 तक निलंबित कर दिया गया था। वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना इस प्रकार थी:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

11.06.2021 से 17.11.2021	18.11.2021 से 31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022
अध्यक्ष		
श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक
सदस्य		
श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक
-	श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	-

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की पांच बार बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख					कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए
	29.06.2021	29.11.2021	17.12.2021	11.02.2022	25.02.2022		
श्री राजेश अरगल	✓	x	✓	✓	✓	5	4
श्री धनंजय सिंह	✓	✓	x	–	–	3	2
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	–	–	–	–	1	1
श्री अजय कुमार चौहान	–	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता	–	✓	✓	✓	✓	4	4

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में नामांकन और पारिश्रमिकसमिति के अध्यक्ष श्री राजेश अरगल उपस्थित थे।

2. संदर्भ शर्तें :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भशर्तों में सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–178 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों शामिल हैं जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है (निदेशकों से संबंधित मानकों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तथा इरकॉन के संबोधित दिनांक 2 अप्रैल 2018 के सेबी के पत्र के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है) ।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यक्षेत्र/संदर्भशर्तों संक्षिप्त में इस प्रकार हैं:

क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल/निष्पादन संबंधी वेतन तथा इसके संवितरण की नीति का निर्धारण व अनुमोदन करना।

ख. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ट प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मापदंड के अनुसार वरिष्ट प्रबंधन में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करना और उनकी नियुक्ति या हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, वरिष्ट प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक, किसी भीरूप में, से संबंधित नीति के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश देना।

ङ. कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा शामिल किया जाए।

स्पष्टीकरण: "वरिष्ट प्रबंधन" से तात्पर्य कंपनी के उन

अधिकारियों/कार्मिकों से है, जो इसके प्रमुख प्रबंधन के सदस्य है और इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित यदि यह बोर्ड का भाग नहीं है) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं और विशिष्ट रूप से इसमें कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)(बोर्ड स्तर से नीचे) और कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं।

3. बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन :

निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनी को छूट प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को अधिसूचित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि औपचारित वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में खंड–134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन अपनी स्वयं की विधि प्रक्रिया द्वारा कंपनी के प्रशासनिक प्रभार वाले मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूटों की तर्ज पर नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 के उपखंड–(2), (3) तथा (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पद लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची–IV में दिनांक 5 जुलाई 2017 की एमसीए की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष की स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षा और बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन, यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया हो, की अपेक्षा के अनुपालन से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इस संबंध में, लोक उपक्रम विभाग (डीपीई), ने पहले ही सभी क्रियात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु तंत्र निर्धारित किया है। क्रियात्मक निदेशकों का निष्पादन रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है इसके अलावा, कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को क्रमबद्ध किया गया है और यह व्यक्तियों और टीम के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है। आंतरिक समझौता ज्ञापन में वित्तीय, गैर–वित्तीय और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि सहित विभिन्न पैरामीटर शामिल हैं।

सरकारी नामिति निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा और अंतत: डीपीई द्वारा किया जाता है।

3.3 स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना, संदर्भशर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।हालांकि, 17 नवंबर, 2021 तक और नियुक्ति के बाद बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 (2क) की आवश्यकता के अनुपालन में नहीं थी। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की, स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना का अनुपालन दिनांक 18 नवंबर, 2021 से किया जा रहा है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2021 से 17.11.2021	18.11.2021 से 31.03.2021
अध्यक्ष	
श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकारी नामिती निदेशक
सदस्य	
श्री मुकेश कुमार सिंह* निदेशक (वित्त)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र निदेशक

*30.09.2021 तक निदेशक।

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, स्टेकधारक संबंध समिति की एक बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एसआरसी बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्यों का नाम	बैठक की तिथि	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	11.02.2022		
श्री धनंजय सिंह	x	1	0
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	1	1
श्री अजय कुमार चौहान	✓	1	1

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री धनन्जय सिंह उपस्थित थे।

1. संदर्भ शर्तें :

स्टेकधारक संबंध समिति की संदर्भशर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, के विनियम 20 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 में विनिर्दिष्ट निम्नानुसार क्षेत्र शामिल हैं:

(क) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखना।

(ख) शेयरों के अंतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने तथा साधारण बैठक आदि संबंधी शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना तथा उनका निवारण करना।

(ग) शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(घ) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(ङ.) अदायित लाभांशों की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(च) कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा यथापेक्षित हो या अन्य मुद्दे जो समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा आवश्यक हों।

2. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी सुश्री रितु अरोड़ा कंपनी सचिव हैं।

3. शेयरधारकों की शिकायतों का ब्यौरा

कंपनी के साथ–साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने निवेशकों की शिकायतों पर तीव्रता से कार्रवाई की है। वर्ष की शुरुआत में अर्थात दिनांक 01.04.2021 को, 12 शिकायतें लंबित थीं और वर्ष 2021–22 के दौरान शेयरधारकों से कुल 508 प्रश्न/शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए सभी शिकायतों/शिकायतों का समाधान किया गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

शिकायतों की प्रकृति	लंबित शिकायतें (01.04.2021 को)	प्राप्त	समाधान	लंबित
पब्लिक इश्यू/शेयरों के विघटन/शेयरों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए दर्ज आवेदनों की स्थिति	1	139	140	शून्य
लाभांश वारंटों की गैर–प्राप्ति (पूछताछ सहित)	10	266	276	शून्य
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की गैर–प्राप्ति	शून्य	99	99	शून्य
सेबी शिकायतें (लाभांश की प्राप्ति न होने से संबंधित)	शून्य	6	6	शून्य
विविध	1	8	9	शून्य
कुल	12	508	520	शून्य

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी में जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने की आवश्यकता, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई है। हालांकि, कंपनी में वर्ष 2014 से पहले से ही बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें तीन कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सेबी (एलओडीआर)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

विनियम, 2015 में पेश किए गए संशोधनों के अनुसार, कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को तदनुसार संशोधित किया गया है और बोर्ड द्वारा इसे दिनांक 01 जनवरी 2022 से लागू किया गया है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और कार्यक्षेत्र, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, आरएमसी की संरचना 05 मई, 2021 से 17 नवंबर, 2021 तक वैधानिक अनुपालन में नहीं थी, तत्पश्चात बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, आरएमसी की संरचना दिनांक 18 नवंबर, 2021 से अनुपालन में है।

1. संरचना

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन बोर्ड सदस्य शामिल हैं। शीर्ष स्तर के प्रबंधन और व्यवसाय इकाई प्रमुख (परियोजना प्रमुख) से युक्त, एक त्वरित कार्रवाई समूह भी मौजूद है और समूह का उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया में निहित प्रमुख जोखिमों को कम करना और उत्पादकता और दक्षता बनाए रखना है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान आरएमसी की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2021 से 17.11.2021	18.11.2021 से 31.03.2022
अध्यक्ष	
श्री मुकेश कुमार सिंह* निदेशक (वित्त)	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (परियोजना)	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)

*30.09.2021 तक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समितिकी दोबार बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की आयोजित बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए
	16.09.2021	04.03.2022		
श्री मुकेश कुमार सिंह	✓	–	1	1
श्री योगेश कुमार मिश्रा	×	–	1	0
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	2	2
श्री राजेश अरगल	–	✓	1	1
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	–	✓	1	1

2. संदर्भ शर्तें:

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ शर्तों में शामिल हैं–

क) प्रमुख जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों की पहचान।

ख) सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता के संबंध में अंतराल का वर्गीकरण: गौण, महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण, प्रमुख का पर्याप्त।

ग) किसी भी संभावित खतरे के लिए मौजूदा व्यापार प्रक्रिया में अंतराल की पहचान करना।

घ) जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना।

ङ.) व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं के प्रारूपण/संशोधन और उनके अभिलेखन से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करना।

च) त्वरित कार्य समूह द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा और सुधार के लिए दिशानिर्देश देना और परिचालन क्षमताओं पर त्वरित कार्य समूह की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना, और संभावित व्यवसाय के लिए इरकॉन की तैयारी।

छ) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सुरक्षा जोखिम या किसी अन्य सहित, सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए ढांचे सहित विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय और व्यापार निरंतरता योजना। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति की निगरानी, कार्यान्वयन और समीक्षा की निगरानी करना।

ज) निदेशक मंडल को जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन के बारे में स्वीकार्य स्तर तक आश्वासन प्रदान करना।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय समिति (सीएसआर समिति)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति (सीएसआर समिति) के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और उसके तहत लागू नियमों और सीएसआर और संधारणीय, 2014 पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएसआर समिति की संरचना और कोरम दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, सीएसआर समिति की संरचना और गणपूर्ति 18 नवंबर, 2021 से अनुपालन में है।

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है

01.04.2021 से 17.11.2021	18.11.2021 से 31.03.2022
अध्यक्ष	
श्री मुकेश कुमार सिंह* निदेशक (वित्त)	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (परियोजना)	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)

*30.09.2021 तक निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत है।

2. बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, समिति की तीन बार बैठक हुई। सीएसआर और संधारणीय समिति की बैठक की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	05.04.2021	11.08.2021	11.02.2022		
श्री मुकेश कुमार सिंह	✓	✓	–	2	2
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	–	2	2
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	3	3
श्री राजेश अरगल	–	–	✓	1	1
श्रीमती रंजना उपाध्याय	–	–	✓	1	1

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3. संदर्भ शर्तें :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

क. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यसूची को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करना।

ख. महाप्रबंधक स्तर या ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारियों और अधिकारियों के दल की नियुक्ति करना, जो दिशानिर्देशों की शर्तों में उपयुक्त समझे जाएं।

ग. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति की तर्ज पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदयित्व गतिविधियों को पहचानना/चयन करना तथा इसे बोर्ड के अनुमोदन/संशोधन के लिए प्रस्तुत करना; और

घ. बोर्ड को अपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और डीपीई दिशानिर्देशके अनुसार और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और सिफारिश करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की पहचान/चयन शामिल है।

ङ. अनुसूची के साथ ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन का तरीका तैयार करना और निधियों के उपयोग कार्यविधि, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र, आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो को तैयार करना।

3.6 परियोजना प्रगति समीक्षा समिति:

कंपनी की परियोजनाओं के सुगम निष्पादन के लिए प्रगतिरत परियोजनाओं (पीएनसी परियोजनाओं को छोड़कर) की भौतिक प्रगति से सख्ती से संबंधित भौतिक प्रगति और संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा करने और सुधारू रूप से संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा परियोजना प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी) का गठन किया गया था। पीआरसी का पुनर्गठन तब किया गया है, जब निदेशक में कोई परिवर्तन होता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 11.06.2021 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

1. संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान पीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2021 से 16.12.2021	17.12.2021 से 31.03.2022
अध्यक्ष	
श्री राजेश अग्रवाल सरकार नामित निदेशक	श्री राजेश अग्रवाल सरकार नामित निदेशक
सदस्य	
श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार नामित निदेशक
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) या श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)	श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) या श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) (उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए)
–	श्री दिपेन्द्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

2. बैठकें और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई। पीआरसी की बैठक और उपस्थिति विवरण का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थित हुए
	14.10.2021 से 16.10.2021	18.01.2022		
श्री राजेश अरगल	✓	✓	3	3
श्री धनंजय सिंह	x	x	3	0
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	x	3	2
श्री योगेश कुमार मिश्रा	x	✓	3	1
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	–	✓	1	1

3.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV के अनुसार, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 लागू सीमा तक और दिनांक 28 दिसंबर, 2012 के डीपीई–कार्यालय ज्ञापन (20 जून, 2013 केडीपीई–ओएम द्वारा संशोधित) के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक दिनांक 14 और 15 मार्च, 2022 को आयोजित की गई थी।

3.8 निदेशकों का पारिश्रमिक:

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व–निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल में नामित अंशकालिक सरकारी निदेशक को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

स्वतंत्र निदेशकों (गैर कार्यपालक) को निदेशक मंडल और इसकी समिति बैठकों के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 30,000 रूपए तथा बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए 20,000 रूपए का भुगतान किया जा रहा है। मार्च 2022 को बोर्ड ने बोर्ड बैठकों में उपस्थित होने के लिए 40,000 रूपए और बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए 25,000 रूप्ए के बैठक शुल्कों में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है।

क. 2021–22 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए में)

क.स	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम एवं पदनाम			
		श्री योगेश कुमार मिश्रा* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	श्री एम.के. सिंह** निदेशक (वित्त) (30.09.2021 तक)	श्री एस.के. चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.04.2021 तक)
1	सकल वेतन				
क)	आयकर अधिनियमत्र 1961 के अनुच्छेद 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	42,52,189	45,19,353	36,66,094	9,41,324
ख)	आयकर अधिनियमत्र 1961 के अनुच्छेद 17(2) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	8,23,044	10,33,063	3,17,423	61,054
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक आप्शन	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	–निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	10,84,893	12,26,203	4,14,944	-
	–सेवानिवृत्ति लाभ	6,83,980	7,26,776	7,98,086	58,650
	कुल	**68,44,106**	**75,05,395**	**51,96,547**	**10,61,028**

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

* दिनांक 04.09.2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 01.04.2021 से 03.09.2021 तक निदेशक (कार्य) के पद पर थे।

**श्री एम. के. सिंह ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 01.05.2021 से 04.09.2021 तक ग्रहण किया।

ख. वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशक(अंशकालीन गैरसरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतानका ब्यौरा:

(रूपए में)

स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (रूपए में)		कुल
	बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
श्री अजय कुमार चौहान (11.11.2021 से प्रभावी)	1,20,000	1,80,000	3,00,000
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (16.11.2021 से प्रभावी)	90,000	1,20,000	2,10,000
श्रीमती रंजना उपाध्याय (16.11.2021 से प्रभावी)	90,000	1,00,000	1,90,000
डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्र (31.12.2021 से प्रभावी)	60,000	-	60,000

4. वार्षिक साधारण बैठक

4.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक तथा असाधारण आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल/स्थान
2020–21 (45वीं एजीएम)	24 सितंबर 2021	1230 बजे	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया)
2019–20 (44वीं एजीएम)	29 सितंबर 2020	1130 बजे	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक स्थल माना गया)
2018–19 (43वीं एजीएम)	03 सितंबर 2019	1000 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा: शून्य

4.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प परित नहीं किया गया है। हालांकि, 1:1 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए दिनांक 11 मई, 2021 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया गया था।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधन के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी, 2022 से, निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जानी है या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समय अवधि के भीतर, जो भी पहले हो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन विशेष प्रस्तावों के माध्यम से होना चाहिए।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के उपरांत श्री अजय कुमार चौहान, श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती रंजना उपाध्याय और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा को अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशकों के रूप में और कंपनी को बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में श्रीमती जागिनी आडयाणी की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव को डाक मतपत्र के माध्यम से 29 जून, 2022 को सदस्यों द्वारा आयोजित और अनुमोदित किया गया था।

ये पोस्टल बैलेट, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए एमसीए परिपत्र के अनुरूप रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली की प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोजित किए गए थे।

4.3 पोस्टल बैलेट के माध्यम से आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित विशेष संकल्प

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

5. सम्प्रेषण के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट,

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

साधारण बैठकों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रकटनों द्वारा सम्प्रेषण करती है। कंपनी के संबंध में सूचना, नवीनतम अद्यतन तथा घोषणाओं को इरकॉन की वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं:

- तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- तिमाही शेयरधारक पैटर्न।
- तिमाही निगमित शासन रिपोर्ट।
- विश्लेषकों द्वारा सम्मेलनों का ट्रांसक्रिप्ट।
- समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।
- कंपनी के आधिकारिक समाचार, अन्य प्रेस कवरेज,संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण।
- कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी तथा आरटीए का ई-मेल आईडी वेबसाइट में "इन्वेस्टर रिलेशन" इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

कंपनी विश्लेषकों की ब्रिफिंग के संयोजन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत चर्चाओं के द्वारा संस्थागत शेयरधारकों के साथ सम्प्रेषण करती है और समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात कॉन्फरेंस कॉलों के माध्यम से वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, तिमाही परिणाम प्रकाशित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

तिमाही	समाचारपत्र
दिनांक 30.06.2021 को समाप्त पहली तिमाही और नौ महीने	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 30.09.2021 को समाप्त दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 31.12.2021 को समाप्त तीसरी तिमाही और नयां महीना	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

6.1 चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

दिन तथा तिथि: शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022

समय: 12:30 अपराह्न

स्थान: कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

एजीएम की सूचना: हमारी कंपनी, एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, अपने संचालन और सेवाओं में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हरित पहल का समर्थन करती है, जो शेयरधारकों को उनके ई-मेल पते पर डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर के साथ पंजीकृत दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सक्षम करती है। प्रतिनिधि। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को निर्धारित तरीके से या लागू कानूनों में निर्धारित तरीके से भेजी जा रही है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

6.2. वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च है।

6.3 बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों और शेयर अंतरण बहियों का रजिस्टर शनिवार, 10 सितंबर, 2022 से शुक्रवार 16 सितंबर, 2022 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगा।

6.4. लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 61.13 करोड़ रूपए की राशि के प्रति 2 रूपए फेस मूल्य के प्रति शेयर 0.65 रूपए (188.10 करोड़ रूपए के प्रदत्त शेयर पूंजी का 32.50 प्रतिशत) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वर्ष के दौरानघोषित और भुगतान किए गए प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.85रूपए के अंतरिम लाभांश (188.10 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 92.50 प्रतिशत), जिसकी कुल राशि 174 करोड रूपए है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने तीन बार अंतरिम लाभांश की घोषणा की और भुगतान किया। 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए पहला अंतरिम लाभांश लगभग 42.33 करोड़ रुपये (अर्थात 188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 22.50 प्रतिशत) के लिए 0.45 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से घोषित किया गया था, और दिनांक 30 सितंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

लिए दूसरा और तीसरा अंतरिम लाभांश, रु.0.70 प्रति इक्विटी शेयर की दर से किया गया था, जिसकी सकल राशिलगभग 65.84 करोड़ रु. (188.10 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी का 35 प्रतिशत) है और इनका भुगतान क्रमशः 06 सितंबर, 2021, 07 दिसंबर, 2021 और 08 मार्च, 2022 को किया गया था। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामों वाले सदस्यों को मंगलवार, 4 अक्टूबर, 2022 को किया जाएगा और डीमेटिरियलाइस्ड शेयरों के मामले में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में प्रदर्शित होने वाले नामों को इसका भुगतान, शुक्रवार, 09 सितंबर, 2022 को व्यवसाय समय के समापन पर किया जाएगा।

6.5 लाभांश इतिहास

पिछले आठ वर्षों के दौरान इरकॉन द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा निम्नानुसार सारबद्ध है:

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (रु. करोड में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (रु. करोड में)	बोर्ड बैठक*/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांशकी घोषणा की गई थी	अंतरित/ अंतिम	लाभांश के भुगतान की तिथि
2013-2014	19.796	182.12 (92 रूपए प्रति शेयर)	31.01.2014*	अंतरिम	25.02.2014
			25.09.2014	अंतिम	17.10.2014
2014-2015	19.796	182.12 (92 रूपए प्रति शेयर)	28.01.2015*	अंतरिम	24.02.2015
			22.12.2015	अंतिम	18.01.2016
2015-2016	19.796	168.26 (85 रूपए प्रति शेयर)	19.02.2016*	अंतरिम	14.03.2016
			28.09.2016	अंतिम	21.10.2016
2016-2017	19.796 +79.184#	79.05	20.01.2017*	अंतरिम	14.02.2017
	19.796 +79.184#	16.10	23.03.2017*	अतिरिक्त अंतरिम	27.03.2017
	19.796 +79.184#	97.25	28.09.2017	अंतिम	24.10.2017
2017-2018	94.05	192.40 (20.46 रूपए प्रति शेयर)	20.03.2018*	अंतरिम	28.03.2018
			14.09.2018	अंतिम	10.10.2018
2018-2019	94.05	202.64 (21.54 रूपए प्रति शेयर)	07.02.2019*	अंतरिम	26.02.2019
			28.05.2019	अंतिम	18.09.2019
2019-2020	94.05	223.48 (रूपए प्रति शेयर)$	11.02.2020*	अंतरिम	03.03.2020
			10.07.2020	अंतिम	14.10.2020
2020-2021	94.05	61.13** (1.30 रूपए प्रति शेयर)	15.02.2021	अंतरिम	03.03.2021
	188.10***	159.89** (1.70 रूपए प्रति शेयर)	12.08.2021	अंतिम	12.10.2021
2021-2022	188.10	42.32** (0.45 रूपए प्रति शेयर)	12.08.2021*	प्रथम अंतरिम लाभांश	06.09.2021
	188.10	65.84** (0.70 रूपए प्रति शेयर)	12.11.2021*	दूसरा अंतरिम लाभांश	07.12.2021
	188.10	65.84** (0.70 रूपए प्रति शेयर)	14.02.2022*	तीसरा अंतरिम लाभांश	08.03.2022
	188.10	61.13** (0.65रूपए प्रति शेयर)	27.05.2022	अंतिम लाभांश	04.10.2022

* बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी।

**2 रूपए के फेससमूल्य पर।

***1:1के अनुपात में बोनस इश्यु के परिणामस्वरूप, दिनांक 23.05.2021 से प्रदत्त पूंजी 94.05 करोड़ रूपए से बढ कर 188.10 करोड़ रूपए हो गई है।

#अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम तथा अंतिम लाभांश का भुगतान 79.184 करोड़ रूपए के बोनस शेयर पूंजी (दिनांक 05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए) पर किया गया था।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

$ अंतरिम लाभांश प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर 13.45 रूपए प्रतिशेयर की दर से भुगतान किया गया था और अंतिम लाभांश प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य पर 2.06 रूपए प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया था।

6.6 लाभांश वितरण नीतिः

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण निति विद्यमान है। इस नीति का उद्देश्य व्यापक स्तर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिम कारक) को निर्धारित करना है, जिनपर लाभांश की घोषणा के समय विचार किया जाएगा और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आमदनी का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस नीति को बोर्ड रिपोर्ट पर संलग्न किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

6.7 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरणः

कंपनी दिनांक 28.09.2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को किया गया है। कंपनी का आईएसआईएन INE962Y01021 है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400 051	फिरोज जीजीभोए टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
सिम्बल कोड : IRCON	सिक्योरिटी कोडः 541956

6.8 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए इरकॉन के शेयरों का बाजार मूल्य आंकडे

माह	एनएसई				बीएसई				सूचकांक	
	उच्चतम	निम्नतम	समापन	मात्रा	उच्चतम	निम्नतम	समापन	मात्रा	एनएसई निफ्टी	बीएसई सेंसेक्स
	(रूपए में)			(में शेयरों की संख्या)	(रूपए में)			(में शेयरों की संख्या)		
अप्रैल–21	92.35*	85.20*	89.55*	4,67,70,631	92.40*	85.25*	89.65*	39,66,077	14,631.10	48,782.36
मई–21	101.90*	47.65	47.75	8,55,28,964	102.00*	47.65	47.75	81,42,540	15,582.80	51,937.44
जून–21	49.85	45.30	48.80	8,15,22,587	49.85	45.25	48.80	1,13,12,429	15,721.50	52,482.71
जुलाई–21	49.30	43.10	43.95	4,45,65,055	49.80	43.20	44.00	55,46,492	15,763.05	52,586.84
अगस्त–21	46.20	40.15	43.05	5,21,25,006	46.15	40.05	43.05	55,16,991	17,132.20	57,552.39
सितम्बर–21	46.70	42.80	45.20	5,28,93,304	46.60	42.80	45.20	65,32,218	17,618.15	59,126.36
अक्टूबर–21	53.40	44.75	47.25	12,92,99,560	53.35	44.80	47.25	1,50,34,469	17,671.65	59,306.93
नवंबर–21	50.75	43.75	44.95	4,56,96,138	50.70	43.70	44.85	72,18,253	16,983.20	57,064.87
दिसंबर–21	47.80	43.85	45.15	2,87,39,054	47.90	43.90	45.15	47,85,158	17,354.05	58,253.82
जनवरी –22	48.25	44.05	45.50	3,16,80,773	48.15	44.00	45.50	48,52,149	17,339.85	58,014.17
फरवरी –22	46.40	39.10	40.45	2,50,47,647	46.40	39.00	40.45	36,29,963	16,793.90	56,247.28
मार्च–22	41.85	39.25	39.80	2,08,86,096	41.90	39.25	39.75	40,14,513	17,464.75	58,568.51

*बोनस शेयर जारी करने से पूर्व 1:1 के अनुपात में।

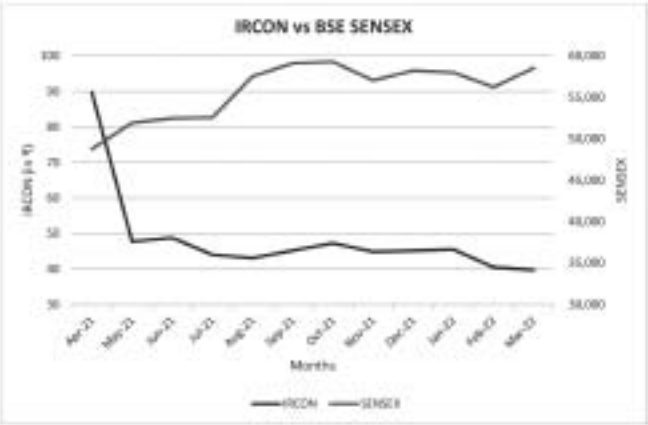

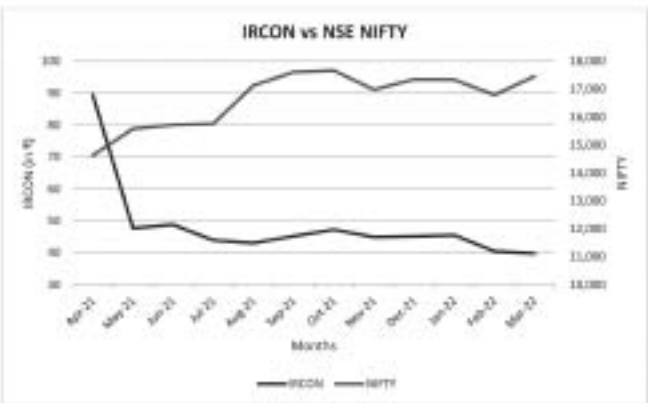

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

6.9 कंपनी की प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं की गई हैं।

6.10 शेयरों का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट निम्नानुसार थे:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (05.01.2022 से प्रभावी)
205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110055
दूरभाष नं.: 011–42541234
फैक्स नंबर: 011–23552001
ईमेल: rta@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com

केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (04.01.2022 तक)
(पूर्व में कार्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
कार्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी सेलेनियम, टावर–बी,
प्लॉट सं. 31 व 32, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, भारत
टोलफोन नं 18003454001
ईमेल : einward.ris@karvy.com

6.11 शेयरों का अंतरण

वर्ष 2021–22 के दौरान, 04 जनवरी, 2022 तक, केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) था और उसके बाद दिनांक 05 जनवरी, 2022 से, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, भौतिक और डीमैट शेयरों के लिए कंपनी का आरटीए हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है।निदेशक मंडल ने शेयरों के रिमेटिरियलाइजेशन/विभाजन/दोहरीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और इन प्रमाणपत्रों पर अध्याक्षर/फेक्सिमिल हस्ताक्षर करने और सामान्य मोहर लगाने के लिए किसी एक पूर्णकालीन निदेशक तथा कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में कोई दो पूर्णकालीन निदेशक) को प्राधिकृत किया है।

दिनांक 8 जून 2018 को सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 की तर्ज पर, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 से प्रतिभूतियों/शेयरों के अंतरण को प्रभावी बनाने के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबतक ये प्रतिभूतिया डीमेट रूप में न हों, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों/शेयरों का ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन शामिल हो। इसके अलावा, सेबी ने अपने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी/सीआईआर/2022/8 के तहत यह अनिवार्य किया है कि डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए उचंत खाते से दावा, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय, पृष्ठांकन, उपखंड/ शेयर प्रमाणपत्र का विघटन, प्रतिभूतियों का समेकन, पारेषण और स्थानान्तरण, केवल अभौतिक रूप में जारी किया जाएगा और कोई भौतिक शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

इस संदर्भ में, 01 अप्रैल, 2019 से शेयरधारकों को केवल अभौतिक रूप में शेयरों को रखने के लिए सूचित करने हेतु कंपनी की वेबसाइट पर नोटिस जारी किए गए हैं और ऊपर बताए अनुसार सेवा अनुरोध, शेयर केवल डीमैटीरियलाइज्ड मोड में जारी किए जाएंगे और 25 जनवरी 2022 से कोई भी भौतिक शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

भौतिक सेगमेंट के तहत शेयर ट्रांसमिशन गतिविधियां, आरटीए द्वारा की जा रही हैं। कंपनी के अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 7(3) के तहत आवश्यकतानुसार अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, स्टॉक एक्सचेंज को जमा कर दिया गया है। वर्ष के दौरान, 150 इक्विटी शेयरों के प्रसारण के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड मोड के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) के अनुसरण में, अर्धवार्षिक आधार पर इस पुष्टि पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र कि सभी प्रमाणपत्रों को अंतरणों, उप–डिविजन, समेकन, नवीकरण विनिमय या पृष्ठांकन के कॉलों/आयंटन राशियों के लिए लॉजमेंट की तिथि से तीस दिन के भीतर जारी कर दिए गए हैं और इन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2021–22 के दौरान शेयर के अंतरण, सब–डिविजन, समेकन, नवीकरण, कॉलों/आयंटन राशियों के विनिमय या पृष्ठांकन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को शेयरधारण का संवितरण

क. 31 मार्च 2021 को होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का संवितरण

धारित इक्विटी शेयर/शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
1 - 500	268825	85.00	37443629	3.98
501 - 1000	24246	7.67	19783763	2.10
1001 - 2000	11982	3.79	18990524	2.02
2001 - 3000	3855	1.22	9889280	1.05
3001 - 4000	1898	0.60	7007369	0.75
4001 - 5000	1758	0.56	8235668	0.88
5001 - 10000	2165	0.68	16262796	1.73
10001 - 20000	880	0.28	13098659	1.39
20001 और ऊपर	657	0.21	809804052	86.10
कुल:	**316266**	**100.00**	**940515740**	**100.00**

ख. 31 मार्च 2022 को शेयरधारण पैटर्न

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
प्रमोटर शेयरधारित		
भारत के राष्ट्रपति	68,83,01,650	73.18
उपकुल (1)	**68,83,01,650**	**73.18**
गैर प्रमोटर शेयरधारित		
म्युचुअल फंड	1,94,652	0.02
वित्तीय संस्थान/बैंक	24,38,900	0.26
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2,09,36,057	2.23
निगमित निकाय	5,16,81,073	5.49
बीमा कंपनियां	68,45,070	0.73
रेसिडेंट व्यक्ति	15,69,01,246	16.68
अप्रवासी भारतीय (अप्रवासी अनिवासी सहित)	44,33,649	0.47
अन्य (विदेशी नागरिक, निदेशक और उनके रिश्तेदार, सभासो थन सदस्य, एचयूएफ, एनबीएफसी, ट्रस्ट आदि)	87,83,443	0.93
उपकुल (2)	**25,22,14,090**	**26.82**
कुल (1+2)	**94,05,15,740**	**100.00**

ग. कंपनी के शेयरों की 1 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक:

श्रेणी और शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2022 को	
	वोटिंग प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर और प्रमोटर समूह		
भारत के राष्ट्रपति	73.18	68,83,01,650
गैर प्रमोटर – निकाय निगम		
लोक प्रकाशन लिमिटेड	1.86	1,74,89,162

6.12 शेयरों और लिक्विडिटी का डीमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमेटिरियलाइज रूप में हैं और दोनों ही डिपोजिटिरीस यथा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटिरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में स्वीकृत हैं।

पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विनियोजन निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा करा दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को डीमेटिरियलाइस्ड तथा भौतिकरूप में धारित शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	5,757	नगण्य
डीमेट		
एनएसडीएल के साथ	85,47,83,447	90.89
सीडीएसएल के साथ	8,57,26,536	9.11
कुल	**94,05,15,740**	**100**

6.13 बकाया जीडीआर/एडीआर:

दिनांक 31 मार्च 2022 को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय अभिलेख बकायां नहीं है।

6.14 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम या हैजिंग गतिविधियां:

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय से पूर्व विनिमय दर में प्रतिकूल रूप से परिवर्तन होने का जोखिम रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए, इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर निगरानी की जाती है और उपयुक्त समय में सरप्लास निधि को विनिमयित/भारत में वापस लाया जाता है। तथापि, यहां कोई विनिमय उच्चावचन जोखिम शामिल नहीं है क्योंकि आयक और जायक दोनों एक ही विदेशी मुद्रा में हैं। इससे चालू विदेशी उच्चावचन जोखिम के प्रति स्वतः हैजिंग उपलब्ध हो जाती है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

6.15 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और भारतवर्ष में अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सहयोग प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए 54 परियोजना कार्यालय तथा 04 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त पांच और स्थलों पर परियोजना कार्यालय स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, विदेश में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया और म्यामार में 05 प्रमुख विदेशी परियोजना कार्यालय हैं, जहां व्यावसायिक गतिविधियों को निष्पादित किया जाता है।

प्रचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.16 पंजीकृतकार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

सुश्री रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007
टेलीफोन : 91–11–26530456,
फैक्स : 91–11–26522000/26854000
ई–मेल : cosecy@investors@ircon.org
वेबसाईट: www.ircon.org

6.17 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंगों की सूची

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण माध्यमों के लिए प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

माध्यम: दीर्घकालीन/अल्पकालीन बैंक सुविधाएं

रेटिंग एजेंसी: केयर

रेटिंग: केयर एएए,स्टेबल/केयर ए1+(ट्रिपल ए; आउटलुक; स्थिर/ए वन प्लस)

आउटलुक : स्थिर

7. प्रकटन

7.1 संबंधित पक्ष संव्यवहार

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रकटनों को छोड़कर महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार, विशिष्ट संव्यवहारों या कंपनी व निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधितों के बीच संबंध नहीं है, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुसार है।

व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी–2), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कंपनी ने अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए सामग्रीगत शिकायटों से निपटने और कंपनी व इसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहारों से निपटने की विधि हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) नीति निर्धारित की है।

यह आरटीपी नीति लिंक:

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन/दंड या प्रतिबंध।

यहां किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं है और ना ही सरकार द्वारा जारी पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या दिशानिर्देश के संबंध में कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

7.3 आचार संहिता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ट प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आचारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता और आचारभूत मूल्य 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org में शामिल किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ट प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आचारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्नक "ङ.–1" पर उपलब्ध है।

7.4 आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए उचित प्रकटन हेतु आचार संहिंत

सेबी (आंतरिक ट्रेडिंग निवारण) अधिनियम, 2015 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने इरकॉन की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए आचार संहिता को अनुमोदित किया हो ताकि कंपनी के आंतरिक लोग कंपनी

के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार यह आंतरिक सूचना बन जाती है, पर पहुंच प्राप्त करके किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न कर सकें या किसी अन्य को किसी प्रकार का लाभ प्रदान न करा सकें।

7.5 विसल ब्लोवर नीति

कंपनी व्यवसाय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को स्वीकार करके नैतिकतापूर्ण और विधिक रूप से कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टेकधारकों सहित अपने सभी स्टेकधारकों के साथ अपना व्यवसाय और कार्य के संचालन में विश्वास रखती है।

कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को लीक करने की घटनाओं से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस नीति में उन कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या आपवादिक मामलों में यथा ई–9 ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का डर हो, वहां लेखापरीक्षा समिति को शिकायत भेजी जा सकती है। बोर्ड स्तर के कार्यपालक के विरुद्ध शिकायतों को आगे की कार्रवाई हेतु रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

7.6 सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का अनुपालन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी निम्नलिखित के संबंध में अनुपालन नहीं कर रही है:

क) निदेशक मंडल की संरचना, जिसमें 10 नवंबर, 2021 तक गैर–कार्यपालक निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है,

ख) पूरे वर्ष के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होना,

ग) 15 नवंबर, 2021 तक निदेशकों की अपेक्षित संख्या (छह निदेशकों से कम नहीं) नहीं होना,

घ) 15 नवंबर, 2021 तक बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति,

ङ) 12 नवंबर, 2021 तक आयोजित बोर्ड की बैठकों का कोरम,

च) 17 नवंबर, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति की संरचना और 12 नवंबर, 2021 तक आयोजित इसकी बैठकों में अपेक्षित कोरम,

छ) 17 नवंबर, 2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और 29 जून, 2021 को हुई बैठक में अपेक्षित कोरम, तथा

ज) 17 नवंबर, 2021 तक स्टेकधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना।

चूंकि, निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात, रेल मंत्रालय) द्वारा की जाती है, कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है और कंपनी ने रेल मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, बोर्ड की सभी समितियां दिनांक 18.11.2021 से प्रभावी हैं।

7.7 वेब लिंक जहां सामग्रीगत सहायक कंपनियों के प्रकटन का निर्धारण होता है:

https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Policy%20on%20Material%20Subsidiaries.pdf

वर्तमान में कंपनी की निम्नलिखित पांच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां :

(क) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

(ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(ग) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

(घ) इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

(ङ) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)

(च) इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)

(छ) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

(ज) इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएकेईएल)

(झ) इरकॉन भोज–मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

(ट) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

सहायक कंपनी:

(ठ) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉनआरपीएल)

वर्ष के दौरान, चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां अर्थात इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉनएकेईएल, इरकॉनबीएमईएल,

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

इरकॉनएचबीएल को क्रमशः दिनांक 23 दिसंबर, 2021, 24 दिसंबर, 2021, 06 जनवरी, 2022 और 13 जनवरी, 2022 को निगमित शामिल किया गया था। इसके अलावा, इरकॉन की एक सहायक कंपनी अर्थात इरकॉनआरपीएल को दिनांक 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया था जिसमें इरकॉन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनीः वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं थी।

7.8 वर्ष के दौरान, प्रैफेंशियल आवंटन या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई निधि एकत्र नहीं की गई है।

7.9 सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्कः

उसमें सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त समग्र सेवा हेतु कुल शुल्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर किए गए भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	शुल्क का विवरण	रूपए
1	लेखापरीक्षा शुल्क	0.38
2	माइग्रेशन डॉटा लेखापरीक्षा शुल्क	0.05
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.11
4	तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.22
5	प्रमाणपत्र शुल्क	0.02
6	यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्ययः	
	क) यात्रा व्यय	0.01
	ख) आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.01
	कुल	**0.80**

7.10 निदेशकों की अनर्हता के लिए प्रमाणपत्र

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने या बने रहने के लिए बोर्ड/कंपनी कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या अनर्हक नहीं किया गया है, अनुबंध–ड.2 पर संलग्न है।

7.11 वर्ष 2021–22 के लिए महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटनः

वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
शून्य	शून्य	शून्य

7.12 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा "फर्मों / कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम का प्रकटीकरण, जिसमें निदेशक का हित है, नाम और राशि सहित" :

कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने उन फर्मों/कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रुचि है, कर्ज के रूप में कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

7.13 डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का ब्यौरा

कम्पनी ने सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित समय के भीतर विनिर्दिष्ट प्रारूप(प्रारूपों) में निगमित शासन की रिपोर्ट रेल मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग(डीपीई)को प्रस्तुत की है।

वर्ष 2020–21 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को "उत्कृष्टता" ग्रेड प्रदान किया है।

डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2021–22 के लिए 100 में से 100 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

7.14 पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति के निदेशः

रेल मंत्रालय ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के विनिवेश के अपने निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, भारत सरकार ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के 10.53 प्रतिशत (99,05,157 इक्विटी शेयरों) का विनिवेश किया है और दिनांक 28 सितंबर 2018 को कंपनी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हुई थी।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 और दिनांक 03.08.2018 के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में, भारत सरकार ने 3 मार्च 2021 और 4 मार्च 2021 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री की प्रस्ताव द्वारा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (यथा 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) के 16 प्रतिशत का पुनः विनिवेश किया है।

7.15 लेखा बहियों के नामे किए गए व्यय की मदें, व्यवसाय के प्रयोजन में नहीं हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजनों से इतर व्यय की किसी भी मद को लेखों की लेखा बहियों में नामे नहीं किया गया है।

7.16 व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा–3.7 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 33 (ख) में भीप्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.17 वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (प्रशासनिक) एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	वि.व 2021.22	वि.व 2020.21
अन्य व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रूपए में)	**51.88**	42.71
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रूपए में)	**9.93**	13.50
कुल व्यय (करोड़ रूपए में)	**6570.94**	4626.29
प्रशासनिक व्यय / कुल व्यय(प्रतिशत में)	**0.79**	0.92
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/ कुल व्यय (प्रतिशत में)	**0.15**	0.29

7.18 सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप विनियम(2) के खंड (ख) से (ट) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, केवल सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में यथा प्रकटित को छोडकर।

7.19 डीमेट उचंत खाते/अदावित उचंत खाते के संबंध में प्रकटन:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के पास डीमेट उचंत खाते या अदावित उचंत खाते में कोई शेयर नहीं है।

7.20 अदावित लाभांश

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च 2022 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट की इस लिंक पर उपलब्ध है: निवेशक संबंध>>नोटिस और अन्य घोषणाएं>> लाभांश।

7.21 समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना

बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर मुद्दों पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

8. लेखापरीक्षा अर्हताएं

लेखापरीक्षा अर्हताओं के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सनदी लेखाकार मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें। लेखापरीक्षा रिपोर्ट गैर–आशोधित है।

9. विभेदकारी अपेक्षाएं:

9.1 बोर्ड: कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं।

9.2 शेयरधारकों के अधिकार: 30 सितंबर 2021 को समाप्त अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दिनांक 13 नवंबर 2021 को फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था और इन्हें कंपनी की वेबसाई पर भी डाला गया था। तथापि, शेयरधारकों को पृथक अर्धवार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं और स्टाक एक्सचेंजों की सूचनाओं को कंपनी की वेबसाईट में प्रकट किया गया है।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 27 मई 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुबंध–ड.3 में संलग्न किया गया है।

11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2021–22 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजागर किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्तप्रमाणपत्रइस रिपोर्ट केसंलग्नक ड.–4पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर स

ह0/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
एवं सीईओ
(डीआईएनः 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 08, 2022

अनुबंध–ड. 1

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

ह0/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
एवं सीईओ
(डीआईएनः 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 21, 2022

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुबंध–ङ.2

निदेशकों के गैर–अनर्हता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) तथा अनुसूची–ट पैरा ग खंड (10)(पं) के अनुसरण में

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनका सीआईएन L45203DL1976GOI008171 है और पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 (जिसे यहां आगे कंपनी कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्टरों, रिकार्डों, फॉर्मों, रिटर्नों तथा प्रकटनों की जांच की है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची–V, पैरा–ग, खंड (10)(पं) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), के अनुसार तथा कंपनी व इनके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं हम 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे वर्णित अनुसार कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अनर्हक नहीं किया गया है।

क्र.सं	निदेशक का नाम	डिन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि	कार्युक्ति की तिथि
1	श्री योगेश कुमार मिश्रा	07654014	28/12/2018	-
2	श्री श्याम लाल गुप्ता	07598920	01/11/2019	-
3	श्री मोहित सिन्हा	00843548	03/12/2021	-
4	श्री धनन्जय सिंह	08955500	10/11/2020	-
5	श्री राजेश अरलग	09171980	13/05/2021	-
6	श्री अजय कुमार चौहान	09394953	11/11/2021	-
7	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	09398271	16/11/2021	-
8	श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	16/11/2021	-
9	डॉ कार्तिक चंदूलाल भट्ट	09453387	31/12/2021	-
10	श्री सुनील कुमार चौधरी	00515672	29/10/2016	30/04/2021
11	श्री मुकेश कुमार सिंह	06607392	01/05/2016	30/09/2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे इस सत्यापन के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–(डिजिटल)
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस: 1807 सीपी सं.: 14984
पीआर : 610/2019
यूडीआईएन: F001807D000492561

स्थान: नोएडा
दिनांक: 14 जून, 2022

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक –ङ–3

दिनांक: मई 27, 2022

सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:–

क. (1) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को छटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(2) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

ग. हम आंतरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

घ. हमने लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है,

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन है;

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और कि इन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया गया है, और

(3) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/–
(योगश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (सीईओ)
(डीआईएन : 07654014)

ह0/–
(मुगुंथन बोजू गोडा)
मुख्य वित्त अधिकारी
(पेन : AFKPG8933P)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुबंध–8.4

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवामें,

सदस्य,

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

1. हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड ख से ट तथा अनुसूची–ट, पैरा–ग खंड में निर्धारित अनुसार तथा मई 2010 में केन्द्रीय लोक उपक्रमों के लिए जारी निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण तथा सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

3. हमारा उत्तरदायित्व सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की या तो संपरीक्षा है और न ही मत अभिव्यक्ति है।

4. संगत रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता विनियम के विनियम विनियमसम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड ग तथा ट तथा अनुसूची ट पैरा ग तथा घ के खंड में निर्धारित अनुसार तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित शासन पर लोक उपक्रम विभाग डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के मद्देनजर है

कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं है:

1. विनियम 17(1)(क) के तहत यथापेक्षित, दिनांक 10 नवंबर, 2021 तक गैर–कार्यकारी निदेशक (निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं) की अपेक्षित संख्या, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 17(1)(क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 15 नवंबर तक, 2021 तक महिला/महिला स्वतंत्र निदेशक जैसा कि है।

2. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के तहत तथा निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2022 तक इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (निदेशक मंडल का कम से कम आधा) की अपेक्षित संख्या।

3. विनियमसम 17(1)(ग) के तहत यथापेक्षित 15 नवंबर, 2021 तक इसके बोर्ड में निदेशकों की आवश्यक संख्या (छह निदेशकों से कम नहीं) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित बैठकों के लिए आवश्यक कोरम (कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित)।

4. विनियमसम 18(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (2)(ख) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित इसकी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।

5. विनियमसम 19(1)/(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 29 जून, 2021 तक बोर्ड की आयोजित इसकी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।

6. विनियमसम 21(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक स्टेकधारक संबंध समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की उपयुक्त संरचना

7. विनियमसम 135(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की उपयुक्त संरचना।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और न ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का, जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807 सीपी सं.: 14984
पीआर : 610/2019
यूडीआईएनः F001807D000492561

स्थानः नोएडा
दिनांकः 14 जून, 2022

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट (बीआरआर)

प्रस्तावना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की वित्त वर्ष 2021–22 की व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं व्यापार के आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के अनुरूप है।

इरकॉन, कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीतियों और आचार संहिता को अपनाकर कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों और सर्वोत्तम व्यवहारों के उच्चतम मानकों का पालन करता है। इन नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण और सभी स्टेक धारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक समूह की अनुशंसा की गई है। हमारे स्टेकधारकों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों और संहिता का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

हमारी व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) द्वारा परिभाषित हमारे व्यवहारों और प्रस्तुति के सिद्धांतों के साथ–साथ दिनांक 04 नवंबर, 2015 के सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 के अनुसार गवर्नेंस, पर्यावरण, एवं स्टेकधारक सम्बद्धों के विषय के प्रश्नों के प्रति प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, एलओडीआर विनियमों के विनियम–34(2)(एफ) में दिनांक 05 मई, 2021 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएडी/10/2015 के तहत संशोधन ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) द्वारा निर्धारित ईएसजी मापदंडों पर एक नई रिपोर्टिंग आवश्यकता पेश की है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के लिए शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्वैच्छिक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए इरकॉन का यह बीआरआर दिनांक 04 नवंबर, 2015 के सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 के तहत निर्धारित प्रारूप में रिपोर्टिंग प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश एवं सेबी विनियमों के अनुसार सिद्धांत

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एनवीजी सिद्धांत, भारत के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ और प्राथमिकताओं के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक व्यवहारों के अनुसार निर्मित किए गए हैं। एनवीजी में नौ परस्पर संबंधित और परस्पर सिद्धांत और संबंधित मूल तत्व शामिल हैं और व्यापारिक जिम्मेदारी के लिए ये एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नीति 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदेयता

व्यापार का संचालन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए

नीति 2: उत्पाद उपयोज्यता चक्र संवहनीयता

व्यापार में ये माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने पूरे उपयोज्यता चक्र में संवहनीयता में योगदान करती हैं

नीति 3: कर्मचारियों का कल्याण

व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

नीति 4: स्टेकधारक सम्बद्धता

व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक, विशेषतः ये जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

नीति 5: मानवाधिकार

व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए।

नीति 6: पर्यावरण

व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

नीति 7: नीतिगत समर्थन

व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

नीति 8: समावेशी विकास।

व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

नीति 9: ग्राहक मूल्य

व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

खंड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1	कंपनी का निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L45203DL1976GOI008171
2	कंपनी का नाम	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)
3	पंजीकृत कार्यालय	सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110017
4	वेबसाइट	www.ircon.org
5	ई–मेल आईडी	cosecy@ircon.org
6	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष	2021.22
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (कोडवार औद्योगिक गतिविधियां)	सड़कों और रेलों का निर्माण (एनआईसी कोड – 4210)
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी द्वारा विनिर्माण/उपलब्ध कराई जाती हैं (तुलन पत्र के अनुसार)	इरकॉन एक एकीकृत भारतीय इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी है। इसे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विशेषज्ञता प्राप्त है। कंपनी द्वारा सेवित प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार है: क. रेलवे, राजमार्ग एवं पुल ख. विद्युत और यांत्रिक ग. सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) घ. वर्कशॉप एवं अन्य भवन
9	स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां निष्पादित की गई हैं: (क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या (प्रमुख 5 का ब्यौरा उपलब्ध कराएं) (ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	(क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या इरकॉन पांच प्रमुख विदेशी स्थलों (यथा श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया और म्यामार) से अपनी व्यवसायिक गतिविधियां निष्पादित कर रहा है। (ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या इरकॉन का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली, भारत में है और सम्पूर्ण भारत में व्यवसायिक प्रचालनों के प्रबंधन के लिए इनके 54 परियोजना कार्यालय और चार क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अतिरिक्त, भारत में हाल में प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 5 अधिक स्थलों पर परियोजना कार्यालयों को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
10	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	इरकॉन स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बाजार को सेवित करता है।

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण (2021–22)

1	प्रदत्त पूंजी (रूपए करोड़ में)	188.10 करोड़ रूपए
2	कुल टर्नओवर (रूपए करोड़ में)	7181 करोड़ रूपए
3	कर पश्चात कुल लाभ (रूपए करोड़ में)	544.32 करोड़ रूपए
4	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (प्रतिशत)	2 प्रतिशत (सीएसआर पर 10.52 करोड रूपए का कुल व्यय)
5	गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 के व्यय किए गए हैं	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक की रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर और धारणीयता रिपोर्ट का संदर्भ लें।

खंड ग: अन्य जानकारी

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है।

   जी हां। दिनांक 31 मार्च 2022 को इरकॉन की ग्यारह सहायक कंपनियां हैं यथा–

   (1) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)
   (2) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)
   (3) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)
   (4) इरकॉन देवनगिरी हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)
   (5) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)
   (6) इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)
   (7) इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल)

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

(8) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)
(9) इरकॉन भोज–मारवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)
(10) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)
(11) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉनआरपीएल)

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां पेरेंट कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं:

ग्यारह सहायक कंपनियों में से नौ कंपनियां यथा इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन पीकेईएल तथा इरकॉन जीआरएचएल, इरकॉनएकेईएल, इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉनबीएमईएल और इरकॉनएचबीएल विशेष कार्य वाहन हैं, जिनका गठन एनएलएआई द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है, इसलिए ये स्पेशल परपस व्हीकल अप्रत्यक्ष रूप से इरकॉन के व्यवसाय उत्तरदायित्व पहलों के भाग लेती हैं। एक सहायक कंपनी यथा इरकॉन आईएसएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसे समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। इसके अलावा, एक अन्य सहायक कंपनी अर्थात आईआरपीएल इरकॉन द्वारा 76 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) द्वारा 24 प्रतिशत, को दिनांक 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया है और अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हुआ है।

3. क्या कोई अन्य निकाय (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता, डिस्ट्रिब्यूटर आदि), जिनके साथ कंपनी व्यवसाय कर रही है, कंपनी के बीआर पहलों के भाग ले रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों के प्रतिशत को दर्शाए। (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)।

अधिकतर मामलों में बीआर पहल सीधे इरकॉन द्वारा की जाती है। कंपनी के सभी स्टेकधारक, जिनका कंपनी के साथ औपचारिक व्यवसाय व्यवस्था है जैसे सरकार, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार तथा अन्य अप्रत्यक्ष रूप से बी.आर. पहलों में भाग लेते हैं। तथापि, बीआर पहलों में उनके सहयोग के स्तर का निर्धारण करना कठिन है।

खंड– घ व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआरद्ध सूचना

1. बीआर हेतु उत्तरदायित्व निदेशक/निदेशकों का विवरण

(क) निदेशक/निदेशक पद का ब्यौरा और बीआर नीति/नीतियों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व

क.सं	विवरण	ब्यौरा
1	डिन नम्बर	07654014
2	नाम	श्री योगेश कुमार मिश्रा
3	पदनाम	सीएमडी एवं निदेशक (कार्य)

(ख) बीआर प्रमुख का ब्यौरा

क.सं	विवरण	ब्यौरा
1	डिन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	डॉ सुभाष चंद
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक (इलेक्ट्रिकल)
4	दूरभाष सं.	011–26530245
5	ई–मेल आईडी	subhash.chand@ircon.org

2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित शासन

(क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन के आकलीन की आवृत्ति दर्शाएं। 3 महीने में, 3–6 महीने, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक।

बी.आर. निष्पादन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन–प्रति–दिन के प्रचालनों का अभिन्न अंग है और बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति (समितियों) द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न मद के रूप में समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉन में सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की तीन बैठकें हुईं, जबकि निदेशक मंडल की नौ बैठकें हुईं।

(ख) क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

इरकॉन दिनांक 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध हो गया और एलओडीआर विनियमों के अनुपालन में कंपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में वार्षिक बीआरआर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वर्ष 2021–22 की बीआर रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अपलोड किया जाएगा और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध होगी: http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=430&lang=en.

कंपनी की स्थिरता रिपोर्टें वार्षिक रूप से प्रकाशित होती हैं और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=424& lang=en\

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

एनवीजी द्वारा सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन का ब्यौरा (उत्तर हां/नहीं में दें):

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास इस संबंध में नीति/नीतियां हैं.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या नीति को संगत हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां तो स्पष्ट करें? (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
		कंपनी की सारी नीतियां भारत सरकार द्वारा जारी लागू सांविधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/नीतियों आदि के अनुरूप हैं। इन नीतियों को उद्योग की पद्धतियों और मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।								
4	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां तो क्या इसे एमडी/ओनर/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
		कंपनी की नीतियों को बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बोर्ड/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								
5	क्या कंपनी में इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/कार्मिक की विशिष्ट समिति है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
6	इन नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं।	कंपनी की नीतियां नीचे उल्लिखित कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक पर है: https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en								
7	क्या इस नीति को औपचारिक रूप से सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारकों को भेजा गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
8	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इन-हाउस संरचना है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
9	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इन नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र संपरीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से विनियामक/व्यवसाय /पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर नीतियों में संशोधन किया जाता है/इन नीतियों का मूल्यांकन आंतरिक या बाहरी एजेंसियों से नहीं कराया जाता है।								

यदि किसी सिद्धांत में क्रम.संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर "नहीं " है तो, वर्णन करें क्यों :-

नीति एडवोकेसी से संबंधित सिद्धांत-7 के संबंध में, इस विषय पर कंपनी में कोई विशिष्ट नीति नहीं है क्योंकि यह कंपनी पर लागू नहीं है।

खंड ङ: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शी तथा जवाबदेह रूप से संचालित तथा शासित किया जाएगा।

1. क्या नैतिकता, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित यह नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?

इरकॉन सूचीबद्ध (लिस्टिड) सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण, सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम तथा लोक उपक्रम विभाग(डीपीई) के दिशानिर्देशों और समय-समय पर लागू भारत सरकार की अन्य नीतियों के अनुसार नैतिकतापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेही रूप में आचरण और शासन करती है। कंपनी में सुनिर्धारित सतर्कता विभाग है जो संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शी, कुशलता, सत्यनिष्ठा और सर्वोत्तम निगमित पद्धतियों को प्रेरित करती है। कंपनी में कर्मचारियों के लिए व्हीसल ब्लोवर नीति विद्यमान है ताकि संगठन के भीतर नैतिकता के मुद्दे को उठाया जा सके। इरकॉन के कर्मचारियों और वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं और इरकॉन के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी अन्य बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) के प्रतिनिधियों की संलिप्तता वाली किसी जालसाजी या संभावित जालसाजी के लिए जालसाजी निवारण एवं संसूचन नीति विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ

प्रबंधन एवं पूर्णकालीन निदेशकों के लिए आचार संहिता भी स्वीकार की है।

ये सभी नीतियां कंपनी और इसके सभी कर्मचारियों को शामिल करती है तथा यह प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इसके सहायक कंपनियों पर भी लागू होती हैं, जबकि संयुक्त उपक्रम कंपनियों के अपने स्वयं के सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जो व्यापक रूप से कंपनी की नीतियों की तर्ज पर हैं।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों को संतोषजनक रूप से निपटाया गया है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में इसका विवरण प्रस्तुत करें।

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षाओं और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में हितधारक संबंध समिति विद्यमान है जो विशेष रूप से शेयरधारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखती है। जैसा कि कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) अर्थात कीफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, (वित्त वर्ष 2020–21 की शुरुआत से दिनांक 04.01.2022 तक) और अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (दिनांक 05.01.2022 से 31.03.2022 तक) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वर्ष 2021–22 के दौरान शेयरधारकों से 508 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, 31 मार्च, 2022 तक कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवाराण एवं मॉनीटरिंग योजना (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत जनसाधारण से वर्ष 2021–22 के दौरान, सतर्कता विभाग को कुल 41 जन समस्या/शिकायतें प्राप्त हुई थीं (पिछले वित्तीय वर्ष की 8 शिकायतों सहित), जिनमें से वर्ष 2021–22 के दौरान 31 शिकायतों का निपटान कर लिया गया था और 31 मार्च 2021 को 10 शिकायतें शेष हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान सतर्कता विभाग को कुल 01 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित शिकायतों सहित कुल 07 शिकायतों का निपटारा किया गया। वित्त वर्ष 2021–22 के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वर्ष के दौरान व्हीसल ब्लोयर और यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान एनएसई द्वारा दायर किए गए 07 मामले एनएसएमई समाधान –विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली से संबंधित हैं, जिनमें से दिनांक 31 मार्च 2022 तक 04 मामले लंबित हैं

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने सम्पूर्ण जीवन काल के दौरान संधारणीयता में अंशदान करे।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा/या अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इरकॉन उन परियोजाओं का निष्पादन करता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अवसंरचना के विकास से संबंधित हैं जैसे सड़क, हाइवे, रेल आदि। इन परियोनजाओं को ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है और इन परियोनजाओं में धारणीयता विशेषताओं को शामिल करने का विकल्प इरकॉन के पास नहीं होता है, तथापि कंपनी ऐसी गतिविधियों का ध्यान रखती है जब यह स्वयं परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करती है।

सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, अवसरों से संबंधित प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

क. आरएसएस ऊर्जा संरक्षण के लिए एनसीआरटीसी परियोजना के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रिसीविंग सबस्टेशन (आरएसएस) में 10.7 केवीएआर क्षमता के स्वचालित पावर फैक्टर (एपीएफ) सुधार पैनल का अभिकल्प तैयार किया गया है और इसे स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के लिए आरएसएस कंट्रोल रूम भवन का निर्माण उच्चतम रेटिंग भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के मानकों के अनुरूप किया गया है।

ख. इरकॉन ने ऊर्जा संरक्षण के लिए एलईडी लाइटें स्थापित की हैं, जो बोंडामुंडा में लोको शेड, मथुरा–कासगंज–कल्याणपुर आरई परियोजना में स्टाफ क्वार्टर आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को 50 प्रतिशत तक कम करती हैं और इसे यूएसबीआरएल ईएंडएम सुरंग परियोजना में स्थापित करने की भी योजना है।

ग. पावर फैक्टर में सुधार के लिए यूएसबीआरएल आरई परियोजना के लिए बारामूला टीएसएस (जम्मू और कश्मीर) में 2400 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक भी स्थापित किए गए हैं। घाटी में विद्युत कर्षण शुरू होने के बाद कैपेसिटर बैंक स्थापित करने पर दैनिक आधार पर 3000 यूनिट से अधिक बिजली का संरक्षण किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए काजीगुंड और बडगाम टीएसएस में कैपेसिटर बैंक स्थापित करने की भी योजना है।

घ. इरकॉन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) स्कीम फेज–II (सरकारी उत्पादक योजना) के तहत एक अत्याधुनिक 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट (खंड–III) स्थापित कर रहा है। 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जा रहा है।

ड. इरकॉन ने 110 केडब्ल्यूपी की क्षमता के साथ संगलदान (जम्मू और कश्मीर) में अपने कार्यालय परिसर के लिए

सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल भी स्थापित किए हैं।

घ. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना, सीटीपी–12 (डीएफसी परियोजना) के लिए खरीदी गई नई ट्रैक निर्माण (एनटीसी) मशीन को, ट्रैक बिछाने की उत्पादकता, सुरक्षा, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार के लिएडीएफसी परियोजना में सफलतापूर्वक चालू किया गया है। वर्तमान में, केवल दो कंपनियों के पास यह मशीन है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी भारतीय और विदेशी परियोजनाओं में सुरक्षा और धारणीयता संबंधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांविधिक नियमों का अनुपालन किया जाता है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा सामान आदि) उत्पादन की प्रति इकाई (वैकल्पिक):

(क) सम्पूर्ण वेल्यू चेन के दौरान पिछले वर्ष में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितदण के दौरान इसमें कमी की गई है?

(ख) पिछले वर्ष से इसके उपयोग (ऊर्जा, जल) में कितनी कमी हुई है?

वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने सम्पूर्ण भारत में निष्पादित की जा रही अपनी सभी परियोजनाओं में जल, ऊर्जा और कच्चे माल के प्रयोग को मापा नहीं है, क्योंकि इरकॉन सेवाओं को उपलब्ध कराने के व्यवसाय में है और यह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। तथापि, कंपनी प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा बचत के वैकल्पिक संसाधनों के प्रयोग के प्रसार के लिए अपने परियोजना स्थलों में सक्रीय रूप से कार्य कर रही है।

3. क्या कंपनी के पास धारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है?

(क) यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत धारणीय रूप से सोर्स किया जाता है? इसका ब्यौरा भी 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।

सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन को सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम (एमएसई) के माध्यम से स्रोतों के प्रापण की अपेक्षा का अनुपालन करना होता है। कंपनी में एक सुदृढ क्रय अधिमान नीति विद्यमान है जो सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की तर्ज पर है। ई–प्रापण पोर्टल यथा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सांविधिक निकायों के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है और ये निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करके ई–निविदा में भाग ले सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने सामग्री और भंडारण के लिए 600.09 करोड़ के मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई विक्रेता से 181.24 करोड़ की मदें खरीदी हैं। इसलिए, ने एमएसई से नियत खरीद के 66.92 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

कंपनी सुरक्षित और धारणीय रूप से अपने व्यवसाय की गतिविधियों को निष्पादित करता है। सभी कार्य प्रक्रियाएं, पद्धतियां और उत्पादन सरकार तथा संगत निकायों द्वारा निर्धारित औद्योगिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करता है। कंपनी संगठन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (वर्ष 1996 से), पर्यावरण प्रणाली प्रबंधन (वर्ष 2011 से), तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (वर्ष 2012 से प्रमाणित) हेतु आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने अब व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए मानकों को स्वीकार कर लिया है यथा आईएसओ 45001:2018.

वर्तमान में, कंपनी में इस विशिष्ट मापदंड को प्रतिशत में नापने की प्रक्रिया विद्यमान नहीं है।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं:

(क) यदि हां तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जी हां, सीपीएसई होने के कारण कंपनी की प्रापण नीति और पद्धितियां सीवीसी के दिशानिर्देशों सहित सरकार की नीतियों और पद्धतियों द्वारा निर्धारित होती हैं। ये पारदर्शी प्रापण तंत्र के आधार पर हैं और यह भी स्थानीय तथा लघु उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को प्रमोट करता है।

इरकॉन जन प्रापण नीति, 2012 के अनसार एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रहा है। तदनुसार, क्रय परियता कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपना मूल्य कोट करने वाले छोटे उत्पादकों की दी जाती है। भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उचित, न्यायसंगत तथा पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान 15 सितंबर, 2021 को एमएसीई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था ताकि एमएसई में जागरूकता उत्पन्न की जा सके और उनकी भागीदारी को बढाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय (नीति एवं संवर्धन विभाग) की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने स्टार्ट–अप को

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

लिए जन प्रापण में पूर्व अनुभव और टर्नओवर के मापदंड की शर्तों में रियायत प्रदापन की है।

इरकॉन, विदेशों में अवसंरचना परियोजनाओं के व्यवसाय में भी है। हालांकि इन परियोजनाओं में प्रापण की संभावना सीमित होती है किन्तु कंपनी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं भारती कंपनी से प्राप्त करती है।

वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए, सामान्य रूप सेा, खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए, इरकॉन द्वारा कतिपय कदम उठाए गए हैं जैसे व्यवसाय करने में परिवहन की लागत को कम करने के लिए छोटे और स्थानीय वेंडरों को रियायतें/लाभ प्रदान किए जाते हैं, बयाना राशि के भुगतान से छूट तथा पारदर्शिता लाने के लिए ई–प्रापण को अपनाना आदि। इसके अलावा, कंपनी, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर दिनांक 25 जनवरी, 2018 से शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली की सुविधा प्रदान की जा सके।

कुशल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्माण व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को सौंपकर ग्राहक संतोष प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता नीति अपनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उपर्युक्त नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और इस दिशा में कंपनी के निरंतर प्रयासों के कारण छोटे और स्थानीय पक्षों की भागीदारी में सुधार तथा प्रचालन के स्थलों के आसपास के समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार हुआ है।

5. क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने का कोई मकैनिजम विद्यमान है? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का क्या प्रतिशत है (<5%, 5-10% > 10% पृथक रूप से)। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।

इरकॉन एक विशेषज्ञता प्राप्त निर्माण संगठन है, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र की निर्माण गतिविधियों और सेवाओं का सम्पर्ण आयाम शामिल है और इसकी कोई निर्माण इकाई नहीं है। तथापि, कंपनी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और कुछ परियोजनाओं जैसे रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में अपशिष्ट के रीसाइकल हेतु कतिपय पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा है, जैसे नोएडा, गुरुग्राम तथा एमएफसी भवनों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है। बिजली और पानी के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय (कॉर्पोरेट ऑफिस) में एलईडी प्रकाश, सेंसर प्रकाश और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए (दिनांक 31.03.2022 के अनुसार विवरण)।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

   दिनांक 31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1278 है।

2. कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

   वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉन ने संविदागत आधार पर 135 कर्मचारियों (सेवा संविदा सहित) को लगाया है। कंपनी अस्थायी/अनियमित आधार पर कर्मचारियों को हायर नहीं करती है। तथापि, कंपनी परियोजना यावकार्य की आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न परियोजनाओं में ठेकेदारों को जॉब और कार्य संबंधी ठेके प्रदान करती है। ठेकेदारों के कर्मचारियों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।

   दिनांक 31 मार्च 2021 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 53 है।

4. कृपया दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।

   दिनांक 31 मार्च 2022 को दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या 07 है।

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

   प्रबंधन द्वारा किसी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

6. स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत माध्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।

   लागू नहीं।

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं।

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन शोषण	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था?

कंपनी में सभी स्तरों के कर्मचारियों (निगमित कार्यालय और परियोजना स्थल) के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत वार्षिक योजना विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के अनुसार संगत क्षेत्र के लिए विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।

कोविड–19 महामारी के बीच किए जा रहे सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान केवल वर्चुयल प्रशिक्षण आयोजित किए गए। पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा और कौशल उन्नयन पर दिए गए प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

स्थायी कर्मचारी : 26.20 प्रतिशत
स्थायी महिला कर्मचारी : 67.00 प्रतिशत
नेमेतिक / अस्थायी / संविदागत कर्मचारी : 0.68 प्रतिशत
दिव्यांग कर्मचारी : 14.20 प्रतिशत

सिद्धांत 4: व्यवसायों को सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उनके प्रति सुविधाहीन, असहाय और सीमांत हैं।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी स्टेकधारकों का निर्धारण किया है? हां / नहीं।

जी हां। कंपनी ने अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, वेंडरों / ठेकेदारों और समाज को स्टेकधारक के रूप में समाज का चिह्नन किया है और यह अपने विभिन्न स्टेकधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझती है।

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों को चिह्नित किया है?

कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के रूप में पीडब्ल्यूडी, अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व, महिलाओं और स्टार्ट अप को चिह्नित किया है और समय–समय पर लागू सरकारी नीतियों के अनुसार इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

कंपनी नियमित रूप से वेंडरों के लिए बैठकों का आयोजन करते हैं ताकि अजा / अजजा तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई वेंडरों सहित एमएसई वेंडरों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। कंपनी ने लोक प्रापण नीति, आदेश 2012 की शर्तों के अनुसार प्रापण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और कंपनी में भारत में स्टार्टअप के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी विद्यमान है। अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करते समय, कंपनी शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए सहिष्णु संरचनाओं को सुनिश्चित करती है।

कंपनी में सुसंरचित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति (सीएसआर नीति) विद्यमान है, जो विभिन्न स्टेकधारकों की धारणीयता आवश्यकताओं को शामिल करती है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास सहित समुदायों की क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल तकनीकों का संवर्धन, पिछड़े वर्गों का विकास तथा समाज के सीमांत और साधनविहीन, का उत्थान, विस्थत और कमजोर वर्गों का विकास जिसमें अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार वयोवृद्ध, शिशु, महिलाएं / कन्याएं दिव्यांग जन आदि शामिल हैं।

3. क्या सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के साथ कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।

इरकॉन सदैव ही सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेक धारकों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं। भर्ती नियमों के अनुसार, कंपनी समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अ.ज, अ.ज.ज, अ.पि.व, पूर्व सेनानियों तथा दिव्यांग जनों के लिए पदों में आरक्षण को सुनिश्चित करती है।

कंपनी ने निम्नलिखित विजन और मिशन के साथ सीएसआर नीति स्वीकार की है।

विजनः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कंपनी के कामकाज का एक महत्वपूर्ण तत्व बनाना, जिससे समाज की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सके।

मिशनः इरकॉन क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, और समाज के सीमांत, सुविधा विहीन, उपेक्षित और कमजोर वर्गों के उत्थान का समर्थन करता है, जिसमें

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, वृद्ध और दुर्बल, महिला / बालिका, शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं।

कंपनी एमएसई से जन प्रापण नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रही है और यह एमएसई में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय वेंडरों सहित वेंडर विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है ताकि उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त कंपनी में कार्यस्थल पर यौन शोषण के निवारण, निषेध और समाधान की नीति विद्यमान है ताकि महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल व सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस नीति को विशेष कार्य वाहन के रूप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भी लागू किया गया है।

इसके कंपनी, एमएसई से सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रही है और एमएसई के बीच अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय विक्रेताओं सहित विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति विद्यमान है, ताकि महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जा सके। यह नीति विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में गठित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भी विद्यमान है।

सिद्धांत 5:व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानवाधिकार की नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?**

   इरकॉन की एचआर नीतियां व्यवसाय की मानक पद्धतियों और मानवाधिकार के अनुरूप हैं तथा कंपनी के विभिन्न स्टेशनों, परियोजनाओं, कार्यालयों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहायक कंपनियों में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। मानवाधिकार के प्रावधान हमारे आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों सहित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधार पर ठेकों/कार्यों के लिए के लिए बोली दस्तावेजों में भी प्रावधान किया गया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निवारण संतोषजनक रूप से किया गया है?**

   वर्ष 2021–22 के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6: से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होती है।**

   कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता नीति विद्यमान है जो हर समय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय धारणीयता के रूप में कार्य करती है तथा कंपनी में पर्यावरणीय नियमावली विद्यमान है जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीति (एसएचई नीति) शामिल है ताकि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के कार्मिकों, कार्यों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

   कंपनी के पास सुरक्षा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वस्थ और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः आईएसओ 14001–2015 तथा आईएसओ : 45001–2018 प्रमाणन प्राप्त किया है।

   इरकॉन की एसएचई नीति में कंपनी, सामान्य रूप से इसकी सहायक कंपनियां और संविदा शर्तों के माध्यम से वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से संबंधित संबद्ध पहलू शामिल हैं।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान के लिए नीतियां/पहल किए हैं? हां/नहीं। यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंग प्रस्तुत करें।**

   इरकॉन एक जिम्मेदार निगमित कंपनी है जो प्रदूषण निवारण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने स्थलों और कार्यालयों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित कर रही है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन की तुलना में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है इसलिए ऊर्जा कुशलता, जलवायु परिवर्तन, मानव जीवन में गुणवत्ता के संरक्षण और सरकारी पहलों को पूरा करने के लिए धारणीय पद्धतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

   इरकॉन निगमित कार्यालय तथा अपने परियोजना कार्यालयों में हरित भवन निर्माण की समान विशेषताओं को उपलब्ध करा रहा है, और इस प्रकार जल, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर रही है और समाज के लिए गुणवत्तापूर्ण व आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर रहा है।

   इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरण जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोनाओं में संस्थापित किया जा रहा है। निगमित कार्यालय में सीवेज उपचार संयंत्र के माध्यम से अपशिष्ट जल का रीसाइकल किया जा रहा है और बागवानी

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। एसटीपी का नोएडा, गुरुग्राम, तथा एमएफसी भवनों में भी निर्माण किया जा रहा है। बिजली और जल के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय में एलईडी प्रकाश, सेंसर प्रकाश और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरणीय सहिष्णु कदम उठाए हैं जैसे मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाइ ऐश की ईंटें, वर्षा जल संरक्षण व्यवस्थाएं, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, भवन को धारणीय बनाने के लिए फेसिड ग्लास के अद्यतन वर्जन का प्रयोग आदि को कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल के प्रयोग अपशिष्ट जल, वायु गुणवत्तता और ध्वनी गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में बाहरी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। इसके अतिरिक्त, निगमित कार्यालय और परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आंकलन कर रही है? हां/नहीं।

जी हां। कंपनी में निर्माण कार्य के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध है, जो इसके स्थलों और परियोजना कार्यालयों में निर्माण गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय विषयों का आंकलन करता है। परियोजनाओं से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आंकलन में प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। यह निर्माण गतिविधियों का पर्यावरण पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों की पहचान करता है। इसके पश्चात, पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों को कम करने के लिए कंपनी द्वारा नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लियरेंस सहित सभी अनिवार्य क्लियरेंस प्राप्त करती है। कतिपय प्रकार के संयंत्रों जैसे क्रशर संयंत्र, कंक्रीट मिक्स संयंत्र, हॉट मिक्स संयंत्र आदि के लिए संबंधित प्राधिकरणों से स्थापना और प्रचालन की अनुमति प्राप्त की गई है।

4. क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां, तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि हां तो क्या पर्यावरण क्लियरेंस रिपोर्ट दायर की गई है।

जी नहीं।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा कुशलता अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहली की है? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज के लिए हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।

इरकॉन वर्ष 1996, 2011 तथा 2012 से क्रमशः क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के लिए आईएसओ प्रमाणित संगठन है। कंपनी निगमित कार्यालय/अन्य कार्यालय में सौर ऊर्जा, सीवेज संयंत्रों के संस्थापन, एलईडी प्रकाशन के प्रयोग, भवन कॉरीडोरों में सेंसर फिटिड लाइटों के प्रयोग द्वारा स्वच्छ वातावरण के प्रति योगदान कर रहा है।

6. क्या कंपनी द्वारा सृजित किया जा रहा उत्सर्जन/अपशिष्ट इस उक्त वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर है?

जी हां। कंपनी द्वारा उत्सर्जन मापदंडों सहित सभी विधि मापदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन और अपशिष्ट अनुमेय सीमा के भीतर है। वार्षिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट संबंधित कार्य इकाइयों द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रस्तुत की जाती है। सभी भवन/कार्यालय पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। खतरनाक रसायनों और कचरे के भंडारण, हैंडलिंग और निपटान के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं। निर्माण अपशिष्ट, विद्युत और ई–कचरे का वैज्ञानिक रूप से और लाइसेंस प्राप्त रीसाइक्लिंग के माध्यम से निपटान किया जाता है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित हैं (यथा संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।

वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कोई भी कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित नहीं हैं।

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब जनसाधारण तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने का कार्य करें तो इसे उत्तरदायी रूप से किया जाना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।

जी हां। कंपनी अनेक ट्रेड चेम्बरों और संघों से संबद्ध है जैसे

– स्टेंडिंग कॉनफ्रेंसिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसिसि (स्कोप),

– कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीस (सीआईआई),

– इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी),

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

- प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीईपीसी),
- पीएचडी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई),
- नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ),
- इंस्टीट्यूट ऑफ पी ये इंजीनियर्स इंडिया (आईपीडब्ल्यूएआईईआई),
- एशियन (अरबन) इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट (एआईटीडी),
- इंडिया हेबिटेट सेंटर (आईएचसी)
- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण संघ (एनएचडीएफ)
- निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)
- इंडियन इंटरनेशनल सेंटर (आईसीसी

2. क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा /सहयोग प्राप्त किया है? हां/ना। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समेकित विकास नीतियां, ऊर्जा संरक्षण, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

कंपनी के हितों का प्रकटन सरकारी प्रश्नों, ज्ञान साझेदारी, औद्योगिक आवश्यकताओं पर सर्वेक्षणों, प्रतिक्रियाओं, सरकारी नीति के सृजन जैसे जीएसटी, कंपनी नियम, औद्योगिक नीति, प्रापण नीति आदि के आधार पर होता है। कंपनी सरकारी निकायों जैसे रेल मंत्रालय, डीपीई, नीति आयोग के साथ संव्यवहार करती है और विभिन्न नीति निर्माण प्रक्रियाओं जैसे सीपीएसई के विकास के लिए रोड मैप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि में भाग लेती है। कंपनी देश में अवसंरचना के विकास के लिए संगत मंचों पर जिम्मेदार रूप से निष्पक्ष पद प्रस्तुत करती है और सामान्य रूप से समाज हित प्रक्रिया में सुधार के लिए धारणीय विकास और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति मत प्रस्तुत करती है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समेकित विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी का सिद्धांत–8 सं संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/ पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

कंपनी की सकारात्मक नीतियां जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, विविधता, समानता का संवर्धन करती है और लोगों की जाति, वर्ग, धर्म, रंग, पैत्रिक परम्परा, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखे बिना उनके गुणों और कौशलों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है। कंपनी की सामाजिक दृष्टि, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संधारणीय तरीके से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है।

इरकॉन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और दिनांक 22 जनवरी 2021 से कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 की धारा–135 के लागू होने से, कंपनी ने जून 2021 में अपनी सीएसआर नीति को भी संशोधित किया है।

कंपनी के पास विभिन्न सामाजिक विकास परियोजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, स्वच्छता प्रदान करना और लोगों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लोगों के लिए आजीविका का सृजन करना है। सीएसआर व्यय, डीपीई द्वारा अनिवार्य वार्षिक थीम के आधार पर किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2021–22 की तरह, सीएसआर थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' था। कंपनी के डीपीई दिशानिर्देशों और सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर बजट का 70 प्रतिशत सीएसआर थीम पर खर्च किया जाना था, बजट का 75 प्रतिशत इरकॉन के स्थानीय क्षेत्रों पर और 25 प्रतिशत गैर–स्थानीय क्षेत्रों पर खर्च किया जाना है।

वर्ष 2021–22 के दौरान इरकॉन ने कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणाली और खाद प्रणाली प्रदान करके पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के माध्यम से सामाजिक लक्ष्य को विकसित करने के लिए कई पहल किए हैं। सीएसआर बजट की अधिकतम राशि पीएम केयर्स निधि में योगदान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 10.52 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं की सूची सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन–आउस दलों/ स्वयं के आधार/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?

कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन के लिए एक पृथक सीएसआर विभाग विद्यमान है और जहां कंपनी के पास इन–हाउस विशेषज्ञता नहीं होती है, वहां विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं जैसे एनजीओ, संस्थान/शैक्षिक संगठन, सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त निकाय, निर्माण कार्य हेतु संविदागत एजेंसियां, पेशेवर परामर्शदाता संगठन पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाइटी, इरकॉन की सहायक कंपनियां। यह सुनिश्चित किया गया है कि एजेंसी इरकॉन की सीएसआर नीति का अनुपालन करने और उसके पास सीएसआर फार्म–1 हो।

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

3. क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव आंकलन कराया है?

संशोधित सीएसआर नीति के अनुसार, 1 करोड़ रुपये या अधिक के परिव्यय वाली एकल सीएसआर परियोजना का मूल्यांकन, लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। चूंकि, इरकॉन द्वारा निष्पादित कोई भी परियोजना 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की नहीं थी, इसलिए प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान क्या है – राशि रूपए में और परियोजनाओं का विवरण?

सीएसआर परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति अंशदान का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समाज ने सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया 50 या अधिक शब्दों में स्पष्ट करें?

इरकॉन किसी सीएसआर गतिविधि को निष्पादित करने से पूर्व समग्र रूप से इसकी धारणीयता और इसके लाभार्थियों और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए कदम उठाता है। इसमें क्रियान्वयन एजेंसियों की विश्वसनीयता और साफ ट्रैक रिकार्ड का सत्यापन, सीएसआर नीति की तर्ज पर परियोजना की पहुंच और उद्देश्यों तथा परियोजना स्थल के स्थानीय प्रशासन से इसकी आवश्यकता, फील्ड सत्यापन और अनुपालन जांच, धारणीय कारकों आदि पर ध्यान दिया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालयों में सामुदायिक भागीदारी और इसकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालय में इन–हाउस मॉनीटरिंग तंत्र विद्यमान है, जिसमें शामिल हैं:–

मोनीटरिंग तंत्र: प्रत्येक परियोजना में परियोजना क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए परियोजना स्तरीय समितियों की स्थापना की गई है। प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए स्थानीय प्रशासन और समुदाय आदि से आवधिक परियोजना रिपोर्ट, फील्ड दौरा रिपोर्ट, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, सामुदायिक संव्यवहार रिपोर्ट, प्रतिक्रिया रिपोर्ट नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जो इन रिपोर्टों को समेकित करता है और इसकी प्रगति रिपोर्ट समीक्षा के लिए सीएसआर समिति/निदेशक मंडल को भेजता है।

स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन: सीएसआर परियोजना के पूरा होने पर, क्रियान्वयन के प्रभाव और सफलता का आंकलन करने के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है।

रिपोर्टिंग: स्टेकधारकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों और नियमित अद्यतनों को इरकॉन की वेबसाइट पर डाला जाता है। प्रमुख गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय–समय पर मीडिया में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएआर और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट को निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने ग्राहकों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करनी चाहिए तथा ग्राहकों के साथ उत्तरदायी रूप से व्यवहार करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं?

इरकॉन के सम्पूर्ण व्यवसाय में रेल और राजमार्ग का अंशदान 100 प्रतिशत है। घरेलू क्षेत्रों में इरकॉन को अधिकतर परियोजनाएं/कार्य रेल मंत्रालय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

परियोजना के निष्पादन में उनके समक्ष उपस्थित उनकी समस्याओं/मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए परियोजना स्थलों/कार्यालयों में क्लैंडरों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित रूप से बठकों का आयोजन किया जाता है।

2. क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करते हैं जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।

लागू नहीं।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथा/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हां तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।

जी नहीं।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतोष रुझानों का सर्वेक्षण किया है?

घरेलू क्षेत्र में इरकॉन के अधिकतर परियोजनाएं/कार्य रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए, हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित नहीं हैं।

कंपनी अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में सक्रीय है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रायः नियमित और निर्धारित बैठकों, प्रगति समीक्षा बैठकों का आयोजन किया

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

जाता है ताकि, तत्काल इनका समाधान किया जा सके और इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। निर्माण के दौरान किसी प्रकार की कमी/खामी को तत्काल देखा व उसका समाधान किया जाता है। इस परिदृश्य से ग्राहक/क्लाइंट संतोष का स्तर बढ़ा है, जो प्रायः पुनः आर्डरों के रूप में प्रदर्शित होता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को ग्राहकों/ठेकेदारों से कोई असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएनः 07654014)

दिनांक : अगस्त 08, 2022
स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और दिनांक 22 जनवरी, 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (सीएसआर नीति) विकसित की गई है। इसे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की वेबसाइट: https%//www-ircon-org/images/file/cosecy/CSR_Policy_updated_on_300621-pdf पर देखा जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों का बल, क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सीमांत, वंचित व सुविधाविहीन और कमजोर वर्गों के उत्थान पर दिया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, वृद्ध और दुर्बल, महिलाएं/ बालिकाएं, शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं।

डीपीई ने दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई के सीएसआर व्यय के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि:

i. सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु एक सामान्य विषय की पहचान की जा सकती है।

ii. विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय, वार्षिक सीएसआर व्यय का 60 प्रतिशत होना चाहिए।

iii. आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, डीपीई ने सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए 'स्वास्थ्य, पोषण और कोविड से संबंधित गतिविधियों' को वार्षिक थीम घोषित किया था। डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप, कंपनी ने डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम पर 87 प्रतिशत खर्च किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शुरू की गई सभी सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कल्पना और कार्यान्वयन, लक्षित लाभार्थियों की ओर एक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया था, ताकि अधिकतम प्रभाव पैदा किया जा सके और इसे विश्वसनीय कार्यान्वयन एजेंसियों की साझेदारी में किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, कंपनी ने उन परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया है, जो स्वास्थ्य देखभाल, जल संरक्षण और कोविड से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में आते हैं।

नीचे उल्लिखित सीएसआर पहलों ने सुविधाविहीन लोगों के जीवन में परिवर्तन प्रस्तुत किया है और पर्यावरण संरक्षण के तरीकों को विकसित किया है:

- बिहार के समस्तीपुर जिले में रेलवे अस्पताल में इरकॉन समर्थित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (ओजीपी) की स्थापना ने, न केवल उन्हें कोविड–19 देखभाल के लिए संवर्धित आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि दीर्घकाल के लिए इन अस्पतालों में अस्पताल सुविधाओं के उन्नयन में संसाधन के आयंटन को सक्षम बनाया है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत किया जा सके।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान नई दिल्ली में वर्षा जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की है। कंपनी ने प्रति वर्ष 5 लाख लीटर पानी की पुनर्भरण क्षमता के साथ 1 वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को स्थापित करने में सहायता की है।

इरकॉन, भविष्य में भी अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों और समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन लाना जारी रखे हुए है। सभी परियोजनाएं सीएसआर की सच्ची भावना से कार्यान्वित की जाती हैं और कंपनी अधि नियम की अनुसूची–VII/ डीपीई दिशानिर्देशों और इरकॉन की सीएसआर नीति के अनुसार हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

जबकभी निदेशों में परिवर्तन होता है तो समिति की पुन–संरचना की जाती है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी–

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट

01.04.2021 से 17.11.2021 तक	18.11.2021 से 31.03.2022 तक
अध्यक्ष	
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त)*	श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक
सदस्य	
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)

* 30.09.2021 तक निदेशक।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, समिति की तीन बैठक का आयोजन दिनांक 05 अप्रैल 2021, 11 अगस्त 2021 और 11 फरवरी 2022 को किया गया था। उक्त बैठक की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

सदस्यों का नाम	बैठक की तिथि			कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
	05.04.2021	11.08.2021	11.02.2022		
श्री मुकेश कुमार सिंह सीएमडी एवं निदेशक (वित्त)	✓	✓		2	2
श्रीमती रंजना उपाध्याय स्वतंत्र निदेशक			✓	1	1
श्री राजेश अरगल सरकार नामित निदेशक			✓	1	1
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं)	✓	✓	✓	3	3
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	✓	✓		2	2

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।

वेबलिंग निम्नानुसार हैं–

क) सीएसआर समिति: https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid= 04&lang=en

ख) सीएसआर नीति: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/CSR_Policy_updated_on_300621.pdf

ग) सीएसआर परियोजनाएं: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Q-4.pdf

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (इसमें रिपोर्ट संलग्न करें)।

इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान की गई कोई भी सीएसआर गतिविधि 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं थी जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है। तथापि, 1.14 करोड़ रूपए का अंशदान पी.एम.केयर्स निधि में किया गया था।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक राशि का विवरण

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से उपलब्ध राशि (रूपए करोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो, (रूपए करोड में)
1	2018–19	शून्य	शून्य
2	2019–20	शून्य	शून्य
3	2020–21	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 135(5) : 525.01 करोड़ रुपये

7. (क) खंड 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः 10.50 करोड़ रुपये

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेषः शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7सी): 10.50 करोड़ रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च किए गए सीएसआर राशिः

रूपए करोड में

वित्तीय वर्ष 2021–22 में खर्च की गई कुल राशि	खंड 135(6) के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		खंड 135(6) के दूसरे प्रावधान के रूप में अनुसूची–VII के अंतर्गत किसी विशिष्ट निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
10.52	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रूपए करोड में

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः विवरण अनुबंध – 1 के रूप में संलग्न है	1.29
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः विवरण अनुबंध – 2 के रूप में संलग्न है	8.94
(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशिः	0.29
(ङ.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो। :	शून्य
(च.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ.):	10.52

ङ. निर्धारित अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं	विवरण	रूपए करोड में
(i)	खंड 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	10.50
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	10.52
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ख(पप)–(प),	0.02
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों या गतिविधियों से अधिक लाभ	0.00
(v)	अगले वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध राशि ख(पपप)–(पअ),	0.00

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

रूपए करोड में

क्र.सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	खंड 135(6) के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	खंड 135(6) के अनुसार अनुसूची–7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों के व्यय किए जाने हेतु शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि	
1.	2018–19	शून्य					
2.	2019–20						
3.	2020–21						
	कुल	शून्य					

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

रु 1.29 करोड़ रूपए। विवरण अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न हैं।

10. पूंजी संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण):

(क) पूंजी संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि :	सीएसआर संपत्तियां सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से बनाई जाती हैं। हालांकि कंपनी के नाम पर कोई सीएसआर संपत्ति नहीं है। सृजन और अधिग्रहण की तारीख के लिए अनुबंध–4 का संदर्भ लें।
(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए 70.86 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। ब्यौरा अनुबंध–4 पर संलग्न है।
(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि।	अनुबंध के रूप में संलग्न – 4
(घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।	अनुबंध के रूप में संलग्न – 4

11. कारण बताएं कि कंपनी खंड 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : लागू नहीं

ह0/–
श्री योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (निदेशक–कार्य का अतिरिक्त प्रभार)
(डीआईएन 07654014)

ह0/–
श्री श्याम लाल गुप्ता
निदेशक (परियोजनाएं) और सदस्य, सीएसआर और संधारणीयता समिति
(डीआईएन 07598920)

ह0/–
श्रीमती रंजना उपाध्याय
अध्यक्ष
सीएसआर और संधारणीयता समिति
(डीआईएन 07787711)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त 08, 2022

अनुबंध–1

8 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची एफ में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपए करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ में)	खंड 135(6)के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपए लाख में)	कियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कियान्वयन का माध्यम – कियान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	नूरुल अमीन स्टेडियम, नौगांव, नौगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन, असम में अवसंरचना विकास के लिए योगदान के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना	खेल [क्र.स 7 की स(6)]	नहीं	असम	नौगोंग	3 साल	77.00	38.50	-	नहीं	मेसर्स नाउगोन्ग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से	CSR00009288
2	बेगूसराय, बिहार में सामुदायिक केंद्र के निर्माण द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना	ग्रामीण विकास	हां	बिहार	बेगूसराय	3 साल	20.86	20.86	-	हाँ	प्रत्यक्ष	लागू नहीं
3	मैसर्स सभावना द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के 2 सरकारी स्कूलों में वंचित छात्रों के लिए 2 मिनी विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	शिक्षा [अनुसूची 7 की क्रम संख्या (2)]	हां	छत्तीसगढ	बिलासपुर	2 साल	9.43	2.36	-	नहीं	मेसर्स सभावना के माध्यम से	CSR00000687
4	मैसर्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा भुवनेश्वर में एक आवासीय व्यवस्था में रहने वाले 150 आदिवासी छात्रों के प्रायोजन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देना	शिक्षा [अनुसूची 7 की क्रम संख्या (2)]	हां	ओडिशा	भुवनेश्वर	2 साल	45.00	22.50	-	नहीं	मैसर्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से	CSR00 000319
5	मैसर्स केशव श्रुति द्वारा महाराष्ट्र में "नॉलेज ऑन व्हील्स" कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना	शिक्षा [अनुसूची 7 की क्रम संख्या (2)]	हां	महाराष्ट्र	पालघर	3 साल	32.84	3.28	-	नही	मेसर्स केशव श्रुति के माध्यम से	CSR00 002691
6	मैसर्स गोधुली द्वारा नागलोई, दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों में लगभग 140 झुग्गी बस्तियों के बच्चों की पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देकर अपना सहयोग जारी रखना।	शिक्षा [अनुसूची 7 की क्रम संख्या (2)]	हां	एनसीआर	पुरानी दिल्ली	2 साल	11.00	4.40	-	नही	मेसर्स गोधुली के माध्यम से	CSR00 003127

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपए करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अपेक्षित सीएसआर खर्च में अंतरित राशि (रुपए लाख में)	कियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कियान्वयन का माध्यम – कियान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
7	मेसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मेसर्स सेवा समर्पण संस्थान द्वारा गाजीपुर, यूपी में मासिक धर्म स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना	स्वास्थ्य (अनुसूची 7 की क्रम संख्या (1))	नहीं	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	3 साल	17.14	0.10	-	नहीं	मेसर्स वात्सल्य फाउंडेशन के माध्यम से	CSR00007982
8	मध्य प्रदेश के कटनी जिले और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मेसर्स एलिम्को द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कृत्रिम अंग निर्माण के कौशल से कृत्रिम अंगों के लिए दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना।	स्वास्थ्य (अनुसूची 7 की क्रम संख्या (1))	हां	मध्य प्रदेश और यूपी	कटनी और मुजफ्फरनगर	3 साल	40.00	19.95	-	नहीं	हालांकि मेसर्स एलिम्को	CSR00000532
9	मेसर्स पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के आकांक्षी जिले के 30 स्कूलों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर	स्वास्थ्य (अनुसूची 7 की क्रम संख्या (1))	नहीं	राजस्थान	जैसलमेर	3 साल	27.87	13.81	-	नहीं	हालांकि मेसर्स पीसीबी ट्रस्ट	CSR00027530
10	बनिहाल (जम्मू–कश्मीर) में लिथियम स्वास्थ्य इकाई का संचालन।	स्वास्थ्य (अनुसूची 7 की क्रम संख्या (1))	हां	जम्मू–कश्मीर	बनिहाल	2 साल	8.50	3.30	-	हां	प्रत्यक्ष	लागू नहीं
11	दिल्ली में 44 डीप फ्रीजर तथा 1 वाक इन फ्रीजर का प्रावधान		हां	नई दिल्ली	नई दिल्ली	2 साल	39.56	0.00	-	हां	प्रत्यक्ष	लागू नहीं
			कुल				329.20	129.06	-			

अनुबंध–2

8 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची एप्प में गतिविधियों की सूची से मद		परियोजना का स्थिति		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए करोड में)	क्रियान्वयन का माध्यम – प्रत्यक्ष (हां/नही)	क्रियान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा	
			स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	नई दिल्ली में वर्षा जल संचयन और जैविक कचरे के पुनर्चक्रण के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण	जल संरक्षण [अनुसूची 7 का क्रम संख्या (4)]	हा	नई दिल्ली	नई दिल्ली	18.70	नही	मेसर्स एआईएफडी के माध्यम से	CSR00006061
2	वित्तीय वर्ष 2021–22 में पीएम केयर्स निधि (वित्त वर्ष 2020–21 से अग्रेषित किया गया)	जल संरक्षण [निधि अंशदान का क्रम संख्या (4)]	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	711.76	हां	प्रत्यक्ष	लागू नही
3	बिहार के समस्तीपुर जिले के मंडल रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग संयंत्र की स्थापना	स्वास्थ्य [अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)]	हा	बिहार	समस्तीपुर	50.00	हा	प्रत्यक्ष	लागू नही
4	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीएम केयर्स निधि में योगदान	निधि अंशदान	लागू नही	लागू नही	लागू नही	113.87	हा	प्रत्यक्ष	लागू नही
कुल						894.33			

अनुबंध–3

9 (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	रिपोर्टिंग वित्तरय वर्ष के अंत में खर्च कीगई संचयी राशि (रूपए लाख में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1	लागू नही	नुमलल अमीन स्टेडियम, गोगांव, गोगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन, असम में अवसंरचना विकास के लिए योगदान के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना	2018–19	3 साल	77.00	38.50	77.00	समाप्त
2	लागू नही	बेगूसराय, बिहार में सामुदायिक केंद्र के निर्माण द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना	2019–20	3 साल	20.86	20.86	20.86	समाप्त
3	लागू नही	मैसर्स संभावना द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के 2 सरकारी स्कूलों में वंचित छात्रों के लिए 2 मिनी विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	2019–20	2 साल	9.43	2.36	9.43	समाप्त
4	लागू नही	मैसर्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा भुवनेश्वर में एक आवासीय व्यवस्था में रहने वाले 150 आदिवासी छात्रों के प्रायोजन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देना	2019–20	2 साल	45.00	22.50	45.00	समाप्त
5	लागू नही	मैसर्स केशव श्रुति द्वारा महाराष्ट्र में कॉलेज ऑन व्हीलस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना	2019–20	3 साल	32.84	3.28	29.55	चालू
6	लागू नही	मैसर्स गोखुली द्वारा नांगलोई, दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों में लगभग 140 झुग्गी बस्तियों के बच्चों की पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देकर अपना सहयोग जारी रखना।	2020–21	2 साल	11.00	4.40	9.90	चालू
7	लागू नही	मेसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मैसर्स सेवा सम्पर्ण संस्थान द्वारा गाजीपुर, यूपी में मासिक धर्म स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना	2018–19	3 साल	17.14	0.10	16.68	समाप्त
8	लागू नही	मध्य प्रदेश के कटनी जिले और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मेसर्स एलिम्को द्वारा वित्तीय वर्ष 19–20 के लिए कृत्रिम अंग निर्माण के सहयोग से कृत्रिम अंगों के लिए दिव्यांगजनों को सहयोग प्रदान करना।	2019–20	3 साल	40.00	19.95	39.95	समाप्त
9	लागू नही	मैसर्स पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के अधिकांश जिले के 30 स्कूलों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर	2019–20	3 साल	27.87	13.81	27.75	समाप्त
10	लागू नही	बनिहाल (जम्मू–कश्मीर) में चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई का संचालन।	2020–21	2 साल	8.50	3.30	6.33	चालू
11	लागू नही	दिल्ली में 44 डीप फ्रीजर और 1 वॉक इन फ्रीजर उपलब्ध कराना	2020–21	2 साल	39.56	0.00	19.32	चालू
कुल					329.20	129.06	301.77	

अनुबंध–4

सीएसआर परिसंपत्तियों का ब्यौरा						
क्र.सं	परियोजना का नाम	परिसंपत्ति का ब्यौरा	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	लाभार्थियों/एजेंसियों हेतु सृजित परिसंपत्तियां	पता	परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि
1	बेगूसराय, बिहार में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना	सामुदायिक भवन का निर्माण	20.86	टेकनपुरा पंचायत का स्थानीय समुदाय	बिहार के बेगूसराय जिले का टेकनपुर गांव	28.01.22
2	बिहार के समस्तीपुर जिले के मंडल रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग संयंत्र की स्थापना	मंडल रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र	50.00	रेलवे अस्पताल के मरीज	मंडल रेलवे अस्पताल,बिहार का समस्तीपुर जिले	19.01.22
कुल			70.86			

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में है, द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (लागू स्तर तक)

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम ("सेबी अधिनियम 1992") के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्ती प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है), और

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।

(vi) कंपनी को प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अनुसार, अन्य कानून विशिष्ट रूप से उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर लागू हैं:

(क) भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियम) केन्द्रीय नियम, 1998

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003

श्रम कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए, हमारी जांच और रिपोर्ट कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत और दिखाए गए अभिलेखों, रिकार्डों तथा फाइलों तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी पर लागू विभिन्न विधानों के लागू होने के संबंध में हमारे सर्वोत्तम विवेक और समझ के आधार पर है। हमारे मतानुसार, कंपनी में लागू सामान्य कानूनों और श्रम कानूनों की मॉनीटरिंग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

लागू वित्तीय नियमों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी सांविधिक लेखांकन लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की गई है।

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है।

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथपठित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कंपनी ने सूचीकरण करार में प्रवेश किया है।

iii. दिनांक 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005–जीएम के तहत लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश।

iv. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016–नीति में निर्धारित अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित स्तर को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है –

कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं है:

1. विनियम 17(1)(क) के तहत यथापेक्षित, दिनांक 10 नवंबर, 2021 तक गैर–कार्यकारी निदेशक (निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं) की अपेक्षित संख्या, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 17(1)(क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 15 नवंबर तक, 2021 तक महिला/महिला स्वतंत्र निदेशक जैसा कि है।
2. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के तहत तथा निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2022 तक इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (निदेशक मंडल का कम से कम आधा) की अपेक्षित संख्या।
3. विनियमन 17(1)(ग) के तहत यथापेक्षित 15 नवंबर, 2021 तक इसके बोर्ड में निदेशकों की आवश्यक संख्या (छह निदेशकों से कम नहीं) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित बैठकों के लिए आवश्यक कोरम (कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित)।
4. विनियमन 18(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (2)(ख) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित इसकी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।
5. विनियमन 19(1)/(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 29 जून, 2021 तक बोर्ड की आयोजित इसकी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।
6. विनियमन 21(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक स्टेकधारक संबंध समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) के तहत यथापेक्षित दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की उपयुक्त संरचना
7. विनियमन 135(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की उपयुक्त संरचना।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि –

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास कार्यपालक/कार्यात्मक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों, महिला/महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक का इष्टतम संयोजन नहीं था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बीएसई और एनएसई ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न विनियमों के गैर–अनुपालन के लिए उपर उल्लिखित तिमाहियों के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया था।

3. इरकॉन ने स्टॉक एक्सचेंजों को उल्लेख किया है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न नियमों का पालन न किया जाना, भारत सरकार द्वारा निदेशकों/महिला निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण है और इसलिए, कंपनी को इसके लिए जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध इकाई ने समय–समय पर इरकॉन के बोर्ड में आवश्यक संख्या में निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात रेल मंत्रालय) से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिऐ जाते हैं, बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी को संभव बनाने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ लिए जाते हैं और असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज और रिकार्ड किया जाता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान :

i. कंपनी ने 1:1 के अनुपात में प्रत्येक 2/– रुपये का अंकित मूल्य का पूर्ण भुगतान बोनस शेयर जारी किया है।

ii. कंपनी ने निम्नलिखित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है:

क) 12 अगस्त, 2021 को 2/– रुपये के अंकित मूल्य पर 0.45 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 22.50 प्रतिशत)।

ख) 12 नवंबर, 2021 को 2/– रुपये के अंकित मूल्य पर 0.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 35 प्रतिशत)।

ग) 14 फरवरी, 2022 को रु.0.70 प्रति इक्विटी शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश 2/– रुपये के अंकित मूल्य पर (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 35 प्रतिशत)।

iii. बोर्ड ने 27 मई 2022 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 0.65 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के 2/– रुपये (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 32.50 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.:14984
पीआर: 610/2019
यूडीआईएन: F001807D000492473

स्थान: नोएडा
दिनांक: 14 जून, 2022

इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

सीआईएनः L45203DL1976GOI008171

प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली–110017

हमारी 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समतिथिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। औचक जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डो में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807 सीपी सं.: 14984
पीआरः 610/2019
यूडीआईएनः F001807D000492473

स्थानः नोएडा
दिनांकः 14 जून, 2022

वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षामेंसमाविष्टअवलोकनों के उत्तरऔरनिगमित शासन की शर्तोंकाअनुपालन

वित्तीय वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट में समाविष्ट अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
कंपनी के पासनिम्नलिखित नहीं है: 1. विनियम 17(1)(क) के तहत यथापेक्षित, दिनांक 10 नवंबर, 2021 तकगैर–कार्यकारी निदेशक (निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं) की अपेक्षित संख्या, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहतकंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 17(1)(क) के तहत यथा पेक्षित दिनांक 15 नवंबर तक, 2021 तकमहिला/महिला स्वतंत्र निदेशक जैसा कि है।	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) कंपनी अधिनियम 2013 के विनियमा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की जातीहै। इरकॉन में सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं और इरकॉन की किसी भी निदेशक की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशक सहित) के लिए कोई भूमि कान हीं होती है, जब तक कि सरकार द्वारा नामित न किया जाए। कंपनी ने विभिन्न अवसरों पर, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) और सरकारी नामित (गैर–कार्यकारी) निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है एक सरकारी नामित निदेशक को रेलमंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 11 मई, 2021 के आदेश द्वारा कंपनी के बोर्ड में नामित किया गया था और दिनांक 13 मई, 2021 को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जिससे कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों की कुल संख्या दो हो गई है। इसके अलावा, जैसा कि रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 09 नवंबर, 2021 के आदेश द्वारा नामित किया है, कंपनी के बोर्ड में दिनांक11 नवंबर, 2021को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति किया गया है, और 16 नवंबर, 2021 को महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात, दिनांक 29 नवंबर, 2021 के रेलमंत्रालय के आदेश के अनुसार, दिनांक31 दिसंबर 2021 से एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है। ऊपर उल्लिखित अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात, की आवश्यकता है कि (i) गैर–कार्यकारी निदेशक (निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं) की अपेक्षित संख्या का अनुपालन दिनांक 11 नवंबर, 2021से किया गया है, (ii) महिला/महिला स्वतंत्र निदेशक का अनुपालन दिनांक 16 नवंबर, 2021 से किया गया है, और (iii) निदेशकों की आवश्यक संख्या (छह निदेशकोंसे कम नहीं) का अनुपालन दिनांक 16 नवंबर, 2021 किया गया है। साथ ही, बोर्ड की बैठक के लिए अपेक्षित कोरम बनाने के लिए बोर्ड की बैठकों में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद भी, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (निदेशक मंडल के कम से कम आधे) की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसकेलिए पहले ही रेलमंत्रालय को नामांकन हेतु अनुरोध किया गया था।
2. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के तहत तथा निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2022 तकइसकेबोर्डमें स्वतंत्र निदेशकों (निदेशक मंडल का कम से कम आधा) की अपेक्षित संख्या।	
3. विनियमन 17(1)(ग) के तहत यथापेक्षित 15 नवंबर, 2021 तक इसके बोर्ड में निदेशकों की आवश्यक संख्या (छह निदेशकों से कम नहीं) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2क) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित बैठकों के लिए आवश्यक कोरम (कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित)।	

वित्तीय वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट में समाविष्ट अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
4. विनियमन 18(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक लेखा परीक्षा समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (2)(ख) के तहत यथापेक्षित दिनांक 12 नवंबर, 2021 तक बोर्ड की आयोजित इसकी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।	लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरतासमिति की संरचना दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि कंपनी का बोर्ड कोई स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 10 नवंबर, 2021 तक नहीं था। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, बोर्ड की इन समितियों को कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में 18 नवंबर, 2021 से पुन गठित किया गया है। कंपनी के बोर्डमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए अपेक्षित कोरमका अनुपालन किया गयाहै।
5. विनियमन 19(1)/(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (2क) के तहत यथा पेक्षित दिनांक 29 जून, 2021 तकबोर्ड की आयोजित इस की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम।	
6. विनियमन 21(2) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक स्टेकधारक संबंध समिति की उपयुक्त संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) के तहत यथापेक्षित दिनांक 17 नवंबर, 2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की उपयुक्त संरचना	
7. विनियमन 135(1) के तहत यथापेक्षित 17 नवंबर, 2021 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की उपयुक्त संरचना।	

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ)
(डीआईएन: 07654014)

दिनांक : अगस्त 08, 2022
स्थान : नई दिल्ली

फार्म संख्या एओसी – 2

सम्बद्ध चतुर्थ परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप–खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फार्म

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ज) के अनुसरण में,

1. संविदाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म–लैंथ आधार पर नहीं : शून्य

2. आर्म लैंथ आधार पर किए गए सामग्रीगत अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण : नीचे प्रस्तुत है

क्र. सं.	सम्बद्ध पक्षकार का नाम तथा सम्बद्धता का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में इरकॉन को प्राप्त / इरकॉन द्वारा चुकता राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड़ में)
1.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	इरकॉनएसजीटीएल द्वारा इरकॉन को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर 238.000 किलोमीटर से 332.100 किलोमीटर तक के शिवपुरी–गुना बाईपास भाग की चार लेनिंग के चरण –II के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) अनुबंध अवार्ड जारी करना।	**दिनांक:** दिनांक 01.01.2021 का अवार्ड पत्र तथा दिनांक 20.01.2021 का ईपीसी अनुबंध **अवधि:** अवार्ड पत्र जारी करने अथवा स्थल हैंडओवर करने, जो भी बाद में हो, की तिथि से 12 माह	प्रतिफल: वास्तविक लागत जमा 5 प्रतिशत आधार पर	लागू नहीं	13.94 करोड़ रुपए का अग्रिम प्राप्त 0.57 करोड़ रुपए की अग्रिम की धनवापसी
2.	इरकॉन रायणगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–4) पर 280+000 किलोमीटर से 338+923 किलोमीटर के रायणगेरे–हवेरी हाइवे परियोजना के लिए इरकॉन को इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) अनुबंध अवार्ड जारी करना।	**दिनांक:** दिनांक 04.01.2018 का ईपीसी अनुबंध **अवधि:** कार्य समापन की अवधि नियत तिथि अथवा इरकॉन डीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से 30 माह है। इरकॉनडीएचएचएल को दिनांक 10.08.2021 के पत्र के माध्यम से इसे 26.8.2021 तक के लिए विस्तारित किया गया है।	प्रतिफल: 916.93 करोड़ रुपए जमा @12 प्रतिशत की दर से जीएसटी	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं.	सम्बद्ध पक्षकार का नाम तथा सम्बद्धता का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध	निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में इरकॉन को प्राप्त / इरकॉन द्वारा चुकता राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड में)
3.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	गुजरात राज्य में 323 किलोमीटर से 355 किलोमीटर तक के आठ लेन के वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इरकॉन को इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) अनुबंध अवार्ड जारी करना।	दिनांक: दिनांक 10.8.2019 को निष्पादित परिशिष्ट 1 तथा दिनांक 3.1.2020 को निष्पादित परिशिष्ट 2 के माध्यम से यथासंशोधित दिनांक 9.11.2018 का ईपीसी अनुबंध अवधि: कार्य समापन की अवधि नियत तिथि से 730 दिन है। इसे इरकॉनवीकेईएल द्वारा दिनांक 27.5.2022 के पत्र के माध्यम से 30.5.2022 तक के लिए विस्तारित किया गया है।	प्रतिफल: 1377.73 करोड़ रुपए जमा /12 प्रतिशत की दर से जीएसटी	लागू नहीं	21.97 करोड़ रुपए के अग्रिम की धनवापसी
4.	इरकॉन गुड़गांव रिवाड़ी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	इरकॉन जीआरएचएल द्वारा इरकॉन को हरियाणा राज्य में फीडर मार्ग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 352डब्ल्यू (डिजाइन लम्बाई 46. 110 किलोमीटर) के गुड़गांव–पटौदी–रिवाड़ी भाग के उन्नयन के कार्य के लिए इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) अनुबंध अवार्ड जारी करना।	दिनांक: दिनांक 16.03. 2021 का अवार्ड पत्र तथा दिनांक 30.06.2021 का ईपीसी अनुबंध अवधि: प्रदत्त किसी प्रकार के विस्तार सहित कार्य समापन की अवधि नियत तिथि से 548 दिन है।	प्रतिफल रु 606.54 करोड़ रुपए जमा /12 प्रतिशत की दर से जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
5.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	सीईआरएल द्वारा इरकॉन को छत्तीसगढ़ में ईस्ट कॉरीडोर रेल परियोजना के निष्पादन का कार्य अवार्ड जारी करना	दिनांक: दिनांक 18.01.2014 का परियोजना निष्पादन अनुबंध अवधि: रियायत अनुबंध के अनुरूप रेलवे कॉरीडोर परिचालनात्मक होने तक	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड्स एवं लाभ के प्रति अनुबंध आवर्धन का निर्दिष्ट प्रतिशत चुकता किया जाएगा।	लागू नहीं	1.38 करोड़ रुपए का अग्रिम प्राप्त 15.52 करोड़ रुपए के अग्रिम की धनवापसी
6.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वैस्ट रेलवे लिमिटेड (सीई डब्ल्यूआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	सीई डब्ल्यू आरएल द्वारा इरकॉन को छत्तीसगढ़ में ईस्ट कॉरीडोर रेल परियोजना के निष्पादन का कार्य अवार्ड जारी करना	दिनांक: दिनांक 05.04.2014 का परियोजना निष्पादन अनुबंध अवधि: रियायत अनुबंध के अनुरूप रेलवे कॉरीडोर परिचालनात्मक होने तक	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड्स एवं लाभ के प्रति अनुबंध आवर्धन का निर्दिष्ट प्रतिशत चुकता किया जाएगा।	लागू नहीं	5 करोड़ रुपए का अग्रिम प्राप्त 9.79 करोड़ रुपए के अग्रिम की धनवापसी

क्र. सं.	सम्बद्ध पक्षकार का नाम तथा सम्बद्धता का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में इरकॉन को प्राप्त / इरकॉन द्वारा चुकता राशि, यदि कोई हो (रुपए करोड में)
7.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	एससीएलआर द्वारा इरकॉन को निर्धारित परियोजना लाइनों एवं साइडिंग के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन एवं निर्माण के लिए कार्य अवार्ड जारी करना।	दिनांक: दिनांक 19.04.2016 का परियोजना निष्पादन अनुबंध अवधि: सभी निर्धारित परियोजनाओं की कमीशनिंग होने तक	इरकॉन को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत का प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड्स एवं लाभ के प्रति अनुबंध आवर्धन का निर्दिष्ट प्रतिशत चुकता किया जाएगा।	लागू नहीं	2.29 करोड़ रुपए का अग्रिम प्राप्त
8.	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	जेसीएलआर द्वारा इरकॉन को निर्धारित परियोजना लाइनों एवं साइडिंग के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन एवं निर्माण के लिए कार्य अवार्ड जारी करना।	दिनांक: दिनांक 28.03.2016 का परियोजना निष्पादन अनुबंध अवधि: सभी निर्धारित परियोजनाओं की कमीशनिंग होने तक	इरकॉन को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत का प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड्स एवं लाभ के प्रति अनुबंध आवर्धन का निर्दिष्ट प्रतिशत चुकता किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य
9.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	बीआरपीएल द्वारा इरकॉन को निर्धारित परियोजना लाइनों एवं साइडिंग के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन एवं निर्माण के लिए कार्य अवार्ड जारी करना।	दिनांक: दिनांक 19. 07.2017 को परियोजना निष्पादन अनुबंध किया गया है अवधि: सभी निर्धारित परियोजनाओं की कमीशनिंग होने तक	इरकॉन को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत का प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड्स एवं लाभ के प्रति अनुबंध आवर्धन का निर्दिष्ट प्रतिशत चुकता किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

नोट:

1. उपरोक्त सभी संव्यवहार इरकॉन की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हैं।
2. उपर्युक्त संव्यवहारों के अलावा, अन्य संव्यवहार सम्बद्ध पक्षकारों के साथ आर्म लैंथ आधार पर एवं व्यापार के सामान्य क्रम में की गई व्यवस्थाएं लेखा परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार दिए गए अनुमोदन के अनुसार हैं:
   i) सेवाएं प्रदान करना या उनका लाभ उठाना – मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधन; कार्यालय स्थल को पट्टे पर देना; जनशक्ति, प्रशासनिक सेवाओं की प्रतिनियुक्ति जैसी सेवाओं का प्रतिपादन अथवा लाभ उठाना; तथा सहायक कम्पनियों / सम्बद्ध कम्पनियों / संयुक्त उद्यम कम्पनियों के साथ तथा से 1 करोड़ रुपए से कम मूल्य के लिए माल के विक्रय अथवा क्रय अथवा लागत आधार पर किए जाने वाले ऐसे संव्यवहार जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा बहुप्रयोज्य अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ii) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनएसजीटीएल ने मध्य प्रदेश राज्य के गुना और आरोन में अतिरिक्त प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के निर्माण के 34,45,207/– रुपए, जीएसटी के अलावा, की राशि के कार्य इरकॉन को सौंपे हैं।

iii) इरकॉन द्वारा कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को 1.50 करोड़ रुपए जमा यथा लागू कर की अनुमानित लागत पर बीआरपीएल की जगदलपुर–रोयघाट रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन तथा यातायात प्रारंभ स्थल दृश्य गंतव्य स्थल अध्ययन ओ–डी अध्ययन, निधि मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण के पुनर्निर्धारण के कार्य सौंपे गए हैं।

iv) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनवीकेईएल द्वारा पीएम केयर्स निधि के अंतर्गत गुजरात राज्य के एसएसजी अस्पताल, वडोदरा में अतिरिक्त प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के कार्य 14.39 लाख रुपए (कर सहित) के प्रतिफल के साथ इरकॉन को सौंपे गए हैं।

3. उपर्युक्त संव्यवहारों के अलावा, आईएसटीपीएल से विद्युत शुल्कों के प्रति प्राप्त 45 करोड़ रुपए की अग्रिम की राशि है।

4. सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों इत्यादि को प्रदान किए गए ऋण, किए गए निवेश एवं ऋण के संबंध में दी गई गारंटियां हैं। सदस्यगण, कृपया इसके लिए वित्तीय विवरण देखें जिनमें इंड एएस–24 की अपेक्षाओं के अनुसरण में वर्ष के दौरान किए गए संव्यवहारों के लिए सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण किए गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

ह0/–

(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन: 07854014)

दिनांक: 8 अगस्त, 2022
स्थल: नई दिल्ली

लाभांश संवितरण नीति

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने (सेबी) (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के (दूसरा संशोधन) में दिनांक 8 जुलाई 2016 की अधिसूचना के तहत विनियम 43ए शामिल किया है, जिसमें बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के अनुसार परिकलित) के आधार पर पांच सौ शीर्ष सूचीबद्ध निकायों के लिए अपेक्षित है कि वह एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करे और उसे वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाईट पर प्रकट करे।

1.2 नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को व्यापक स्तर पर विनिर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय और उन परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद है/ नहीं है और प्रतिधारित आमदनी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।

1.3 कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रयासरत है और विश्वास करती है कि इसे निरंतर विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह नीति यह प्रयास करती है कि लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाभों को प्रतिधारित रखे जाने के बीच इष्टतम संतुलन बनाए रखा जाए।

1.4 यह नीति लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड के निर्णय, जो कि कंपनी के व्याज तथा नीति में वर्णित परिस्थितियों तथा अन्य कारकों जो बोर्ड द्वारा संगत निर्धारित किए जाएं, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, का विकल्प नहीं है।

2. नीति फ्रेमवर्क

यह नीति व्यापक स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर तथा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईएपएम), वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग, द्वारा जारी "सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रीस्ट्रक्चरिंग" और सेबी विनियमों और लागू स्तर तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3. लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक

3.1 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले वित्तीय कारक

इरकॉन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण दिनांक 27.05.2016 को डीआईपीएएम द्वारा जारी कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेज की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

3.2 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक

3.2.1 आंतरिक कारक

बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते समय कम्पनी के संचालन की प्रकृति और अन्य पैमानों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:

क. तिमाही तक/वित्तीय वर्ष के लिए लाभ।

ख. कंपनी की नुयत आरक्षित निधि में उपलब्ध शेष।

ग. कंपनी और उद्योग का लाभांश भुगतान का रुझान।

घ. भावी व्यवसाय अनुमान और प्रचालनिक आवश्यकताएं

ड. आमदनियों की धारणीयता और भावी लागों का अनुमान।

च. प्रचालनिक रोकड़ प्रवाह, कोषीय स्थिति और प्रचालनिक आवश्यकताएं।

छ. ऋण सीमा और ऋण प्राप्त करने की क्षमता।

ज. कंपनी की वर्तमान और भावी पूंजी व्यय योजना।

झ. कंपनी की सहायक/संयुक्त उपक्रम तथा संबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश।

ट. अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान, जिनका आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

ठ. कोई अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जाए।

3.2.2 बाहरी कारकों

(क) आर्थिक वातावरण और व्यावसायिक वातावरण: लाभांश की घोषणा करते समय सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितियों सहित वर्तमान और भावी व्यवसायों के परिदृश्य पर विचार किया जाएगा।

(ख) उद्योग की स्थिति: लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय उस उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन कर रही है।

(ग) सांविधिक प्रावधान तथा दिशानिर्देश: कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी भारत सरकार द्वारा तथा अन्य किसी सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी लाभांश घोषणा संबंधी लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

(घ) लाभांश पर कर सहित लागू कर: लाभांश पर कर सहित कंपनी में लागू करों पर विचार किया जाएगा जो समग्र रोकड़ बहिर्गमन को प्रभावित करते हैं।

लाभांश संवितरण नीति

3.3 वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाभांश के रूप में लाभ का संवितरण तथा व्यवसायों में अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ अनुपात में लाभ का प्रतिधारण प्रत्येक कंपनी का मूलभूत निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने तथा व्यवसाय के प्रचालनिक आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए लाभों के प्रतिधारण के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर रही है और यह युक्तिसंगत रूप से भविष्य में भी लाभांश की उम्मीद करते हैं, जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा न करने के लिए कंपनी की कोई समस्या न हो:

(क) लाभों का अभाव या अपर्याप्तता – यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है अथवा यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) अन्य समस्याएं – वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित न करने का निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कारकों जैसे रोकड़ संसाधनों की सीमित/गैर–उपलब्धता, भावी रोकड़ प्रवाह अनुमानों के कारण सीमितता, आपातकालीन आवश्यकताएं जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता हो, अस्थिर व्यवसाय तथा लाभ अनुमान आदि और कोई अन्य सांविधिक कारकों पर भी विचार किया जा सकता है।

4. प्रतिधारण आमदनियों का उपयोग

कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग अवसंरचना के सृजन तथा कंपनी के व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाता रहा है। कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों के उपयोग का निर्णय कई कारकों पर आधारित होता है जैसे कंपनी की नीति और दीर्घकालीन योजनाएं, विविधिकरण, बोनस जारी करने, बाय–बैक के संबंध में सरकारी दिशानिर्देश तथा कोई अन्य कारण जो सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाए। इसलिए, प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इसके सभी शेयरधारकों का धारणीय रूप से मूल्य संवर्धन हो सके।

5. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

वर्तमान में कंपनी के केवल एक श्रेणी के शेयर हैं यथा इक्विटी शेयर और रिकार्ड तिथि को कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर घोषित लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। जब कभी कंपनी शेयरों की किसी अन्य श्रेणी को जारी करने का प्रस्ताव करेगी, शेयरों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

6. यह नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

- किसी अन्य रूप में लाभांश का संवितरण जैसे बोनस शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करके, लागू कानूनों के मद्देनजर।
- इक्विटी शेयरों के बायबैक के रूप में लाभांश भुगतान के विकल्प के रूप में रोकड़ का संवितरण।

7. संशोधन

निदेशक मंडल उपयुक्त समझे जाने पर या सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र रूप से या भाग में, इस नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकते हैं।

तथापि, इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित है और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऐसे संशोधन को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त है।

8. प्रकटन:

8.1 इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों या इस नीति के तत्वों में संशोधन के परिणामस्वरूप लाभांश की घोषणा को वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।

8.2 तथापि, इस नीति में परिवर्तन को इसके औचित्य के साथ लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट तथा कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

8.3 ऐसी स्थिति में जहां यह नीति किसी अन्य विनियामक प्रावधान के अनुरूप नहीं है, ऐसे विनियामक प्रावधान इस नीति के समवर्ती प्रावधान के स्थान पर विद्यमान रहेंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

***

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2021-22

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य यृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, ("इंड एस")के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल यृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और यह रिपोर्ट हमारे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत 27 मई, 2022 की पूर्व रिपोर्ट है।

मत का आधार

हमने अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित हमारी रिपोर्ट के अनुरूप हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
इंड एएस–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भारी व्याख्या, कि हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, समय पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में प्रकटीकरण शामिल होता है, जिसमें अलग–अलग राजस्व के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल होता है और अवधि जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को तुलनपत्र की तारीख के बाद पूरा किया जाएगा। विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–39 को देखें।	हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। • प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं
आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएं : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–37 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल अएफआई:सीओ माड्यूल को ही क्रियान्वित किया गया है और अन्य प्रणालियां जैसे पे–रोल, इन्वेंटरी आदि क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे की व्याख्या हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: हमारी लेखापरीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिन्हीं इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिसके बिना तुलनपत्र के विभिन्न शीर्षों के डेटा एकत्र करना हमारे लिए कठिन है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग यह सुनिश्चय करने के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयर धारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टैंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमें व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(घ) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि को दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (घ) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (घघ) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

कार्पोरेट व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 को 577.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 411.85 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 444.69 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 518.97 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 41.79 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 36.64 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में कम्पनी के अंशभाग के (0.08 करोड़ रूपए) (पिछले वर्ष 17.99 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फार्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.59 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.51 करोड़ रूपए) है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने ये सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं
   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।
   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।
   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
   (ङ.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।
   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध–ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।
   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ङ.) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
   (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:
      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 37 का संदर्भ लें;
      (ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है–स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।
      (iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कोई धन उपलब्ध या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (iv) और (v) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। विदेशी शाखाओं के मामले में, कंपनी ने दिनांक 30 सितंबर 2021 से टैली सॉफ्टवेयर के स्थान पर एस/4 हाना लागू किया। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है/ यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 15.45 करोड रूपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है/ व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072ANKUAK9117

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक–क"

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि :

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापनों में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलनपत्र के तारीख को सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार और समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), के शीर्षक/पट्टा विलेख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में प्रकटन कंपनी के नाम पर किए गए हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं, जैसा कि नोट संख्या 07 परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) क) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री (तृतीय पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी वस्तुओं के संबंध में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। पुस्तक अभिलेखों के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना करने पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(पप)(ख) का आदेश लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं।

कंपनियों ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को गारंटी, स्वीकृत ऋण और ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने सीमित देयता भागीदारी फर्मों को वर्षों के दौरान ऋण की प्रकृति में गारंटी या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को निम्नानुसार ऋण दिया है:

(करोड रुपये में)

	गारंटी	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि			
–सहायक कंपनियां*	1534.80	46.78	142.81
–संयुक्त उपक्रम	–	–	15.60

	गारंटी	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
–सहायक कंपनियां*	1365.70	313.90	269.84
–संयुक्त उपक्रम*	–	–	65.60

*कंपनी अधिनियम के तहत

(ख) हमारे द्वारा की गई लेख परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार प्रदान किया है:

(करोड़ रुपये में)

	ऋण की प्रकृति में अग्रिम– कर्मचारी अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि	
– अन्य पार्टियाँ	0.44
बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बकाया बैलेंस	
– अन्य पार्टियाँ	1.22

ख) हमारी राय में वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी और वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम देने के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन के पुनर्भुगतान और रसीद की प्राप्ति, सामान्यतः रूप से नियम के अनुसार की गई है, केवल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले को छोड़कर, जहां कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ.) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसी पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की अधिक बकाया राशि को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत आवश्यकतानुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालांकि, हमें न तो इस तरह के खातों और अभिलेखों की कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और न ही कोई विस्तृत जांच की गई है।

(viii) क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31.03.2022 को कोई बकाया देय राशि नहीं है, बकाया शेष को छोड़कर।

ख) उप–खंड (क) में संदर्भित वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण 31.03.2022 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियोंकी प्रकृति	राशि (करोड रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर –एजीआरपी	0.93	2007–08 से 2012–13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	बिक्री कर –एजीआरपी	0.02	2008–09 से 2013–14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपी प्रवेश कर	3.89	2004–05 से 2007–08	आकलन प्राधिकारी
4	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपी 01 (प्रवेश कर)	0.16	2007–08	आकलन प्राधिकारी
5	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपीयूपी प्रवेश कर	3.41	2007–08 से 2008–09	आकलन प्राधिकारी
6	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपी (प्रवेश कर) 01	0.15	2007–08 से 2009–10	आकलन प्राधिकारी
7	बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम –यूपी01	0.01	2010–11	उपायुक्त
8	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई.08	0.26	2007–08 से 2009–10	अपर आयुक्त अपील नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर	0.003	2014–15	अपर आयुक्त अपील नोएडा
10	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी –05	1.31	2006–07 से 2007–08	अधिकरण झांसी शाखा
11	बिक्री कर	यूटीपीपी:यूपी–05	0.01	2005–06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
12	बिक्री कर	यूपी वेट–यूपी–05	3.27	2007–08 से 2009–10	अधिकरण झांसी शाखा
13	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट–यूपी–05	0.42	2011–12	उपायुक्त अपील
14	बिक्री कर	बिक्री कर 2005–06 से 2005–06–गोधरा	1.90	2005–06	उपायुक्त, बिक्री कर प्राधिकारी, वड़ोदरा
15	बिक्री कर	बिक्रीकर 2010–11–जीईडी	0.05	2010–11	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी, मारगोवा
16	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982–83 और 1989–90	अपील अधिकरण, झांसी
17	रेवाड़ी–अजमेर परियोजना	कार्य संविदा कर	1.84	2006–07 से 2010–11	उच्च न्यायालय, राजस्थान
18	बिक्री कर	बिक्रीकर जीईडी, गोवा	0.50	2011–12 से 2014–15	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी, मारगोवा
19	बिक्री कर	प्रस्तुत मांग	1.19	2006–07	वेट अधिकरण, चंडीगढ
20	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.55	2015–16 से 2017–18	सीईएसटीएटी इलाहबाद
21	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.19	2015–16	उप/सहायक आयुक्त जयपुर
22	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2) एवं (प्रवेश कर)	0.21	2015–16	आंकलन आदेश प्राप्त हुआ है। अपील की जाएगी।
23	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी बिक्री कर –खंड 3	1.24	2005–06 और 2006–07	अधिकरण में अपील लंबित है

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियोंकी प्रकृति	राशि (करोड रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
24	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमितद्ध खंड 28(2)	0.32	2015–16 से 2017–18	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
25	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी प्रवेश कर – जी टी नगर	0.05	2002–03 और 2003–04	इलाहबाद उच्च न्यायालय
26	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	19.33	1999–00 से 2005–06	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर
27	आयकर	डीसीटी द्वारा आंकलन की मांग	8.04	वित्तीय वर्ष 2016–17	सीआईटी (ए) के समक्ष दायर अपील
28	बिक्री कर –एमआरओ	बिक्री कर–एमआरओ	3.51	1995–96 और1996–97	बम्बई उच्च न्यायालय
29	बिक्री कर एमआरओ	बिक्री कर–एमआरओ	3.97	2010–11, 2011–12	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
30	बिक्री कर	बिक्री कर महाराष्ट्रा	42.53	2007–08	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
31	बिहार राज्य बिक्री कर, 1981	बिक्री कर	1.75	1987–88 और 1994–95	बिहार बिक्री कर अधिकरण – खलगांव
32	वेस्ट बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.26	1998–99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, वेस्ट बंगाल
33	वेस्ट बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	1.80	2004–05, 2016–17 और 2017–18	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
34	सेवाकर	सेवाकर (बेहाला)	0.87	2015–16 से 2016–17	संयुक्त/अपर आयुक्त कोलकाता
35	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010–11 से 2014–15	सीईएसटीएटी
36	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	5.60	2009–10 से 2013–14	सीईएसटीएटी
37	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	2.06	2016–17 से 2017–18	सीईएसटीएटी
38	बिहार वेट अधिनियम	वेट टीडीएस	5.98	2005–06 और 2006–07	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
39	बिहार वेट अधिनियम	वेट	0.003	2010–11	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
40	बिहार वेट अधिनियम	वेट	29.02	2012–13	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
41	सेवाकर	सेवाकर जगदलपुर	2.84	2016–17 से 2017–18	केन्द्रीय आयुक्त और सीमाशुल्क अपील, छत्तीसगढ के समक्ष अपील दायर
42	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	33.46	2013–14	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
43	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	25.54	2014–15	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियोंकी प्रकृति	राशि (करोड रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
44	सेवाकर	सेवाकर	2.16	2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता
45	बिहार वेट अधिनियम 2005	2005 धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	0.92	2015–16	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
46	सीमाशुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/कॅंटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क	0.66	1998–99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)
47	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.98	2010–11	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनआकलन हेतु दिनांक 01.03.2019 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
48	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.14	2011–12	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनआकलन हेतु दिनांक 28.03.20 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
49	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	38.41	2012–13 से 2016–17	अपर आयुक्त गेड–2(अपील) लखनउ
50	यूपी वेट अधिनियम 2008	यूपी वेट (नियमितीकृत खंड 28(2)	6.81	2017–18	अपर आयुक्त गेड–2(अपील) लखनउ
51	आयकर	धारा 115वयूए के अतर्गत आयकर मांग	56.73	2018–19	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर
52	आयकर	धारा 143(1)(क) के अतर्गत आयकर मांग	7.64	2018–19	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर
53	आयकर	डीसीटी द्वारा मूल्यांकन मांग	8.04	वि.य 2019–20	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(ix) क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसके पास वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (पग)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अल्पकालिक आधार पर प्राप्त की गई किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

ड.) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश का खंड 3 (पग) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ग) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ग)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, जैसा कि निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (गपप) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (गअप) (क) और 3(गअप) (ख) लागू नहीं हैं।

ख) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(गअप)(ग) लागू नहीं है।

ग) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (गअपपप) लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

(xx) क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा, अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (गग)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अव्ययित राशि को स्थानांतरित कर दिया है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर अव्ययित राशि, चालू परियोजनाओं से इतर	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	देय तिथि के पश्चात अंतरित राशि (जमा करने की तिथि बताएं)
2021–22	1.47	शून्य	1.24* (15 सितंबर 2021)

*अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान कंपनी के बैंक खाते से 0.23 रुपए खर्च किए गए हैं और शेष राशि विशेष खाते में अंतरित की गई है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072ANKUAK9117

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुबंध–ख"।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ये नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड पर आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2022 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है:

क. कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता से नहीं किया गया था। इसके अलावा, सेप परियोजना प्रणाली माड्यूल (पीएस) को एकीकरण सहायता के साथ परियोजना इन्फाइल्ड के सृजन की आवश्यकता होती है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों पर हमारा मत शोधनीय नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072AHKUAK9117

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, ("इंड एस")के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

मत का आधार

हमने अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित हमारी रिपोर्ट के अनुरूप हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
इंड एएस–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है,	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
यहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वित्तरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–39 को देखें।	अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है: इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और दर्ज की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। • प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं
आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएं : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–37 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल अएफआई:सीओ माड्यूल को ही कियान्वित किया गया है और अन्य प्रणालियां जैसे पे–रोल, इन्वेंटरी आदि कियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग यह सुनिश्चय करने के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टैंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमें व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि को दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

कार्पोरेट व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 को 577.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 411.85 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 444.69 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 518.97 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 41.79 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 36.64 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में कम्पनी के अंशभाग को (0.08 करोड़ रूपए) (पिछले वर्ष 17.99 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.59 करोड रूपए (पिछले वर्ष 0.51 करोड रूपए) है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने ये सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध–ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ड.) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में

      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 37 का संदर्भ लें;

      (ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है–स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

      (iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

      (iv) क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कोई

धन उपलब्ध या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट संख्या 46 में प्रकटन किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी को निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। विदेशी शाखाओं के मामले में, कंपनी ने दिनांक 30 सितंबर 2021 से टैली सॉफ्टवेयर के स्थान पर एस/4 हाना लागू किया। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है॰ यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलाये लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 15.45 करोड रूपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है॰ व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरवीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 22084072AHKUAK9117

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक–क"

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि :

(i). कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापनों में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलनपत्र के तारीख को सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को अलावा जहां कंपनी पट्टेदार और समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), के शीर्षक/पट्टा विलेख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में प्रकटन कंपनी के नाम पर किए गए हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं, जैसा कि नोट संख्या 07 परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii). क) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री (तृतीय पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी वस्तुओं के संबंध में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। पुस्तक अभिलेखों के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना करने पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।

(iii). हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं।

कंपनियों ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को गारंटी, स्वीकृत ऋण और ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने सीमित देयता भागीदारी फर्मों को वर्षों के दौरान ऋण की प्रकृति में गारंटी या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को निम्नानुसार ऋण दिया है:

(करोड रुपये में)

	गारंटी	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि			
–सहायक कंपनियां*	1534.80	46.78	142.81
–संयुक्त उपक्रम*	–	–	15.60
तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
–सहायक कंपनियां*	1365.70	313.90	269.84
–संयुक्त उपक्रम*	–	–	65.60

*कंपनी अधिनियम के तहत'

(ख) हमारे द्वारा की गई लेख परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार प्रदान किया है:

(करोड़ रुपये में)

	ऋण की प्रकृति में अग्रिम– कर्मचारी अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि – अन्य पार्टियाँ	0.44
बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बकाया बैलेंस – अन्य पार्टियाँ	1.22

ख) हमारी राय में वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी और वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम देने के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन के पुनर्भुगतान और रसीद की प्राप्ति, सामान्यत रूप से नियम के अनुसार की गई है, केवल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले को छोड़कर, जहां कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ड.) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसी पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की अधिक बकाया राशि को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत आवश्यकतानुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालांकि, हमें न तो इस तरह के खातों और अभिलेखों की कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और न ही कोई विस्तृत जांच की गई है।

(vii) क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31.03.2022 को कोई बकाया देय राशि नहीं है, बकाया शेष को छोड़कर।

ख) उप–खंड (क) में संदर्भित वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण 31.03.2022 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर –एजीआरपी	0.93	2007–08 से 2012–13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	बिक्री कर –एजीआरपी	0.02	2008–09 से 2013–14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01	3.89	2004–05 से 2007–08	आकलन प्राधिकारी
4	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी 01 (प्रवेश कर)	0.16	2007–08	आकलन प्राधिकारी
5	बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर –यूपी01	3.41	2007–08 से 2008–09	आकलन प्राधिकारी
6	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर –यूपी 01 (प्रवेश कर)	0.15	2007–08 से 2009–10	आकलन प्राधिकारी
7	बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम –यूपी01	0.01	2010–11	उपायुक्त
8	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई.08	0.26	2007–08 से 2009–10	अपर आयुक्त अपील नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर	0.003	2014–15	अपर आयुक्त अपील नोएडा
10	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी –05	1.31	2006–07 से 2007–08	अधिकरण झांसी शाखा
11	बिक्री कर	यूटीपीपी:यूपी–05	0.01	2005–06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
12	बिक्री कर	यूपी वेट–यूपी–05	3.27	2007–08 से 2009–10	अधिकरण झांसी शाखा
13	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट–यूपी–05	0.42	2011–12	उपायुक्त अपील
14	बिक्री कर	बिक्री कर 2005–06 से 2005–06–गोधरा	1.90	2005–06	उपायुक्त, बिक्रिकर प्राधिकारी, वड़ोदरा
15	बिक्री कर	बिक्रीकर 2010–11–जीईडी	0.05	2010–11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मारगोवा
16	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982–83 और 1989–90	अपीलीय प्राधिकरण, झाँसी
17	रेवाड़ी–अजमेर परियोजना	कार्य संविदा कर	1.84	2006–07 से 2010–11	उच्च न्यायालय राजस्थान
18	बिक्री कर	बिक्रीकर जीईडी, गोवा	0.50	2011–12 से 2014–15	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मारगोवा
19	बिक्री कर	प्रस्तुत मांग	1.19	2006–07	वेट अधिकरण, चंडीगढ
20	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.55	2015–16 से 2017–18	सीईएसटीएटी इलाहबाद
21	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.19	2015–16	उप/सहायक आयुक्त जयपुर
22	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2) एवं (प्रवेश कर)	0.21	2015–16	आंकलन आदेश है प्राप्त हुआ है। अपील की जाएगी
23	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी बिक्री कर –खंड 3	1.24	2005–06 और 2006–07	अधिकरण में अपील लंबित है
24	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2)	0.32	2015–16 से 2017–18	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
25	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपी प्रवेश कर – जी बी नगर	0.05	2015–16 से 2017–17	इलाहबाद उच्च न्यायालय
26	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	19.33	1999–00 से 2005–06	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील)
27	आयकर	डीसीटी द्वारा आकलन मांग	8.04	वित्तीय वर्ष 2016–17	सीआईटी(अ) के समक्ष दायर अपील
28	बिक्री कर – एमआरओ	बिक्री कर –एमआरओ	3.51	1995–96 और 1996–97	बम्बई उच्च न्यायालय
29	बिक्री कर – एमआरओ	बिक्री कर –एमआरओ	3.97	2010–11 और 2011–12	बम्बई उच्च न्यायालय
30	बिक्री कर	बिक्री कर महाराष्ट्रा	42.53	2007–08	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
31	बिहार राज्य बिक्री कर, 1981	बिक्री कर	1.75	1987–88 और 1994–95	बिहार बिक्री कर अधिकरण – खलगांव
32	वेस्ट बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.26	1998–99	वरिष्ट संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, वेस्ट बंगाल
33	वेस्ट बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	1.80	2004–05, 2016–17 और 2017–18	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
34	सेवाकर	सेवाकर (बेहाला)	0.87	2015–16 से 2016–17	संयुक्त/अपर आयुक्त कोलकाता
35	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010–11 से 2014–15	सीईएसटीएटी
36	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	5.60	2009–10 से 2013–14	सीईएसटीएटी
37	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	2.06	2016–17 से 2017–18	सीईएसटीएटी
38	बिहार वेट अधिनियम	वेट टीडीएस	5.98	2005–06 और 2006–07	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
39	बिहार वेट अधिनियम	वेट	0.003	2010–11	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
40	बिहार वेट अधिनियम	वेट	29.02	2012–13	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
41	सेवाकर	सेवाकर जगदलपुर	2.84	2016–17 से 2017–18	केन्द्रीय आयुक्त और सीमाशुल्क अपील, छत्तीसगढ के समक्ष अपील दायर
42	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	33.46	2013–14	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
43	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	25.54	2014–15	उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
44	सेवाकर	सेवाकर	2.16	2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
45	बिहार वेट अधिनियम 2005	धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	0.92	2015–16	मूल्यांकन आदेश प्राप्त हो गया है। अपील की जाएगी।
46	सीमाशुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट / कैंटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क	0.66	1998–99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)
47	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.98	2010–11	डीसी / बिक्रीकर / आरबीएल को उपयुक्त मानले के पुनआकलन हेतु दिनांक 01.03.2019 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
48	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.14	2011–12	डीसी / बिक्रीकर / आरबीएल को उपयुक्त मानले के पुनआकलन हेतु दिनांक 28.03.20 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
49	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	38.41	2012–13 से 2016–17	अपर आयुक्त गेड–2(अपील) लखनउ
50	यूपी वेट अधिनियम 2008	यूपी वेट (नियमित) खंड 28(2)	6.81	2017–18	अपर आयुक्त गेड–2(अपील) लखनउ
51	आयकर	धारा 115बयूए के अतर्गत आयकर मांग	56.73	2018–19	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर
52	आयकर	धारा 143(1)(क) के अतर्गत आयकर मांग	7.64	2018–19	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर
53	आयकर	डीसीटी द्वारा मूल्यांकन मांग	8.04	वि.य 2019–20	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(ix) क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसके पास वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अल्पकालिक आधार पर प्राप्त की गई किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

ङ.) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या सार्वी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, जैसा कि निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (xii) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) और 3(xvi) (ख) लागू नहीं हैं।

ख) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xvi)(ग) लागू नहीं है।

ग) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

(xx) क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची (VII) में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा, अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अव्ययित राशि को स्थानांतरित कर दिया है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर अव्ययित राशि, चालू परियोजनाओं से इतर	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	देय तिथि के बाद हस्तांतरित राशि (जमा करने की तिथि निर्दिष्ट करें)
2021.22	1.47	शून्य	1.24* (15 सितंबर 2021)

*अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान कंपनी के बैंक खाते से 0.23 रुपए खर्च किए गए हैं और शेष राशि विशेष खाते में अंतरित की गई है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः 22084072AJVXPC6023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुबंध–ख"। कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संनायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ये नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2022 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है:

क. कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता से नहीं किया गया था। इसके अलावा, सेप परियोजना प्रणाली माड्युल (पीएस) को एकीकरण सहायता के साथ परियोजना इन्फाइस के सृजन की आवश्यकता होती है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों पर हमारा मत शोधनीय नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम की खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072AJVXPC6023

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2022 को स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(रूपए करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I.	परिसंपत्तियां			
1	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	188.29	254.63
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	-	0.27
	(ग) निवेश संपत्ति	5	555.18	511.01
	(घ अमूर्त परिसंपत्तियां	6	0.44	0.25
	(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	9.79	9.79
	(च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	7	4.43	4.80
	(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां	8		
	(i) निवेश	8.1	1,714.19	1,489.27
	(ii) ऋण	8.2	283.47	1,385.18
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.3	17.90	74.03
	(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/निवल	9	84.15	82.56
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	30.00	47.64
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**2,887.84**	**3,859.43**
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) इन्वेंटरियां	11	272.26	117.60
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	12		
	(i) निवेश	12.1	50.00	16.31
	(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	709.16	504.64
	(iii) रोकड और रोकड समतुल्य	12.3	1,206.38	322.27
	(iv) अन्य बैंक शेष	12.4	4,133.59	2,928.19
	(v) ऋण	12.5	31.65	94.04
	(vi) अन्य	12.6	1,302.86	1,009.67
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां /निवल	13	56.26	9.08
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	2,077.21	1,802.81
			9,839.37	**6,804.61**
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	15	0.27	0.45
	कुल चालू परिसंपत्तियां		9,839.64	6,805.06
	कुल परिसंपत्तियां		**12,727.48**	**10,664.49**
II.	इक्विटी और देयताएं			
1	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	188.10	94.05
	(ख) अन्य इक्विटी	17	4,432.86	4,312.43
	कुल इक्विटी		**4,620.96**	**4,406.48**
2	देयताएं			
(i)	गैर चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	18		
	(i) ऋण	18.1	-	-
	(ii) पट्टा देयताएं	18.2	0.15	0.15
	(iii) व्यापार प्राप्य	18.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		-	-
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	18.4	505.68	266.26
	(ख) प्रावधान	19	79.70	79.11
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	53.66	333.50
	कुल गैर चालू देयताएं		**639.19**	**679.02**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2022 को स्टैंडएलोन तुलन पत्र

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(ii)	चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	21		
	(i) ऋण	21.1	-	-
	(ii) पट्टा देयताएं	21.2	0.01	0.01
	(iii) व्यापार प्राप्य	21.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियां		3.21	6.11
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		1,007.12	731.79
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	21.4	2,587.27	2,383.89
	(ख) अन्य चालू देयताएं	22	3,645.15	2,173.03
	(ग) प्रावधान	19	211.04	202.18
	(घ) चालू कर देयताएं/निवल	23	13.53	81.98
	कुल चालू देयताएं		**7,467.33**	**5,578.99**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**12,727.48**	**10,664.49**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 - 49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
मुगुंथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन लाभ और हानि विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्वः			
	प्रचालनों से राजस्व	24	6,910.15	4,955.93
II.	अन्य आय	25	270.85	244.38
III.	कुल आय (I + II)		**7,181.00**	**5,200.31**
IV.	व्ययः			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	26 (i)	512.13	366.63
	डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी	26 (ii)	(165.26)	211.77
	परियोजना व्यय	26 (iii)	5,885.72	3,736.28
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	248.59	229.33
	वित्त लागतें	28	10.39	14.73
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं खाटा	29	27.49	24.84
	अन्य व्यय	26 (iii)	51.88	42.71
	कुल आय (IV)		**6,570.94**	**4,626.29**
V.	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		610.06	574.02
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	कर पूर्व लाभ (v+vi)		610.06	574.02
VIII.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	9		
	– अवधि हेतु		159.87	144.47
	– पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(92.53)	13.86
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(1.60)	11.13
	कुल कर व्यय		65.74	169.46
IX	निरंतर प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (VII-VIII)		**544.32**	**404.56**
X	अन्य वृहत आय	30		
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.80)	(0.40)
	(ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नही किया जाएगा		0.20	0.10
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		6.21	(1.21)
	(ii) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर		(1.56)	0.30
			4.05	**(1.21)**
XI	वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (वर्ष क लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)		**548.37**	**403.35**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनीः (निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	35	5.79	4.30
	(2) विलयित		5.79	4.30
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XIV	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1-49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
मुगुंथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07854014

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		610.06	574.02
समायोजनः			
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		(15.45)	-
वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल)		(0.82)	(0.11)
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		27.49	24.84
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि		(1.00)	(3.76)
म्यूचुयल फंड की बिक्री पर लाभ		(1.15)	(2.01)
ब्याज आय		(154.79)	(156.13)
संयुक्त उपक्रम कंपनी से प्राप्त लाभांश		(41.00)	(17.00)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		14.09	7.84
चालू व गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**437.43**	**427.69**
समायोजनः			
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		(204.53)	54.70
इनवेंटरी में (कमी)/वृद्धि		(154.66)	203.06
कर्ज व अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों मं (कमी)/वृद्धि		(466.39)	(189.54)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		272.44	161.04
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		1,470.96	185.63
	(2)	**917.82**	**414.89**
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	**1,355.25**	**842.58**
प्रदत्त आय कर		(6.99)	(37.68)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	**1,348.26**	**804.90**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्लूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(4.51)	(3.52)
अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		(0.42)	(0.02)
निवेश परिसंपत्तियों का क्रय/धनराशि		(0.07)	(30.49)
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपरकणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		1.34	5.60
म्यूचुल फंडों की खरीद		1,246.59	799.81
म्यूचुल फंडों की बिक्री		(1,245.44)	(797.80)
सहायक कंपनियों को कर्ज		3.56	(492.46)
सहायक कंपनियों से कर्ज का पुनर्भुगतान		1,160.50	485.09
प्राप्त ब्याज		145.12	159.02
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश		41.00	17.00
सहायक कंपनियों और संयक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		(278.63)	(32.05)
बांडों का रिडेम्पशन		16.31	-
रोकड व रोकड समतुल्य से इतर अन्य शेष		(1,201.51)	(815.75)
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	(ख)	**(116.16)**	**(705.57)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पट्टा देयताओं का भगतान		(0.01)	(0.02)
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(159.89)	(96.87)
प्रदत्त अंतरित लाभांश		(174.00)	(61.13)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	**(333.90)**	**(158.02)**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	(14.09)	(7.84)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(क+ख+ग+घ)	**884.11**	**(66.53)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)	(ङ.)	**322.27**	**388.80**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) (संदर्भ नोट 2, 3 और 4)	(च)	**1,206.38**	**322.27**
नगदी तथा नगदी समतुल्य में वृद्धि/(कमी)	(च–ङ.)	**884.11**	**(66.53)**

नोट:

1. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. रोकड और रोकड़ समतुल्यों का समायोजन तथा रोकड एवं रोकड़ समतुल्यों के घटकों को उपर्युक्त स्टैंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण में शामिल किया गया है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध रोकड़	0.06	0.05
बैंकों में शेष		
–चालू खाता	864.01	154.17
–फ्लेक्सी खाता	241.42	128.23
– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	100.89	39.82
तुलन पत्र और स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड और रोकड समतुल्य	**1,206.38**	**322.27**

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न तुलनपत्र में आरंभिक और समापन शेष का बी समायोजन

(रूपए करोड में)

विवरण	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2020 को	**0.17**
(क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	(0.02)
(ख) गैर रोकड परिवर्तनों के कारण:	
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.01
31 मार्च 2021 को	**0.16**
क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	(0.01)
(ख) गैर रोकड परिवर्तनों के कारण:	
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.01
31 मार्च 2021 को	**0.16**

4. पूर्व वर्षों के आंकडों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत और पुनःवर्णित किया गया है, जहां लागू हुआ।
5. निर्धारित और प्रतिबंधित शेषों को नोट सं. 12.3 तथा 12.4 में दर्शाया गया है।
6. प्रकोष्ठ के आंकडे रोकड के आउटफ्लों को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
गुमुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2020 को शेष	94.05
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2021 को शेष	94.05
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	94.05
31 मार्च 2022 को शेष	188.10

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2020 को शेष	3,333.71	732.61	4.93	(4.17)	4,067.08
वर्ष के लिए लाभ	-	404.56	-	-	404.56
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	(0.30)	-	-	(0.30)
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	(0.91)	(0.91)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	-	404.26	-	(0.91)	403.35
प्रदत्त लाभांश	-	(158.00)	-	-	(158.00)
31 मार्च 2021 को शेष	3,333.71	978.87	4.93	(5.08)	4,312.43

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2021 को शेष	3,333.71	978.87	4.93	(5.08)	4,312.43
वर्ष के लिए लाभ	-	544.32	-	-	544.32
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	(0.60)	-	-	(0.60)
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-		-	4.65	4.65
अवधि के लिए कुल वृहत आय	-	543.72	-	4.65	548.37
प्रदत्त लाभांश	-	(333.89)	-	-	(333.89)
बोनस इश्यु	-	(94.05)	-	-	(94.05)
31 मार्च 2022 को शेष	3,333.71	1,094.65	4.93	(0.43)	4,432.86

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/-
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/-
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/-
गुमुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07854014

ह0/-
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

1. निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार एवं अन्य आधार पर रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त, मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य करने वाली भारतीय मूल (सीआईएन : एल45203डीएल1976जीओआई008171) की सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिफिकेशन उपस्टेशन तथा संचितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित; अनुसूची "क" की सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनि रत्न श्रेणी–। कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

कम्पनी द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम–3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है:–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित है।
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, बहार्ते, विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए उपस्थित नहीं है।

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैः

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, उस सीमा तक व्यय सीधे निर्माण से संबंधित होता है या उसके लिए प्रासंगिक होता है।

ड.) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना निआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

उपयोज्यता काल का विवरण	वर्ष
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5–10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। निआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख

के अनुसार "सामान्यतः किसी परिसम्पत्ति का अवशेष मूल्य परिसम्पत्ति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।"

स्वीकृति समाप्ति

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शुध्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब ये स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उददेश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण "विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां" के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब ये स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, को उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा ये कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि को लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के उपकरणों में निवेश

सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में किया गया निवेश इंड एएस 27 "अलग वित्तीय विवरण" में किया गया है। जब किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है तो उसके अनुमान वसूलीयोग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं तथा स्थाई होने के मामले में लाभ एवं हानि विवरण में ह्रास के प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे निवेश का निपटान करने पर निवल निपटान प्राप्ति एवं वहन राशि के मध्य के अंतर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

संयुक्त परिचालनों में हित

संयुक्त परिचालक के रूप में कम्पनी द्वारा संयुक्त परिचालनों, संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से धारित/वहन की गई परिसम्पतियों/देयताओं के अंशभाग के हितों को संज्ञान में लिया जाता है। ऐसे संयुक्त परिचालनों में किए गए कार्यों की बिक्री से प्राप्त राजस्व अंश भाग की स्वीकृति की जाती है।

व्ययों की स्वीकृति संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्ययों के अंशभाग के अनुसार की जाती है।

2.2.8 मालसूचियाँ

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं नियत प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में नियत वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा , जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

कम्पनी अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफियल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं" कहा जाता है) कार्य हैं। कम्पनी द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा कम्पनी द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। कम्पनी के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। कम्पनी द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कम्पनी यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा ों में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई ये सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं, का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य

के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणत:, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

कम्पनी द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां कम्पनी द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में कम्पनी द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा शेष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व ये दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए है। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी वित्तिय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है, अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा नियत आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (`कार्यात्मक मुद्रा´) करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में बलोजिंग

दर (देयताओं के लिए बलोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए बलोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पत्ति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- विदेश परिचालन

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। कम्पनी की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कम्पनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

कम्पनी की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कान्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट को लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

परिभाषित लाभ योजना : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व कम्पनी के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कम्पनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कम्पनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी भाग्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कांट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी का दायित्व ऐसे

नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। कम्पनी की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका नियियन भी कम्पनी करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी के नियत दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। नियत आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पत्ति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के नियत पर नियत ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब कम्पनी धारित संबंधित अवसंरचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी द्वारा बारह माह के पश्चात अर्जेयित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति सहत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है। अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण को अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएँ

प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा

ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सम्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सम्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता का राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा

भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि ये मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात ये पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

ये पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया

है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापे उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

एफवीटीपीएलए ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- इक्विटी उपकरण

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में

वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए "सरल एप्रोच" का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। नियत वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर मत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध नियम के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

  ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

  प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

  वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

  किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएँ

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं ये संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा मत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के एि पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब

ऐसी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) वित्तीय अभिलेखों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, यदि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों के निपटान का इरादा है, तो मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निपटान करने की मंशा है।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पत्ति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पत्ति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पत्ति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पत्ति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पत्ति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में यह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पत्ति अथवा देयता से जुड़े

जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.20 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां" के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्यसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परियालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुति उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बहोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कटिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाय वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्ति

गैर–चालू संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और यह बिक्री वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर होने की संभावना होती है।

पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारित तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया

जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्ति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी।

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पत्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दायों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दायों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

ये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षाएं हैं और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने हेतु समायोजित हैं।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाता है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दायों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	फ्रीहोल्ड भवन / फ्लैट–आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन / फ्लैट–गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कारवां, कैम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट								(ii)	(i)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)												
1 अप्रैल 2020 को	42.69	36.89	6.36	61.67	176.14	1.95	6.34	4.53	3.88	2.86	2.92	346.23
संकर्मन	-	-	-	1.43	0.32	0.01	0.78	0.30	1.02	0.03	-	3.89
निपटान / समायोजन	-	-	-	(0.14)	(5.21)	(0.21)	(0.30)	(0.33)	(0.12)	-	(0.01)	(6.32)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	-	(0.01)
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	0.06	(2.04)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.08)	(2.16)
31 मार्च 2021 को	42.69	36.89	6.36	63.02	169.20	1.74	6.81	4.48	4.75	2.86	2.83	341.63
संकर्मन	-	-	-	-	1.35	1.04	0.68	0.37	1.20	0.15	-	4.79
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.28)	-	(0.35)	(0.10)	(0.11)	-	-	(0.84)
निवेश परिसंपत्ति में अंतरण (नोट-iii)	-	(36.89)	-	(19.40)	-	-	-	-	-	-	-	(56.29)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	0.19	0.35	0.01	(0.02)	0.03	0.01	-	0.06	0.63
31 मार्च 2022 को	42.69	-	6.36	43.81	170.62	2.79	7.12	4.78	5.85	3.01	2.89	289.92
मूल्यह्रास एवं हानि												
01 अप्रैल 2020 को	-	(0.01)	3.54	15.47	45.00	0.53	3.73	2.50	1.48	2.18	1.17	75.59
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	0.10	3.20	11.23	0.19	1.00	0.59	0.37	0.38	0.30	17.37
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	0.01	-	-	(3.77)	(0.10)	(0.27)	(0.26)	(0.07)	-	-	(4.48)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	0.02	(1.39)	-	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.04)	(1.48)
31 मार्च 2021 को	-	0.00	3.64	18.69	51.07	0.62	4.45	2.81	1.76	2.54	1.43	87.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	0.10	2.99	10.87	0.17	1.00	0.51	0.49	0.12	0.30	16.55
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.10)	-	(0.27)	(0.07)	(0.05)	-	-	(0.49)
निवेश परिसंपत्ति में अंतरण (नोट-iii)	-	-	-	(1.85)	-	-	-	-	-	-	-	(1.85)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि (iv)	-	-	-	0.09	0.30	-	(0.02)	0.01	-	-	0.03	0.42
31 मार्च 2022 को	-	0.00	3.74	19.92	62.14	0.79	5.16	3.26	2.20	2.66	1.76	101.63
निवल बही मूल्य												
31 मार्च 2022 को	42.69	0.00	2.62	23.89	108.48	2.00	1.96	1.52	3.65	0.35	1.13	188.29
31 मार्च 2021 को	42.69	36.89	2.72	44.33	118.13	1.12	2.36	1.67	2.99	0.32	1.40	254.63

फुट नोट

i) फरनीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

ii) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और वातानुकूलक शामिल हैं, ऐसी वस्तु का जीवन क्रमशः 10 वर्ष और 5 वर्ष माना जाता है

iii) नोएडा सेक्टर –1 में स्थित संपत्ति पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित

iv) वित्तीय मुद्रा से प्रस्तुतीकरण मुद्रा में पीपीई अंतरण के कारण विदेशी विनिमय घटा/हानि सहित वहन मूल्य।

4. पूंजीगत चालू कार्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2020 को	**0.66**
जमा (परिणामी व्यय)	0.01
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.40)
31 मार्च 2021 को	**0.27**
जमा (परिणामी व्यय)	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**(0.27)**
31 मार्च 2022 को	-
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2022 को	**0**
31 मार्च 2021 को	**0.27**

31 मार्च 2022 और मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की आयुकाल अनुसूची इस प्रकार है।

विवरण	1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 तक					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 तक	-	-	-	-	-
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	0.27	-	-	0.27
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	-	**0.27**	-	-	**0.27**

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया हो।
31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो अपनी लागत से अधिक हो गई है या पूरा होना अतिदेय है

5. निवेश परिसंपत्ति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2020 तक	**290.31**	**0.57**	**128.38**	**2.23**	**65.82**	**-**	**3.04**	**490.35**
जमा (आगामी के व्यय)*	-	-	-	-	30.49	-	-	30.49
वर्ष के दौरान अमान्य			(1.57)	-	-	-	-	(1.57)
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	**290.31**	**0.57**	**126.81**	**2.23**	**96.31**	**-**	**3.04**	**519.27**
जमा (आगामी के व्यय)बंस	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से स्थानांतरण (नोट–iv देखें)	36.89	-	19.40	-	-	-	-	56.29
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	(96.38)	96.38	-	-
31 मार्च 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**-**	**96.38**	**3.04**	**575.63**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2020 को	-	-	**1.06**	-	-	-	**0.27**	**1.33**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	6.89	-	-	-	0.04	6.93
31 मार्च 2021 को	-	-	**7.95**	-	-	-	**0.31**	**8.26**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	7.01	-	-	3.28	0.04	10.34
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (नोट–iv)	-	-	1.85	-	-	-	-	1.85
31 मार्च 2022 को	-	-	**16.81**	-	-	**3.28**	**0.36**	**20.45**
निवल ब्लाक								
31 मार्च 2022 को	**327.20**	**0.57**	**129.40**	**2.23**	**-**	**93.10**	**2.68**	**555.18**
31 मार्च 2022 को	**290.31**	**0.57**	**118.86**	**2.23**	**96.31**	**-**	**2.73**	**511.01**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के संबंध में जानकारी

विवरण	(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2022	(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2021
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	0.54	0.41
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित न करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	-	-
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	0.53	0.40
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.27)	(0.04)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	0.26	0.36

उचित मूल्य समायोजन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**		**7.09**	**555.50**
संवर्धन	-	-	-	-	30.49		-	30.49
अस्वीकृति	-	-	(1.57)	-	-			(1.57)
उचित मूल्य अंतर	(11.15)	(0.57)	(9.66)	(6.68)	(9.31)		0.78	(36.60)
31 मार्च 2021 को समापन शेष	**217.32**	**-**	**116.79**	**118.48**	**87.37**		**7.87**	**547.83**
संवर्धन	-	-	-	-	0.07		-	0.07
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (नोट-iv)	25.02	-	16.59	-	-	-	-	41.61
वर्ष के दौरान पूंजीकृत					(87.44)	87.44		-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	5.89	-	**3.32**	3.34	-	2.69	**1.49**	**16.72**
31 मार्च 2022 को समापन शेष	**248.23**	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.23**
नोटः								
अधिग्रहित निवेश परिसंपत्ति						-		
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	5.89	-	3.32	3.34	-	2.69	1.49	16.72
स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति	248.23	-	136.70	121.82	-	**90.13**	**9.36**	**606.23**
	248.23	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.23**

(i) ये मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हैं। उचित मूल्य लागत और आयव्ययागत बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई धारणा के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से जीएसटी पर विचार नहीं किया गया है।

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

(iv) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित।

(रुपए करोड़ में)

* संवर्धन का ब्यौरा (आगामी व्यय)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	गुडगांव में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य
– कार्य व्यय	(0.20)	26.84
– परामर्श शुल्क	0.22	0.34
– मजदूरी वेतन	0.02	0.70
– दरें और कर	-	0.01
– वाहन संचालन और रखरखाव	-	0.05
– बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	0.03	2.38
– विज्ञापन और प्रचार	-	0.01
– यात्रा और यात्रा	-	0.01
– विविध, प्रशासनिक व्यय	-	0.15
कुल	**0.07**	**30.49**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल 2020 को	**9.79**	**2.11**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.02
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2021 को	**9.79**	**2.13**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.42
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**2.55**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2020 को	**-**	**1.71**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.17
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2021 को	**-**	**1.88**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**-**	**2.11**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2022 को	**9.79**	**0.44**
31 मार्च 2021 को	**9.79**	**0.25**

फुटनोट:

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस–4/एचएएनए ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की आयु संवर्धन अनुसूची इस प्रकार है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 तक					
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	-	9.79	-	9.79
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	-	**-**	**9.79**	**-**	**9.79**
31 मार्च, 2021 तक					
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	9.79	-	-	9.79
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	-	**9.79**	**-**	**-**	**9.79**

नीचे की परियोजनाओं के मामले में, पूर्णता अतिदेय है, स्वीकृत कुल लागत 28.16 करोड़ रुपये है और परियोजना के निम्नानुसार पूरा होने की उम्मीद है

(रूपए करोड़ में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1.2 वर्ष	2.3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं				
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी परियोजना 2	14.18	2.18	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित				
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

7. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2020 को	1.25	5.21	0.04	6.50
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल 2020 को	0.07	1.24	0.02	1.33
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.04	0.31	0.02	0.37
हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**0.11**	**1.55**	**0.04**	**1.70**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.05	0.32	-	0.37
हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2022 को	**1.09**	**3.34**	-	**4.43**
31 मार्च 2021 को	**1.14**	**3.66**	-	**4.80**

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.76 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति मद का विवरण	सकलप वहन मूल्य	नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण (यह भी बताएं कि क्या विवाद है)
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेल	लागू नहीं	14.08.2002	फ्लैटों का निर्माण रेल भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी अनुदेशों के आधार पर इन्हें 30 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेल द्वारा इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	सेंट मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट	2.28	उत्तरी रेल	लागू नहीं	16.09.2004	

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति मद का विवरण	सकलप वहन मूल्य	नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/ निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण (यह भी बताएं कि क्या विवाद है)
गैर आवासीय भवनों के उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल कोलकाता	लागू नहीं	03.03.2000	

8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)		
क. सहायक कपनियां		
इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 : 6,50,00,000)	65.00	65.00
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021: 16,50,00,000 (नोट (i) (ज) का संदर्भ लें)	230.79	165.00
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 (31 मार्च 20219 : 15,00,00,000 (नोट (i) (छ) का संदर्भ लें)	150.19	150.00
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 1,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2021 : 60,00,000) (नोट (i) (क) का संदर्भ लें)	179.42	135.77
इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 17,30,00,000 (31 मार्च 2021: 16,40,50,000) (नोट (i) (ग) का संदर्भ लें)	187.69	169.05
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड – 50,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2021 : 50,000) (नोट (i) (घ) का संदर्भ लें)	18.40	0.05
इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपये (31 मार्च 2021 को इक्विटी शेयर शून्य)	0.05	-
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च 2021को इक्विटी शेयर शून्य)	0.05	-
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च 2021: इक्विटी शेयर शून्य)	0.05	-
इरकॉन हरिद्वार बायपास लिमिटेड – 50000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च 2021 को इक्विटी शेयर शून्य)	0.05	-
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड – 3800000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च 2021 : शून्य इक्विटी शेयर) (नोट (i) (झ) का संदर्भ लें)	5.20	-
कुल (क) – सहायक कपनियों में निवेश	**836.89**	**684.87**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ख. निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (ii) क और ख)	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 5,19,99,699) (संदर्भ नोट (iii)(क, ख)	52.00	52.00
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 :7,63,37,300)	76.34	76.34
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (i) ख)	63.00	63.00
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 13,000)	26.00	0.01
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,78,55,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 14,25,75,700) (संदर्भ नोट (i) (ड.)	213.46	142.58
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 15,71,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021: 13,11,70,000 इक्विटी शेयर)	157.17	131.17
कुल (ख) – संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**652.12**	**529.25**
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर)		
7.21 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसएसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त शून्य बांड (31 मार्च 2021 : 500)	-	49.99
8.23 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनेंस निगम लिमिटेड (आईआरएसएसी) के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2021: 5,00,000 इकाइयां)	50.00	50.00
8.35: इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसएसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2021 : 500 इकाइयां)	49.98	49.97
7.15 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसएसी) के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2021 : 250 इकाइयां)	25.00	25.00
7.07 प्रतिशत इंडियन रेल फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआरएसएसी) के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2021 : 3,02,000 इकाइयां)	30.20	30.20
7.14 प्रतिशत एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2021 : 1,99,989 इकाइयां)	20.00	20.00
7.02 प्रतिशत एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2021 : 500 इकाइयां)	50.00	49.99
कुल 2–बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**225.18**	**275.15**
कुल गैर–चालू निवेश (1+2)	**1,714.19**	**1,489.27**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**225.18**	**275.15**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**252.66**	**325.96**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य 1(क)+1(ख)।	**1,489.01**	**1,214.12**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	**-**	**-**

(i) (क) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 10.00 करोड़ रुपए तक सीमित इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 195.71 करोड़ रुपए तक सीमित ब्याज मुक्त अग्रिम को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से 169.18 करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें, आईयीवीईएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और की ओर से इरकॉन ने बैंक ऑफ बडोदा को 0.24 करोड रुपए की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ख) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में 50 करोड़ रुपए के परिवर्ती प्रतिभूतियों (ब्याज मुक्त अग्रिम) को अनुमोदन प्रदान किया है। ऋण का भुगतान परियोजना के समाप्त होने या रियायत अवधि के समाप्त होने जो भी बाद में हो, पर किया जाएगा

ग) आईडीएचएचएल द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी किए गए 0.83 करोड रुपए (दिनांक 31.03.2021 को 5.00 करोड़ रुपये) के लिए वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने आईडीएचएचएल को 13.86 करोड रुपए तक की सीमा में ब्याज मुक्त अग्रिम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका भुगतान किया गया है।

घ) निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाईवे लिमिटेड/आईजीआरएचएल को ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है जो 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए 15.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईजीआरएचएल के लिए 103.18 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है, जिसमें से 18.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(ङ.) निदेशक मंडल ने ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है जो रुपये से अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए 15.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है

(च) बीओडी ने इरकॉन रिन्यूअल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) में इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है, जो 3.80 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, बीओडी ने आईजीआरएचएल में 108.03 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दी है, जिसमें से 1.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(छ) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में स्टेट बैंक को इरकॉन द्वारा जारी की गई 0.19 करोड़ रुपये की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ज) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी द्वारा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को 01 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है और मूलधन के पुनर्भुगतान तक शेष ब्याज को स्थगित कर दिया है। उक्त छूट को इंड–एएस के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। तदनुसार 65.79 करोड़ रुपये उपरोक्त में शामिल किए गए हैं

(ii) (क) इरकान सोमा टोलवे प्रा. लि. (आई.एस.टी.पी.एल) के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से आधक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों को प्रीएम्पशन अधिकार को अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ख) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा की ओर से तथा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी 0.28 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य शामिल है। 31.03.2021 को बकाया ऋण शून्य रुपए (31.03.2020 को शून्य रुपए)है।

(iii) (क) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आरएलडीए, इरकॉन और राईटस के बीच शेयरधारिता पैटर्न में परिणामी संशोधन के साथ तीसरे रणनीतिक भागीदार/शेयरधारक के रूप में राइट्स लिमिटेड की भागीदारी को मंजूरी दी है। राइट्स क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है।

(ख) इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को रेल मंत्रालय से दिनांक 18.10.2021 को व्यापार बंद करने और अपने व्यवसाय/ संपत्ति को आरएलडीए /रेल मंत्रालय को हस्तांतरित/सौंपने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। तदनुसार, 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गराड़ और सिटको में निवेश के अलावा मंदी बिक्री के आधार पर आरएलडीए/ एमओआर को हस्तांतरित किया जाना है, जो कि 05.05.22 को आयोजित 55वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित बहीमूल्य से कम नहीं है। जब तक मंदी बिक्री को सक्षम प्राधिकारी अर्थात आईआरएसडीसी/आरएलडीए/रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक निवेश लागत पर किया जाता है।

8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.07	0.13
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः		
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	-	490.07
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	209.78	297.04
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड	34.48	571.18
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	38.76	26.46
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.38	0.30
कुल	**283.47**	**1,385.18**

फुट नोटः–

(i) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी के माध्यम से इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिनांक 01 अक्टूबर,2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। इंड एएस के प्रावधान के अनुसार कंपनी उक्त छूट को कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। [टिप्पणी 8.1 (i) (ज) देखें]

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम, जहां भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना,

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	283.02	99.84%	1,384.75	99.97%
कुल	**283.02**	**99.84%**	**1,384.75**	**99.97%**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है

8.3 गैर–चालू परिसंपत्तियां . अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
वसूली योग्य : अरक्षित				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सरकारी विभाग		0.01		0.01
– अन्य		0.05		0.20
संविदा परिसंपत्तिः				
–ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	2.61		57.27	
–ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	-	2.61	1.22	58.49
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (संदर्भ फुट नोट (i))		0.01		0.01
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज#		0.22		0.32
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य (संदर्भ फुटनोट (ii)	630.31		1245.61	
घटाः भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण; संदर्भ फुट नोट (18.1)	(615.31)	15.00	(1,230.61)	15.00
कुल		**17.90**		**74.03**

#निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	-	-

फुट नोट :

(i) 0.01 करोड रुपए (31 मार्च 2021 : 0.01 करोड़ रुपए) के लिए एकडीआर सहित।

(ii) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 18.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किस्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरियत ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कंपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समयवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कंपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

9 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक:

(रूपए करोड़ में)

क.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	लाभ और हानि विवरण खंड		
	चालू आयकर:		
	चालू आयकर प्रभार	159.87	144.47
	पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन	(92.53)	13.86
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिलोम से संबंधित	(1.60)	11.13
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**65.74**	**169.46**
2	अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर:		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	(0.20)	(0.10)
	विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	1.56	(0.30)
	ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय	**1.36**	**(0.40)**

(ख) 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेलू कर दरः

(रूपए करोड़ में)

क सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	610.05	574.02
2	लेखांकन लाभ पर कर	153.54	144.47
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
(i)	पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(92.40)	(4.40)
(ii)	पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
	–गैर करयोग्य मदें	(20.07)	(5.93)
	–कर अंतर		
	–अन्य	0.36	-
(iii)	कर से छूटप्राप्त आय पर कर	-	-
(iv)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	–अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	20.82	32.08
	–अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	4.85	2.83
(v)	विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव	-	-
		67.10	169.05
4	लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	67.10	169.05
5	प्रभावी कर दर	11.00%	29.45%

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(रूपए करोड़ में)

क सं	विवरण	तुलनपत्र		लाभ एवं हानि विवरण	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(18.72)	(14.73)	4.00	3.14
2	प्रावधान	73.78	70.95	(2.84)	4.39
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.09	26.34	(2.75)	3.60
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**84.15**	**82.56**	**(1.59)**	**11.13**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शितः

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	102.88	97.29
2	आस्थगित कर देयताएं	(18.73)	(14.73)
	आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**84.15**	**82.56**

(ङ.) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2022 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(14.73)	(4.00)	-	(18.73)
2	प्रावधान	70.95	2.84	-	73.79
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	26.34	2.75	-	29.09
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**82.56**	**1.59**	**-**	**84.15**

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2021 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(11.60)	(3.14)	-	(14.73)
2	प्रावधान	75.34	(4.39)	-	70.95
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.94	(3.60)	-	26.34
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**93.68**	**(11.13)**	**-**	**82.56**

10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग्य : आरक्षित		
पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का आग्रिम	-	28.50
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रम	-	-
कर विभागों में जमा राशि	-	-
पर संचित ब्याज		
–ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रिम	30.00	19.14
कुल	**30.00**	**47.64**

11. दरसूचियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	18.42	22.06
– तीसरे पक्षों के पास	33.76	44.22
– पारगमन में	3.31	0.47
अन्य (स्क्रैप)	0.59	0.81
प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित	216.18	50.04
कुल	**272.26**	**117.60**

12. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. बांड में निवेश (कोट किए गए, परिशोधन लागत पर)		
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 8.00 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 1000 रुपये की शून्य इकाइयाँ (31 मार्च 2021 को 163,131 इकाइयाँ)	-	16.31
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के 7.21 प्रतिशत कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपये की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2021को शून्य रुपए)	50.00	-
कुल	**50.00**	**16.31**
कोट किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**50.00**	**16.31**
कोट किए गए निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**55.23**	**17.52**
कोट न किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**-**	**-**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	**-**	**-**

12.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिभूत, वसूली योग्य	-	-
असुरक्षित, वसूली योग्य*	720.14	504.64
व्यापार प्राप्य, जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	19.59	20.48
	739.73	**525.12**
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
अप्रतिभूत, वसूलपी याग्य	(10.98)	-
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	(19.59)	(20.48)
कुल	**709.16**	**504.64**

*संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां 258.10 करोड़ रूपए (31 मार्च 2021 तक 171.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं और नोट 33 (ग) 4.1 में इसका प्रकटन किया गया है

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु अनसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	405.34	147.04	117.62	13.19	19.69	17.26	720.14
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	-	-	-	-	-	-	19.59	19.59
कुल	**-**	**405.34**	**147.04**	**117.62**	**13.19**	**19.69**	**36.85**	**739.73**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	308.26	107.45	18.06	46.09	25.44	19.80	525.12
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अशोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	308.26	107.45	18.06	46.09	25.44	19.80	525.12

12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध रोकड़		0.06	0.05
बैंक में शेष :			
–चालू खातों में		864.01	154.17
–फ्लैक्सी खातों में	(i) और (ii)	241.42	128.23
–तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) और (ii)	100.89	39.82
कुल		1,206.38	322.27

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य बैंक शेष			
3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	(i) और (ii)	4,131.68	2,928.05
लाभांश संवितरण खाता	(iii)	1.91	0.14
		4,133.59	2,928.19

फुट नोट– नोट 12.3 और 12.4 के लिए

(i) ग्राहक शोध के 3,291.29 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 को 2,018.35 करोड़ रुपये) शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(ii) व्यापार के प्रति परियोजना निधि के 1,010.33 करोड़ रुपये देय शामिल है (31 मार्च 2021 को 737.90 करोड़ रुपये)।

(iii) वित्त वर्ष 2021–22 की तीसरी तिमाही के अंतरिम लाभांश पर देय 1.57 करोड़ रुपये का टीडीएस शामिल है।

12.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रिम	0.08	0.16
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:		
संयुक्त उद्यम		
– इरकॉन बडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड	-	18.32
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	-	35.93
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	30.88	38.96
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण व आग्रिम	0.69	0.67
कुल	**31.65**	**94.04**

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम:

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि'	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत'
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	30.88	97.57%	93.21	99.12%
कुल	30.88	97.57%	93.21	99.12%

12.6 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
वसूली योग्य : रक्षित					
प्रतिभूति जमा राशि					
– सरकारी विभाग			50.00		12.63
– अन्य			182.48		132.20
बयाना जमा राशि			1.45		2.17
12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता किन्तु 13 महीनों से शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां			4.30		8.18
संचित ब्याज					
– स्टाफ को आग्रम	(i)		0.22		0.25
– संबंधित पक्षों को ऋण			10.06		9.35
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		109.77		160.72	
घट : भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	(iv)	(103.81)	5.96	(156.56)	4.16
– बैंकों में जमा राशि			37.60		28.08

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
– बांड			17.21		17.82
संविदा परिसंपत्तियां:					
– बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु अदेय	(ii) (क) एवं (ख)	250.19		180.34	
– प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर)	(ii) (ड)	208.47		153.06	
– ग्राहकों द्वारा आहरित राशि	(iii)	118.14		97.85	
– ग्राहकों के पास प्रतिधारण धन	(iii)	338.63	915.43	293.52	724.77
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन:					
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. 301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2021 : 301 अंश) (नोट सं 8.1)			-		-
अन्य वसूली योग्य					
(क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम)					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर			3.45		3.70
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.84		4.64
– इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि.			-		0.02
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड			1.03		0.96
– इरकॉन – एकरकॉन जे वी			0.63		0.68
– छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड			0.22		0.20
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.83
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड			1.32		1.83
–झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.10		-
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम			1.10		0.51
(ख) संबंधित पक्ष (सहायक कंपनियां)					
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड			0.03		0.17
– इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड			3.07		2.06
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड			0.44		0.70
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड			0.31		0.05
– रेवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड			0.08		0.03
– इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड			0.07		0.13
–इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड			0.05		-
–इरकॉन भोज मोर्बे हाइवे लिमिटेड			0.02		-
(ग) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूलीयोग्य		639.95		639.95	
घटा: भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड से ऋण	(iv)	(615.31)	24.64	(615.31)	24.64
(घ) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे			22.63		20.64
(ड) अग्रिम पट्टा किराया			0.13		0.19
(च) अन्य			16.97		8.07

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित			
प्रतिभूति जमा राशियां			
– सरकारी विभाग		0.12	0.12
– अन्य		0.17	0.17
बयाना जमा राशि		0.16	0.16
संविदा परिसंपत्ति			
– ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि		4.28	6.00
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि		2.67	3.16
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड से प्राप्य		0.05	0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य		5.81	5.81
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावा संदिग्ध		2.26	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था		(15.52)	(15.46)
कुल		**1,302.86**	**1,009.67**

फुट नोट

i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य आधकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (31 मार्च 2020 को शून्य रुपए) है।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज	-	-
कुल	**-**	**-**

ii) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित 188.44 करोड रुपए (20.19 करोड रुपए) के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिलयोग्य नहीं किया गया है।

(ख) इसमें 259.54 करोड रुपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2021 को 68.30 करोड रुपए) और इसे नोट सं. 33 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

(iii) इसमें 25.81 करोड रुपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2021 को 28.53 करोड रुपए) और इसे नोट रु 33 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

(iv) संदर्भ नोट सं. 21.2 और 18.1(घ)।

13 चालू परिसंपत्तिया : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
टीडीएस और आग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	56.26	9.08
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**56.26**	**9.08**

14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31मार्च 2022 को	31मार्च 2021 को
वसूलीयोग्य: अरक्षित			
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम			
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		189.12	384.06
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम		1,032.34	701.31
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम			
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)		321.17	321.17
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि		(217.05)	(217.05)
– मूल्य संवर्धित कर		79.41	87.75
– वस्तु एवं सेवा कर		585.10	404.56
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट		0.01	0.01
प्रतिभूति जमा		41.31	28.72
संचित ब्याज:			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि		36.48	78.10
पूर्व प्रदत्त व्यय		9.32	7.05
आस्थगित सीएसआर व्यय		-	7.12
उचित मूल्य समायोजन		-	0.01
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण		16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		35.04	35.04
अन्य		-	-
मूल्य संवर्धित कर		9.89	7.18
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था		(61.92)	(59.21)
कुल		**2,077.21**	**1,802.81**

15 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2022 को	31मार्च 2021 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	0.27	0.45
कुल : बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति	**0.27**	**0.45**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर):–

(रूपए करोड़ में)

परिसंपत्तियें का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियें पर संभावित (हानि)/लाभ	सेगमेंट	31मार्च 2022 को		31मार्च 2021 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2023 के अंत तक	–	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	0.78	0.04	0.78	0.05
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2023 के अंत तक	–	घरेलू	0.19	0.01	0.19	0.01
मलेशिया क्षेत्र	लोकोमोटिव – 2 नंबर (4 नंबर)	खुली निविदा	2.40	अंतरराष्ट्रीय	0.08	0.08	0.08	0.08
	हूपर वैगनों की शून्य संख्या (2 संख्या) और कोचों की शून्य संख्या (2 संख्या)	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.02	0.02
	सलेक्टर की शून्य संख्या (1 संख्या)। इलै. कहिन होइस्ट प्रणाली	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.01	0.01
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरण : 28 (0), वातानुकूलन : 17 (0), और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (0),	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.03	-	0.03	-
फर्नीचर और फिक्सचर								
मलेशिया क्षेत्र	79 फर्नीचर मदें	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.01	-	0.01	-
फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र	फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय – चेन्नई	खुली निविदा	-	घरेलू	0.19	0.14	0.38	0.28
कुल					**1.28**	**0.27**	**1.50**	**0.45**

नोटः परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, शून्य रूपए (मार्च 2021 को 0.003 करोड़ रूपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

16 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए सन्दर्भ (घ)		
(20,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2021 को)	400.00	400.00
	400.00	400.00
निर्गमित प्राधिकृत शेयर पूंजी		
9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए/ संदर्भ नोट सं 16(ड.)		
(47,02,57,870 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2021 को) संदर्भ नोट सं 16(छ.)	188.10	94.05
	188.10	94.05

(क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार – संदर्भ नोट सं 16(ड.)	688,301,650	73.18%	344,150,825	73.18%

(ख) प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	प्रमोटर द्वारा धारित शेयर 31 मार्च, 2022 तक			प्रमोटर द्वारा धारित शेयर 31 मार्च, 2021 तक		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार	688,301,650	73.18%	-	34,41,50,825	73.18%	17.94%

(ग) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
नकद के अलावा अन्य आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	47,02,57,870	-	-	-	-	7,91,84,000
इक्विटी शेयर वापस खरीदे	-	-	-	-	49,28,426	-
कुल	**47,02,57,870**	**-**	**-**	**-**	**49,28,426**	**7,91,84,000**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निर्देश दिया है कि ये समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तथा शेयरों के

कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 238वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधारकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,428 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(घ) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :

(i) वोटिंग

कंपनी में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(ङ.) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	470,257,870	94.05	94,051,574	94.05
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी शेयर	470,257,870	94.05	-	-
जोड़ेः शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (संदर्भ नोट सं. च)	-	-	376,206,296	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,515,740	188.10	470,257,870	94.05

(च) 22 मार्च, 2020 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दी है:

(i) 10/– रुपये के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 2/– रुपए के अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विघटन जो स्टॉक एक्सचेंजों में दिनांक 3 अप्रैल, 2020 से परिलक्षित हो चुका है।

(ii) कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में संशोधन किया।

(छ) इरकॉन के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 288वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपये है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

17. अन्य इक्विटी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिधारित आमदनी	1,094.65	978.87
आरक्षित निधि	3,333.71	3,333.71
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
अन्य वृहत आय	(0.43)	(5.08)
कुल	**4,432.86**	**4,312.43**

निम्नानुसार संचलन

क. प्रतिधारित आमदनी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. प्रारम्भिक शेष	978.87	732.61
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	544.32	404.56
वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(159.89)	(96.87)
अंतरिम लाभांश	(174.00)	(61.13)
निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	(0.60)	(0.30)
बोनस शेयर इश्यु	(94.05)	
समापन शेष	**1,094.65**	**978.87**

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	3,333.71	3,333.71

(ग) पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष	4.93	4.93
इक्विटी शेयरों के बायबैक हेतु अंतरण	-	-
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष	(5.08)	(4.17)
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	4.65	(0.91)
अंतिम शेष	(0.43)	(5.08)
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4,432.86**	**4,312.43**

ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजनः

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के आयतारित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्या आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विवेकाधिकार कंपनी का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

कंपनी ने दिनांक 28 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक के पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतर्वलित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

iii) लाभांश संवितरण (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2020–21 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2021–22 में भुगतान किया गया 1.70 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदत्त 1.03 प्रति शयर) संदर्भ नोट 18–ड.	159.89	96.87
2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.85 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2020–21: 0.85 रुपए प्रति शेयर) संदर्भ नोट 18– (छ)	174.00	61.13
कुल	**333.89**	**158.00**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांशः (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है:		
31 मार्च 2022 के लिए लाभांशः 0.85 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2021: 1.70 रुपए प्रति शेयर) बोनस इश्यू रेफरी के आधार पर पुनर्गठित। नोट 18 (ड.) और 18 (छ)	61.13	159.89
कुल	**61.13**	**159.89**

18 गैर चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

18.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
अरक्षित				
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	615.31		1,230.61	
घटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली (आरएलडीए) {संदर्भ नोट सं. 8.3}	(615.31)	-	(1,230.61)	-
कुल		-		-

नोटः

(क) अरक्षित ऋण के नियम और शर्तें

कंपनी ने 28 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से 3200 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जिसका भुगतान पट्टा समझौते के रूप में रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को कर दिया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई डिफॉल्ट या अतिरिक्त ब्याज, और अन्य लागत, खर्च और ऋण से जुड़े शुल्क (या अन्यथा देय या को वहन देय) ऋण समझौते के अनुसार), कंपनी को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 5 (पांच) समान किस्तों में की जाएगी। (नोट 8.3 (फुट नोट (ii), देखें। ऐसे लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम का पालन किया गया है और लेनदेन हैं किसी भी लागू अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

(ख) ब्याज दर :

(i) कंपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रूप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रूप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जाएगी।

(ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

(घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य

आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), कंपनी को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। कंपनी के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरएलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) कंपनी के देय किसी ऋण के संबंध में चूक नहीं की है।

18.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – पट्टा देयता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयता	0.15	0.15
कुल	**0.15**	**0.15**

18.3 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर		
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	-	-

नोट:

(क) कंपनी अधिनियम 2013/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में अपेक्षित प्रकटन को नोट 43 में उपलब्ध कराया गया है।

(ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेषों का प्रकटन नोट 33 में किया गया है।

18.4 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	505.51	261.59
वित्तीय गारंटी संविदा	0.17	4.44
ग्राहकों को देय राशि	-	0.23
कुल	**505.68**	**266.26**

19. प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	19.1	105.70	94.66
अन्य प्रावधान	19.2	185.04	186.63
कुल		**290.74**	**281.29**
चालू		211.04	202.18
गैर चालू		79.70	79.11

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 32 में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के बहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैः

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
31 मार्च 2021 को	**69.74**	**1.27**	**4.72**	**18.82**	**0.11**	**-**	**94.66**
चालू	8.31	0.16	4.72	18.82	0.02	-	32.03
गैर चालू	61.43	1.11	-	-	0.09	-	62.63
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	9.90	0.15	4.64	18.86	-	5.28	38.83
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(10.06)	(0.10)	(4.72)	(10.14)	-	(2.78)	(27.80)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.03)	-	-	-	-	-	(0.03)
बीमांकिक लाभ/हानि	-	(0.13)	-		-	-	(0.13)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.17	-	-	-	-	-	0.17
31 मार्च 2022 को	**69.72**	**1.19**	**4.64**	**27.54**	**0.11**	**2.50**	**105.70**
चालू	9.22	0.16	4.64	27.54	0.01	2.50	44.07
गैर चालू	60.50	1.03	-	-	0.10	-	61.63

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 0.61 करोड़ रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

19.2 अन्य प्रावधानः

इंड एएस 37 के प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में प्रकटन निम्नानुसार हैः

(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों को पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

(ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के दायित्व को कवर किया जाता है।

(ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2021 को	**13.54**	**40.58**	**58.09**	**74.42**	**186.63**
चालू	12.46	25.18	58.09	74.42	170.15
गैर चालू	1.08	15.40	-	-	16.48
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.07	5.34	3.74	17.11	26.26
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(0.02)	(1.26)	-	(12.12)	(13.40)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.89)	(12.11)	(2.44)	(0.99)	(16.43)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.31	0.25	-	0.97	1.53
बट्टा खाता	0.02	0.43	-	-	0.45
31 मार्च 2022 को	**13.03**	**33.23**	**59.39**	**79.39**	**185.04**
चालू	11.91	16.28	59.39	79.39	166.97
गैर चालू	1.12	16.95	-	-	18.07

20 अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से आग्रम	52.56	333.50
ख) अन्य		
अन्य	1.10	-
कुल	**53.66**	**333.50**

नोटः

निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

21 चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

21.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
अनारक्षित				
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता:				
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण	615.31		615.31	
घटाएं: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य (i)	(615.31)	-	(615.31)	-
कुल		-		-

(i) नोट 12.6 (ग) और 18.1 (घ) देखें।

21.2 वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयता	0.01	0.01
कुल	**0.01**	**0.01**

नोट :

21.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	3.21	6.11
(ख) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	1,006.93	731.56
(ii) संबंधित पक्ष	0.19	0.23
कुल	**1,010.33**	**737.90**

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 43 में किया गया है।

ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 33 में प्रकट किया गया है।

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय आयु अनुसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.92	0.24	0.06	-	-	-	3.21
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	753.52	29.89	201.53	3.22	1.09	15.50	1,004.77
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	0.04	0.14	0.21	1.94	2.36
कुल	**756.46**	**30.13**	**201.62**	**3.36**	**1.31**	**17.45**	**1,010.33**

(रूपए करोड में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	0.16	5.95	-	-	-	6.11
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	465.17	32.31	208.41	5.88	8.04	9.74	729.55
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	0.04	0.31	0.04	1.83	2.24
कुल	**465.19**	**32.46**	**214.40**	**6.19**	**8.08**	**11.57**	**737.90**

21.4 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	103.81		156.56	
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण से अग्रिम (आरएलडीए) (i)	(103.81)	-	(156.56)	-
देय उपदान		4.69		4.72
जमाराशि, प्रतिधारण राशिऔर रोकी गई राशि		1,167.67		1,101.65
वित्तीय गारंटी संविदा		0.15		0.44
ग्राहकों को देय राशि		916.14		793.55
ग्राहकों को देय लाभांश		1.12		-
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज		330.83		278.22
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)		166.67		205.30
कुल		**2,587.27**		**2,383.89**

(i) संदर्भ नोट 12.6 (ग) और 18.1 (घ)

22 वित्तीय चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	3,430.27	1,943.75
– घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां	(217.05)	(217.05)
आग्रिम संविदा प्राप्तियां	167.40	243.38
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां :	264.53	202.95
कुल	**3,645.15**	**2,173.03**

नोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

23 चालू कर देयताएं (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	13.53	81.98
कुल	**13.53**	**81.98**

24 प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संविदा राजस्व	6,873.42	4,931.44
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी का भाग (गैरनिगमित)	0.62	0.51
मशीनरी किराया प्रभार	13.54	3.75
अन्य प्रचालनिक राजस्व	22.57	20.23
कुल	**6,910.15**	**4,955.93**

25 अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
ब्याज आय:				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		21.96		22.04
स्टॉप आग्रम पर ब्याज		0.06		0.11
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज*		54.13		79.74
अन्य आग्रम/दावों पर ब्याज	64.62		72.39	
घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज	(26.28)	38.34	(21.89)	50.50
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय 1		15.45		-
सकल बैंक ब्याज	122.32		109.50	
घटा : ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(43.62)	78.70	(55.15)	54.35
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन		0.82		0.11
अन्य :				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		1.07		3.83
म्युचुयल फंड की बिक्री से लाभ	2.18		2.36	
घटा – ग्राहकों को प्रदान म्युचुयल फंड की बिक्री पर लाभ	(1.03)	1.15	(0.35)	2.01
विविध आय*	18.17		15.96	
घटा– पारित बीमा दावा	-	18.17	(1.27)	14.69
संयुक्त उपक्रमों से लाभांश		41.00		17.00
कुल		**270.85**		**244.38**

1. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के ऋण के उचित मूल्य के कारण 15.44 करोड़ रुपये शामिल हैं

2. जसीई की अन्य आय में कंपनी के शेयरों सहित 0.15 करोड रुपए (31.03.2021 को 0.43 करोड रुपए)

* संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:

संबंधित पक्षों का विवरण	2021-22	2020-21
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.79	1.80
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	37.72	41.51
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	2.09	18.70
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	13.53	17.73
	54.13	**79.74**

26 (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		67.10		57.28	
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	(i)	497.80		376.45	
		564.90		433.73	
घटा: अंतिम शेष		(52.77)	512.13	(67.10)	366.63
कुल			**512.13**		**366.63**

(i) (0.15 करोड रुपए) (दिनांक 31 मार्च 2021 : 0.38 करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ/हानि सहित

26 (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्धि)/कमी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		50.04		263.38	
जमा: विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन		0.88		(1.57)	
		50.92		261.81	
घटा: अंतिम शेष		(216.18)	(165.26)	(50.04)	211.77
कुल			**(165.26)**		**211.77**

26 **(iii)** परियोजना और अन्य व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यगत व्यय		5,733.07	3,637.25	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		7.04	5.77	-	-
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		28.93	21.10	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	फुटनोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		9.47	7.09	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		14.39	8.49	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	54.52	12.13
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		-	-	(40.43)	(4.29)
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	14.09	7.84
किराया–गैर आवासीय		4.30	4.22	0.30	0.76
दर एवं कर		20.71	25.13	0.62	1.61
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		11.91	8.72	1.15	1.49
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.20	0.18	0.27	0.73
– कार्यालय तथा अन्य		3.89	2.52	5.52	4.65
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		4.65	3.75	1.74	1.48
बीमा		5.69	5.19	0.60	0.41
यात्रा और वाहन		7.86	2.91	1.26	0.66
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.07	0.79	0.61	0.50
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.07	1.12	0.30	0.36
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		14.77	14.76	8.90	6.19
सुरक्षा सेवाएं		1.53	1.60	0.70	0.77
सूचीकरण व्यय		-	-	0.20	0.14
व्यवसाय संवर्धन		0.15	0.08	0.52	0.27
बट्टा खाता:					
– ऋण		0.43	-	-	-
– आग्रिम		1.70	0.06	-	-
– अन्य परिसंपत्तियां		-	0.47	-	-
परिसंपत्ति / भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.07	0.08
निदेशकों की फीस		-	-	0.08	0.10
चंदा		-	-	0.02	-
लेखापरीक्षकों की फीस	(iii)	-	-	0.67	0.60
विज्ञापन और प्रसार		-	-	1.94	2.36
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.39	0.07
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–44 का संदर्भ लें)		-	-	10.52	10.27
विविध व्यय		3.34	2.92	1.40	1.37

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित)		0.26	0.03		
प्रावधान जमा –बट्टा खाता (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट-(i)		24.82	0.98	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–19 का संदर्भ लें) व फुटनोट-(ii)		(15.53)	(18.85)	-	-
कुल		**5,885.72**	**3,736.28**	**51.88**	**42.71**

फुट नोटः

(i) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्रावधान 14.99 करोड रुपए। (वित्तीय वर्ष 20–21 : 10.03 करोड रुपए)

(ii) संदिग्ध अग्रिमों के प्रति 2.13 करोड रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.23 करोड रुपए)

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.31	0.30
(ख) सेप डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.05	-
(ग) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.09	0.09
(घ) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.18	0.17
(ड.) प्रमाणन शुल्क	0.02	0.03
(च) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	0.01	0.01
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.01	0.01
कुल	**0.67**	**0.61**

27 कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	145.14	54.81	199.95	137.99	51.24	189.23
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		9.17	9.00	18.17	8.10	5.04	13.14
विदेशी सेवा अंशदान		0.87	0.74	1.61	0.82	0.79	1.61
सेवानिवृत्ति लाभ		17.28	9.38	26.66	17.15	6.83	23.98
कर्मचारी कल्याण		1.96	0.24	2.20	1.14	0.23	1.37
कुल		**174.42**	**74.17**	**248.59**	**165.20**	**64.13**	**229.33**

फुट नोट :

(i) 0.47 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2021 को : 0.60 करोड़ रुपए)।

28 वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय	(i)	110.46		170.34	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को आग्रिम पर ब्याज		(110.02)	0.44	(164.81)	5.53
अन्य ऋण लागत					
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			9.49		7.97
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत			0.01		0.01
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग			0.45		1.22
कुल			**10.39**		**14.73**

फुट नोट :

(i) 0.01 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2021 को : 1.21 करोड़ रुपए)।

29 मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	16.55	17.37
प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.37	0.37
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	0.23	0.17
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	10.34	6.93
कुल	**27.49**	**24.84**

30 अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	(0.80)	(0.40)
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है	0.20	0.10
कुल	**(0.60)**	**(0.30)**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	6.21	(1.21)
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया गया	(1.56)	0.30
कुल	**4.65**	**(0.91)**
सकल योग	**4.05**	**(1.21)**

नोट : 31

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय प्रकार का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है।। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोक/योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

क) 31 मार्च 2022 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुयल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	275.18	-	-	275.18
(ii) ऋण	315.12	-	-	315.12
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	1,320.76	-	-	1,320.76
कुल	**1,911.06**	**-**	**-**	**1,911.06**

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	0.16			0.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,092.95	-	-	3,092.95
कुल	**3,093.11**	**-**	**-**	**3,093.11**

ख) दिनांक 31 मार्च 2021 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुयल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	291.46	-	-	291.46
(ii) ऋण	1,479.22	-	-	1,479.22
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	1,083.70	-	-	1,083.70
कुल	**2,854.38**	**-**	**-**	**2,854.38**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	0.16			0.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	2,650.15	-	-	2,650.15
कुल	**2,650.31**	**-**	**-**	**2,650.31**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं के कारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

(i) म्युचयल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचयल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गा है। उनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचयल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकर्ता रिडीम करेगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत कियाजाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2020–21 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियां जो प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुयल फंड और कर मुक्त बांडों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

अ. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है। दिनांक 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः 16.98 करोड़ रुपए तथा 16.88 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तिवां									
व्यापार प्राप्य	29.99	103.50	57.62			1.88	11.74		204.73
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	10.71	93.16	26.51	3.28	21.90	2.34		0.06	157.96
ठेकेदारों का अग्रिम	2.46		0.16	4.63					7.25
अन्य परिसंपत्तियां	0.06		38.38		23.61	21.21		12.31	95.57
कुल	**43.22**	**196.66**	**122.67**	**7.91**	**45.51**	**25.43**	**11.74**	**12.37**	**465.51**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	6.98	48.53	6.55	7.64	16.58	0.13		0.74	87.15
ग्राहकों के अग्रिम	28.75					0.90			29.65
अन्य परिसंपत्तियां	3.06	4.35			0.28	1.35			9.04
कुल	**38.78**	**52.88**	**6.55**	**7.64**	**16.86**	**2.38**	**-**	**0.74**	**125.84**

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	जेडएआर	कुल
परिसंपत्तिवां									
व्यापार प्राप्य	36.47	0.07	47.27	-	-	1.23		-	85.04
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	22.01	48.11	14.37	5.71	4.20	4.48		0.07	98.95
ठेकेदारों का अग्रिम	3.30	0.39	-	5.84	-	-		-	9.53
अन्य परिसंपत्तियां	155.86	-	143.33	70.38	3.51	20.46		18.37	411.91
कुल	**217.64**	**48.57**	**204.97**	**81.93**	**7.71**	**26.17**	**-**	**18.44**	**605.43**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	2.08	0.22	23.22	3.78	9.35	0.06		-	38.71
ग्राहकों का अग्रिम	31.21	7.48	-	-	-	0.57		-	39.26
अन्य परिसंपत्तियां	12.55	-	110.39	24.13	8.78	0.93		33.04	189.82
कुल	**45.84**	**7.70**	**133.61**	**27.91**	**18.13**	**1.56**	**-**	**33.04**	**267.79**

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसके आतिरिक्त, कंपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नहीं है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ब) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में

मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

दी गई गारंटियों के लिए कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर है यदि गारंटी की मांग की जाती है तो कंपनी को अधिकतम राशि का भुगतान करना पड़ सकता है (नोट 37 देखें)। उम्मीदों के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी का मानना है कि इस बात की अधिक संभावना है कि ऐसी राशि नहीं होगी व्यवस्था के तहत देय है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वित्तीय परिसंपत्ति जिसक लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलईसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है		
गैर चालू निवेश	1,714.19	1,489.27
गैर चालू ऋण	283.47	1,385.18
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	15.29	15.54
चालू निवेश	50.00	16.31
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	1,206.38	322.27
अन्य बैंक शेष	4,133.59	2,928.19
चालू ऋण	31.65	94.04
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	393.74	291.21
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए सम्भावित हानि समान्य परिदृश्य से निकाली गई है		
व्यापार प्राप्य	739.73	525.12
संचित परिसंपत्तियां	924.99	792.42

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
आरंभिक भत्ते	**29.63**	**38.86**
वर्ष के दौरान प्रावधान	17.57	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.43)	-
राशि नहटा खाता	(9.25)	(9.23)
समापन भत्ते	**37.52**	**29.63**

वर्ष के दौरान कंपनी में 17.57 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2021: शून्य रुपए) के घाटा भत्ता है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलईसीएल) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
आरंभिक भत्ते	6.31	6.40
वर्ष के दौरान प्रावधान	2.26	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
राशि वट्टा खाता	-	0.09
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन भत्ते	8.57	6.31

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रावकलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान कंपनी में 2.26 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2021 : शून्य रुपए) के घाटा भत्ता है।

स) चल निधि जोखिम

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभूतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष्य विभाग नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है। कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कंपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कंपनी विशिष्ट रूप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुअल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रूप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है। एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुअल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	-	-
व्यापार प्राप्य	1,010.33	-	-
पट्टा देयता	0.01	0.15	
अन्य वित्तीय देयताएं	2,587.27	505.68	-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	-	-
व्यापार प्राप्य	737.89	-	-
पट्टा देयता	0.01	0.15	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,383.89	266.26	-

द) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता

है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	4291.71	2,785.48
कुल	**4291.71**	**2,785.48**

ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

लाभांश:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रदत्त लाभांश	333.89	158.00
कुल	**333.89**	**158.00**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 0.65 रुपए के अंतिम लाभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.85 रुपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके आतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

32 कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

(i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई में सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 8.93 करोड रुपए (9.02 करोड़ रुपए) समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2021–22 के दौरान लेखांकित किया गया है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि यह ट्रस्ट को सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 13.43 करोड़ रुपए (13.14 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2022 को 4.68 करोड़ रुपए (4.72 करोड़ रुपए) की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण समूह कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 4.84 करोड़ रुपए (4.72 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

31 मार्च 2022 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–

i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**409.24**	**380.23**	**80.12**	**85.71**	**128.73**	**110.96**	**1.28**	**1.28**
चालू सेवा लागत	43.44	43.56	3.44	3.96	3.51	3.98	0.06	0.07
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	33.96	31.97	5.24	5.93	8.41	7.68	0.08	0.09
प्रदत्त लाभ	(60.08)	(46.92)	(8.58)	(15.90)	(5.30)	(3.05)	(0.10)	(0.03)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	0.54	0.40	1.15	0.42	(4.12)	9.16	(0.13)	(0.13)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**427.10**	**409.24**	**81.37**	**80.12**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.27**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**409.82**	**380.48**	**75.39**	**82.39**	**104.47**	**91.07**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	43.44	43.56	4.72	3.32	4.72	10.45	-	-
प्रदत्त लाभ	(60.08)	(46.92)	(8.58)	(15.90)	(5.30)	(3.05)	-	-
ब्याज लागत	31.39	33.51	5.45	5.94	6.40	6.00	-	-
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-	-	(0.31)	(0.35)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**424.56**	**410.63**	**76.68**	**75.39**	**110.29**	**104.47**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों के उचित मूल्य का समायोजनः

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	424.56	410.63	76.68	75.39	110.29	104.47	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व	427.10	409.24	81.37	80.12	131.23	128.73	1.20	1.27
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**(2.54)**	**1.39**	**(4.69)**	**(4.73)**	**(20.94)**	**(24.26)**	**(1.20)**	**(1.27)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
चालू सेवा लागत	12.42	13.12	3.44	3.96	3.52	3.98	0.06	0.07
पूर्व सेवा लागत	-	-		-	-	-	-	-
शियल ब्याज व्यय	-	-	0.31	0.23	1.38	1.59	0.08	0.09
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**12.42**	**13.12**	**3.75**	**4.19**	**4.90**	**5.57**	**0.15**	**0.16**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशिः

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	0.06	(0.02)	2.69	(1.83)	5.01	(4.11)	(0.05)	(0.04)
संभावित समायोजन	(0.98)	(0.38)	(3.85)	1.42	3.62	(5.05)	(0.09)	0.18
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(2.58)	1.54	0.22	(0.12)	(0.44)	(0.29)	-	-
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(3.50)**	**1.14**	**(0.94)**	**(0.53)**	**8.19**	**(9.45)**	**0.13**	**0.13**

**(8.19 करोड़ रूपए) (9.45 करोड़ रूपए) को गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	59.67%	59.67%	-	-	9.52%	9.52%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-	30.86%	30.86%	-	-
केन्द्र राज्य गारंटिड बांड	-	-	-	-	18.73%	18.73%	-	-
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	38.04%	38.04%	-	-	23.40%	23.40%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	7.35%	7.35%	-	-
पीएसयू आधारित–।।। टीयर–। बांड	-	-	-	-	8.25%	8.25%	-	-
ऋण म्युचुअल फंड	0.77%	0.77%	-	-	-	-	-	-
ई–टीएफ/इंडेक्स/इक्विटी म्युचूअल फंड	1.52%	1.52%	-	-	1.89%	1.89%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	-
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

vii) समूह की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है

(रूपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु		उपदान 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु		पीआरएमबी 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु		सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
रियायत दर	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%
भावी वेतन वृद्धि	8.10%	8.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)

viii) उपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु 31 मार्च को मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :

(रूपए करोड में)

उपदान योजना	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**427.10**	**409.24**	**81.37**	**80.11**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.28**
रियायत दर	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%
0.50% की वृद्धि	(0.03)	(0.03)	(2.20)	(2.40)	(4.93)	(4.19)	(0.05)	(0.05)
0.50% की कमी	0.03	0.03	2.36	2.56	5.04	4.51	0.05	0.05
भावी वेतन वृद्धि	8.10%	8.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
0.50% की वृद्धि	-	-	0.94	1.10	-	-	0.05	0.05
0.50% की कमी	-	-	(0.97)	(1.13)	-	-	(0.05)	(0.05)

उपर्युक्त संवेदी विश्लेष्ण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना को संभावित अंशदान 28.17 करोड़ रुपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि(वर्ष)	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पश्चात मेडिकल लाभ	सेवानिवृत्ति भत्ते
1	111.08	19.19	4,45	0.16
2	127.35	9.57	14.89	0.02
3		8.57	7.37	0.14
4		8.17	6.57	0.13
5		4.62	3.85	0.13
6	189.12	4.51	3.59	0.07
6 से आगे		26.75	90.51	0.55
कुल	**427.55**	**81.37**	**126.78**	**1.19**

जोखिम विश्लेषण

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना है। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के संबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

क ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

ख दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

ग वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

33 संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनी

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,

इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड को 23 दिसम्बर, 2021 को निगमित गया।

इरकॉन लुधियाना खन्नगर हाईवे लिमिटेड, 24 दिसंबर, 2021 को शामिल किया गया

इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड, 6 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया

इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड, 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया

इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनी

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

बस्तार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)

संयुक्त प्रचालन	समाप्त संयुक्त प्रचालन	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	मेट्रो टनलिंग समूह	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
	इरकॉन एफकॉन	इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गन्नन डंकले
		इरकॉन–आरसीएस-पिलफिंडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री योगेश कुमार मिश्रा [1]	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
श्री मोहित सिन्हा [2]	निदेशक (वित्त)
श्री एस.एस.गुप्ता	निदेशक (परियोजना)

1. श्री एस.के. चौधरी, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 30.04.2021 तक कंपनी के सीएमडी और सीईओ थे। श्री एम.के. सिंह दिनांक 01.05.2021 से सीएमडी और दिनांक 11.06.2021 से सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने श्री योगेश कुमार मिश्रा द्वारा 04.09.2021 को कंपनी के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने पर, दिनांक 04.09.2021 को सीएमडी और सीईओ के पद के अतिरिक्त कार्यभार को छोड़ दिया। श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (निर्माण) 04.09.2021 से निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

2. श्री एम.के. सिंह, दिनांक 30.09.2021 तक कंपनी के निदेशक (वित्त) थे। श्री मोहित सिन्हा (अतिरिक्त सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड), दिनांक 03.12.2021 से निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 03.12.2021. सुश्री रागिनी आडवाणी की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति पर श्री मोहित सिन्हा, निदेशक (वित्त) के पद के अतिरिक्त प्रभार से दिनांक 19.04.2022 (अपराह्न) को कार्यमुक्त हो गए हैं।

कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव
श्री सुरजीत दत्ता [1]	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

1. श्री एम.के. सिंह 11.06.2021 को कंपनी के सीएफओ नहीं रहे और श्री सुरजीत दत्ता (पूर्व ईडी/वित्त) को कंपनी के सीएफओ के रूप में 11.06.2021 को नियुक्त किया गया। वह कंपनी के सीएफओ (अधिवर्षिता के कारण) 31.03.2021 के रूप में प्रभावी नहीं रहे। और श्री मुरुगनथन बोजू गौड़ा (ईडी/वित्त) को कंपनी का 26.04.2022 को सीएफओ नियुक्त किया गया है।

(ख) अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनन्जय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री राजेश अरगल	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (13.05.2021 से प्रभावी)
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 11.11.2021 से
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 18.11.2021 से
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 18.11.2021 से
डॉ कार्तिक चंदूलाल भट्ट	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक 31.12.2021 से

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

इरकॉन चिकित्सा न्यास

इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

कंपनी, रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी 31 मार्च, 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 73.18 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण द्वारा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है। इंड एएस–24 के पैरा–25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर एक ही सरकार नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, वहां रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालयस के अधीन सांविधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/ निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	अल्पकालीन नियोजन लाभ (i)	2.93	3.00
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.66	0.30
3	बैठक शुल्क	0.08	0.10
	कुल	**3.67**	**3.40**

नोट: (i) वित्तीय वर्ष 2021–22 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर पिछले वर्षों के अनन्तिम आधार पर आंकड़े शामिल हैं। (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.73 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान अनन्तिम आधार पर वित्तीय 2019–20 के दौरान किया गया) शामिल हैं।

(ii) यह अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है, जिन्हें कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	संविदा राजस्व	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.28	2.63
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	7.86	11.85
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	19.88	-
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	21.74	132.33
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	402.60	514.87
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	18.21	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	199.36	215.68
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	298.94	23.73
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	40.00	40.28
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.66	4.06
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.75
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	4,539.71	2,766.46
1.2	किराया आय	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.68	0.18
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.02
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	0.02
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.02
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.02
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.04	0.01
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.04	0.03
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	0.08	0.04
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	2.61	3.21
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराया एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.33	3.42
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.87	0.81
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.96	0.63
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.22	0.18
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.81	0.72
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.09	0.12
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.06	-
		इरकॉन भोज मारवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.01	-
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.11	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.11	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.93	0.67
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.51	0.43
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.10	-
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.27
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.23	0.22

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
4	**ब्याज आय**				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	15.44	-
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	37.72	41.51
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	2.09	18.70
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	13.53	17.73
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.79	1.81
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	110.02	165.32
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	15.14	17.11
4.4	लाभांश आय	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	41.00	17.00
5	**निवेश की बिक्री पर लाभांश/ब्याज**				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	244.34	140.89
5.2	पारित निवेश बिक्री पर लाभ	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1.03	0.21
6	**ब्याज व्यय**				
6.1	अग्रिम ब्याज व्यय	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	0.61
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.41	3.42
6.2	पारित ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	67.38	73.01
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	0.06
6.3	ऋण पर ब्याज व्यय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	110.02	164.81
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.95	-
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	-	0.05
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन भोज मार्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.80	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	55.28	20.00
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.00	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	25.99	-
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	12.00
8	ऋण मुक्त ब्याज/ इक्विटी माने गए	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	43.41	-
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	65.79	-
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	13.86	-
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	18.35	-
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.40	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	15.60	-
8.1	वित्तीय गारंटी संविदा	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.24	-
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.19	-

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.83	5.00
9	गारंटिड ऋण	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	12.30	83.96
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	34.48	408.50
10	अग्रिमों की वसूली	इरकॉन–पीवी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	45.00	81.22
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	526.00	38.15
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	589.50	-
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	326.72
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	39.00
11	अग्रिमों की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.31
12	ऋणों का पुनर्भुगतान	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.31
13	प्राप्त अग्रिम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	13.94	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.36	3.07
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	5.00	36.39
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.29	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	15.00	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	5,042.37	2,700.26
14	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	13.82
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.57	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	21.97	70.28
		छत्तीसगढ़ वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	15.52	15.19
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.79	9.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.98
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.26
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3,909.24	2,496.10
15	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
15.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.72	3.30
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	45.46	40.12
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.72	10.45
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	8.93	9.02
15.2	वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	-	13.57

नोट : (i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 37 का संदर्भ लें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–तात्त्विक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

(ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश (मानी गई इक्विटी सहित)	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सीमित	सहायक कंपनियां	65.00	65.00
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	230.79	165.00
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	150.19	150.00
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	187.69	169.05
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	179.42	135.77
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	18.40	0.05
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियां	5.20	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	213.46	142.58
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	157.17	131.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.00	0.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	63.00	63.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.00	52.00
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	205.18	221.47
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	240.66	336.00
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	526.00
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	38.76	26.46
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	34.48	589.50
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.53	1.52
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	17.51	14.22
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	6.37	-
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	16.63	37.11
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	92.65	2.03
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	8.37	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.05	0.06
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	19.92	46.94
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.85	23.37
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	14.08	4.75
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.00	6.65

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	77.14	34.77
4.2	संविदा परिसंपत्तियां				
(क)	बिलयोग्य राजस्व / प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	4.40	-
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.64	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	31.59	19.53
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	37.30	4.80
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.29	0.38
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	22.94	22.94
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	7.52	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	153.86	18.65
(ख)	प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	19.42	19.42
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.04	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.83	0.73
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.62	2.16
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.84	4.32
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.86	1.90
4.3	वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.07	2.06
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.44	0.70
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.03	0.17
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.08	0.03
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.31	0.05
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	0.07	0.13
		इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.05	-
		इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.02
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.22	0.20
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.32	1.83
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.10	-
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.83
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.03	0.96
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	10.96	8.04

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	1,270.26	1,885.56
4.4	ऋणों पर संचित ब्याज	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	10.06	9.35
4.5	अग्रिमों पर संचित ब्याज	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	109.77	160.72
4.6	बांडों पर संचित ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	19.86	12.91
4.7	न्यासों से वसूलीयोग्य	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.68	3.65
5	ऋणों	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	1,230.62	1,845.92
6	प्रति देय राशि				
6.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.38	0.22
6.2	संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2,326.90	1,499.52
		इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	15.81	32.48
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	13.37	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	24.91	177.24
		इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	सहायक कंपनियां	5.68	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	44.55
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	30.82	44.98
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.72	57.35
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.29	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	-	10.00
6.3	देय लाभांश	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.65	-
	ग्राहकों को अन्य देय	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	4.94	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	901.38	779.59
6.4	ऋणों पर देय ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	103.81	156.56
6.5	अग्रिमों पर देय ब्याज	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	1.14
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.35	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	-	1.76
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	287.20	234.16
6.6	न्यासों को देय	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.68	4.72

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों को बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

34 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

क "पृथक वित्तीय विवरण" के रूप में इंड एएस 27 के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त प्रचालनों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया गया है।

सहायक कंपनियों में निवेश

क्र. सं	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भात	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
6	इरकॉन गुढगांव रिवाडी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00	76.00	-	-
8	इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	-	-
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	-	-
10	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	-	-
11	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	-	-

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	27.31	26.00	21.23	26.00
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.02	26.00
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	उड़ीसा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	14.82	26.00	14.82	26.00
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00

क्र. सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00

संयुक्त प्रचालनों में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	**प्रचालनरत परियोजनाओं के लिए :**					
	एक्सप्रेस फीट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फीट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**पूर्ण संयुक्त प्रचालन**					
	इंटरनेशनल मिट्रो सिविल कांट्रेक्ट	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन**					
	इरकॉन–कोबरा–ईएलआईओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन– श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकारली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉनःआरसीएसः पिफिल्डर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन–एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिखोन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

(ख) संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(रूपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम									
		इरकॉन एफकॉन		एक्सप्रेस फेट कंसार्टियम		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
	वर्ष के अंत में:										
1	परिसंपत्तियां										
	पीपीई		-	-	-					-	-
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		-	-	-					-	-
	अन्य परिसंपत्तियां	0.52	0.68	-	-	4.37	4.64	2.07	4.86	6.96	10.18
2	देयताएं										
	प्रावधान	-	-	-	-	0.01	0.03	0.18	0.14	0.19	0.17
	अन्य देयताएं	-	-	-	-	0.91	0.91	0.05	0.07	0.96	0.98
	वर्ष के अंत में:										
3	कुल आय	0.02	0.10	1.74	2.75	0.05	0.07	0.10	0.24	1.91	3.16
4	कुल व्यय	0.19	-	0.78	1.64	0.01	-	0.01	0.03	0.99	1.67
5	कुल कर	-	18.40	0.37	0.60	0.01	0.03	0.03	(0.06)	0.41	18.97
6	कर पूर्व लाभ	(0.17)	(18.30)	0.59	0.51	0.03	0.04	0.06	0.27	0.51	(17.48)
7	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल वृहत आय	(0.17)	(18.30)	0.59	0.51	0.03	0.04	0.06	0.27	0.51	(17.48)

फुट नोटः संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 37 में प्रकट किया गया है।

35 प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 "प्रति शेयर आमदनी" के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों को प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धारकों को प्रति लाभ (रूपए करोड़ में)	(ii)	544.32	404.56
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)*	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		5.79	4.30
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		5.79	4.30
प्रति शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00

* इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 269वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 को साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपये के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	544.32	404.56
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ:	**544.32**	**404.56**

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	47,02,57,870	9,40,51,574
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	-
शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि	-	37,62,06,296
वित्तीय विवरण के जारी किए जाने से पूर्व रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात जारी बोनस शेयर	47,02,57,870	47,02,57,870
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**94,05,15,740**	**94,05,15,740**
विलयित प्रभाव:		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**94,05,15,740**	**94,05,15,740**

36 परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 "परिसंपत्तियों की हानि" की शर्तों के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

37 प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 19 में किया गया है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2022 को
क	**कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया हैं।**					
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग					
	(i) कंपनी के संबंध में	1	308.06	22.77	(131.80)	199.03
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग					
	(i) कंपनी के संबंध में	2	256.59	10.59	(3.52)	263.66
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	3	4.25	-	(0.92)	3.33
	परिचालन विधिक मामले					
	(i) कंपनी के संबंध में	4	474.72	137.00	(74.41)	537.31
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	5	0.02	-	-	0.02
	परिचालन कर्मचारियों द्वारा दावे	6	-	-	-	-
ख	**की ओर से कंपनी द्वारा जारी गारंटी (वित्तीय गारंटियों को छोडकर)**					
	सहायक कंपनियां	7 (i) (ii)	337.92	1,067.41	(326.27)	1,079.06
ग	**अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है**					
	ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तारलीकृत क्षति		9.27	-	-	9.27
	कुल		**1,390.83**	**1,237.77**	**(536.92)**	**2,091.68**

फुट नोट:

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणों में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारयों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वैट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में 176.60 करोड़ रुपए रुपए शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

3 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों के पास 3.33 करोड़ रुपए (4.25 करोड़ रुपए) की राशि के श्रम व्यय के गैर प्रावधान के कारण विवादित मांग लंबित है। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरुद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4 कंपनी निर्माण अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों का पक्ष है, जो भारत में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता की कार्यवाही में लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए दावे दर्ज किए हैं। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अवार्ड किए गए अनुबंधों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। 638.79 करोड़ रुपए (557.28 करोड़ रुपये) के कुल दावों के प्रति, 101.48 करोड़ रुपए (82.54 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है और 537.31 करोड़ रुपए (474.72 करोड़ रुपये) के शेष को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार 238.82 करोड़ (134.94 करोड़ रुपये) के स्वीकार्य काउंटर दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

5 ठेकेदारों में से एक, मैसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए 0.02 करोड़ (0.02 करोड़ रुपये) की राशि हेतु इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6 कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले समूह के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित हैं जिनके संबंध में दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

7 (i) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, ग्राहक को प्रस्तुत की गई निष्पादन गारंटी के लिए 11.39 करोड़ (11.65 करोड़ रुपये) की राशि के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर कॉर्पोरेट पत्र दिया है।

(ii) कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से और अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में 1534.80 करोड़ (1536.56 करोड़ रुपये) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों द्वारा 31.03.2022 को लिया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) 1056.02 करोड़ रुपये (328.27 करोड़ रुपये) है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा 425.76 करोड़ रुपए (395.43 करोड़ रुपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2022 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरुद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा 25.42 करोड़ रुपए (24.12 करोड़ रुपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक परिकलित ब्याज सहित 0.91 मिलीयन अमरीकी डॉलर (0.89 मिलीयन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर 1.22 मिलीयन (1.16 मिलीयन बिर) समतुल्य 7.05 करोड़ रुपए (6.74 करोड़ रुपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) आकस्मिक देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण		फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (अग्रिम का निवल) और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	16.37	18.37
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	2	837.95	699.27
(ii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	3	75.42	80.41
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4	258.28	396.07
(iv)	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	5	444.30	1210.29
(v)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक सहायता समझौता	6	1033.76	1033.76
(vi)	सहायक कंपनियों के लिए ऋण प्रतिबद्धता	7	500.00	500.00
	कुल		**3,166.08**	**3,938.17**

फुटनोट:

(रूपए करोड़ में)

1

क्र. सं.	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	-	2.00
2	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि निर्माणाधीन वित्तीय परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	16.37	16.37
	कुल	**16.37**	**18.37**

(रूपए करोड़ में)

2

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-	-	-	138.74
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-	-	-	196.11
3	इरकॉन रेवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	44.05	12.70	53.00	13.86
4	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	26.56	-	204.11
5	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	-	84.83	-	93.45
6	इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	144.39	-	-
7	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	-	129.62	-	-
8	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	183.02	-	-
9	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	-	106.15	-	-
10	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	-	106.63	-	-
	कुल	**44.05**	**793.90**	**53.00**	**646.27**

(रूपए करोड़ में)

3

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-	-	16.28	-
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	36.83	-	62.83	-
3	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	1.29	-
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	25.33	0.01	-
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	13.26	-	-	-
	कुल	**50.09**	**25.33**	**80.41**	**-**

4 सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए, कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमा रु. 488.61 करोड़ (488.35 करोड़ रुपये) है। उक्त सीमा में से, दिनांक 31.03.2022 तक 230.33 करोड़ (92.28 करोड़ रुपये) की सीमा तक बैंक गारंटी का उपयोग किया गया है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा 258.28 करोड़ रुपए (396.07 करोड़ रुपये) है।

5 कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में 1534.80 करोड़ रुपए (1536.58 करोड़ रुपये) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों ने दिनांक 31.03.2022 तक 1090.50 करोड़ रुपये (328.27 करोड़ रुपये) का सावधि ऋण लिया है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों ने इन सावधि ऋणों के प्रति 34.48 करोड़ रुपये (शून्य) चुकाए हैं और दिनांक 31.03.2022 को सावधि ऋण 1058.02 करोड़ रुपए (328.27 करोड़ रुपये)। शेष हैं।

6 कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक के समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि चूक की घटना के कारण रियायत समझौते को समाप्त करने के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की उपलब्धि से पहले उधारकर्ता द्वारा ऋणी की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए, उधारदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना सावधि ऋण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को इरकॉन का हिस्सा 1033.78 करोड रुपए (3976 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 26 प्रतिशत) (31 मार्च, 2021 को 1033.78 करोड़ रुपए) है।

7 कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा पहले से स्वीकृत सीमा के अलावा, एनएचएआई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) कंपनियों के रूप में गठित विशेष कार्य वाहन (एसपीवी) को सड़क निर्माण के लिए किसी भी समय 500 करोड़ रुपये की कुल राशि तक ऋण (अरक्षित ब्याज मुक्त/ अरक्षित ब्याज–असर) देने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

38 खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 "प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ये मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित राशियों के प्रतिवेदन योग्य खंडों और समाधान के बारे में जानकारी:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	480.43	582.13	6,429.72	4,373.80	6,910.15	4,955.93
कुल प्रचालन राजस्व	**480.43**	**582.13**	**6,429.72**	**4,373.80**	**6,910.15**	**4,955.93**
ब्याज आय	1.88	2.92	207.58	203.82	209.46	206.74
अन्य आय	9.64	5.07	51.75	32.57	61.39	37.64
अंतः–सेगमेंट		-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**491.95**	**590.12**	**6,689.05**	**4,610.19**	**7,181.00**	**5,200.31**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	68.49	41.53	594.32	563.85	662.81	605.38
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता	(14.75)	4.39	(10.07)	(5.37)	(24.82)	(0.98)
घटा:मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(2.71)	(3.18)	(24.78)	(21.66)	(27.49)	(24.84)
घटा: ब्याज	-	-	(0.45)	(5.54)	(0.45)	(5.54)
कर पूर्व लाभ	**51.03**	**42.74**	**559.02**	**531.28**	**610.05**	**574.02**
घटा: कर व्यय	(23.31)	(32.08)	(42.42)	(137.38)	(65.73)	(169.46)
कर पश्चात लाभ	**27.72**	**10.66**	**516.60**	**393.90**	**544.32**	**404.56**

ग. अन्य सूचना

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कुल परिसंपत्तियां	731.12	577.43	11,996.36	10,087.06	12,727.48	10,664.49
कुल देयताएं	627.13	501.43	7,479.39	5,756.58	8,106.52	6,258.01
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	-	-	-
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, नियत परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां.	22.88	25.15	765.26	803.24	788.14	828.39
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्ति, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति और उपयोग का अधिकार)	0.06	0.06	5.38	33.95	5.44	34.01

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचनाः

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 65.70 प्रतिशत (58.16 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

39 राजस्व

क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से समूह के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	5,909.63	468.26	6,377.89	6,368.18	9.71	9.83	6,387.72
राजमार्ग	494.85	-	494.85	494.85	-	2.07	496.92
इलेक्ट्रिकल	-	-	-	-	-		-
भवन	-	-	-	-	-		-
अन्य	0.68	-	0.68	0.68	-	24.83	25.51
कुल	**6,405.16**	**468.26**	**6,873.42**	**6,863.71**	**9.71**	**36.73**	**6,910.15**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 6883.71 करोड रुपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 9.71 करोड रुपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व गापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,634.84	578.02	4,212.86	4,207.40	5.46	2.35	4,215.21
राजमार्ग	718.56	-	718.56	718.56	-	-	718.56
इलैक्ट्रिकल	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.02
भवन	-	-	-	-	-	1.66	1.66
अन्य	-	-	-	-	-	20.48	20.48
कुल	4,353.42	578.02	4,931.44	4,925.98	5.46	24.49	4,955.93

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 4925.98 करोड रुपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 5.46 करोड रुपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. संविदा शेष

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्य (नोट 12.2)	709.18	504.64
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.3 और 12.6)	918.04	783.26
संविदा दायित्व (नोट 20 और 22)	3,433.18	2,303.58

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	783.26	695.03
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	918.04	783.26
निवल वृद्धि / (कमी)	134.78	88.23

वर्ष 2021–22 और 2020–21 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 134.78 करोड़ रुपये और 88.23 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण हुई है एवं जबकि किए गए कार्य को अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2021 और 1 अप्रैल 2020 तक अनुबंध की संपत्तियों को, क्रमशः लब्धियों की समाप्ति पर ग्राहकों को बिल किए जाने पर दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष्य के दौरान, 272.11 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 408.39 करोड़ को व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष्य राशियों के भुगतान हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	2,303.58	2,240.64
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	3,433.18	2,303.58
निवल वृद्धि / (कमी)	**1,129.60**	**62.94**

ग. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौरा:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	1,444.80	1,334.43
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

घ. **संविदा प्राप्त करने की लागत**

दिनांक 31 मार्च 2022 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2021 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2020–21 को शून्य) है।

ङ. **निष्पादन दायित्व**

कंपनी के निष्पादन दायित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	7,200.00	6,000.00
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	7,500.00	7,000.00
दो वर्ष से अधिक	29,058.00	21,689.00
कुल	**43,758.00**	**34,689.00**

40 पट्टे

क) **पट्टाधारी के रूप में कंपनी**

पट्टाधारी के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति और संचालन को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	0.16
ब्याज की मान्यता	0.01
भुगतान	(0.01)
31 मार्च 2022 को शेष	**0.16**
चालू	0.01
गैर चालू	0.15

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 31 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता के तहत नीतियों में शामिल है।

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास व्यय (संदर्भ नोट 29)	0.37
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 28)	0.01
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 28 (iii)	4.60
	4.98

कंपनी के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अपेक्षायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(रूपए करोड़ में)

	पांच वर्षों के भीतर	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	-	-	-
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	-	-	-
	-	-	-

ख. पट्टादाता के रूप में कंपनी

(i) कंपनी ने भवनों को प्रचालन पट्टों के अंतर्गत निर्धारित किया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से 9.10 करोड़ रूपए हैं (8.15 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरी को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से 13.54 करोड़ रूपए हैं (3.75 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को
एक वर्ष के भीतर	-
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	-
पांच वर्ष से अधिक	-
	-

नोट :

सेक्टर–43, नोएडा में खुदरा मॉल के लिए चयनित रियायतग्राही को अवार्ड पत्र जारी किया गया है। तदनुसार, शर्तों के अनुसार, एकमुश्त पट्टा भुगतान प्राप्त हो गया है। हालांकि, रियायत समझौते में शामिल होने सहित रियायतग्राही की ओर से कुछ दायित्वों को पूरा किया जाना बाकी है।

41 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–ट द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण :

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(रूपए करोड़ में)

	कंपनी का नाम	बकाया शेष		समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम:				
	सहायक कंपनियों के लिए				
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	240.66	336.00	336.00	417.22
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-	526.00	526.00	564.15
	इरकॉन देवांगरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	38.76	26.46	38.76	353.18
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	34.48	589.50	589.50	589.50
	संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए				
	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	-	-	-	39.00
ख	कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है)	-	-	-	-

फुट नोट :

1 अनुषंगी/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों/फर्मों/अन्य को ऋण और अग्रिमों का कोई लेन–देन नहीं है, जिसमें निदेशकों की रुचि है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

42 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–186 के अनुसार प्रकटीकरण :

(रूपए करोड़ में)

क. सं	लेन–देन की प्रकृति (दिए गए ऋण/निवेश किए गएगारंटी दी गई)	जिस प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण/ गारंटी/प्रतिभूति का उपयोग करने का प्रस्ताव है	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क)	**ऋण और अग्रिम**			
	सहायक कंपनी			
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	-	526.00
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	240.66	336.00
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	34.48	589.50
	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाईवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	38.76	26.46
	कुल		**313.90**	**1,477.96**
(ख)	**गारंटी**		संदर्भ नोट 37	
(ग)	**पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों और डीम्ड इक्विटी में निवेश**		संदर्भ नोट 8.1	

43 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है

(रूपए करोड़ में)

क.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेश शोध मूल राशि और उस पर ब्याज:		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि	3.21	5.87
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	0.24
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।	-	-
3	प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान के लिए शेष है।	-	-
5	अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

44 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित समूह अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार समूह का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान समूह को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित सकल राशि	10.50	10.27
पूर्ववर्ती वर्षों में जमा व दायित अब प्रतिपूर्ति	-	0.15
वर्ष के दौरान खर्च की जानेवाली राशि हेतु बोर्ड का अनुमोदन	10.50	10.42

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल
परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*	0.71	-	0.71	0.61	-	0.61
उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु	9.81	-	9.81	9.81	-	9.81
कुल	**10.52**	**-**	**10.52**	**10.42**	**-**	**10.42**

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान	8.26	8.54
भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	0.87	0.84
विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन	0.32	0.35
पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	0.19	0.02
महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ट नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर सेन्टरों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	-	0.35
खेलकूद	0.38	0.19
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	0.50	0.13
कुल	**10.52**	**10.42**

घ) अव्यय दायित्वों से संबंधित ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
के संबंध में अव्ययित राशि :		
– चालू परियोजना (#)	0.18	-
– चालू परियोजना से इतर (##)	-	-

चालू परियोजना

(रूपए करोड़ में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		समापन शेष	
	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से
-	-	1.47	0.23	1.06	-	0.18

चालू परियोजनाओं से इतर

(रूपए करोड़ में)

आरंभिक शेष	छह महीनों के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि *	
-	-	9.23	9.23	-

* खर्च की गई राशि में प्रशासनिक लागत से संबंधित 0.29 करोड़ रूपए शामिल हैं।

ङ.) व्यय/अव्यय दायित्वों से संबंधित ब्यौरा:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि (उपरोक्त (क) के अनुसार)	10.50	10.42
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपरोक्त (ख) के अनुसार)	10.52	10.42**
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी/(अतिरिक्त) राशि	**(0.02)**	**-**

* सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है।

** पिछले वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 7.12 करोड़ रुपये की अधिक राशि खर्च की है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेटऑफ कर दिया गया है।

ब) अन्य प्रकटनः

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान (i)	लागू नहीं	लागू नहीं
जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान मे संचलन	लागू नहीं	लागू नहीं

45 कोविड–19 प्रकटीकरण

कंपनी ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड–19 से होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। वैश्विक आर्थिक में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करना। कोविड–19 के कारण, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है, जो हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

46 अन्य विनियामक प्रकटन

(क) अनुपातों का प्रकटन

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	प्रतिशत परिवर्तन	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देनदारियां	1.32	1.22	8.03%	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.00	-4.64%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ, गैर–नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान, प्रदत्त मूलधन ₹104	0.999	0.991	0.83%	
इक्विटी अनुपात पर वापसी	करों के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.12	0.09	27.69%	टिप्पणी (i) का संदर्भ लें
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री हेतु सामान की लागत	औसत सूची	31.97	19.69	62.39%	टिप्पणी (iii), (vii), (ix) का संदर्भ लें
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री = सकल ऋण बिक्री – बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	11.39	9.32	22.22%	

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	प्रतिशत परिवर्तन	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद – खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	6.73	5.68	18.47%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियां	2.91	4.04	-27.94%	टिप्पणी (ii) का संदर्भ लें
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	0.076	0.078	-2.56%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य, कुल ऋण, आस्थगित कर देयता	0.12	0.09	26.66%	टिप्पणी (i) का संदर्भ लें
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	5.01%	3.96%	26.63%	टिप्पणी (v), (vi) का संदर्भ लें

टिप्पणियां :

(i) संचलन, मुख्य रूप से अनुबंध राजस्व और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के माध्यम से उत्पन्न वृद्धिशील आय के कारण है।

(ii) संचलन, केवल कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण है।

(iii) पिछले साल की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी आई है।

(iv) प्रचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण संचलन हुआ है।

(v) यह संचलन संयुक्त उद्यमों से लाभांश में वृद्धि के कारण है।

(vi) अनुपात गणना के लिए बांड, म्युचुअल फंड और संयुक्त उद्यम में निवेश पर विचार किया गया है।

(vii) परिचालन राजस्व में तदनुरूपी वृद्धि के कारण परिचालन व्यय में वृद्धि हुई है।

(viii) रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि के साथ भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण की भरपाई के कारण अनुपात लागू नहीं है। लीज देयता को केवल मामूली प्रभाव पर विचार किया गया है।

(ix) बेची गई वस्तुओं की लागत में परियोजना व्यय शामिल हैं।

(ख) बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन–देन नहीं है।

(ग) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

(ङ.) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस संज्ञान के साथ उधार या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) की ओर से उधार या निवेश करें या
(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(च) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोष्षण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थानों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी :

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या वित्तपोष्षण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से उधार या निवेश करता है या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की प्रदान करें

(छ) कंपनी का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं है, जो उन खाता बहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान, आय के रूप में निष्कासित या प्रकटन किया गया है।

(ज) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(झ) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ञ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं की संख्या का अनुपालन किया है।

47 इंड एएस–8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभांश से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखांकन नीति नीचे दी गई है और बोल्ड में संशोधनों को हाइलाइट किया गया है।

लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी गई है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश देय और लाभांश वितरण पर संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

48 हाल की गतिविधियां

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022, में निम्नानुसार संशोधन किया है। इंड एएस 16 – संपत्ति संयंत्र और उपकरण – संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सीधे संबंधित लागत से घटाया जाएगा, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

इंड एएस 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां यह संशोधन विनिर्दिष्ट करता है कि अनुबंध को पूरा करने की लागत में प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से संबंधित लागतें शामिल हैं। अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन, जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए मूल्यह्रास शुल्क संपत्ति की वस्तु, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण का आवंटन होगा।)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

इंड एएस 109 – वित्तीय लिखत – वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करने के लिए 10 प्रतिशत परीक्षण यह संशोधन उस शुल्क को स्पष्ट करता है, जिसमें यह आकलन करते समय एक इकाई शामिल होती है कि क्या नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं। इन शुल्कों में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए शुल्क शामिल हैं, जिसमें भुगतान या प्राप्त शुल्क या तो उधारकर्ता या ऋणदाता द्वारा दूसरे की ओर से प्राप्त किया गया है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

49 अन्य प्रकटन

क) कंपनी, वर्ष्य 2000–01 से निर्धारण वर्ष 2019–20 तक, धारा 80 आईए के तहत कटौती का दावा कर रही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा वर्ष 2013–14 तक धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि, आयकर विभाग ने वि.य. 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। वर्ष 2019–20 तक कंपनी डीटीएए समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशों से अर्जित आय को कराधान के लिए दी जाने वाली वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। कंपनी को निर्धारण वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति दी गई थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के प्रति क्रेडिट की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के बाद अपील दायर करके इस मुद्दे को चुनौती दी गई है। आईटीएटी द्वारा नि.य. 2013–14 तक इस मुद्दे को इरकॉन के पक्ष में अनुमति दी गई है।

ख) लागत जमा परियोजनाओं में कुछ ठेकेदारों द्वारा दावों के कारण विभिन्न अदालतों और अपीलीय अधिकारियों के समक्ष कंपनी के खिलाफ मुकदमे के कुछ अन्य मामले लंबित हैं। ऐसे मामलों में, कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करती है और संसाधनों के आर्थिक बहिर्वाह की अपेक्षा नहीं करती है। इस संबंध में कुल 1432.67 करोड़ रूपए (2,134.49 करोड़ रुपए) के संबंध में मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए 3.93 करोड रूपए (6.19 करोड़ रुपए) ग्राहक द्वारा निर्धारित और प्रतिपूर्ति की गई है। कंपनी ने ठेकेदारों पर 615.65 करोड़ रूपए (1048.42 करोड़ रुपये) के प्रति–दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

ग) माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय के अंतर्गत यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचएआई के खिलाफ 97.96 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति दी है, कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समान राशि की देयता प्रदान की है।

घ) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों और अग्रिमों का संबंध है, शेष पुष्टि पत्र, संबंधित पक्षों को भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देनदारियों की शेष राशि पुष्टि/समायोजन और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, को अधीन हैं। निरंतर आधार पर सुलह की जाती है। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान के किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है।

ङ.) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

च) चालू वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े, ब्रैकेट ( ) के तहत दिखाए गए हैं।

छ) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अलावा संपत्ति का मूल्य, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
मुगुंथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22 जुलाई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है, जो दिनांक 27 मई 2022 की उनकी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के अधिक्रमण में है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(विक्रम डी. मुरूगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक: 29 जुलाई, 2022

समेकित वित्तीय विवरण 2021-22

फॉर्म एओसी–1

31.03.2022 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग–क : सहायक कंपनियां

(रूपए करोड में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबी. टीएल)	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)	इरकॉन बडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीकेईएल)	इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लि. मिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में	रुपए में
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन सहित)	150.00	165.00	173.00	65.00	10.00	0.05
4	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि य अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	(88.30)	4.41	23.92	99.94	229.90	18.35
5	देयताएं	542.72	315.37	422.45	196.59	693.28	9.53
6	कुल इक्विटी और देयताएं	604.42	484.78	619.37	361.53	933.19	27.93
7	कुल परिसंपत्तियां	604.42	484.78	619.37	361.53	933.19	27.93
8	निवेश	-	-	-	-	-	-
9	टर्नओवर	144.07	55.78	45.71	177.89	399.71	24.68
10	कर पूर्व लाभ	(12.05)	(24.62)	8.37	13.35	80.29	-
11	कर के लिए प्रावधान	-	-	2.50	8.05	20.13	1.11
12	कर पश्चात लाभ	(12.05)	(24.62)	5.87	5.30	60.16	(1.11)
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश – प्रेफरेंस	-	-	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस	-	-	-	-	-	-
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
मुगुंथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

फॉर्म एओसी–1

31.03.2022 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 को नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग–क : सहायक कंपनियां

(रूपए करोड में)

क्र.सं	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉन आरपीएल)	इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन एकेईएल)	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉन एलआरएचएल)	इरकॉन भोज–मारबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीएमईएल)	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉन एचबीएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रूपए में	रूपए में	रूपए में	रूपए में	रूपए में
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन सहित)	3.80	0.05	0.05	0.05	0.05
4	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	2.31	-	-	-	-
5	देयताएं	0.00	0.06	-	0.02	0.00
6	कुल इक्विटी और देयताएं	6.11	0.11	0.05	0.07	0.05
7	कुल परिसंपत्तियां	6.11	0.11	0.05	0.07	0.05
8	निवेश	-	-	-	-	-
9	टर्नओवर	-	0.02	0.01	0.01	0.01
10	कर पूर्व लाभ	(0.35)	-	-	-	-
11	कर के लिए प्रावधान	0.06	-	-	-	-
12	कर पश्चात लाभ	(0.29)	-	-	-	-
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश – प्रेफरेंस	-	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस	-	-	-	-	-
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	76%	100%	100%	100%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
मुगुंथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07854014

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

फॉम एओसी–1

भाग–ख : संयुक्त उद्यम

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर :	26.00%	26.00%	26.00%	50%	26.00%	26%	26%
	धारित शेयरों की संख्या	7,63,37,300	19,78,55,700	15,71,70,000	6,38,70,000	1,30,00,000	2,60,00,000	5,19,99,699
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (नीचे नोट 2)(रुपये में)	76,33,73,000	2,13,46,00,000	1,57,17,00,000	63,87,00,000	63,00,00,000	26,00,00,000	51,99,96,990
	शेयरों की कुल संख्या	29,36,05,000	77,27,28,289	59,40,55,000	12,77,40,000	8,77,29,862	9,00,00,000	19,99,99,398
	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत)	26.00%	25.60%	26.46%	50%	14.82%	28.89%	26.00%
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है	संदर्भ नोट–1 (नीचे)						
4	संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल संपत्ति (करोड़ रुपये में)	76.36	220.40	154.13	90.41	66.50	23.16	78.69
6	वर्ष के लिए लाभ/ (हानि) (करोड़ रुपये में)	(0.89)	62.33	0.28	88.83	2.02	(0.02)	(0.39)
	(i) समेकन में माना जाता है (करोड़ रुपये में)	(0.23)	15.96	0.07	44.42	0.30	-	(0.10)
	(ii) समेकन के रूप में नहीं माना गया (करोड़ रुपये में)	(0.66)	46.36	0.21	44.42	1.72	(0.02)	(0.29)

नोट

1 निवेशिती की 20 प्रतिशत या अधिक मताधान शक्ति धारण होना महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव किया किया है।

2 संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि
इक्विटी माना गया –जेसीआरएल : 50 करोड़ रुपये

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
मुथुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "धारक कंपनी" कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारत का भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, ("इंड एस") के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ और समेकित हानि तथा समेकित कुल वृहत आय, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और यह रिपोर्ट हमारे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत 27 मई, 2022 की पूर्व रिपोर्ट है।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया, इसका विवरण उस संदर्भ में दिया गया है। लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीतिकता सहित एक अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग पर, प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को स्वतंत्रता लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से धारक कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर पुनःप्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
(क) इंड एएस–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता। राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों को राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व को संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सदाशयी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावी व्याख्या, कि हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, समय पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में प्रकटीकरण शामिल होता है, जिसमें अलग–अलग राजस्व के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल होता है और अवधि जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को तुलनपत्र की तारीख के बाद पूरा किया जाएगा। विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–43 को देखें।	पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और तय की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएं : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–40 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल एफआई:सीओ माड्यूल को ही कियान्वित किया गया है और अन्य प्रणालियां जैसे पे–रोल, इन्वेंटरी आदि कियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे की व्याख्या हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में क्यों मानते हैं, इस प्रकार है: हमारी लेखापरीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिन्हीं इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिसको बिना तुलनपत्र के विभिन्न सीर्षों के डेटा एकत्र करना हमारे लिए कठिन है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री समेकित वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीयस लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इस अधिनियम के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टैंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है, जिसका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किया गया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व, समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल का है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर माना जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथव्यावसायिक निर्णय करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से काफी अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण का ज्ञान प्राप्त करना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की

आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि को दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।
- समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर, संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए। हम समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

वस्तुतः समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा समुच्चय, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञात रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरण में शामिल मूल कंपनी और ऐसे अन्य निकायों की शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने धारक कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 को 577.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 411.85 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल राजस्व 444.69 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 518.97 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 41.79 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 38.84 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में धारक कंपनी के अंशभाग के (0.08 करोड़ रूपए) (पिछले वर्ष 17.99 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.59 करोड रूपए (पिछले वर्ष 0.51 करोड रूपए) है। अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।
- हमने आठ सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2022 को 3031.08 करोड रूपए (पिछले वर्ष 2,855.60 करोड रूपए) की कुल परिसंपत्ति, कुल राजस्व 404.71 करोड रूपए (पिछले वर्ष 323.14 करोड रूपए) और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 40.43 करोड रूपए (पिछले वर्ष 32.15 करोड रूपए) के रोकड प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) को दर्शाता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है और

इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 0.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. शून्य) और नकदी प्रवाह में शुद्ध वृद्धि/(कमी) रु. 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य), जैसा कि समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में स्वीकार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा 59.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 31.87 करोड़ रुपए) के समूह के भाग को भी शामिल किया गया है, जैसा कि सात संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और इन वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में संबंधित राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इन लेखापरीक्षित और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित है, पूरी तरह से 'अन्य लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के आधार' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर आधारित है।

उपर्युक्त समेकित इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय, विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारी राँय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 (xxi) में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम की अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित कानून द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की अनुच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित, धारक कंपनी की शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम की अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम की अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में: हमारी राय सकारात्मक है।

(i) धारक कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 40 का संदर्भ लें;

(ii) समूह ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत

यथापेक्षित प्रावधान किया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 21.2 का संदर्भ लें। समूह में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें धारक कंपनी, भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) भारत में निगमित धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 48 में प्रकटन किया गया है, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) धारक कंपनी, भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंधित प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोट संख्या 47 में प्रकटन किया गया है, धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

ग) भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप की लेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित और उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, धारक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह, लेखांकन संव्यवहारों के लिए एसएपीएस/4 हाना/टैली प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। समूह के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 15.45 करोड़ रुपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है। व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान समूह द्वारा केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072ANKWAJ9560

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

3(xxi) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने निम्नलिखित खंडों में अपनी टिप्पणी दी है:

क्र. सं.	नाम	(सीआईएन)	धारक कंपनी /सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम।	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	अधिकार वाली कंपनी	खंड सं 3 (xx) (ख)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3 (xvii)
3.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(ix)(ग), 3(xi))(ग), 3(xvii)
4.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3 (xvii)
5.	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74999DL2005PTC135055	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(xx) (क)
6.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	U60100OR2015GOI019349	संयुक्त उद्यम	खंड सं. 3 (xvii)
7.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	U45400DL2009GOI194792	सहायक कंपनी	खंड सं 3 (xx) (ख)

समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित तीन (3) सहायक कंपनियों की रिपोर्ट संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा हमारे लेखापरीक्षकों द्वारा इंड–एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है।

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमित पहचान सं (सीआईएन)
1.	इरकॉन भोज सोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	U45203DL2022GOI392148
2.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	U45209DL2022GOI392406
3.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	U40106DL2022GOI392384

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072ANKWAJ9560

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का (अनुबंध–ख)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे धारक कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (जिसे यहां आगे धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित हुई हैं के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") को अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ये नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, धारक कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित

सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और धारक कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधिकार पर दिनांक 31.03.2021 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि धारक कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच से और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित निकायों की रिपोर्ट और निकायों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों से स्पष्ट होता है।

क. धारक कंपनी में एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जिसका अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ सहायक कंपनियां और संयुक्त नियंत्रित निकाय एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां मानवीय हस्तक्षेप के साथ टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तनीय नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह आठ लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और तीन गैर–लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनकी अन्य लेखापरीक्षकों और प्रबंधन प्रमाणपत्र की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित हैं (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों पर पैराग्राफ भी देखें)।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072ANKWAJ9560

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "धारक कंपनी" कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारत का भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, ("इंड एस") के साथ पठनीय अधिनियम की अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ और समेकित हानि तथा समेकित कुल वृहत आय, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया है तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया, इसका विवरण उस संदर्भ में दिया गया है। लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भौतिकता सहित एक अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग पर, प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को स्वतंत्रता लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से धारक कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर पुनःप्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
(क) इंड एएस–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता। राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखा नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखा मानकों के अनुसार नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दायों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) और अन्य भुगतानों पर निष्पादन दायित्व के संतुष्टपूर्ण होने पर मूल्यांकन और निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को सहायी रूप से प्रदर्शित करती है। आर्डर को पूर्ण करते समय, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तात्कालिक पहचान की आवश्यकता होती है। इंड एएस–115 में संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विवरण के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट–43 को देखें।	अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। हमने नमूना आधार पर प्रगतिरत कार्यों के शेष में शामिल लागतों की भी जांच की गई और अनुमानित लागत के साथ अनुबंधों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया गया है। हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय पर संतुष्ट किया जा रहा है, राजस्व मान्यता पर वास्तविक प्रक्रियाओं का पालन किया है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और उनकी पहचान की गई। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचानी गई और तर्ज की गई दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने हेतु अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय पर संतुष्ट हो रहा है या नहीं। प्रकट किए गए राजस्व के औचित्य के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गई
आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएं : कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–40 का संदर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल एफआई:सीओ माड्यूल को ही कियान्वित किया गया है और अन्य प्रणालियां जैसे पे–रोल, इन्वेंटरी आदि कियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माडयूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री समेकित वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, (भारतीय लेखांकन मानक) नियम–2015 के साथ पठित इस अधिनियम की अनुच्छेद–33, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टैंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण

के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है, जिसका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किया गया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व, समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित इकाइयों सहित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल का है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि को दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।
- समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर, संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए।

हम समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

वस्तुतः समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तात्पर्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरण में शामिल मूल कंपनी और ऐसे अन्य निकायों की शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले को अभिव्यक्त न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने धारक कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन 3 (तीन) शाखाओं के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 को 577.97 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 411.85 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियां तथा कुल राजस्व 444.89 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 518.97 करोड़ रूपए) और कर पूर्व लाभ 41.79 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 38.64 करोड़ रूपए) को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में धारक कंपनी के अंशभाग को (0.08 करोड़ रूपए) (पिछले वर्ष 17.99 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 1 संयुक्त प्रचालन में कंपनी के भाग का निवल लाभ 0.51 करोड रूपए (पिछले वर्ष 0.51 करोड रूपए) है।

  अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

- हमने आठ सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2022 को 3031.08 करोड रूपए (पिछले वर्ष 2,855.80 करोड रूपए) की कुल परिसंपत्ति, कुल राजस्व 404.71 करोड रूपए (पिछले वर्ष 323.14 करोड रूपए) और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 40.43 करोड रूपए (पिछले वर्ष 32.15 करोड रूपए) के रोकड प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) को दर्शाता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 0.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. शून्य) और नकदी प्रवाह में शुद्ध वृद्धि/(कमी) रु. 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य), जैसा कि समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में स्वीकार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा 59.95 करोड रूपए (पिछले वर्ष 31.87 करोड रूपए) के समूह के भाग को भी शामिल किया गया है, जैसा कि सात संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और इन वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी

प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में संबंधित राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इन लेखापरीक्षित और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की आधार पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर आधारित है।

उपर्युक्त समेकित इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय, विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारी राँय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 (xxi) में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और "अन्य मामलों" पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित कानून द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित, धारक कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य बृहत आय सहित) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ङ.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध–ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) धारक कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 40 का संदर्भ लें;

(ii) समूह ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 21.2 का संदर्भ लें। समूह में कोई डेरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें धारक कंपनी, भरत में निगमित उसकी सहायक कंपनी या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) भारत में निगमित धारक कंपनी और उसकी सहायक

कंपनियां और संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 48 में प्रकटन किया गया है, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

ख) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों के संबंधित प्रबन्धन, जिनका निगमन भारत में किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई है, ने हमें तथा ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लेखा परीक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर, लेखों के नोट सं. 48 में प्रकटन के अलावा, हमारे संज्ञान के साथ, चाहे लिखित रूप से रिकार्ड किए गए या अन्यथा विदेशी निकाय (वित्त पोषण पक्षों) सहित किसी व्यक्ति या निकाय से धारक कंपनी ने कोई निधि प्राप्त नहीं की है, एवं धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रमों का निगमन भारत में हुआ है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, ये वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से किसी भी रूप में(अंतिम लाभार्थियों) के रूप में पहचाने गए कि किसी व्यक्ति या निकाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऋण या निवेश नहीं करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं करेंगे।

ग) हमारे द्वारा निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(इ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.2.15 में उल्लेख किया गया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–123 के अनुसार है और यह लाभांश के भुगतान के स्तर तक लागू होता है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा–123 के अनुसार उस सीमा तक है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र. सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। विदेशी शाखाओं के मामले में, कंपनी ने दिनांक 30 सितंबर 2021 से टैली सॉफ्टवेयर के स्थान पर एस/4 हाना लागू किया। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 15.45 करोड़ रुपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या वित्तिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है/व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्याः 084072
यूडीआईएनः **22084072AJVYHQ1755**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

3(xxi) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने निम्नलिखित खंडों में अपनी टिप्पणी दी है:

क्र. सं.	नाम	(सीआईएन)	धारक कंपनी / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम।	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	अधिकार वाली कंपनी	खंड सं 3 (xx) (ख)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3 (xvii)
3.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(ix)(x), 3(xi))(ग), 3(xvii)
4.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(xvii)
5.	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74999DL2005PTC135055	संयुक्त उद्यम	खंड सं 3(xx) (क)
6.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	U60100OR2015GOI019349	संयुक्त उद्यम	खंड सं. 3(xvii)
7.	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	U45400DL2009GOI194792	सहायक कंपनी	खंड सं 3 (xx) (ख)

समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित तीन (3) सहायक कंपनियों की रिपोर्ट संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा हमारे लेखापरीक्षकों द्वारा इंड–एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है।

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमित पहचान सं (सीआईएन)
1.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	U45203DL2022GOI392148
2.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	U45209DL2022GOI392406
3.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	U40106DL2022GOI392384

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072AJVYHQ1755

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2022

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों
के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का (अनुबंध–ख)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे धारक कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (जिसे यहां आगे धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित हुई हैं के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, धारक कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों को दरकिनार या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और धारक कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड पर आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2022 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि धारक कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच से और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित निकायों की रिपोर्ट और निकायों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों से स्पष्ट होता है।

क. धारक कंपनी मेंएकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जिसका अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ सहायक कंपनियां और संयुक्त नियंत्रित निकाय एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां मानवीय हस्तक्षेप के साथ टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तनीय नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह आठ लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और तीन गैर–लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनके अन्य लेखापरीक्षकों और प्रबंधन प्रमाणपत्र की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों पर पैराग्राफ भी देखें)।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती है।

कृते एचडीएसजी और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 084072
यूडीआईएन: 22084072AJVYHQ1755

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2022

31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र

(रूपए करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	205.01	259.98
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	6.02	3.17
	(ग) निवेश संपत्ति	5	555.18	511.01
	(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	1,080.40	1,146.39
	(ङ.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7	30.48	9.79
	(च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	8	4.43	4.80
	(छ) इक्विटी विधि के प्रयोग हेतु लेखांकित निवेश	9	695.57	558.89
	(ज) वित्तीय परिसंपत्तियां	10		
	(i) निवेश	10.1	225.18	275.15
	(ii) ऋण	10.2	0.50	0.48
	(iii) अन्य	10.3	1,288.23	868.16
	(ट) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	72.53	70.49
	(ठ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	30.03	47.64
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**4,193.56**	**3,755.95**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) इनसूचियां	13	276.59	120.65
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	14		
	(i) निवेश	14.1	50.00	16.31
	(ii) व्यापार प्राप्य	14.2	695.19	630.77
	(iii) नकद और नकद समतुल्य	14.3	1,257.95	414.20
	(iv) अन्य बैंक शेष	14.4	4,255.26	3,032.24
	(v) ऋण	14.5	0.80	0.95
	(vi) अन्य	14.6	1,408.06	1,306.44
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	70.73	31.28
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	2,236.83	1,944.74
			10,251.41	7,497.58
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	17	1.39	0.45
	कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,252.80**	**7,498.03**
	कुल परिसंपत्तियां		**14,446.36**	**11,253.98**
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	188.10	94.05
	(ख) अन्य इक्विटी	19	4,477.52	4,309.08
	मूल के स्वामी की इक्विटी		**4,665.62**	**4,403.13**
	गैर नियंत्रण हित	19A	1.13	-
	कुल इक्विटी		**4,666.75**	**4,403.13**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं	20		

31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	(i) ऋण	20.1	1,304.41	312.09
	(ii) पट्टा देयताएं	20.2	0.15	0.15
	(iii) व्यापार प्राप्य	20.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल बकाया देय राशियां		-	-
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं को कुल बकाया देय राशियां		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	522.30	282.95
(ख)	प्रावधान	21	143.28	107.58
(ग)	अन्य गैर चालू देयताएं	22	84.83	364.96
	कुल गैर चालू देयताएं		**2,054.97**	**1,067.73**
(ii)	**चालू देयताएं**			
(क)	वित्तीय देयताएं	23		
	(i) ऋण	23.1	94.60	18.84
	(ii) पट्टा देयताएं	23.2	0.01	0.01
	(iii) व्यापार प्राप्य	23.3		
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल बकाया देय राशियां		5.10	14.77
	– सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं को कुल बकाया देय राशियां		1,021.12	743.25
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	23.4	2,629.12	2,424.48
(ख)	अन्य चालू देयताएं	24	3,744.02	2,292.27
(ग)	प्रावधान	21	212.66	202.29
(घ)	चालू कर देयता (निवल)	25	18.01	87.21
	कुल चालू देयताएं		**7,724.64**	**5,783.12**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**14,446.36**	**11,253.98**
(iii)	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
(iv)	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1-52		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002971एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
गुरुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालन से राजस्व	26	7,379.67	5,349.83
II.	अन्य आय	27	206.04	156.62
III.	**कुल आय (I+II)**		**7,585.71**	**5,506.45**
IV.	व्यय			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	28 (i)	512.17	368.04
	डब्लूआईपी में (वृद्धि)/कमी	28 (ii)	(165.26)	211.77
	परियोजना व्यय	28 (iii)	6,118.99	3,972.55
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	266.61	247.39
	वित्त लागतें	30	68.82	23.30
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	31	95.17	92.09
	अन्य व्यय	28 (iii)	60.50	45.65
	कुल व्यय (IV)		**6,957.00**	**4,960.79**
V.	**आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**628.71**	**545.66**
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	इक्विटी विधि का प्रयोग करके संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) का भाग		59.94	31.86
VIII.	**कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)**		**688.65**	**577.52**
IX	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	11		
	– अवधि हेतु		186.15	148.94
	– पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(87.73)	17.87
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(2.04)	19.65
	कुल कर व्यय		**96.38**	**186.46**
X	**वर्ष हेतु लाभ (VIII - IX)**		**592.27**	**391.06**
XI	अन्य वृहत आय	32		
	क. मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)		(0.80)	(0.40)
	परिभाषित लाभ के पुनर्मापन पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर योजनाएं		0.20	0.10
	(ii) इक्विटी पद्धति (शुद्ध कर) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		(0.01)	-
	ख. मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया			
	(i) विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में अंतर का आदान–प्रदान		6.21	(1.21)
	विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर।		(1.56)	0.30
	वर्ष के लिए अन्य वृहत आय/व्यय, आयकार का निवल		**4.04**	**(1.21)**
XII	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (X+XI) (वर्ष क लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)**		**596.31**	**389.85**
XIII	कुल वृहत आय के प्रति–			
	मूल के स्वामी		592.34	391.06
	गैर नियंत्रण हित		(0.07)	-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
XIV	निम्न को प्रति अन्य वृहत आय			
	मूल का स्वामी		4.04	(1.21)
	गैर–नियंत्रण हित		-	-
XV	निम्न को प्रति कुल वृहत आय			
	मूल के स्वामी		596.38	389.85
	गैर नियंत्रण ब्याज		(0.07)	-
XVI	मूल के स्वामियों के प्रति इक्विटी शेयर आमदनी:			
	(1) मूल (रुपए में)	38	6.30	4.16
	(2) विलयित (रुपए में)		6.30	4.16
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00
XVII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XVIII	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 - 52		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002971एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई 2022

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
गुगुथुन बीजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड प्रवाह विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		688.65	577.52
समायोजन:			
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		(0.01)	-
ऋण पर ब्याज व्यय		53.85	6.58
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		95.17	92.09
इक्विटी पद्धति के माध्यम से लेखा किए गए निवेश के निपटान पर हानि		5.11	-
परिसंपत्तियों(निवल) की बिक्री पर लाभ		(0.99)	(3.75)
म्युचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		(1.15)	(2.01)
संयुक्त उपक्रमों के लाभ (हानि) का भाग		(59.94)	(31.86)
ब्याज आय		(105.32)	(82.83)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		13.89	7.97
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	689.26	563.71
समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		(64.43)	(79.58)
दरसूची में कमी/(वृद्धि)		(155.94)	200.02
ऋण, अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(786.27)	(507.99)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		268.19	168.84
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		1,487.21	215.64
	(2)	748.76	(3.07)
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	1,438.02	560.64
प्रदत्त आय कर		(32.62)	(42.52)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	1,405.40	518.12
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी (सीडब्लूआईपी) सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(19.77)	(4.53)
अमूर्त परिसम्पत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(21.11)	(0.03)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया		(0.07)	(30.49)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		0.60	20.66
म्युचुअल फंड की बिक्री/ (निवेश)		1,246.59	799.81
म्युचुअल फंड में निवेश		(1,245.44)	(797.80)
जेवी कंपनियों को ऋण का पुनःभुगतान		-	39.00
प्राप्त ब्याज		96.73	83.12
जेवी कंपनियों से प्राप्त लाभांश		41.00	17.00
जेवी कंपनियों में निवेश		(122.87)	(32.00)
बांडों का रिडम्पशन		16.31	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों से इतर बैंक शेष		(1,219.14)	(872.12)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)	(1,227.17)	(777.38)
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान(निवल)/गैर–नियंत्रित ब्याज		1.20	-
गैर–वर्तमान उधारों से आय		1,124.06	330.93
गैर चालू उधारों का पुनर्भुगतान		(55.98)	-
पट्टा दायित्वों का भुगतान		(0.01)	(0.02)
प्रदत्त अंतिम लाभांश		(159.89)	(96.87)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		(174.00)	(61.13)
प्रदत्त ब्याज		(55.97)	(4.35)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	679.41	168.56
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	(13.89)	(7.97)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	843.75	(98.67)
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक) (नीचे नोट 2, 4 और 5)	(ङ.)	414.20	512.87
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)' (नीचे नोट 2, 4 और 5)	(च)	1,257.95	414.20
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(च-ङ.)	843.75	(98.67)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड प्रवाह विवरण

नोट:

1 उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानकों में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2 उपर्युक्त समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल रोकड़ और रोकड़ समतुल्य तथा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटकों का समायोजन :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
उपलब्ध रोकड़	0.10	0.08
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	-	-
पारगमन में प्रेषण	-	-
बैंकों में शेष		
–चालू खातों में	874.61	170.82
–फ्लैक्सी खाते	282.35	203.48
– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	100.89	39.82
तुलन पत्र और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**1,257.95**	**414.20**

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र के आरंभिक और समापन शेष के बीच समायोजन:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	ऋण *	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2020 को	-	**0.17**
(क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	330.93	(0.02)
(ख) निम्न के कारण गैर रोकड़ परिवर्तन		
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्चा	-	0.01
संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल)	2.23	-
31 मार्च 2021 को	**333.16**	**0.16**
(क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	1,068.08	(0.01)
(ख) निम्न के कारण गैर रोकड़ परिवर्तन		
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्चा	-	0.01
संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल)	(2.13)	-
31 मार्च 2022 को	**1,399.11**	**0.16**

* गैर चालू ऋणों और उन पर संचित ब्याज की चालू परिपक्वता सहित, संदर्भ नोट 20.1, नोट 23.1 और नोट 23.4

4. जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

5. 14.2 और 14.3 में उल्लिखित निर्धारित और प्रतिबंधित शेष।

6. कोष्टक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07854014

ह0/–
गुगुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	
01 अप्रैल 2020 को शेष	94.05
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2021 को शेष	94.05
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	94.05
31 मार्च 2022 को शेष	188.10

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण को अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2020 को शेष	3,284.64	791.85	4.93	(4.19)	4,077.23
वर्ष के लिए लाभ	-	391.06	-	-	391.06
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	(0.30)	-	-	(0.30)
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	(0.91)	(0.91)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	-	390.76	-	(0.91)	389.85
प्रदत्त लाभांश	-	(158.00)	-	-	(158.00)
31 मार्च 2021 को शेष	3,284.64	1,024.61	4.93	(5.10)	4,309.08

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण को अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2021 को शेष	3,284.64	1,024.61	4.93	(5.10)	4,309.08
वर्ष के लिए लाभ	-	592.34	-	-	592.34
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	(0.60)	-	-	(0.60)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	-	(0.01)	-	-	(0.01)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी					
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	4.65	4.65
अवधि के लिए कुल वृहत आय	-	591.73	-	4.65	596.38
प्रदत्त लाभांश	-	(333.89)	-	-	(333.89)
बोनस शेयरों का निर्गम	-	(94.05)	-	-	(94.05)
31 मार्च 2022 को शेष	3,284.64	1,188.40	4.93	(0.45)	4,477.52

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
मुमुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

1. समूह सूचना

समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (जिन्हें संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी है, जिसका ध्येय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन है और यह भारत में स्थित है (सीआईएनः L45203DL1976GOI008171) तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित समूह तथा अनुसूची क की सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी है एवं मिनी रत्न–श्रेणी–1 कंपनी है। रेल निर्माण समूह ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संचितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। समूह का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

समूह द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

समूह के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। समूह ने परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अलावा हैः–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

समेकन का आधार

क) समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2022 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह द्वारा इन्हें प्रस्तुत किए जाने पर नियंत्रण हासिल किया जाता है, या अधिकार होता है, कि निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल और उन प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निवेशकर्ता पर इसकी शक्ति, विशेष रूप से, समूह एक निवेशी को नियंत्रित करता है यदि और केवल यदि समूह के पासः

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात मौजूदा अधिकार जो इसे निवेश की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- प्रकटन, या अधिकार, निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल हेतु, और निवेशी पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता उसके प्रतिफल को प्रभावित करती है।

सामान्यत, अनुमान है कि मतदान के अधिकांश अधिकार समूह के नियंत्रण में होते हैं। इस अनुमान का समर्थन करने के लिए और जब समूह के पास वोटिंग के लिए बहुमत या किसी निवेशकर्ता के समान अधिकार हैं, तो समूह यह आकलन करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है कि क्या किसी निवेषकर्ता पर उसका अधिकार है, जिसमें शामिल हैंः

- निवेशी के अन्य वोट धारकों के साथ अनुबंध की व्यवस्था।
- अन्य संविदात्मक व्यवस्था से उत्पन्न अधिकार।
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार।
- समूह का आकार मतदान के अधिकार के सापेक्ष और अन्य मतदान अधिकार धारकों की धारिता के फैलाव के सापेक्ष।

ख) समूह पुनः मूल्यांकन करता है कि क्या यह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है या नहीं यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक परिवर्तनशील हैं। सहायक कंपनी का एकीकरण तब आरंभ होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब समूह सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अधिगृहीत या निपटाए गए किसी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय, समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने की तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं, जब तक कि समूह सहायक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समाप्त नहीं हो जाता है।

ग) समान परिस्थितियों में लेन–देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय

विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का सदस्य समान परिस्थितियों में लेन–देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में नीतियों के अतिरिक्त लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह के लेखांकन के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्यों के वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

घ) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के रूप में एक ही रिपोर्टिंग तिथि अर्थात, 31 मार्च को समाप्त तक लेखांकित किए जाते हैं।

ड.) समेकन प्रक्रिया:

सहायक कंपनियां

- अपनी सहायक कंपनियों के साथ अभिभावक संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का समायोजन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण की तारीख में समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित हैं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के मूल भाग को ऑफसेट समाप्त किया गया हैं।
- समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित पूर्ण इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, खर्चों और नकदी प्रवाह को समाप्त करें (इन्ट्रा–समूह लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि जो कि परिसंपत्तियों में पहचानी जाती हैं, जैसे दरसूची और अचल संपत्तियां, का पूर्ण रूप से समाप्त होना) । इंट्रा–समूह हानि का संकेत दे सकता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इंड एएस 12 के रूप में आयकर अस्थायी अंतर पर लागू होता है, जो इंट्रा–समूह लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होता है।
- लाभ या हानि और अन्य वृहत आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के प्रमुख और गैर–नियंत्रित हितों के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, भले ही यह गैर–नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, तो अपनी लेखा नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेन–देन से संबंधित सभी इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समेकन के साथ पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

नियंत्रण की हानि के बिना, एक सहायक के स्वामित्व हित में परिवर्तन इक्विटी लेनदेन के रूप में उत्तरदायी है। यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो:

- ✓ परिसंपत्तियों (सद्भावना सहित) और सहायक कंपनियों की देनदारियों
- ✓ किसी भी गैर–नियंत्रण वाले हितों की वहन राशि का प्रकटन करता है
- ✓ इक्विटी में स्वीकृत की गई संचयी अंतरण विभेद
- ✓ प्राप्त मत का उचित मूल्य का निर्धारण
- ✓ किसी भी निवेश को बनाए रखने के उचित मूल्य का निर्धारण
- ✓ लाभ या हानि में किसी भी अधिशेष या घाटे का निर्धारण
- ✓ पहले से लाभ या हानि के लिए ओसीआई में मान्यता प्राप्त की मूल कंपनी के शेयर या प्रतिधारित आय, उचित रूप में, जैसे कि समूह सीधे संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का निपटान किया जाए।

ii) संयुक्त व्यवस्था

इंड एएस–111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- संयुक्त प्रचालन: समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- संयुक्त उद्यम : संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(घ) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रूप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशिती के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशिती की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी–लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त

लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति को अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेपः

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

समूह ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

समूह ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रसंस्करण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। समूह ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3-6
कार्यालय उपकरण	5 – 10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहन	8-10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास/आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार "सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।"

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते है।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति समूह को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। समूह निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

समूह अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती

है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब ये स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रनारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों को अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण "विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां" के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रनारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब ये स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रनारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधने

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य को चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, को उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख को अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो समूह परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आयक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) लागत जमा संविदाओं में, जहां संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.8 सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, जहां युक्ति संगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

समूह अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं कहा जाता है) कार्य हैं। समूह द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा समूह द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। समूह के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। समूह द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। समूह यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई ये सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही समूह द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

समूह की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए समूह के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।

- समूह द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- समूह के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समूह द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां समूह द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में समूह द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा शेष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि समूह द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से समूह का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो समूह को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि समूह द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) टोल–फी

सहायक कंपनी टोल राजस्व को उस समय स्वीकार करती है जब उसे संव्यवहार मूल्य यथा प्रयोग शुल्क पर एक; किया जाता है, जिसमें तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि शामिल नहीं होती।

घ) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

ङ.) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं समूह द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है

तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है, जिस मामले में, इसे लाभ और हानि से बाहर ही स्वीकार नहीं किया गया है इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में समूह के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में समूह की मंशा नियत आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (`कार्यात्मक मुद्रा') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति नियत आधार पर की गई है।

- विदेश परिचालन

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय

की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बढियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत समूह नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समूह की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट को लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

परिभाषित लाभ योजना : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व समूह के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए समूह की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

समूह द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान को व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। समूह की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी समूह करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पत्ति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ

योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब समूह धारित संबंधित अवसंरचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह द्वारा बारह माह के पश्चात अर्जित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें समूह के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है। अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप समूह का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तार्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

समूह द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण समूह अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम है। यदि समूह की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व समूह किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 सेवा रियायत व्यवस्था

क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्ति (इंड एएस–115 – ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, परिशिष्ट–ग)

समूह उस स्तर तक वित्तीय परिसंपत्तियों को स्वीकार करता है जिस स्तर तक निर्माण सेवाओं और प्रचालन व अनुरक्षण सेवाओं के लिए प्रदाता (एनएचएआई) के निदेशक से या पर रोकड या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय परिसंपत्ति में वृद्धि की जाती है और अनुदान के रूप में धन प्राप्त किया जाता है। समूह दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के साथ या एक ही समय में या एक ही संविदा के रूप में संविदाओं के लिए खाते में संयोजित करता है, यदि संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य या एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाता है और संविदा में दिए गए अन्य अनुबंध या वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है जो एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

ख) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति (परिशिष्ट–ग के रूप में इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी) आधार पर, अमूर्त संपत्ति अर्थात टोल/टैरिफ एकत्रण करने का अधिकार तब स्वीकार्य है जब समूह को उपयोगकर्ताओं से टोल या टैरिफ शुल्क वसूलने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों को नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए समूह पर बिना शर्त अधिकार नहीं दिया जाता है और जब यह संभावित हो कि कि अधिकारों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को सुदृढता से मापा जा सकता है।

समूह एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करता है और उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण करता है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक–से–निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को अपने संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शामिल किया जा सकता है।

रियायत समझौतों के तहत, जहां समूह को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 – सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में परिशिष्ट–ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपतियों" के रूप में स्वीकृत और वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार का अधिकार मत प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि यह राशि उस स्तर तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग करती है और इस तरह से इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को लागत पर समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है (जो प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य का उचित मूल्य है) और पूंजीकृत है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब समूह पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।

रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति के निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

सेवा रियायत व्यवस्था जो एक अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, उसे संचयी निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त है।

सेवा रियायत व्यवस्था में अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है, जहां से समूह रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभारित करने में सक्षम है।

एकत्रण अधिकार समयावधि की समाप्ति के बाद या उस तारीख से प्रो–राटा आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन किया जाता है, जब अधिकार रियायत अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाया जाता है।

परिशोधन की कार्यविधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर इन अनुमानों में परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे

अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनःप्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है।

2.2.18 पट्टे

समूह द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग को नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। समूह पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

समूह उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा यह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता का राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में समूह को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां क्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

समूह द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ समूह उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए समूह पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

समूह के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

समूह द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात ये पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। समूह द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

समूह द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में समूह

ये पट्टे जिनमें समूह मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परकामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.19 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को रोकड़ प्रवाह को संबंधित करती हैं, जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का (एसपीपीआई) भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में समूह ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- इक्विटी उपकरण

इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए समूह द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन

किया गया है। समूह द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि समूह किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, समूह इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो समूह संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं क्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

समूह द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि मतों की स्वीकृति के लिए "सरल एप्रोच" का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि मतों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि मतों को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल ये प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि मतता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक मतो के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से मतता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक समूह सकल वहन राशि में से क्षमता हानि मतो को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर मतो के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

समूह द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का

भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त/प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

समूह की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  समूह के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

  ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता को स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं ये संविदाएं हैं जिनमें समूह को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते की राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

समूह वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के ए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब समूह या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समूह वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। समूह स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) वित्तीय अभिलेखों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है, और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, यदि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों के निपटान का इरादा है, तो मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निपटान करने की मंशा है।

2.2.20 उचित मूल्य मापन

समूह द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर, परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार

उत्तम अथवा लाभकारी बाजार समूह की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पत्ति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पत्ति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पत्ति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

समूह द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित है तथा जिनके संबंध में यह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा उन परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए समूह द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पत्ति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन हेतु, समूह ने परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रकृति, गुणों और जोखिमों के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं और ऊपर उल्लिखित अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम का निर्धारण किया गया है।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.21 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्तियां

जब किसी परिसम्पत्ति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पत्तियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पत्तियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पत्ति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पत्ति एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पत्तियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्तियां" के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्तियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पत्ति का वर्गीकरण न होगा, तथा (ii) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पत्ति तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पत्तियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.22 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन समूह द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति समूह का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, समूह द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

क. संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइशें

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बहुतेरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग. आकस्मिकताएं

समूह के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित नुकसान अथवा कटौनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, समूह के फैसले वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकें।

घ. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। समूह अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो समूह के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ङ. कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। समूह द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं कर योग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण समूह के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

च. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति सीकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा

प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

छ. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

ज. पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

समूह पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारित तात्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, समूह द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो समूह को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

समूह द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। समूह अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से समूह के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात समूह पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से समूह को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

i. राजस्व स्वीकृति

समूह की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दायों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए समूह द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दायों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाता है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दायों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टा धारित भूमि	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट-आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट-गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपक. रण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर	कार्यालय, कैम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट								(ii)	(i)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)												
1 अप्रैल 2020 को	42.69	36.89	6.36	61.67	187.28	1.95	6.76	4.76	3.98	2.87	2.96	358.17
संकलन	-	-	-	1.43	0.40	0.01	0.88	0.45	1.13	0.03	-	4.33
निपटान/समायोजन	-	-	-	(0.14)	(5.15)	(0.21)	(0.24)	(0.32)	(0.12)	-	0.70	(5.48)
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	-	(0.01)
विनिमय ,लाभद्ध /हानि	-	-	-	0.06	(2.04)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.08)	(2.16)
31 मार्च 2021 को	42.69	36.89	6.36	63.02	180.48	1.74	7.39	4.87	4.96	2.87	3.58	354.85
संकलन	-	-	-	-	13.39	1.04	0.75	0.38	1.20	0.15	-	16.91
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	(0.28)	-	(0.42)	(0.10)	(0.11)	-	-	(0.91)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण (नोट-iii देखें)	-	(36.89)	-	(19.40)	-	-	-	-	-	-	-	(56.29)
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) /हानि	-	-	-	0.19	0.35	-	(0.02)	0.03	0.01	-	0.06	0.62
31 मार्च 2022 को	42.69	-	6.36	43.81	193.94	2.78	7.70	5.18	6.06	3.02	3.64	315.18
मूल्यह्रास एवं हानि												
31 मार्च 2020 को	-	-	3.54	15.47	51.42	0.56	3.96	2.55	1.48	2.19	1.17	82.34
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	0.10	3.20	11.89	0.19	1.17	0.62	0.39	0.38	0.47	18.41
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	(3.77)	(0.11)	(0.26)	(0.26)	(0.07)	-	0.07	(4.40)
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	0.02	(1.39)	-	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.04)	(1.48)
31 मार्च 2021 को	-	-	3.64	18.69	58.15	0.64	4.86	2.89	1.78	2.55	1.67	94.87
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	0.10	2.99	11.36	0.17	1.09	0.58	0.51	0.12	0.38	17.30
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	(0.10)	-	(0.35)	(0.07)	(0.05)	-	-	(0.57)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरण (नोट-पपप देखें)	-	-	-	(1.85)	-	-	-	-	-	-	-	(1.85)
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) /हानि	-	-	-	0.09	0.30	-	(0.01)	0.01	-	-	0.03	0.42
31 मार्च 2022 को	-	-	3.74	19.92	69.71	0.81	5.59	3.41	2.24	2.67	2.08	110.17
निवल बही मूल्य												
31 मार्च 2022 को	42.69	-	2.62	23.89	124.23	1.97	2.11	1.77	3.82	0.35	1.56	205.01
31 मार्च 2021 को	42.69	36.89	2.72	44.33	122.33	1.10	2.53	1.98	3.18	0.32	1.91	259.98

फुटनोट:

i) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

ii) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं, ऐसी वस्तु का जीवन क्रमशः 10 वर्ष और 6 वर्ष माना जाता है

iii) नोएडा सेक्टर -1 में स्थित संपत्ति पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित

iv) वित्तीय मुद्रा से प्रस्तुतीकरण मुद्रा में पीपीई अंतरण के कारण विदेशी विनिमय घटा/हानि सहित वहन मूल्य।

4. पूंजीगत चालू कार्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2020 को	**2.97**
जमा (परिणामी व्यय)	0.60
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.40)
31 मार्च 2021 को	**3.17**
जमा (परिणामी व्यय)	8.32
समायोजन	(4.45)
हानि	(0.75)
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.27)
31 मार्च 2022 को	**6.02**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2022 को	**6.02**
31 मार्च 2021 को	**3.17**

(i) प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों की आयु

31 मार्च 2022 और मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की आयुकाल अनुसूची इस प्रकार है।

विवरण	अवधि हेतु पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 को					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं – नोट–v का संदर्भ लें	6.02	-	-	-	**6.02**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	6.02	**-**	**-**	**-**	**6.02**
31 मार्च 2021 को					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं– नोट–iv का संदर्भ लें	-	0.27	-	2.90	**3.17**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	-	**0.27**	**-**	**2.90**	**3.17**

(i) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया हो।

(ii) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो अपनी लागत से अधिक हो गई है या पूरा होना अतिदेय है।

(iii) विकास के तहत ट्रैक मशीनें शामिल हैं।

(iv) निर्माणाधीन 500 मेगावाट का सोलर प्लांट शामिल है।

5. निवेश परिसंपत्ति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
31 मार्च 2020 को	**290.31**	**0.57**	**128.38**	**2.23**	**65.82**	**-**	**3.04**	**490.35**
जमा (परिणामी व्यय)*	-	-	-	-	30.49	-	-	**30.49**
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-	(1.57)	-	-	-	-	**(1.57)**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	**-**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को हस्तांतरित (फुट नोट देखें (iv))	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	**290.31**	**0.57**	**126.81**	**2.23**	**96.31**	**-**	**3.04**	**519.27**
जमा (परिणामी व्यय)*	-	-	-	-	0.07	-	-	**0.07**
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	(96.38)	96.38	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को हस्तांतरित (फुट नोट देखें (iv))	36.89	-	19.40	-	-	-	-	**56.29**
31 मार्च 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**-**	**96.38**	**3.04**	**575.63**
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2020 को	-	**-**	**1.06**	**-**	**-**	**-**	**0.27**	**1.33**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	6.89	-	-	-	0.04	**6.93**
31 मार्च 2021 को	-	**-**	**7.95**	**-**	**-**	**-**	**0.31**	**8.26**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	7.01	-	-	3.28	0.05	**10.34**
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित	-	-	1.85	-	-	-	-	**1.85**
31 मार्च 2022 को	-	**-**	**16.81**	**-**	**-**	**3.28**	**0.36**	**20.45**
निवल ब्लाक								
31 मार्च 2022 को	**327.20**	**0.57**	**129.40**	**2.23**	**-**	**93.10**	**2.68**	**555.18**
31 मार्च 2021 को	**290.31**	**0.57**	**118.86**	**2.23**	**96.31**	**-**	**2.73**	**511.01**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के संबंध में जानकारी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	0.54	0.41
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किराया आय को सृजित न करने वाली निवेश परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	-	-
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**0.53**	**0.40**
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.27)	(0.04)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**0.26**	**0.36**

उचित मूल्य समायोजन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम			बंगलुरु	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भवन	
1 अप्रैलए 2020 को आरंभिक शेष	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**-**	**7.09**	**555.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	30.49	-	-	**30.49**
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	-	-	(1.57)	-	-	-	-	**(1.57)**
वर्ष के दौरान उचित मूल्य अंतर	(11.15)	(0.57)	(9.66)	(6.68)	(9.31)	-	0.78	**(36.59)**
31 मार्च 2021 को समापन शेष	**217.32**	**-**	**116.79**	**118.48**	**87.37**	**-**	**7.87**	**547.83**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	0.07	-	-	**0.07**
वर्ष के दौरान अस्वीकृति	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से अंतरित (नोट-iv)	25.02	-	16.59	-	-	-	-	**41.61**
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	(87.44)	87.44	-	**-**
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	5.89	-	3.32	3.34	-	2.69	1.49	**16.72**
31 मार्च 2022 को समापन शेष	**248.23**	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.23**
नोटः								
स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति	248.23	-	136.70	121.82	-	90.13	9.36	**606.23**
	248.23	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.23**

(i) ये मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हैं। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई धारणा के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से जीएसटी पर विचार नहीं किया गया है

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

(iv) नोएडा सेक्टर–1 स्थित संपत्ति पीपीई से निवेश संपत्ति में स्थानांतरित

(iv) * संवर्धन का ब्यौरा (आगामी व्यय)

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य
– कार्य व्यय	(0.20)	26.84
– परामर्श शुल्क	0.22	0.34
– मजदूरी वेतन	0.02	0.70
– दरें और कर	-	0.01
– वाहन संचालन और रखरखाव	-	0.05
– बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	0.03	2.38
– विज्ञापन और प्रचार	-	0.01
– दौरा और यात्रा	-	0.01
– विविध, प्रशासनिक व्यय	-	0.15
कुल	**0.07**	**30.49**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियां (साफ्टवेयर / पट्टा अधिकार / टोल रोड)			
	साफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2020 को	**2.11**	**72.34**	**1,247.94**	**1,322.39**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.02	-	1.88	**1.90**
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	-	-	(0.84)	**(0.84)**
31 मार्च 2021 को	**2.13**	**72.34**	**1,248.98**	**1,323.45**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.42	-	-	**0.42**
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	0.01	-	-	**0.01**
31 मार्च 2022 को	**2.56**	**72.34**	**1,248.98**	**1,323.88**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2020 को	**1.72**	**7.30**	**101.75**	**110.76**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.16	1.65	64.57	**66.38**
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	-	-	(0.08)	**(0.08)**
31 मार्च 2021 को	**1.88**	**8.95**	**166.23**	**177.06**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.23	1.64	64.54	**66.41**
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	-	-	0.01	**0.01**
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**2.11**	**10.59**	**230.78**	**243.48**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2022 को	**0.45**	**61.75**	**1,018.20**	**1,080.40**
31 मार्च 2021 को	**0.25**	**63.39**	**1,082.75**	**1,146.39**

फुट नोट:

पट्टा अधिकार: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण

किया है तथा कंपनी को एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है। पट्टा अधिकारों को उस तिथि से पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाएगा जिस तिथि से संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 2.15 करोड रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2.15 करोड रुपए)।

टोल रोड :– टोल रोड में टोल रोड के लिए आईटी अवसंरचना साफ्टवेयर का मूल्य भी तथा टोल रोड के ईपीसी कार्य भी शामिल हैं। यह अगले से गणनीय नहीं है और परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

7. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		
	साफ्टवेयर	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2020 को	9.79	16.94	26.73
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.01	0.01
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	(1.88)	(1.88)
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(15.07)	(15.07)
31 मार्च 2021 को	9.79	-	9.79
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	20.69	20.69
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को	9.79	20.69	30.48
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को	-	-	-
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2022 को	9.79	20.69	30.48
31 मार्च 2021 को	9.79	-	9.79

फुटनोट :

(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस–4/एचएएनए ईआरपी साफ्टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

(ii) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की आयु संवर्धन अनुसूची इस प्रकार है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियां (साफ्टवेयर/पट्टा अधिकार/टोल रोड)				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 तक					
प्रगतिरत परियोजना					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	-	-	9.79	-	**9.79**
टोल रोड	20.69	-	-	-	**20.69**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	20.69	**-**	**9.79**	**-**	**30.48**
31 मार्च, 2021 तक					
प्रगतिरत परियोजनाएं					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	-	9.79	-	-	**9.79**
टोल रोड	-	-	-	-	**-**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	-	**9.79**	**-**	**-**	**9.79**

(iii) नीचे दी गई परियोजनाओं के मामले में, पूर्णता अतिदेय है, स्वीकृत कुल लागत 26.16 करोड़ रुपये है और परियोजना के निम्नानुसार पूरा होने की उम्मीद है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियां (साफ्टवेयर/पट्टा अधिकार/टोल रोड)				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजना					
सैप एस–4 हाना सैप/ईआरपी	14.18	2.18	-	-	**16.36**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	14.18	**2.18**	**-**	**-**	**16.36**

8. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2020 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	**-**
31 मार्च 2021 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	**-**
31 मार्च 2022 को	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल 2020 को	**0.07**	**1.24**	**0.02**	**1.33**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.04	0.31	0.02	**0.37**
हानि	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	**-**
31 मार्च 2021 को अंतशेष	**0.11**	**1.55**	**0.04**	**1.70**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.05	0.32	-	**0.37**
हानि	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	**-**
31 मार्च 2022 को अंतशेष	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2022 को	**1.09**	**3.34**	**-**	**4.43**
31 मार्च 2021 को	**1.14**	**3.66**	**-**	**4.80**

फुट नोट :

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ रुपए) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.78 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

iii) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसम्पत्ति मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	नाम पर धारित टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण (यह भी बताएं कि क्या विवाद है)
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेल	लागू नहीं	14-08-2002	फ्लैटों का निर्माण रेलवे भूमि पर किया गया है और इसे इस संबंध में जारी अनुदेशों के आधार पर 30 वर्षों की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धारक कंपनी को पट्टे पर दिया गया है।
भवन आवासीय उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	सेंट मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट	2.26	उत्तरी रेल	लागू नहीं	16-09-2004	
गैर आवासीय भवनों के उपयोग का अधिकार – पट्टा परिसंपत्ति	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल कोलकाता	नहीं	03-03-2000	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे भूमि पर निर्मित कार्यालय आवास और इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए धारक कंपनी को पट्टे पर दिया गया है।

9. इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)		
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 6,38,70,000) (संदर्भ नोट (i))	90.40	87.00
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 5,19,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 5,19,99,699) (संदर्भ नोट (ii))	57.34	62.56

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,83,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 7,83,37,300)	76.37	76.60
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (iii)	63.94	63.64
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 13,000) (संदर्भ नोट (vi)	25.76	-
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 19,78,55,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 14,25,75,700)	224.92	138.18
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 15,71,70,000 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2021: 13,11,70,000)	156.84	130.91
कुल	695.57	558.89
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	695.57	558.89
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

फुट नोट:

(i) आई.एस.टी.पी.एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन अधिकार के अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ii) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आरएलडीए, इरकॉन और के बीच शेयरधारिता पैटर्न में परिणामी संशोधन के साथ तीसरे रणनीतिक भागीदार / शेयरधारक के रूप में राइट्स लिमिटेड की भागीदारी को मंजूरी दी है। जिसके परिणामस्वरूप आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है। जेवी साझेदारों ने 24 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के अंकित मूल्य पर विचार के लिए आईआरएसडीसी में राइट्स की भागीदारी पर सहमति व्यक्त की। वर्ष के दौरान आईआरएसडीसी और राइट्स के साथ पत्राचार के आधार पर, समूह ने रुपये के नुकसान की पहचान की है। इक्विटी हिस्सेदारी को 50% से घटाकर 26% करने के लिए 5.11 करोड़ घाटे को स्वीकार गया हैं।

इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को रेल मंत्रालय से दिनांक 18.10.2021 को व्यापार बंद करने और अपने व्यवसाय/संपत्ति के हस्तांतरण/अंतरण के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को दिनांक 05.05.2022 को आयोजित 55वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित पुस्तक मूल्य से कम मूल्य के लिए मंदी बिक्री के आधार पर आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित किया जाना है। जब तक, मंदी की बिक्री को सक्षम प्राधिकारी अर्थात आईआरएसडीसी/आरएलडीए/एमओआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक समूह आईआरएसडीसी में निवेश के लिए इक्विटी पद्धति को लागू करना जारी रखता है।

(iii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 50 करोड रुपये के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण की चुकौती केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, पर की जाएगी।

(iv) समूह के पास महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के संबंध में वित्त वर्ष 2020–21 तक 0.22 करोड रुपए धारित हैं,. जिसे महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में इक्विटी योगदान के कारण चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है।

(v) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के पक्ष में 15.60 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अग्रिम को मंजूरी दे दी है। ऋण की चुकौती केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, पर की जाएगी।

10. गैर–चालू परिसंपत्तियां – गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

10.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बांड में निवेश (कोट किए गए, परिशोधन लागत पर)		
7.21 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपये की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2021 को 500)	-	49.99
8.23 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 1,000 रुपये की 5,00,000 इकाइयाँ (31 मार्च 2021 को 5,00,000)	50.00	50.00
8.35 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, 500 इकाइयाँ रु. प्रत्येक 10,00,000 (31 मार्च 2021 को 500)	49.98	49.97
7.15 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 10,00,000 रुपये की 250 इकाइयाँ (31 मार्च 2021 को 250)	25.00	25.00
7.07 प्रतिशत कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 1,000 रुपये (31 मार्च 2021 को 3,02,000)	30.20	30.20
7.14 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, 1,000 रुपये की 1,99,989 इकाइयां (31 मार्च 2021 को रु 1,99,989)	20.00	20.00
7.02 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपये की 500 इकाइयां (31 मार्च 2021 को 500)	50.00	49.99
कुल	**225.18**	**275.15**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**225.18**	**275.15**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**252.66**	**325.96**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**-**	**-**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	**-**	**-**

10.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रिम	0.07	0.13
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:	-	-
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और आग्रिम	0.43	0.35
कुल	**0.50**	**0.48**

फुट नोट

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है।

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

10.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया . अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
वसूली योग्य : अरक्षित				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सरकारी विभाग		0.01		0.01
– अन्य		0.53		0.60
संविदा परिसंपत्ति:				
–ग्राहकों से प्रतिधारण राशि		2.61		57.27
–ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि		-		1.22
– एसबीए के संदर्भ में निर्माण लागत [देखें फुट नोट (i)]		1,266.92		793.69
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि [संदर्भ फुट नोट (ii)		0.01		0.01
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि –बैंक गारंटी [संदर्भ फुट नोट (iii)]		2.90		0.01
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज [पिरा नोट देखें (iv)]		0.25		0.35
आरएलडीए से वसूली योग्य [संदर्भ फुटनोट (v)]	630.31		1,245.61	
घटा: भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण – [संदर्भ फुट नोट 20.1(i)बी]	(615.31)	15.00	(1,230.61)	15.00
कुल		**1,288.23**		**868.16**

फुट नोट :

(i) निर्माण लागत, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत समूह द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(ii) एफडीआर सहित 0.01 करोड रूपए (0.01 करोड रूपए एचएएम)

(iii) दिनांक 31 मार्च 2022 (31 मार्च 2021 रूपये 0.01 करोड़) को 2.90 करोड़ रुपये, सांविधिक प्राधिकरणों /म्यांमार सड़क परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी किए गए बीजी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन के प्रति (सांविधिक प्राधिकरणों को एफडीआर गिरवी रखने के मामले में) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को गिरवी रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(iv) निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	-	-

(v) समूह ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 20.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किस्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतिरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कंपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी। इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं।

इसके आतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा ईस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित यहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कंपनी को अंतरित कर दिए हैं। समूह परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कंपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

11. आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

आयकर के रूप में इंड एएस 12 के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	**लाभ और हानि विवरण खंड**		
	चालू आयकर:		
	चालू आयकर प्रभार	186.15	148.94
	पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन	(87.73)	17.87
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिकम से संबंधित	(2.04)	19.65
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**96.38**	**186.46**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर:		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	(0.20)	(0.10)
	विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	1.56	(0.30)
	ओसीआई खंड में रिपोर्टिंड आयकर व्यय	**1.36**	**(0.40)**

(ख) 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेलू कर दर:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	694.06	575.91
2	लेखांकन लाभ पर कर	179.73	148.50
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
	(i) पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(87.60)	(0.39)
	(ii) पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
	(iii) कर अंतर का प्रभाव	-	-
	(iv) कर से छूटप्राप्त आय पर कर	(20.07)	(5.93)
	(v) कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	– अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	20.82	32.08
	– अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	4.86	3.24
	(vi) विभिन्न अन्य मदों पर कर प्रभाव	-	8.56
4	**लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**97.74**	**186.06**
5	प्रभावी कर दर	14.08%	32.31%

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तुलनपत्र		लाभ एवं हानि विवरण	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(139.76)	(155.91)	(16.15)	34.22
2	प्रावधान	66.27	74.46	8.19	1.19
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.01	0.01	-	0.03
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.08	26.33	(2.75)	3.60
5	व्यवसाय घाटे	112.68	121.19	8.51	(19.62)
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	4.25	4.41	0.16	0.23
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**72.53**	**70.49**	**(2.04)**	**19.65**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शितः

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	212.29	226.40
2	आस्थगित कर देयताएं	(139.76)	(155.91)
	आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**72.53**	**70.49**

नोट : आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट कर दिया गया है क्योंकि ये समान शासी कानूनों से संबंधित हैं।

(ङ.) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2022 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(155.91)	16.15	-	**(139.76)**
2	प्रावधान	74.46	(8.19)	-	**66.27**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.01	-	-	**0.01**
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	26.33	2.75	-	**29.08**
5	व्यवसाय घाटे	121.19	(8.51)	-	**112.68**
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	4.41	(0.16)	-	**4.25**
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**70.49**	**2.04**	**-**	**72.53**

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2022 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(121.69)	(34.22)	-	**(155.91)**
2	प्रावधान	75.65	(1.19)	-	**74.46**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.04	(0.03)	-	**0.01**

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकार	31 मार्च 2022 को शेष/निवल
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.93	(3.60)	-	**26.33**
5	व्यवसाय घाटे	101.57	19.62	-	**121.19**
6	प्राथमिक व्यय तथा अंतर	4.64	(0.23)	-	**4.41**
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**90.14**	**(19.65)**	**-**	**70.49**

12. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	-	28.50
पर संचित ब्याज		
–ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	30.00	19.14
पूर्व प्रदत्त व्यय	0.03	-
कुल	**30.03**	**47.64**

13. दरसूचियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	22.75	25.10
– तीसरे पक्षों के पास	33.76	44.22
– पारगमन में	3.31	0.47
अन्य (स्क्रैप)	0.59	0.82
प्रगतिरत निर्माण कार्य (लागत पर)	216.18	50.04
कुल	**276.59**	**120.65**

14. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

14.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. बांड में निवेश (कोट किए गए, परिशोधन लागत पर)		
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के 8.00 प्रतिशत कर मुक्त बांड, 1000 रुपये की शून्य इकाइयाँ (31 मार्च 2021 को 163,131 इकाइयाँ)	-	16.31
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के 7.21 प्रतिशत कर मुक्त बॉन्ड, प्रत्येक 10,00,000 रुपये की 500 इकाइयाँ (31 मार्च 2021को शून्य रुपए)	50.00	-
कुल	**50.00**	**16.31**
कोट किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**50.00**	**16.31**
कोट किए गए निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**55.23**	**17.52**
कोट न किए गए निवेशों का कुल बही मूल्य	**-**	**-**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	**-**	**-**

14.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सुरक्षित, वसूली योग्य	-	-
असुरक्षित, वसूली योग्य – फुट नोट (i) और (ii) का संदर्भ लें	706.14	630.77
व्यापार प्राप्य, जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	19.59	20.48
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
अरक्षित, वसूली योग्य	(10.95)	-
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	(19.59)	(20.48)
कुल	**695.19**	**630.77**

फुट नोट:

(i) संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां 115.05 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 तक 116.54 करोड़ रुपये) शामिल हैं और नोट 37 (सी) 4.1 में इसका प्रकटन किया गया है

(ii) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के व्यापार प्राप्य में 1.99 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020–21 1.99 करोड़ रुपये) की प्राप्य राशि शामिल है, जो विवादित है।

(iii) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु अनुसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	बिना बिल अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	296.38	182.62	100.59	39.62	46.45	38.49	**704.15**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूलीयोग्य	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	19.59	**19.59**
	-	**296.38**	**182.62**	**100.59**	**39.62**	**46.45**	**60.07**	**725.73**
हानि भत्ता								(30.54)
कुल	**-**	**296.38**	**182.62**	**100.59**	**39.62**	**46.45**	**60.07**	**695.19**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	बिना बिल अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	262.36	214.36	26.29	69.42	41.35	35.48	**649.26**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूलीयोग्य	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	**262.36**	**214.36**	**26.29**	**69.42**	**41.35**	**37.47**	**651.25**
हानि भत्ता								(20.48)
कुल	**-**	**262.36**	**214.36**	**26.29**	**69.42**	**41.35**	**37.47**	**630.77**

14.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड और रोकड समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध रोकड़		0.10	0.08
बैंक में शेष :			
–चालू खातों में	(ii) और (iii)	874.61	170.82
–फ्लैक्सी खातों में	(i) (ii) और (iii)	282.35	203.48
–तीन महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) और (v)	100.89	39.82
कुल – (संदर्भ नोट सं. iv)		**1,257.95**	**414.20**

14.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य बैंक शेष			
3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया	(i), (v) और (vii)	4,253.35	3,029.31
– 3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशिया – (बैंक गारंटी)	(vi)	-	2.79
– लाभांश संवितरण खाता	(viii)	1.91	0.14
कुल		**4,255.26**	**3,032.24**

फुट नोट – नोट 14.3 और 14.4 के लिए

(i) ग्राहक कोष को 3,291.29 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 को 2,018.35 करोड़ रुपये) शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार के प्रति परियोजना निधि को 1,010.33 करोड़ रुपये देय शामिल है (31 मार्च 2021 को 737.90 करोड रुपये)।

(ii) इसमें 1.50 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 को 2.13 करोड़ रुपये) का शेष, एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(iii) इसमें 1.53 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 को 8.35 करोड़ रुपये) का शेष, एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में 32.57 करोड रुपए (31 मार्च 2021 को 30.07 करोड़ रुपये) का ग्राहक कोष शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(v) रुपये की ग्राहक निधि शामिल है। इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में 58.21 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 तक रु 42.80 करोड़ रुपये) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(vi) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के म्यांमार सडक परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी शून्य रुपए (31 मार्च 2021 को रु 2.79 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी के प्रति रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(vii) इरकॉन देवांगरे हायरी हाईवे लिमिटेड के 28.46 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 को रु 28.46 करोड़) की जमा राशि शामिल है, जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ग्रहणाधिकार के अधीन है।

(viii) वित्त वर्ष 2021–22 की तीसरी तिमाही के अंतरिम लाभांश पर देय 1.57 करोड़ रुपये का टीडीएस शामिल है।

14.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.08	0.16
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण – संदर्भ नोट(i)	0.72	0.79
संयुक्त उद्यम	**0.80**	**0.95**

फुट नोट :

(i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत^
प्रमोटरों को ऋण				
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है

14.6 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूली योग्य : रक्षित			
प्रतिभूति जमा राशि			
– सरकारी विभाग		50.05	12.72
– अन्य		182.52	132.80
अनुबंध संपत्ति:			
– बिल योग्य राजस्व अदेय प्राप्य	(i) (a) और (b)	251.87	183.37
– निर्माण कार्य प्रगति पर (वसूली योग्य मूल्य पर)	(i) (b)	208.47	153.06
– एससीए के संदर्भ में हुई निर्माण लागत	(ii)	82.86	302.38
– ग्राहक के साथ प्रतिधारण राशि	(iii)	119.24	98.82
– ग्राहक द्वारा रोके गए पैसे	(iii)	319.38	279.76
बयाना जमा राशि		1.66	2.26
12 महीनों से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां		4.30	8.18
12 महीनों से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां – (बैंक गारंटी)	(iv)	0.27	0.26
संचित ब्याज			
– स्टाफ को अग्रिम	(v)	0.22	0.25
– संबंधित पक्षों को ऋण		10.06	9.35

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		109.77		160.72	
घट : भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण पर संचित ब्याज	(vi)	(103.81)	5.96	(156.56)	4.16
– बैंकों में जमा राशि			40.19		31.75
– बांड			17.21		17.82
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन:					
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.			-		-
301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2021 : 301)					
अन्य वसूली योग्य					
(क) संबंधित पार्टी से (संयुक्त उपक्रम))					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर			3.45		3.70
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.84		4.64
– इरकॉन सोमा टोलवे प्रा लि			-		0.02
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड			1.03		0.96
– इरकॉन – एफकॉन जे वी			0.64		0.68
– छत्तीसगढ़ पूर्व रेल लिमिटेड			0.22		0.20
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.83
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड			1.32		1.82
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.10		-
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम			1.10		0.51
(ख रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		639.95		639.95	
घटा : भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण	(vi)	(615.31)	24.64	(615.31)	24.64
(सी) ग्राहकों से वसूली योग्य दावा			43.88		20.64
(घ अग्रिम पट्टा किराया			16.97		0.18
(ङ.) एससीए के तहत वित्तीय संपत्ति पर वसूली योग्य ब्याज			17.70		-
(च) अन्य			0.89		10.68
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित					
प्रतिभूति जमा राशियां					
– सरकारी विभाग			0.12		0.12
– अन्य			0.17		0.17
बयाना जमा राशि			0.16		0.16
संविदा परिसंपत्ति					
– ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि			4.28		5.99
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि			2.67		3.16
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड से प्राप्य			0.05		0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण/आरएलडीए से प्राप्य			5.81		5.81
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावा संदिग्ध			2.26		-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था			(15.52)		(15.46)
कुल			**1,408.06**		**1,306.44**

फुट नोट

(i) (क) 188.44 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 को 23.22 करोड़ रुपये) की राशि के काम का मूल्य ग्राहकों द्वारा प्रमाणित है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बिल नहीं किया गया है।

(ख) 254.50 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 को 66.30 करोड़ रुपये) संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां शामिल हैं और नोट 37 (ग) 4.2 (क) में प्रकटन किया गया है।

(ii) निर्माण लागत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत समूह द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(iii) 5.32 करोड़ (31 मार्च 2021 को 8.38 करोड़ रुपये) की संबंधित पार्टियों से प्राप्तियां शामिल हैं और नोट–37 (ग) 4.2 (ख) में प्रकटन खुलासा किया गया है।

(iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को जारी बैंक गारंटी के प्रति 31 मार्च 2022 को शून्य रुपए (0.28 करोड़ रुपये) की सावधि जमा राशि शामिल है।

(v) कंपनी, फर्मों के अधिकारियों द्वारा देय ऋण जिनमें कोई निदेशक एक भागीदार या निजी कंपनी है जिसमें संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों को छोड़कर कोई भी निदेशक सदस्य है, के शून्य रुपए (31 मार्च 2021 को शून्य रुपए) शामिल हैं।

निदेशकों से देय राशि का विवरण: (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि पर ब्याज	-	-
कुल	-	-

(vi) संदर्भ नोट सं. 23.1 और 20.1(i)ख (घ)।

15. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
टीडीएस और अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	70.73	31.28
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**70.73**	**31.28**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग्यः अरक्षित		
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	189.13	384.06
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम	1,039.27	704.96
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	321.17	321.17
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि	(217.05)	(217.05)
– मूल्य संवर्धित कर	79.41	87.75
– वस्तु एवं सेवा कर	736.10	540.64
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	0.01	0.01
प्रतिभूति जमा	41.30	28.72
संचित ब्याज		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि	36.89	79.24
– आयकर धनवापसी	-	0.20
पूर्व प्रदत्त व्यय	10.59	7.90
आस्थगित सीएसआर व्यय	-	7.12
उचित मूल्य समायोजन	-	0.01
अन्य	0.01	0.01

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	35.04	35.04
मूल्य संवर्धित कर	9.88	7.18
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था	(61.91)	(59.21)
कुल	**2,236.83**	**1,944.74**

17. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	(i) and (ii)	1.39	0.45
कुल		**1.39**	**0.45**

फुट नोट

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर):–

(रूपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशॉप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समय वर्ष 2023 के अंत तक	-	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	0.78	0.04	0.78	0.05
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समय वर्ष 2023 के अंत तक	-	घरेलू	0.19	0.01	0.19	0.01
मलेशिया क्षेत्र	लोकोमोटिव – 2 नंबर (4 नंबर)	खुली निविदा	2.40	अंतरराष्ट्रीय	0.08	0.08	0.08	0.08
	हूपर वैगनों की शून्य संख्या (2 संख्या) और कोचों की शून्य संख्या (2 संख्या)	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.02	0.02

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
	शून्य संख्या (1) इलेक्ट्रिकल यौगिन हॉइस्ट प्रणाली	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.01	0.01
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	संयंत्र और मशीनरी	वर्ष 2023 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समय के साथ ई–नीलामी के माध्यम से	-	घरेलू	1.12	1.12	-	-
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरण : 28 (0), यातानुकूलन: 17 (0) और इलेक्ट्रिकल उपकरण : 88 (0)	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.03	-	0.03	-
फर्नीचर एंड फिक्सचर								
मलेशिया क्षेत्र	फर्नीचर की 79 मदें	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.01	-	0.01	-
फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र	फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय – चेन्नई	खुली निविदा	-	घरेलू	0.19	0.14	0.38	0.28
कुल					**2.40**	**1.39**	**1.50**	**0.45**

(ii) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, शून्य रुपए (मार्च 2021 को 0.003 करोड रुपए) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

18. इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए (संदर्भ नोट 18 (घ))		
(20,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2021 को)	400.00	400.00
	400.00	**400.00**
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
94,05,15,740 इक्विटी शेयर प्रति 2 रुपए/ संदर्भ नोट सं 18(घ)		
(47,02,57,870 इक्विटी शेयर प्रत्येक 2 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2021 को) संदर्भ नोट सं 18(छ.)	188.10	94.05
	188.10	**94.05**

(क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

क.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार – संदर्भ नोट सं 18(ड.)	68,83,01,650	73.18%	34,41,50,825	73.18%

(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तात्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड से इतर आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर	47,02,57,870	-	-	-	-	7,91,84,000
इक्विटी शेयर बाय बैक	-	-	-	-	49,28,426	-
कुल	**47,02,57,870**	**-**	**-**	**-**	**49,28,426**	**7,91,84,000**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधारकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :

(i) वोटिंग

समूह में केवल 2 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) तरलता

समूह के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी अधिमान्य राशि के वितरण के पश्चात, समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**470,257,870**	**94.05**	**9,40,51,574**	**94.05**
जमा: शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (संदर्भ नोट सं. छ)	470,257,870	94.05	-	-
जमा : शेयर विभाजन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि (नोट 18 (एफ) देखें)	-	-	37,62,06,296	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**940,515,740**	**188.10**	**47,02,57,870**	**94.05**

(ङ.) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा धारित शेयरों की संख्या

क.सं	प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2022 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर			31 मार्च 2021 को प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
1	वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	68,83,01,650	73.18%	-	34,41,50,825	73.18%	17.94%

(च) 22 मार्च, 2020 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दी है:

(i) 10/– रुपये के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 2/– रुपए के अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विघटन जो स्टॉक एक्सचेंजों में दिनांक 3 अप्रैल, 2020 से परिलक्षित हो चुका है।

(ii) धारक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में संशोधन किया।

(छ) इरकॉन के निदेशक मंडल ने 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 268वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी करना। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन किया गया 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, समूह की चुकता शेयर पूंजी 188,10,31,480 रुपये है जो 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

19. इक्विटी शेयर

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिधारित आमदनी	1,188.40	1,024.61
आरक्षित निधि	3,284.64	3,284.64
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
अन्य वृहत आय	(0.45)	(5.10)
कुल	**4,477.52**	**4,309.08**

i) निम्नानुसार संचलन

क. प्रतिधारित आमदनी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रतिधारित आमदनी	**1,024.61**	**791.85**
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	592.34	391.06
वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(159.89)	(96.87)
अंतरिम लाभांश	(174.00)	(61.13)
बोनस शेयर इश्यु	(94.05)	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप (कर का शुद्ध)	(0.60)	(0.30)
इक्विटी पद्धति (शुद्ध कर) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	(0.01)	-
समापन शेष	**1,188.40**	**1,024.61**

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**3,284.64**	**3,284.64**

(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**

(घ) अन्य वृहत आय की मदे

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक शेष	**(5.10)**	**(4.19)**
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	**4.65**	**(0.91)**
अंतिम शेष	**(0.45)**	**(5.10)**
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4,477.52**	**4,309.08**

ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां समूह के आयतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्य आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार समूह का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

समूह ने दिनांक 28 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक का पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

iii) लाभांश संवितरण (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2020–21 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2021–22 में भुगतान किया गया 1.70 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदत्त 1.03 प्रति शायर)	159.89	96.87
2021–22 के दौरान अंतरिम लाभांश : 1.85 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2020–21: 0.65 रुपए प्रति शेयर) संदर्भ नोट 18–छ.	174.00	61.13
कुल	**333.89**	**158.00**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार न किया गया लाभांशः (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है:		
31 मार्च 2022 के लिए लाभांश रु 0.65 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2021 : 1.70 रुपए प्रति शेयर) बोनस इश्यू के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोट 18 (च) और 18 (छ) देखें।	61.13	159.89
कुल	**61.13**	**159.89**

19क गैर नियंत्रण ब्याज (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का भाग	1.20	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) का भाग	(0.07)	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का भाग	-	-
जमा शेष	**1.13**	**-**

20. गैर चालू देयताएं – गैर चालू वित्तीय देयताएं

20.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2022 को		31मार्च 2021 को	
बैंकों से ऋण :				
सुरक्षित :				
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण [फुट नोट (i) क को देखें]	325.29		312.09	
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण [फुट नोट (i) को देखें]	486.06		-	
इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण [फुट नोट (i) क को देखें]	-		-	
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण [फुट नोट (i) क को देखें]	493.06		-	
दूसरों से ऋण :				
असुरक्षित :				
भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण [नीचे फुट नोट (i) ख देखें]	615.31		1,230.61	
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य [टिप्पणी 10.3 देखें]	(615.31)	-	(1,230.61)	-
कुल		1,304.41		312.09

फुट नोट :

i) पुनर्भुगतान की शर्तों का विवरण, ब्याज दर और सुरक्षा प्रकटीकरण :

क. बैंकों से रक्षित ऋण :

पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (इरकॉन वावणगेरे हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:– ₹02.76 करोड़

नियम और शर्तें

(i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर 0.30 प्रतिशत अर्थात 7.00 प्रतिशत प्रति वर्ष, 1 महीने की एमसीएलआर (6.70 प्रतिशत–सितंबर 2021)वर्तमान में समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन है।

(ii) चुकौती अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (24.04.2021 से शुरू और 24.07.2021 को अंतिम किस्त)

(iii) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान, 24 अप्रैल 2021 से 42 तिमाही किस्तों में की जाएगी।

(iv) ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा।

(v) एनएचएआई या सीओडी से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक 180 दिन, जो भी बाद में हो, होल्डिंग कंपनी (रेटेड कोयर एएए) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित होने के लिए सावधि ऋण।

प्रतिभूति का ब्यौरा :

(क) सहायक कंपनी की सभी अचल संपत्ति / चल संपत्ति (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा, संचालन चरण में कंपनी के मुक्त प्रवाह से प्राप्त की गई संपत्ति को छोड़कर) के हाइपोथिकेशन के माध्यम से पहला शुल्क और समय–समय पर ऋणदाता को सूचित किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अर्जित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

(घ) उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए परियोजना से संबंधित सभी समझौते, साख पत्र (यदि कोई हो), और किसी भी पार्टी द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड के तहत सभी समूह के अधिकारों और हितों का असाइनमेंट।

(ङ.) सुविधा के लिए ऋणदाता की ओर से प्राधिकरण द्वारा निष्पादित प्रतिस्थापन समझौता।

(घ) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन।

वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृत – ₹24.12 करोड़ रूपए

नियम और शर्तें

(i) ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर नीतिगत प्रीमियम के बिना 1 वर्ष की एमसीएलआर होगी, अर्थात वर्तमान में मासिक अंतराल पर देय 7 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ii) सीओडी की तारीख से 7 महीने की आंशिक प्रदत्त अनुसूची दिनांक 28.02.2022 से शुरू हो रही है और अंतिम किस्त 29.02.2032 को देय है।

(iii) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 21 अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी।

(iv) डेबिट होने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(v) प्रमोटर अर्थात धारक कंपनी (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचएआई से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक (सीओडी से 180 दिनों तक) उपलब्ध रहेगी।

प्रतिभूति का ब्यौरा:

(क) ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं/प्रतिभूति एजेंट के पक्ष में पहला बंधक और प्रभार, ऋणदाताओं के लिए संतोषजनक रूप में, उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, यदि कोई हो, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर और परियोजना संपत्ति को छोड़कर, वर्तमान और भविष्य दोनों, सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों के ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाता/प्रतिभूति एजेंट के पक्ष में पहला मॉर्टगेज किया जाएगा।

(ख) अचल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जों, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, वाहन, अन्य सभी अचल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित, ऋणी की सभी मूर्त अचल संपत्तियों पर पहला शुल्क, केवल परियोजना संपत्ति को छोड़कर।

(ग) नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते जिसमें सभी बैंक खाते शामिल हैं किन्तु यह इस खाते तक सीमित नहीं हैं। और सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले डीएसआरए सहित सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप–खाता (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसा पहला शुल्क केवल एस्क्रो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक होगा।

(घ) इस तरह के राजस्व और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा किए जाने के पश्चात, परियोजना या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला शुल्क शामिल होगा, बशर्ते कि इस तरह का शुल्क, जैसा कि यहां बताया गया है, किसी भी ऐसे राजस्व और प्राप्तियों पर प्राप्त राशि और/या वसूली के पश्चात ही एस्क्रो खाते में जमा और डेबिट किया जाएगा और उसके बाद एस्क्रो समझौते के तहत वॉटरफाल प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक ही उपयोग किया जाएगा।

(ङ) सहायक कंपनी और बीमा पॉलिसियों आदि के पक्ष में किसी भी परियोजना समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी प्रति पक्ष द्वारा प्रदान की जा सकने वाली ठेकेदार गारंटी, परिसमापन क्षति, क्रेडिट पत्र, गारंटी या प्रदर्शन बांड का असाइनमेंट।

(च) सभी अनुबंधों, बीमाओं, लाइसेंसों से और सभी परियोजना अनुबंध (रियायत समझौते सहित) से संबंधित ऋणदाताओं के सभी अधिकारों, टाइटल और हितों पर ऋणदाताओं के पक्ष में असाइनमेंट/समझौते के माध्यम से पहला शुल्क, जिसके लिए ऋणी ठेकेदार गारंटी, परिसमापन क्षति, साख पत्र, निष्पादन बांड, गारंटी और परियोजना से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों को शामिल करने का पक्षकार है, बशर्ते कि ऐसा शुल्क प्रतिस्थापन अनुबंध के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित हो।

(छ) सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों, अप्रयुक्त पूंजी के ऋणदाताओं के पक्ष में रियायत समझौते के तहत कंपनी के अधिकारों पर पहला प्रभार/ असाइनमेंट /प्रतिभूति ब्याज और किसी भी ऋण पत्र, निष्पादन बांड में कंपनी की मांग जो भी हो, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रदान की गई गारंटी है।

(ज) उधारकर्ता की अमूर्त संपत्ति पर पहला शुल्क लेकिन वर्तमान और भविष्य की बकाया और परियोजना संपत्तियों को छोड़कर सद्भावना तक सीमित नहीं है, बशर्ते कि किसी भी वसूली को एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा और पूर्वोक्त शुल्क रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के तहत अनुमेय सीमा तक सीमित होंगे।

(झ) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन।

वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में, कोई चूक नहीं हुई है।

सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण (इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सावधि ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है। इसके अलावा, सहायक कंपनी ने अनुमोदित ऋण

के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अपनी संपत्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभारक दर्ज किया है और साथ ही सहायक कंपनी ने संपत्ति का कोई भी रिटर्न/स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया है, क्यों कि बैंक द्वारा यह अपेक्षित नहीं है।

निबंधन और शर्तें

(i) 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 10.5 वर्षों में 21 निर्धारित अर्धवार्षिक किस्तों में ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा, जिसकी अंतिम किस्त 30 सितंबर 2034 को निर्धारित है।

(ii) ब्याज दर 1 वर्ष की एमसीएलआर (6.85 प्रतिशत). 0.15 प्रतिशत में फैली होगी अर्थात 7.00 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, जो वर्तमान में समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

(iii) सावधि ऋण, धारक कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है।

प्रतिभूति का ब्यौरा:

(क) सहायक कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अचल संपत्ति के आडमार के माध्यम से विशेष शुल्क के अधीन हैं।

(ख) परियोजना के पुस्ताक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बही ऋण, प्रचालनिक रोकड़ प्रवाह, प्राप्ति योग्य कमीशन, राजस्व, आदि किसी भी प्रकृति के हों तथा जहां कहीं उत्पन्न हुए हों, वर्तमान तथा भावी अमूर्त मदों, साख, अपरियुक्त पूँजी(वर्तमान और भावी) पर विशिष्ट प्रभार।

घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत सभी सहायक कंपनी के अधिकारों और ब्याज का असाइनमेंट, ऋण पत्र (यदि कोई हों), और ऋणदाता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और निष्पादन बांड शामिल हैं।

ङ.) ऋणी को सावधि जमा / बीजी के रूप में सीओडी पर अग्रिम रूप से सृजित करने के लिए आगामी एक अर्धवार्षिक किस्त और तीन महीने के ब्याज भुगतान के बराबर डीएसआरए बनाए रखा जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड से संबंधित)

सहायक कंपनी ने मार्च 2022 में भारतीय स्टेट बैंक से 17 फरवरी 2022 को ऋण समझौते द्वारा 501 करोड़ रुपये का सावधि ऋण प्राप्त किया है।

सहायक कंपनी ने मार्च 2022 में भारतीय स्टेट बैंक से 17 फरवरी 2022 को ऋण समझौते द्वारा 501 करोड़ रुपये का सावधि ऋण प्राप्त किया है।

निबंधन और शर्तें

(i) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 11.5 वर्षों में दिनांक 30.09.2033 तक, ऋण समझौते में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार तिमाही किस्तों में किया जाएगा।

(ii) लागू ब्याज दर, दिनांक 28.03.2022 से 0.25 प्रतिशत का विस्तार सहित एसबीआई की 3 महीने की एमसीएलआर की आधार दर है।

(iii) सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में प्रमोटर द्वारा, बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटर से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त उपक्रम, ऋण और अन्य शर्तों में किसी भी कमी को कवर करने के लिए जैसा कि दिनांक 17.02.2022 के ऋण समझौते में उल्लिखित है।

प्रतिभूति का ब्यौरा:

ऋण समझौते के खंड-12 के अनुसार, विस्तारित ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

(क) परियोजना से संबंधित सभी उधारकर्ता की मूर्त अचल संपत्ति पर पहला प्रभार।

(ख) परियोजना के पुस्ताक ऋण पर पहला प्रभार, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) शामिल है।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला शुल्क, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।

(घ) वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रतिभूति के रूप में असाइनमेंट/प्रभार निम्नानुसार है:

(i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें शामिल हैं

(ii) सभी स्वीकृतियां और उनके अधीन उधारकर्ता का अधिकार, हक और हित।

(iii) किसी भी ऋण पत्र में सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, ठेकेदार गारंटी सहित गारंटी और परियोजना दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता को किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए निष्पादन बांड।

(iv) परियोजना से संबंधित सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें शामिल हैं। सहायक कंपनी, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋणको पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज भुगतान में चूक नहीं कर रही है।

अनुषंगी कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

ख. अन्यों से अरक्षित ऋणः

क) अरक्षित ऋण के नियम और शर्तें

समूह ने 28 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से 3200 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जिसका भुगतान पट्टा समझौते के रूप में रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को कर दिया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई डिफॉल्ट या अतिरिक्त ब्याज, और अन्य लागत, खर्च और ऋण से जुड़े शुल्क (या अन्यथा देय या के तहत देय) ऋण समझौते के अनुसार), समूह को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली 5 (पांच) समान किस्तों में की जाएगी। क्नोट 10.3 (फुट नोट (पप), देखें। ऐसे लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम का पालन किया गया है और लेनदेन में किसी भी लागू अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

ख) ब्याज दर :

(i) समूह प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रूप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणदायक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रूप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय (एमओआर) इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य

आरएलडीए और समूह के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (`एमओयू`) के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़ी अन्य लागतें, खर्च और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), समूह को आरएलडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। समूह के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को निर्धारित करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूल करने का कानूनी रूप से लागू योग्य अधिकार है और साथ ही साथ आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरउलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समूह तुलन पत्र की तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज भुगतान में चूक नहीं कर रहा है।

20.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – पट्टा देयता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2022 को	31मार्च 2021 को
पट्टा देयता	0.15	0.15
कुल	**0.15**	**0.15**

20.3 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2022 को	31मार्च 2021 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर	-	-
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

20.4 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2022 को	31मार्च 2021 को
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	522.30	282.72
ग्राहकों को देय राशि	-	0.23
कुल	**522.30**	**282.95**

21. प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	21.1	105.92	95.01
अन्य प्रावधान	21.2	250.02	214.86
		355.94	**309.87**
चालू		**212.66**	**202.29**
गैर चालू		**143.28**	**107.58**

इंड एएस 37 के प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में प्रकटन निम्नानुसार है:

21.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 38 में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के यहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन *	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृ. त्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
31 मार्च 2021 को	**0.04**	**69.94**	**1.27**	**4.72**	**18.93**	**0.11**	**-**	**95.01**
चालू	-	8.31	0.16	4.72	18.93	0.02	-	**32.14**
गैर चालू	0.04	61.63	1.11	-	-	0.09	-	**62.87**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.01	9.93	0.15	4.64	18.88	0.01	5.28	**38.90**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	(10.08)	(0.09)	(4.72)	(10.21)	(0.01)	(2.78)	**(27.89)**
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	(0.13)	-	-	(0.01)	-	-	**(0.14)**
(विनिमय लाभ)/हानि	-	0.17	(0.13)	-	-	-	-	**0.04**
31 मार्च 2022 को	**0.05**	**69.83**	**1.20**	**4.64**	**27.59**	**0.11**	**2.50**	**105.92**
चालू	-	9.22	0.16	4.64	27.59	0.01	2.50	**44.12**
गैर चालू	0.05	60.61	1.04	-	-	0.10	-	**61.80**

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 0.61 करोड़ रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

21.2 अन्य प्रावधानः

प्रावधानों और संभलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैः

(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों को पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

(ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समूह के दायित्व को कवर किया जाता है। इसके अलावा, टोल रोड के संचालन के लिए रखरखाव नियमावली के अनुरूप प्रमुख रखरखाव का प्रावधान किया गया है।

(ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

ङ.) दुर्वह संविदाएं

समूह के अनुबंधों में, कुल अनुबंध लागत, कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में इंड एएस–115 और इंड एएस–37 के अनुसार, समूह को इन हानियों के लिए प्रावधान करना होगा। प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

(रूपए करोड में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विधिक मामले	अन्य व्यय	दुर्वह संविदाएं	कुल
31 मार्च 2021 को	**13.54**	**68.81**	**58.09**	**74.42**	**-**	**214.86**
चालू	12.46	25.18	58.09	74.42	-	**170.15**
गैर चालू	1.08	43.63	-	-	-	**44.71**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.07	39.01	3.74	17.11	1.57	**61.50**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.02)	(1.26)	-	(12.12)	-	**(13.40)**
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.89)	(12.11)	(2.44)	(0.99)	-	**(16.43)**
(विनिमय लाभ)/हानि	0.31	0.24	-	0.96	-	**1.51**
बट्टा खाता	0.02	1.96	-	-	-	**1.98**
31 मार्च 2022 को	**13.03**	**96.65**	**59.39**	**79.38**	**1.57**	**250.02**
चालू	**11.91**	**16.29**	**59.39**	**79.38**	**1.57**	**168.54**
गैर चालू	**1.12**	**80.36**	**-**	**-**	**-**	**81.48**

22. अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से आग्रम	52.56	333.50
ख) अन्य		
एमएफसी को उप पट्टे पर देने से अग्रिम राशि	31.17	31.46
अन्य	1.10	-
कुल	**84.83**	**364.96**

23. चालू देयताएं – चालू वित्तीय देयताएं

23.1 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता :				
(i) बैंकों से ऋण :				
सुरक्षित :				
(क) पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		18.84		18.84
(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		68.96		-
(ग) भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (फुट नोट देखें (ii))		6.80		-
(ii) अन्यों से ऋण :				
असुरक्षित :				
(क) भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण	615.31		615.31	
घटा : रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य (फुट नोट देखें (i))	(615.31)	-	(615.31)	-
कुल		**94.60**		**18.84**

फुट नोट :

(i) नोट 14.6 और 20.1 देखें (i)ख(घ)

(ii) नोट 20.1 देखें (i)क

23.2 वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयताएं	0.01	0.01
कुल	**0.01**	**0.01**

23.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	5.10	14.77
(ख) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	1,021.12	743.25
कुल	**1,026.22**	**758.02**

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 45 में किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय आयु अनुसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.92	0.24	1.94	-	-	-	**5.10**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	753.52	29.89	215.32	3.22	1.10	15.72	**1,018.77**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	0.04	0.14	0.21	1.94	**2.35**
कुल	**756.46**	**30.13**	**217.30**	**3.36**	**1.31**	**17.66**	**1,026.22**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	0.15	14.62	-	-	-	**14.77**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	465.17	32.31	219.64	5.89	8.04	9.96	**741.01**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	0.04	0.31	0.04	1.83	**2.24**
कुल	**465.19**	**32.46**	**234.30**	**6.20**	**8.08**	**11.79**	**758.02**

23.4 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
बैंक से रक्षित ऋण पर अर्जित ब्याज [फुट नोट देखें (ii)]		0.10		2.23
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	103.81		156.56	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज [फुट नोट (i) देखें]	(103.81)	-	(156.56)	-
देय उपदान		4.69		4.72
जमाराशि, प्रतिधारण राशिऔर रोकी गई राशि		1,187.18		1,106.20
ग्राहकों को देय राशि		917.91		795.60
ग्राहकों को देय लाभांश		1.12		-
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज		338.31		287.33
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)		179.81		228.40
कुल		**2,629.12**		**2,424.48**

फुट नोट :

(i) संदर्भ नोट 14.6 और 20.1 (i) ख (घ)

(ii) संदर्भ नोट 20.1 (i) क

24. वित्तीय चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	3,520.38	2,054.00
– घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां	(217.05)	(217.05)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	167.40	243.38
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां : (संदर्भ फुटनोट) (i))	271.90	210.51
एमएफसी के उप पट्टे से अपफ्रंट राशि	1.39	1.43
कुल	**3,744.02**	**2,292.27**

फुटनोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

25. चालू कर देयताएं (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	18.01	87.21
कुल	**18.01**	**87.21**

26. प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	7,019.04	4,992.81
टोल संचालन से राजस्व	167.93	153.62
एकीकृत संयुक्त संचालन में कारोबार का समूह का भाग (अनिगमित)	0.62	0.51
मशीनरी किराया प्रभार	13.54	3.75
एमएफसी लीजिंग	14.34	11.08
परियोजना प्रबंधन परामर्श	141.98	167.76
अन्य परिचालन राजस्व	22.22	20.30
कुल	**7,379.67**	**5,349.83**

27. अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:		
कर मुक्त बांड पर ब्याज	21.96	22.04
आयकर की वापसी पर ब्याज	0.50	0.59
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	0.07	0.10
एससीए के तहत वित्तीय संपत्ति पर ब्याज	36.91	-

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज (नोट (घ) देखें)		0.79		1.81
अग्रिम और अन्य पर ब्याज	69.19		74.11	
घटा : ग्राहकों को देय अन्य ब्याज	(26.67)	42.52	(21.89)	52.22
वित्तीय लिखतों को बंद करने पर ब्याज आय		0.01		-
बैंक ब्याज सकल	126.19		114.13	
घटा : ग्राहकों को दिया गया ब्याज	(43.62)	82.57	(55.15)	58.98
अन्य :				
संपत्ति की बिक्री पर लाभ		1.07		3.83
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	2.18		2.36	
घटा : ग्राहकों को दिए गए म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	(1.03)	1.15	(0.35)	2.01
विविध आय (टिप्पणी देखें (घप))	18.49		16.30	
घटा: बीमा दावा प्राप्ति	-	18.49	(1.26)	15.04
कुल		**206.04**		**156.62**

फुटनोट :

(i) संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:

(रूपए करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2021-22	2020-21
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.79	1.81
	0.79	**1.81**

(ii) 0.15 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2020–21 में रू 0.43 करोड़ रुपये) के एकीकृत संयुक्त संचालन (अनिगमित) में अन्य आय के समूह के भाग को शामिल किया गया है।

28 (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		70.13		57.28	
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	(i)	498.86		380.89	
		568.99		438.17	
अंतिम शेष		(56.82)	512.17	(70.13)	368.04
कुल			**512.17**		**368.04**

फुटनोट :

(i) (0.15 करोड रुपए) (दिनांक 31 मार्च 2021 : 0.38 करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ /हानि सहित

28 (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्धि)/कमी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		50.04		263.38	
जमा: विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन		0.88		(1.57)	
		50.92		261.81	
घटा: अंतिम शेष		(216.18)	(165.26)	(50.04)	211.77
कुल			**(165.26)**		**211.77**

28. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यगत व्यय	(i)	5,905.66	3,822.75	-	-
टोल प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय		18.58	16.00	-	-
अभियन्त्रण, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		7.04	5.77	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		31.13	23.39	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		9.49	7.22	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		12.55	6.16	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	54.52	12.26
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		-	-	(40.63)	(4.29)
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	13.89	7.97
किराया–गैर आवासीय		4.32	4.26	0.64	1.05
दर एवं कर		20.72	25.14	0.62	1.63
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		12.08	8.72	1.59	1.88
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.21	0.18	0.27	0.73
– कार्यालय तथा अन्य		3.94	2.55	5.84	4.67
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		5.71	6.20	1.91	1.48
बीमा		9.92	8.93	1.00	0.41
यात्रा और वाहन		7.92	2.93	1.58	0.83
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.09	0.81	0.68	0.55
डाक टिकट, टैलीफोन, टैलेक्स		1.08	1.22	0.33	0.39
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		15.59	15.10	9.38	6.70
सुरक्षा सेवाएं		1.53	1.60	0.70	0.77
सूचीकरण व्यय		-	-	0.20	0.14
व्यवसाय संवर्धन		0.15	0.08	0.54	0.28
बट्टा खाता:					
– ऋण		0.43	-	-	-
– अग्रिम		1.70	0.06	-	-
– विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	15.07	-	-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
– अन्य परिसंपत्तियां		-	0.47	-	-
परिसंपत्ति / भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.08	0.08
इक्विटी पद्धति के माध्यम से संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर हानि		-	-	5.11	-
निदेशकों की फीस		-	-	0.08	0.10
चंदा		-	-	0.02	-
लेखापरीक्षकों की फीस	(iii)	-	-	0.80	0.69
विज्ञापन और प्रसार		-	0.01	2.02	2.60
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.39	0.07
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–46 का संदर्भ लें)		-	-	10.69	10.59
विविध व्यय		3.39	3.16	1.71	1.82
बैंक और अन्य वित्तीय प्रभार		-	-	0.01	0.07
सांविधिक देय राशि की देरी से भुगतान पर ब्याज		-	-	0.01	0.12
शुल्क और सदस्यता शुल्क		-	-	0.05	0.03
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित)		0.26	0.03	-	-
प्रावधान जमा–बट्टा खाता (नोट–21 का संदर्भ लें) व फुटनोट (i)	(i)	58.46	14.14	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–21 का संदर्भ लें) व फुटनोट (ii)	(ii)	(13.96)	(19.45)	-	-
प्राथमिक व्यय		-	0.05	0.36	-
कुल		**6,118.99**	**3,972.55**	**60.50**	**45.65**

फुट नोट :

(i) संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के प्रति अतिरिक्त बट्टा खाता प्रावधान 14.99 करोड रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21) (10.03) करोड रुपए शामिल है।

(ii) संदिग्ध के प्रति 2.13 करोड़ रुपए(वित्तीय वर्ष 2020–21 रु 0.23 करोड़ रुपए) शामिल है।

(iii) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.38	0.36
(ख) सेप डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.05	-
(ग) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.11	0.10
(घ) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.22	0.18
(ड.) प्रमाणन शुल्क	0.02	0.03
(च) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	0.01	0.01
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.01	0.01
कुल	**0.80**	**0.69**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

29. कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	161.10	54.95	**216.05**	154.03	51.36	**205.39**
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		10.53	9.00	**19.53**	9.44	5.04	**14.48**
विदेशी सेवा अंशदान		0.87	0.74	**1.61**	0.82	0.79	**1.61**
सेवानिवृत्ति लाभ		17.84	9.38	**27.22**	17.71	6.83	**24.54**
कर्मचारी कल्याण		1.96	0.24	**2.20**	1.14	0.23	**1.37**
कुल		**192.30**	**74.31**	**266.61**	**183.14**	**64.25**	**247.39**

फुट नोट :

(i) 0.47 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2021 को : 0.50 करोड़ रुपए)।

30. वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण को अग्रिम पर ब्याज	(i)	164.29		177.31	
अन्य ऋण लागत		(110.02)	54.27	(164.81)	12.50
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार					
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			12.57		9.57
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत			0.01		0.01
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग			1.97		1.22
कुल			**68.82**		**23.30**

फुट नोट :

(i) 0.02 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2021 को : 1.21 करोड़ रुपए)।

31. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	17.30	18.41
प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.37	0.37
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	66.41	66.38
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	10.34	6.93
परिसंपत्तियों की हानि	0.75	-
कुल	**95.17**	**92.09**

32. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	(0.80)	(0.40)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर	0.20	0.10
इक्विटी पद्धति (कर का निवल) का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का भाग	(0.01)	-
कुल	**(0.61)**	**(0.30)**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण का विनिमय अंतर	6.21	(1.21)
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर	(1.56)	0.30
कुल	**4.65**	**(0.91)**
सकल योग	**4.04**	**(1.21)**

33. क. उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है।। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकनयोग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रूप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

क) 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुयल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	275.18	-	-	275.18
(ii) ऋण	1.30	-	-	1.30
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	2,696.29	-	-	2,696.29
कुल	**2,972.77**	**-**	**-**	**2,972.77**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	1,399.01	-	-	1,399.01
(ii) पट्टा देयता	0.16	-	-	0.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,151.42	-	-	3,151.42
कुल	**4,550.59**	**-**	**-**	**4,550.59**

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:*

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	291.46	-	-	291.46
(ii) ऋण	1.43	-	-	1.43
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,174.60	-	-	2,174.60
कुल	**2,467.49**	**-**	**-**	**2,467.49**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	330.93	-	-	330.93
(ii) पट्टा देयता	0.16	-	-	0.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	2,707.43	-	-	2,707.43
कुल	**3,038.52**	**-**	**-**	**3,038.52**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं के कारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहें।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

(i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। एनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकर्ता रिडीम करेगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2020–21 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। समूह म्युचुअल फंड और कर मुक्त बांडों में भी निवेश करती है। समूह की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है । दिनांक 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः 16.98 करोड़ रुपए तथा 16.89 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	29.99	103.50	57.62	-	-	1.88	-	11.74	**204.73**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	10.71	93.16	26.51	3.28	21.90	2.34	0.06	-	**157.96**
ठेकेदारों का अग्रिम	2.46	-	0.16	4.63	-	-	-	-	**7.25**
अन्य परिसंपत्तियां	0.06	-	38.38	-	23.61	21.21	12.31	-	**95.57**
कुल	**43.22**	**196.66**	**122.67**	**7.91**	**45.51**	**25.43**	**12.37**	**11.74**	**465.51**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	6.98	48.53	6.55	7.64	16.58	0.13	0.74	-	**87.15**
ग्राहकों का अग्रिम	28.75	-	-	-	-	0.90	-	-	**29.65**
अन्य परिसंपत्तियां	3.06	4.35	-	-	0.28	1.35	-	-	**9.04**
कुल	**38.78**	**52.88**	**6.55**	**7.64**	**16.86**	**2.38**	**0.74**	**-**	**125.84**

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	36.47	0.07	47.27	-	-	1.23	-	-	**85.04**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	22.01	48.11	14.37	5.71	4.20	4.48	0.07	-	**98.95**
ठेकेदारों का अग्रिम	3.30	0.39	-	5.84	-	-	-	-	**9.53**
अन्य परिसंपत्तियां	155.86	-	143.33	70.38	3.51	20.46	18.37	-	**411.91**
कुल	**217.64**	**48.57**	**204.97**	**81.93**	**7.71**	**26.17**	**18.44**	**-**	**605.43**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	2.08	0.22	23.22	3.78	9.35	0.06	-	-	**38.71**
ग्राहकों का अग्रिम	31.21	7.48	-	-	-	0.57	-	-	**39.26**
अन्य परिसंपत्तियां	12.55	-	110.39	24.13	8.78	0.93	33.04	-	**189.82**
कुल	**45.84**	**7.70**	**133.61**	**27.91**	**18.13**	**1.56**	**33.04**	**-**	**267.79**

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। समूह अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त, समूह को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नहीं है, क्योंकि इनकी ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

समूह के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, यहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलईसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है		
गैर चालू निवेश	225.18	275.15
गैर चालू ऋण	0.50	0.48
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	18.70	15.98
चालू निवेश	50.00	16.31
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	1,257.95	414.20
अन्य बैंक शेष	4,255.26	3,032.24
चालू ऋण	0.80	0.95
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	432.55	295.36
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
व्यापार प्राप्य	725.73	651.25
संविदा परिसंपत्तियां	2,258.30	1,878.72

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक भत्ते	**29.63**	**38.85**
वर्ष के दौरान प्रावधान	17.68	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.43)	-
राशि बट्टा खाता	(9.25)	(9.22)
समापन भत्ते	**37.63**	**29.63**

वर्ष के दौरान समूह में 17.68 करोड़ रूपए (31 मार्च, 2021: शून्य रूपए) के घाटा भत्ता है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलईसीएल) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक भत्ते	**6.31**	**6.40**
वर्ष के दौरान प्रावधान	2.26	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
राशि बट्टा खाता	-	(0.09)
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन भत्ते	**8.57**	**6.31**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान समूह में 2.26 करोड रुपए (31 मार्च, 2021 : शून्य रुपए) के घाटा भत्ता है।

ग) चल निधि जोखिम

समूह पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभूतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करता है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

समूह की निवेश नीति और नीति तथा कार्य योजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और समूह की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। समूह का वरिष्ट प्रबंधन समूह की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। समूह विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुअल फंडों में ही निवेश करता है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे को संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इस प्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुअल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	94.60	98.36	1,206.05
व्यापार प्राप्य	0.01	0.15	-
पट्टा देयता	1,026.22	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,629.12	522.30	-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	18.84	18.84	293.25
व्यापार प्राप्य	0.01	0.15	-
पट्टा देयता	758.02	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,424.48	282.95	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति समूह के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों को चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	4,418.50	2,758.25
	4,418.50	**2,758.25**

ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का समूह का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि समूह अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में समूह के पास कोई कर्ज नहीं है। समूह ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
प्रदत्त लाभांश	333.89	158.00
कुल	**333.89**	**158.00**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 0.85 रूपए के अंतिम लाभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यह प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 1.85 रूपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

समूह आमतौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है। समूह ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है जो कुल इक्विटी से विभाजित ऋण है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण की गैर–वर्तमान और वर्तमान परिपक्वता शामिल है। समीक्षाधीन अवधि के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
ऋण (नोट संख्या 20.1)	1,304.41	312.09
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट संख्या 23.1)	94.60	18.84
ऋण	**1,399.01**	**330.93**
इक्विटी (नोट संख्या 18)	188.10	94.05
अन्य इक्विटी (नोट संख्या 19)	4,477.52	4,309.08
कुल इक्विटी	**4,665.62**	**4,403.13**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.30**	**0.08**

34.

क) समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाते हैं और दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू नियमों के तहत बनाए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी से (धारक कंपनी के रूप में संदर्भित), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रूप से समूह के रूप में संदर्भित) को समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नानुसार रूप में स्वीकार किया गया है :

क्र. सं	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	मूल राष्ट्र	हिस्सेदारी का प्रतिशत	
			31.03.2022	31.03.2021
	सहायक कंपनी			
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4	इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
6	इरकॉन गुडगांव रिवाडी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00%	-
8	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	-
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	-
10	इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	-
11	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00%	-
	संयुक्त उद्यम कंपनियां			
1	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%

ख) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि समान होती है।

ग) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और उसी तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे धारक कंपनी के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं हैं।

35. अन्य सूचना – पूंजीगत व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 दिसंबर 2021 तक	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही हेतु	कुल (वि.व. 2021.22)
(पीपीई के अलावा, सीडब्ल्यूआईपी में परिवर्तन, अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति में परिवर्तन, निवेश संपत्ति में वृद्धि)			
इसकी सहायक कंपनियों सहित इरकॉन द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय	8.56	32.4	40.96
कुल (क)	**8.56**	**32.4**	**40.96**
संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय में इरकॉन की हिस्सेदारी जो पूंजीकृत की गई/पूंजीकृत की जानी है:			
1. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.07	-	0.07
2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	95.38	(29.61)	65.77
3. छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	19.79	78.89	98.68
4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	19.77	(1.75)	18.02
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	0.72	1.38	2.10
6. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
कुल (ख)	**135.73**	**48.92**	**184.65**
कुल योग (क + ख)	**144.29**	**81.32**	**225.61**

36. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

(i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

पेंशन

धारक कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई में सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **8.93 करोड़ रूपए** (9.02 करोड़ रूपए) समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2021–22 के दौरान लेखांकित किया गया है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

भविष्य निधि

धारक कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि यह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में **13.43 करोड़ रूपए** (13.14 करोड़ रूपए) का अंशदान किया है।

उपदान

धारक कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2022 को **4.73 करोड़** रूपए (4.76 करोड़ रूपए) की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

धारक कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रूपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण धारक कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, धारक कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **4.64 करोड़ रूपए** (4.72 करोड़ रूपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

31 मार्च 2022 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:–

i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रूपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**409.24**	**380.23**	**80.16**	**85.74**	**128.73**	**110.96**	**1.28**	**1.28**
चालू सेवा लागत	43.44	43.56	3.45	3.97	3.51	3.98	0.06	0.07
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	33.96	31.97	5.24	5.93	8.41	7.68	0.08	0.09
प्रदत्त लाभ	(60.08)	(46.92)	(8.58)	(15.90)	(5.30)	(3.05)	(0.10)	(0.03)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	0.54	0.40	1.15	0.42	(4.12)	9.16	(0.13)	(0.13)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**427.10**	**409.24**	**81.42**	**80.16**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.27**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रूपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**409.82**	**380.48**	**75.39**	**82.39**	**104.47**	**91.07**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	43.44	43.56	4.72	3.32	4.72	10.45	-	-
प्रदत्त लाभ	(60.08)	(46.92)	(8.58)	(15.90)	(5.30)	(3.05)	-	-
ब्याज लागत	31.39	33.51	5.45	5.94	6.40	6.00	-	-
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-	-	(0.31)	(0.35)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**424.56**	**410.63**	**76.68**	**75.39**	**110.29**	**104.47**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों के उचित मूल्य का समायोजन :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	424.56	410.63	76.68	75.39	110.29	104.47	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व	427.10	409.24	81.42	80.16	131.23	128.73	1.20	1.27
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**(2.54)**	**1.39**	**(4.74)**	**(4.76)**	**(20.94)**	**(24.26)**	**(1.20)**	**(1.27)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
चालू सेवा लागत	12.42	13.12	3.45	3.97	3.52	3.98	0.06	0.07
पूर्व सेवा लागत	-	-		-	-	-	-	-
निवल ब्याज व्यय	-	-	0.31	0.23	1.38	1.59	0.08	0.09
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**12.42**	**13.12**	**3.76**	**4.20**	**4.90**	**5.57**	**0.15**	**0.16**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशिः

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	0.06	(0.02)	2.69	(1.83)	5.01	(4.11)	(0.05)	(0.04)
संभावित समायोजन	(0.98)	(0.38)	(3.85)	1.42	3.62	(5.05)	(0.09)	0.18
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(2.58)	1.54	0.22	(0.12)	(0.44)	(0.29)	-	-
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(3.50)**	**1.14**	**(0.94)**	**(0.53)**	**8.19**	**(9.45)**	**0.13**	**0.13**

**(8.19 करोड़ रूपए) (9.45 करोड़ रूपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के लाभ में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	59.67%	59.67%	-	-	9.52%	9.52%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-	30.86%	30.86%	-	-
केन्द्र राज्य गारंटिड बांड	-	-	-	-	18.73%	18.73%	-	-
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	38.04%	38.04%	-	-	23.40%	23.40%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	7.35%	7.35%	-	-
पीएसयू आधारित ।।। टीयर । बांड	-	-	-	-	8.25%	8.25%	-	-
ऋण म्युचुयल फंड	0.77%	0.77%	-	-	-	-	-	-
आईटीएफ/इंडेक्स/इक्विटी म्युचयल फंड	1.52%	1.52%	-	-	1.89%	1.89%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	-
कुल	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%

vii) समूह की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु उपदान		31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु पीआरएमबी		31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु सेवा निवृति भत्ता	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
रियायत दर	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%
भावी वेतन वृद्धि	8.10%	8.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)

viii) उपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु 31 मार्च को मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :

(रूपए करोड़ में)

Particulars	भविष्य निधि योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवा निवृत्ति पत्ता (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**427.10**	**409.24**	**81.42**	**80.16**	**131.23**	**128.73**	**1.20**	**1.28**
रियायत दर	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%	7.11%	6.54%
0.50% की वृद्धि	(0.03)	(0.03)	(2.20)	(2.40)	(4.93)	(4.19)	(0.05)	(0.05)
0.50% की कमी	0.03	0.03	2.36	2.56	5.04	4.51	0.05	0.05
भावी वेतन वृद्धि	8.10%	8.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
0.50% की वृद्धि	-	-	0.94	1.10	-	-	0.05	0.05
0.50% की कमी	-	-	(0.97)	(1.13)	-	-	(0.05)	(0.05)

उपर्युक्त संवेदी विश्लेष्ण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) **अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना को संभावित अंशदान 28.17 करोड़ रूपए है।

x) **निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है**

(रूपए करोड़ में)

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि(वर्ष)	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पूर्व	सेवानिवृत्ति पत्ते
1	111.08	19.19	4.45	0.16
2		9.57	14.89	0.02
3	127.35	8.57	7.37	0.14
4		8.17	6.57	0.13
5		4.62	3.85	0.13
6	189.12	4.51	3.59	0.07
6 से आगे		26.75	90.51	0.55
कुल	**427.55**	**81.37**	**126.78**	**1.19**

जोखिम विश्लेषण

समूह को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के संबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के संबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार है:

वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

37. संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनी

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन देवांगरे हवेरी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया
इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड, 23 दिसंबर, 2021 को निगमित किया गया
इरकॉन लुधियाना खन्ना हाईवे लिमिटेड, 24 दिसंबर 2021 को निगमित किया गया
इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड, 6 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड, 13 जनवरी, 2022 को निगमित किया गया

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)

संयुक्त प्रचालन	समाप्त संयुक्त प्रचालन	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन
एक्सप्रेस फ्रांटियर कंसार्टियम	इंटरनेशनल मेट्टो सिविल कांट्रैक्टर	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
एक्सप्रेस गोट रेलवे कंसार्टियम	मेट्टो टनलिंग समूह	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर
	इरकॉन एफकॉन	इरकॉन–एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गॅनन डंकरली
		इरकॉन–आरसीएस: पिलकिंडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री योगेश कुमार मिश्रा *	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
श्री मोहित सिन्हा *	निदेशक (वित्त)
श्री एस.एल.गुप्ता	निदेशक (परियोजना)

1. श्री एस.के. चौधरी, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 30.04.2021 तक कंपनी के सीएमडी और सीईओ थे। श्री एम.के. सिंह दिनांक 01.05.2021 से सीएमडी और दिनांक 11.06.2021 से सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने श्री योगेश कुमार मिश्रा द्वारा 04.09.2021 को कंपनी के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने पर, दिनांक 04.09.2021 को सीएमडी और सीईओ के पद के अतिरिक्त कार्यभार को छोड़ दिया। श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (निर्माण) 04.09.2021 से निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।
2. श्री एम.के. सिंह, दिनांक 30.09.2021 तक कंपनी के निदेशक (वित्त) थे। श्री मोहित सिन्हा (अतिरिक्त सदस्य (राजस्व), रेलवे बोर्ड), दिनांक 03.12.2021 से निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 03.12.2021. सुश्री रागिनी आडवाणी को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति पर श्री मोहित सिन्हा ने निदेशक (वित्त) के पद के अतिरिक्त प्रभार से दिनांक 19.04.2022 (अपराह्न) को कार्यमुक्त हो गए हैं।

कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव
श्री सुरजीत दत्ता[1]	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

1. श्री एम.के. सिंह 11.06.2021 को कंपनी के सीएफओ नहीं रहे और श्री सुरजीत दत्ता (पूर्व ईडी/वित्त) को कंपनी के सीएफओ के रूप में 11.06.2021 को नियुक्त किया गया। 11.06.2021। वह कंपनी के सीएफओ (अधिवर्षिता के कारण) के रूप में प्रभावी नहीं रहे। 31.03.2022 और श्री मुगुनधन बोजू गौड़ा (ईडी/वित्त) को कंपनी का सीएफओ नियुक्त किया गया है। 26.04.2022।

(ख) अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक और स्वतंत्र अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनन्जय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री राजेश अरगल	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (13.05.2021 से प्रभावी)
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 11.11.2021 से
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 16.11.2021 से
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 16.11.2021 से
डॉ कार्तिक चंदूलाल भट्ट	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक, 31.12.2021 से

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

इरकॉन चिकित्सा न्यास

इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

कंपनी, रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी 31 मार्च, 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 73.18 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण द्वारा भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है। इंड एएस–24 के पैरा–25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर एक ही सरकार नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, वहां रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालयस के अधीन सांविधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं: (रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	अल्पकालीन नियोजन लाभ (i)	2.93	3.00
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.66	0.30
3	बैठक शुल्क	0.08	0.10
	कुल	**3.67**	**3.40**

नोट : (i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.30 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान अनन्तिम आधार पर आंकड़े शामिल हैं। (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.73 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान अनन्तिम आधार पर वित्तीय 2019–20 के दौरान किया गया) शामिल हैं।

(ii) यथा अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है जिन्हे कंपनी को आवास और कार प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित पक्षो के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है: (रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री**				
1.1	संविदा राजस्व	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	199.36	215.68
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वैस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	298.94	23.73
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	40.00	40.28
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.66	4.06
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.75
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	4,539.71	2,766.46
1.2	किराया आय	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.04	0.03
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	0.08	0.04
2	**वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**			-	-

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.11	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.93	0.67
		महानदी बंगाल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.51	0.43
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.10	-
		बस्तार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.27
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.23	0.22
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.79	1.81
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	110.02	165.32
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	15.14	17.11
4.4	लाभांश आय	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	41.00	17.00
5	लाभांश				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	244.34	140.89
5.2	पारित आय पर लाभ	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	-	-
5.3	पारित निवेश बिक्री पर लाभ	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1.03	0.21
6	ब्याज व्यय				
6.1	पारित ब्याज व्यय	महानदी बंगाल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	0.06
6.2	पारित ब्याज व्यय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	67.38	73.01
6.3	पारित ब्याज व्यय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	110.02	164.81

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	55.28	20.00
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.00	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	25.99	-
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	12.00
8	ऋण मुक्त ब्याज/ इक्विटी माने गए	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	15.6	-
9	ऋणों की वसूली	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	39.00
10	अग्रिमों की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.31
11	ऋणों का पुनर्भुगतान	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	615.30	615.31
12	प्राप्त अग्रिम				
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.36	3.07
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	5.00	36.39
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.29	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	15.00	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	5,042.37	2,700.26
13	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	15.52	15.19
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.79	9.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.98
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.26
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3909.24	2496.10

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
14	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
14.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपक्रम ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.72	3.30
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	45.46	40.12
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.72	10.45
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	8.93	9.02
14.2	वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां	इरकॉन उपक्रम ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	-	13.57

नोट : (i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 40 का संदर्भ लें।
(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–ताध्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार: (रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश (मानी गई इक्विटी सहित)	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	213.46	142.58
		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	157.17	131.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.00	0.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	63.00	63.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	52.00	52.00
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	205.18	221.47
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि			-	-

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.05	0.06
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	19.92	46.94
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.85	23.37
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	14.08	4.75
		बस्तार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	6.65
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	77.14	34.77
4.2	संविदा परिसंपत्तियां				
(क)	बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	31.59	19.53
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	37.30	4.80
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.29	0.38
		बस्तार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	22.94	22.94
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	7.52	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	153.86	18.65
(ख)	प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.62	2.16
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.84	4.32
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.86	1.90
4.3	वसुली योग्य अग्रिम और दावे	इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.02
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.22	0.20
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.32	1.83
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.10	-
		बस्तार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.83
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.03	0.96

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	10.96	8.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	1,270.26	1,885.56
4.4	ऋणों पर संचित ब्याज	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	10.06	9.35
4.5	अग्रिमों पर संचित ब्याज	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	109.77	160.72
4.6	बांडों पर संचित ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	19.86	12.91
4.7	न्यासों से वसूलीयोग्य	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.68	3.65
5	ऋणों	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	1230.62	1845.92
6	प्रति देय राशि				
6.1	व्यापार प्राप्य	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	-	-
6.2	संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2326.90	1499.52
		इरकॉन–सोमा टोलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	44.55
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	30.82	44.98
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	52.72	57.35
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	2.29	-
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	-	10.00
6.3	ग्राहकों को अन्य देय	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.65	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	4.94	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	901.38	779.59
6.4	ऋणों पर देय ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	सरकार संबंधी निकाय	103.81	156.56
6.5	अग्रिमों पर देय ब्याज	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.35	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	-	1.76
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	287.20	234.16

क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
6.6	ट्रस्ट को देय	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	7.68	4.72

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंथ संव्यवहार में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

38. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 "प्रति शेयर आमदनी" के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रूपए करोड में)	(ii)	592.34	391.06
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		6.30	4.16
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		6.30	4.16
प्रति शेयर फेस मूल्य		2.00	2.00

* इरकॉन के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी 288वीं बैठक में 1:1 के अनुपात में 2/– रुपये के 47,02,57,870 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (अर्थात शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 21 मई, 2021 के साथ प्रत्येक मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर जारी किया गया। एनएसई और बीएसई से अंतिम लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमोदन दिनांक 31 मई, 2021 को प्राप्त हुआ। बोनस के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹188,10,31,480 है, जिसे प्रत्येक 2/– रुपये के 94,05,15,740 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	592.34	391.06
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ:	**592.34**	**391.06**

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	47,02,57,870.00	9,40,51,574.00
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	-
शेयरों के विघटन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि	-	37,62,06,296.00
वित्तीय विवरण के जारी किए जाने से पूर्व रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात जारी बोनस शेयर	47,02,57,870.00	47,02,57,870.00
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**94,05,15,740.00**	**94,05,15,740.00**
विलयित प्रभाव:		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**94,05,15,740**	**94,05,15,740**

39. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2018 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 "परिसंपत्तियों की हानि" की शर्तों के अनुसार नियत वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि एक सहायक कंपनी, आईआईएसएल., को 0.75 करोड़ रुपये की हानि हेतु प्रावधान किया गया है।

40. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबंद्धताएं

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 21 में किया गया है।

(ii) आकस्मक देयताएं

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण		फुट नोट	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2022 को
क)	समूह के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है रू					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांग					
	धारक कंपनी के संबंध में	1	308.06	22.77	(131.80)	**199.03**
	आईपीबीटीएल के संबंध में		-	132.63	-	**132.63**
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग					
	धारक कंपनी के संबंध में	2	256.59	10.59	(3.52)	**263.66**
	संयुक्त प्रचालनों के संबंध में	3	4.25	-	(0.92)	**3.33**
	विधिक मामले					
	धारक कंपनी के संबंध में	4	474.72	137	(74.41)	**537.31**
	संयुक्त प्रचालनों के संबंध में	5	0.02	-	-	**0.02**
	कर्मचारियों द्वारा दावे – आईआईएसएल	6	2.38	0.55		**2.93**

विवरण		फुट नोट	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	31 मार्च 2022 को
ख)	अन्य राशि जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से दावी है					
	ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तारलीयुत क्षति		9.27	0	-	9.27
			1,055.29	303.54	(210.65)	1,148.18

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले समूह के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणों में इन मुद्दों को उठाया है। समूह इन मांगों को विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारयों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं. उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, में **176.60 करोड़ रूपए** शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

3 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों के पास **3.33 करोड़ रूपए** (4.25 करोड़ रुपए) की राशि के श्रम व्यय के गैर प्रावधानप के कारण विवादित मांग लंबित है। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरुद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4 कंपनी निर्माण अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों का पक्ष है, जो भारत में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता की कार्यवाही में लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए दावे दर्ज किए हैं। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अवार्ड किए गए अनुबंधों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। **638.79 करोड़ रूपए** (557.28 करोड़ रुपये) के कुल दावों के प्रति, **101.48 करोड़ रूपए** (82.54 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है और **537.31 करोड़ रूपए** (474.72 करोड़ रुपये) के शेष को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार **238.82 करोड़** (134.94 करोड़ रुपये) के स्वीकार्य काउंटर दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

5 ठेकेदारों में से एक, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए **0.02 करोड़ रूपये** (0.02 करोड़ रुपये) की राशि हेतु इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6 कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले समूह के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित हैं, जिनके संबंध में दायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में **2.93 करोड़ रूपए** (2.38 करोड़ रुपये) जो कर्मचारियों से संबंधित सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित हैं।

7 आईपीबीटीएल की 2017–18 से संबंधित **132.63 करोड़ रुपये** की आयकर मांग है, जिसे विभाग के पास दायर किया गया है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **425.76 करोड़ रूपए** (395.43 करोड़ रुपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2022 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरुद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **25.42 करोड़ रूपए** (24.12 करोड़ रूपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक परिकलित ब्याज सहित **0.91एमएन अमरीकी डॉलर** (0.89एमएन अमरीकी डॉलर) तथा **इथोपियन बिरर 1.22 एमएन** (1.16 एमएन बिर) समतुल्य **7.05 करोड़ रूपए** (8.74 करोड़ रूपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) प्रतिबद्धता

(रूपए करोड़ में)

विवरण		फुटनोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
a)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (अग्रिम का निवल) और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	53.55	130.49
b)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निवेशित प्रतिबद्धता	2	75.42	80.41
(ii)	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं		483.02	505.88
(iii)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक सहायता समझौता		1033.76	1033.76
(iv)	इरकॉन दावणगेरे हावेरी लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं		264.16	266.83
(v)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं		173.31	393.35
	कुल		**2083.22**	**2,410.72**

फुटनोट:

(रूपए करोड़ में)

1

क.सं	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	-	-
2	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	-	2.00
3	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि – आईएसजीटीएल	37.18	112.12
4	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि – धारक कंपनी	16.37	16.37
	कुल	**53.55**	**130.49**

(रूपए करोड़ में)

2

क. सं	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-	-	16.28	-
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	36.83	-	62.83	-
3	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	1.29	-
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	25.33	0.01	-

5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	13.26	-	-	-
6	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-
	कुल	**50.09**	**25.33**	**80.41**	**-**

3 कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक के समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि चूक की घटना के कारण रियायत समझौते को समाप्त करने के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की उपलब्धि से पहले उधारकर्ता द्वारा ऋणी की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए, उधारदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना सावधि ऋण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को इरकॉन का हिस्सा **1033.76 करोड़ रूपए** (3978 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 26 प्रतिशत) (31 मार्च, 2021 को 1033.76 करोड़ रुपए) है।

41. खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 "प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। समूह की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। समूह ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित राशियों के प्रतिवेदन योग्य खंडों और समाधान के बारे में जानकारी :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	480.43	583.59	6,899.24	4,766.24	**7,379.67**	**5,349.83**
कुल प्रचालन राजस्व	**480.43**	**583.59**	**6,899.24**	**4,766.24**	**7,379.67**	**5,349.83**
ब्याज आय	1.88	2.92	183.45	132.82	**185.33**	**135.74**
अन्य आय	9.84	5.07	10.87	15.81	**20.71**	**20.88**
अंत:–सेगमेंट	-	-	-	-	**-**	**-**
कुल राजस्व	**492.15**	**591.58**	**7,093.56**	**4,914.87**	**7,585.71**	**5,506.45**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	67.15	40.64	769.47	623.75	**836.62**	**664.39**

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता	(14.75)	4.39	(43.71)	(18.53)	(58.46)	(14.14)
घटा: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(2.72)	(3.20)	(92.45)	(88.89)	(95.17)	(92.09)
जमा : संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी	-	-	(54.28)	(12.50)	(54.28)	(12.50)
कर पूर्व लाभ	**49.68**	**41.83**	**638.97**	**535.69**	**688.65**	**577.52**
घटा: कर व्यय	(22.94)	(31.82)	(73.44)	(154.64)	(96.38)	(186.46)
कर पश्चात लाभ	**26.74**	**10.01**	**565.53**	**381.05**	**592.27**	**391.06**

ग. अन्य सूचना

(रूपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कुल परिसंपत्तियां	735.58	581.68	13,710.78	10,672.30	**14,446.36**	**11,253.98**
कुल देयताएं	627.34	501.47	9,152.27	6,349.38	**9779.61**	**6850.85**
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	695.57	558.89	**695.57**	**558.89**
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां.	22.88	25.15		1,957.63	**1,911.55**	**1,982.78**
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्ति, विकासाधीन अमूर्त संपत्ति और उपयोग का अधिकार)	0.06	0.07	45.93	34.99	**45.99**	**35.06**

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 61.52 प्रतिशत (54.89 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

42. अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण

इंड एएस–112 अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

(क) निम्नलिखित संयुक्त प्रचालनों में निवेश लागत पर लेखांकित किया गया है।

क.सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	**प्रचालनरत परियोजनाओं के लिए :**					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**पूर्ण संयुक्त प्रचालन**					
	इंटरनेशनल मिट्टी सिविल कांट्रेक्ट	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन**					
	इरकॉन–कोबरा–कोबरा–ईएलओओ	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन– श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकरली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉन: आरसीएस: पिफिलडर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन– एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क.सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को		लेखांकन विधि
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	27.31	26.00	21.23	26.00	इक्विटी विधि
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.02	26.00	इक्विटी विधि
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	उड़ीसा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	14.82	26.00	14.82	26.00	इक्विटी विधि

क.सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को		लेखांकन विधि
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि

संयुक्त प्रचालनों में सारबद्ध वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(रूपए करोड में)

क.स	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम									
		इरकॉन एफकॉन		एक्सप्रेस फेंट कंसार्टियम		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
	वर्ष के अंत में:										
1	परिसंपत्तियां										
	पीपीई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य परिसंपत्तियां	0.52	0.68	-	-	4.37	4.64	2.07	4.86	**6.96**	**10.18**
2	देयताएं										
	प्रावधान	-	-	-	-	0.01	0.03	0.18	0.14	**0.19**	**0.17**
	अन्य देयताएं	-	-	-	-	0.91	0.91	0.05	0.07	**0.96**	**0.98**
	वर्ष के अंत में:										
3	कुल आय	0.02	0.10	1.74	2.75	0.05	0.07	0.10	0.24	**1.91**	**3.16**
4	कुल व्यय	0.19	-	0.78	1.64	0.01	-	0.01	0.03	**0.99**	**1.67**
5	कुल कर	-	18.40	0.37	0.60	0.01	0.03	0.03	(0.06)	**0.41**	**18.97**
6	कर पूर्व लाभ	(0.17)	(18.30)	0.59	0.51	0.03	0.04	0.06	0.27	**0.51**	**(17.48)**
7	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल वृहत आय	(0.17)	(18.30)	0.59	0.51	0.03	0.04	0.06	0.27	**0.51**	**(17.48)**

फुट नोट: संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 40 में प्रकट किया गया है।

संयुक्त उद्यम कंपनियों का सारबद्ध तुलनपत्र

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	251.71	251.72	3057.91	2472.12	1327.93	936.79	0.00	183.67
2	वर्तमान संपत्ति	42.41	50.06	216.63	254.26	199.51	97.37	392.15	174.52
	कुल संपत्ति (क)	**294.12**	**301.78**	**3,274.54**	**2,726.39**	**1,527.44**	**1,034.15**	**392.15**	**358.19**
3	गैर मौजूदा देनदारियां	-	-	2,287.30	2,035.10	907.61	526.79	-	13.59
4	वर्तमान देनदारियां	0.40	7.18	126.45	35.25	27.02	4.28	89.55	41.93
	कुल देयताएं (ख)	**0.40**	**7.18**	**2,413.75**	**2,070.35**	**934.63**	**531.07**	**89.55**	**55.53**
5	**शुद्ध संपत्ति (क–ख)**	**293.71**	**294.60**	**860.79**	**656.03**	**592.81**	**503.08**	**302.60**	**302.67**
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल	34.95	43.69	184.08	98.02	197.78	77.02	19.21	14.97
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय को छोड़कर और प्रावधानों को छोड़कर)	-	6.64	2,287.30	2,035.10	907.61	526.79	84.05	20.15

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		31.03.2021 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को	31.03.2022 को
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	232.84	291.12	267.06	252.88	251.74	121.43
2	वर्तमान संपत्ति	375.67	377.68	184.41	29.57	4.39	0.80
	कुल संपत्ति (क)	**608.51**	**668.79**	**451.48**	**282.45**	**256.12**	**122.23**
3	गैर मौजूदा देनदारियां	309.11	334.08	-	136.59	-	-
4	वर्तमान देनदारियां	118.59	160.71	2.70	55.01	167.05	123.10
	कुल देयताएं (ख)	**427.70**	**494.79**	**2.70**	**191.59**	**167.05**	**123.10**
5	**शुद्ध संपत्ति (क–ख)**	**180.81**	**174.00**	**448.77**	**90.86**	**89.07**	**(0.87)**
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल	46.06	2.91	82.42	29.35	4.35	0.79
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय को छोड़कर और प्रावधानों को छोड़कर)	370.66	458.25	0.06	55.00	166.81	122.96

संयुक्त उद्यम कंपनियों का सारबद्ध लाभ और हानि विवरण :

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1	आय	-	-	37.59	33.77	-	-	36.54	30.59
2	ब्याज आय	2.18	1.82	-	-	-	-	8.44	7.97
3	अन्य आय	-	-	0.02	-	-	-	1.45	0.12
	कुल आय	**2.18**	**1.82**	**37.61**	**33.77**	**-**	**-**	**46.43**	**38.68**
4	परिचालन पर खर्च	-	-	17.12	10.38	-	-	31.27	20.82
5	कर्मचारी लाभ	-	-	-	-	-	-	5.39	6.36
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-	4.31	0.65	-	-	1.78	1.89
7	वित्तीय लागत	-	-	23.09	45.76	-	-	1.97	0.78
8	अन्य खर्च	3.37	1.09	6.48	1.15	0.28	0.27	5.38	2.46
	कुल खर्च	**3.37**	**1.09**	**51.00**	**57.94**	**0.28**	**0.27**	**45.78**	**32.30**
9	आयकर	0.30	(0.19)	75.72	31.94	-	-	-	(1.77)
10	वर्ष का लाभ	**(0.89)**	**0.54**	**62.33**	**7.76**	**(0.28)**	**(0.27)**	**0.65**	**4.61**
11	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कुल वृहत आय	**(0.89)**	**0.54**	**62.33**	**7.76**	**(0.28)**	**(0.27)**	**0.66**	**4.61**

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1	आय	243.24	193.88	-	-	-	-
2	ब्याज आय	8.70	11.91	3.14	2.24	0.06	0.02
3	अन्य आय	0.45	2.44	-	-	-	-
	कुल आय	**252.39**	**208.23**	**3.14**	**2.24**	**0.06**	**0.02**
4	परिचालन पर खर्च	40.43	43.84	0.05	0.04	-	-
5	कर्मचारी लाभ	0.65	0.54	-	-	-	-
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	39.30	42.12	-	-	-	-
7	वित्तीय लागत	58.43	58.39	-	-	-	-
8	अन्य खर्च	11.38	2.76	0.06	0.04	0.08	0.08
	कुल खर्च	**150.19**	**147.65**	**0.11**	**0.08**	**0.08**	**0.08**
9	आयकर	(13.36)	(5.62)	(1.01)	(0.88)	-	-
10	वर्ष का लाभ	88.84	54.96	2.02	1.28	(0.02)	(0.06)
11	अन्य वृहत आय	(0.02)	-	-	-	-	-
12	कुल वृहत आय	**88.82**	**54.96**	**2.02**	**1.28**	**(0.02)**	**(0.06)**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

संयुक्त उद्यम कंपनियों की अग्रणीत राशियों का समाधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
शुद्ध संपत्ति प्रकटन	294.60	294.06	656.03	539.27	503.10	503.37	299.89	156.51
वर्ष हेतु लाभ	(0.89)	0.54	62.33	7.76	(0.28)	(0.27)	(0.39)	4.53
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	101.26	109.00	90.00	-	-	60.00
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	0.24	-
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य में इक्विटी घटक	-	-	41.17	-	-	-	-	78.85
वित्तीय प्रपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयर इश्यू खर्च	**293.72**	**294.60**	**860.79**	**656.03**	**592.82**	**503.10**	**299.74**	**299.89**
समापन निवल परिसंपत्ति								
समूह का प्रतिशत भाग	26.00%	26.00%	21.23%	21.23%	26.02%	26.02%	26.00%	50.00%
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन							-	
समूह का हिस्सा	76.37	76.60	224.92	141.37	156.84	130.91	57.35	62.56
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	-	-	-		-	-	-	-
(ii) शेयर आवेदन में धन लंबित आवंटन	-	-	-	(3.19)	-	-	-	-
अन्य समायोजन	**76.37**	**76.60**	**224.92**	**138.18**	**156.84**	**130.91**	**57.35**	**62.56**
अर्गेषित राशि								

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
	31 मार्च को		31 मार्च को		31 मार्च को	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
आरंभिक निवल परिसंपत्ति	174.00	153.04	90.86	56.95	(0.87)	(0.81)
वर्ष हेतु लाभ	88.84	54.96	2.02	1.28	(0.02)	(0.06)
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	355.90	32.63	89.96	-
अन्य बृहत आय	(0.02)	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज	(82.00)	(34.00)	-	-	-	-
अन्य वित्तीय प्रपत्र का इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	-	-	-	-	-	-
समापन निवल परिसंपत्ति	**180.82**	**174.00**	**448.78**	**90.86**	**89.07**	**(0.87)**
समूह का प्रतिशत भाग						
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ	50.00%	50.00%	14.82%	14.82%	26.00%	26.00%
(ii) शेयर आवेदन में धन लंबित आवंटन	-	-		-	-	-
समूह का हिस्सा						
(i) धृतता शेयर पूंजी और लाभ में	90.41	87.00	13.94	13.64	25.76	(0.23)
(ii) शेयर आवेदन में धन लंबित आवंटन	-	-	50.00	50.00	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	0.23
अभिलिखित राशि	**90.41**	**87.00**	**63.94**	**63.64**	**25.76**	**-**

43. राजस्व

क. राजस्व का विघटन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से समूह के राजस्व का विघटन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	5,909.63	468.26	6,377.89	6,368.18	9.71	9.83	6,387.72
राजमार्ग	796.15	-	796.15	796.15	-	2.07	798.22
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	141.99	-	141.99	141.99	-	-	141.99
अन्य	12.57	-	12.57	12.57	-	39.17	51.74
कुल	**6,860.34**	**468.26**	**7,328.60**	**7,318.89**	**9.71**	**51.07**	**7,379.67**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से ₹318.89 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 9.71 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,634.83	578.02	4,212.85	4,207.39	5.46	2.35	4,215.20
राजमार्ग	921.22	1.46	922.68	922.68	-	-	922.68
इलेक्ट्रिकल	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.02
भवन	166.30	-	166.30	166.30	-	1.66	167.96
अन्य	12.34	-	12.34	12.34	-	31.63	43.97
कुल	**4,734.71**	**579.48**	**5,314.19**	**5,308.73**	**5.46**	**35.64**	**5,349.83**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से ₹308.73 करोड रूपये को समयावधि में स्वीकार किया गया और ₹5.46 करोड रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. समूह ने ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के रूप में इंड एएस–115 के अनुप्रयोग के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है और दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को निर्धारित आय पर प्रभाव शून्य है।

ग. संविदा शेष

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्य (नोट 14.1)	695.19	630.77
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 10.3 और 14.8)	2,251.35	1,869.57
संविदा दायित्व (नोट 22 और 24)	3,523.29	2,413.83

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए समूह के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब समूह संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	1,869.57	1,450.07
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	2,251.35	1,869.57
निवल वृद्धि/(कमी)	381.78	419.50

वर्ष 2021–22 और 2020–21 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 381.78 करोड़ रुपये और 419.50 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण हुई है जबकि किए गए कार्यों के बिल को हैं अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित होते हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान **462.04 करोड़ रुपये** और दिनांक 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल, 2021 और 1 अप्रैल 2020 तक क्रमशः 592.14 करोड़ की अनुबंध संपत्ति के लक्ष्य के पूरा होने पर ग्राहकों को बिलिंग पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों को देय शेष है, जो तब उत्पन्न होती है, जब इनपुट विधि के अंतर्गत निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक विशिष्ट लक्ष्य भुगतान तथा दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं में अग्रिम प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि का निर्माण अवधि में समायोजित किया जाता है जब कभी ग्राहक के प्रति बिजक तैयार किया जाता है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	2,413.83	2,352.87
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	3,523.29	2,413.83
निवल वृद्धि / (कमी)	1,109.46	60.96

वर्ष 2021–22 और वर्ष 2020–21 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में **1109.46 करोड़ रुपये** और 60.98 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण है।

घ. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौरा:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	1,533.02	1,520.54
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ङ. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2022 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2021 को शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2020–21 को शून्य) है

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	7,597.10	7,020.16
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	7,802.72	7375.00
दो वर्ष से अधिक	29,317.00	21,689.00
कुल	**44,716.82**	**36,084.16**

छ राजस्व मान्यता से संबंधित लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन :–

आईवीकेईएल ने राजमार्ग सड़क के निर्माण के निष्पादन दायित्व को मापने में अनिश्चितता के कारण निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनपुट के रूप में लागत का उपयोग किया है। राजस्व को 31.03.2021 तक खर्च की गई लागत की सीमा तक मान्यता दी गई थी। परियोजना की निर्माण प्रगति, प्रबंधन ने अब लागत और राजस्व स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और संचयी कैचअप समायोजन का उपयोग करके 31.03.2022 को समाप्त वर्ष में राजस्व में लाभ मार्जिन को शामिल किया गया है। पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व से प्राप्त राजस्व की राशि 83.61 लाख रुपये (शून्य) है। इसके अलावा, अनुबंध परिसंपत्ति की आवाजाही पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(i) वर्ष के दौरान अनुबंध संपत्ति शेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध संपत्ति शेष	632.15
प्राप्तियों के लिए वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त अनुबंध संपत्ति से स्थानांतरण	189.93
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व, चालान किया जाना	319.40
अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न संचयी कैच–अप समायोजन के परिणामस्वरूप परिवर्तन	79.63
वर्ष के अंत में अनुबंधित संपत्ति शेष	841.26

सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट–ग–सेवा रियायत व्यवस्थाएं (इंड एएस–115) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट–ग लागू होता है यदि:

(क) प्रदाता नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक द्वारा उक्त अवसंरचना से क्या सेवाएं प्रदान करेगा और किसे प्रदान करेगा तथा किस मूल्य पर करेगा, और

(ख) प्रदाता व्यवस्था की अवधि के समाप्ति पर अवसंरचना में किसी प्रकार के अवशिष्ट अहित या अन्यथा स्वामित्व, लाभ पात्रताओं के माध्यम से नियंत्रण करेगा।

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है तो, वित्तीय परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां तक प्रचालक का सेवा हेतु प्रदाता के विशेषाधिकार से या पर रोकड़ या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार है।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभि स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लागत पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता प्रभार का अधिकार प्राप्त कर लेता है, बशर्ते ये प्रभार प्रयोक्त सेवा के स्तर की शर्तों के अधीन होंगे।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों आरंभिक स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

समूह संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्य के समापन पर एनएचएआई से देय प्राप्यों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत **1349.78 करोड रूपए** (1096.07 करोड़ रूपए) की वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करता है। समूह ने इंड एएस 115 से संबंधित "ग्राहकों से राजस्व" के अनुसार एससीए के अंतर्गत सड़क निर्माण पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि हेतु **431.86 करोड रूपए** (690.81 करोड रूपए) के राजस्व तथा **74.43 करोड रूपए** (शून्य रूपए) के लाभ को स्वीकार करता है। समूह ने सेवा रियायत करार के अंतर्गत प्राप्य राशि को स्वीकार किया है और इसे अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया है, जो इसे दिनांक 31 मार्च 2022 को लक्ष्य के समापन के आधार पर संविदा की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा।

समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **28.55 करोड रूपए** (11.67 करोड़ रूपए) को स्वीकार करता है। समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में **शून्य** (शून्य रूपए) को स्वीकार करता है। सेवा रियायत व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में स्वीकृत राजस्व, सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने टोल सडकों के प्रचालन से **167.93 करोड रूपए** (153.62 करोड़ रूपए) के राजस्व का स्वीकार किया है।

44. पट्टे

क) पट्टाधारी के रूप में समूह

पट्टाधारी के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। समूह के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। समूह इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति औरसंचलना को नोट–8 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष	**0.16**
संवर्धन	-
ब्याज की मान्यता	0.01
भुगतान	(0.01)
31 मार्च 2022 को शेष	**0.16**
चालू	**0.01**
गैर चालू	**0.15**

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 32 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता के तहत नीतियों में शामिल है।

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास व्यय (संदर्भ नोट 31)	0.37
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 30)	0.01
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 28 (iii))	4.96
	5.34

समूह के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अरियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया है:

(रूपए करोड़ में)

	पांच वर्षों के भीतर	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	-	-	-
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	-	-	-
	-	-	-

ख. पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने भवन, संयंत्र और मशीनरी और एमएफसी को परिचालन पट्टे के तहत दिया है, जो संबंधित समझौतों के अनुसार उचित नोटिस देकर रद्द करने योग्य हैं।

(i) एमएफसी के उप–पट्टे व्यवस्था के संबंध में पट्टा– **14.34 करोड़ रूपए** (11.09 करोड़ रुपये)। उप–पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त डाउन पेमेंट को आनुपातिक आधार पर लीज अवधि में सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) समूह ने भवनों को प्रचालन पट्टों के अंतर्गत निर्धारित किया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **9.10 करोड़ रूपए** हैं (8.15 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(iii) समूह ने मशीनरी को प्रचालनिक पट्टे के तहत दिया है। **13.54 करोड़ रूपए** (3.75 करोड़ रुपये) की कुल पट्टा आय को पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ–हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

(iv) समूह ने टोल रोड से सटे एक सीमांकित क्षेत्र को एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा संचालित किए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए पट्ट पर तथा पट्टा व संचालन के लिए दिया है। सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को विश्राम क्षेत्र एचपीसीएल से **0.17 करोड़ रुपये** (0.16 करोड़ रुपये) और सिनर्जी से **0.18 करोड़ रुपये** (0.16 करोड़ रुपये) पट्टा भुगतान के रूप में प्राप्त हुए।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के भीतर		
विखंडित क्षेत्र	0.38	0.35
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	20.25	18.22
वर्ष से अधिक पांच वर्षों से अधिक नहीं		
विखंडित क्षेत्र	1.08	1.24
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	117.39	112.72
पांच वर्षों से अधिक		
विखंडित क्षेत्र	2.40	2.62
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	590.76	597.47

नोट :

सेक्टर–43, नोएडा में खुदरा मॉल के लिए चयनित रियायतग्राही को अवार्ड पत्र जारी किया गया है। तदनुसार, शर्तों के अनुसार, एकमुश्त पट्टा भुगतान प्राप्त हो गया है। हालांकि, रियायत समझौते में शामिल होने सहित रियायतग्राही की ओर से कुछ दायित्वों को पूरा किया जाना बाकी है।

45. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेय शेष मूल राशि और उस पर ब्याज:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	5.10	14.53
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	0.24
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।	-	-
3	प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान के लिए शेष है।	-	-
5	अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

46. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित समूह अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–135 के अनुसार समूह का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तात्कालपूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान, समूह को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित सकल राशि	10.50	10.27
पूर्ववर्ती वर्षों में जमा व वापित अब प्रतिपूर्ति	-	0.15
वर्ष के दौरान खर्च की जानेवाली राशि हेतु बोर्ड का अनुमोदन	10.50	10.42

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल
परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*	0.71	-	0.71	0.61		0.61
उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु	9.81	-	9.81	9.81		9.81
कुल	**10.52**	**-**	**10.52**	**10.42**	**-**	**10.42**

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान	8.26	8.54
भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	0.87	0.84
विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन	0.32	0.35
पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	0.19	0.02
महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	-	0.35
खेलकूद	0.38	0.19
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	0.50	0.13
कुल	**10.52**	**10.42**

घ) अव्यव दायित्वों से संबंधित ब्यौरा

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
के संबंध में अव्ययित राशि :		
– चालू परियोजना (#)	0.18	-
– चालू परियोजना से इतर (##)	-	-

चालू परियोजना

(रूपए करोड में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		समापन शेष	
	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते से	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययति खाते से
-	-	1.47	0.23	1.06	-	0.18

चालू परियोजनाओं से इतर

(रूपए करोड में)

आरंभिक शेष	छह महीनों के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	समापन शेष
-	-	9.23	9.23	-

* खर्च की गई राशि में प्रशासनिक लागत से संबंधित 0.29 करोड रूपए शामिल हैं।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि (उपरोक्त (क) के अनुसार)	10.50	10.42
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपरोक्त (ख) के अनुसार)	10.52	10.42**
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी/(अतिरिक्त) राशि	**(0.02)**	**-**

* सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है।

** पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 7.12 करोड़ रुपये की अधिक राशि खर्च की है, जिसे आगामी वर्षों में सेट ऑफ कर दिया गया है।

च) अन्य प्रकटन:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान (1)	लागू नहीं	लागू नहीं
जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने के लिए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान में संचालन	लागू नहीं	लागू नहीं

47 कोविड –19 प्रकटीकरण

समूह ने वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड –19 से होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। वैश्विक आर्थिक में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं को विकसित करना। कोविड–19 के कारण, समूह ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी। इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव उस अनुमान से भिन्न हो सकता है, जो हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड–19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालांकि, समूह, भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

48 अन्य नियामक प्रकटन

(क) बंद की गई कंपनियों के साथ समूह का कोई लेन–देन नहीं है।

(ख) समूह के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक सांविधिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

(ग) समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

(घ) समूह ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को इस संज्ञान के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या समूह की ओर से (अंतिम लाभार्थी) की ओर से उधार या निवेश करें या
(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(ड.) समूह को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थानों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि समूह :

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से उधार या निवेश करता है या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की प्रदान करें

(च) समूह का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं है, जो उन खाता बहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान, आय के रूप में निष्कासित या प्रकटन किया गया है।

(छ) समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(ज) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(झ) समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं की संख्या का अनुपालन किया है।

49. इंड एएस–8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने लाभांश से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखांकन नीति नीचे दी गई है और बोल्ड में संशोधनों को हाइलाइट किया गया है।

लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी गई है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश देय और लाभांश वितरण पर संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

50. हाल की गतिविधियां

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022, में निम्नानुसार संशोधन किया है।

इंड एएस 16 – संपत्ति संयंत्र और उपकरण – संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सीधे संबंधित लागत से घटाया जाएगा, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

इंड एएस 37 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां यह संशोधन विनिर्दिष्ट करता है कि अनुबंध को पूरा करने की लागत में प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से संबंधित लागतें शामिल हैं। अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन, जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए मूल्यह्रास शुल्क संपत्ति की वस्तु, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण का आवंटन होगा।)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

इंड एएस 109 – वित्तीय लिखत – वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करने के लिए 10 प्रतिशत परीक्षण यह संशोधन उस शुल्क को स्पष्ट करता है, जिसमें यह आकलन करते समय एक इकाई शामिल होती है कि क्या नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं। इन शुल्कों में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए शुल्क शामिल हैं, जिसमें

भुगतान या प्राप्त शुल्क या तो उधारकर्ता या ऋणदाता द्वारा दूसरे की ओर से प्राप्त किया गया है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और समूहों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की संभावना है।

51. अन्य प्रकटन

क. समूह, वर्ष 2000–01 से निर्धारण वर्ष 2019–20 तक, धारा 80 आईए के तहत कटौती का दावा कर रही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा वर्ष 2013–14 तक धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि, आयकर विभाग ने वि.व. 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। वर्ष 2019–20 तक धारक कंपनी डीटीएए समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशों से अर्जित आय को कराधान के लिए दी जाने वाली वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। समूह को निर्धारण वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति दी गई थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के प्रति क्रेडिट की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के बाद अपील दायर करके इस मुद्दे को चुनौती दी गई है। आईटीएटी द्वारा नि.व. 2013–14 तक इस मुद्दे को इरकॉन के पक्ष में अनुमति दी गई है।

ख. लागत जमा परियोजनाओं में कुछ ठेकेदारों द्वारा दावों के कारण विभिन्न अदालतों और अपीलीय अधिकारियों के समक्ष कंपनी के खिलाफ मुकदमे के कुछ अन्य मामले लंबित हैं। ऐसे मामलों में, समूह, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करती है और संसाधनों के आर्थिक बहिर्वाह की अपेक्षा नहीं करती है। इस संबंध में कुल **1432.67 करोड़ रुपए** (2134.49 करोड़ रुपए) के संबंध में मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए **3.93 करोड़ रुपए** (8.19 करोड़ रुपए) ग्राहक द्वारा निर्धारित और प्रतिपूर्ति की गई है। कंपनी ने ठेकेदारों पर **615.65 करोड़ रुपए** (1048.42 करोड़ रुपये) के प्रति–दावे भी किए हैं। अनिश्चित होने के कारण दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है।

ग. माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय के अंतर्गत यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचएआई के खिलाफ **97.96 करोड़ रुपये** की बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति दी है, कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समान राशि की देयता प्रदान की है।

घ. समूह के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों और अग्रिमों का संबंध है, शेष पुष्टि पत्र, संबंधित पक्षों को भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देनदारियों की शेष राशि पुष्टि/समायोजन और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। निरंतर आधार पर सुलह की जाती है। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान के किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है।

ङ. प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अलावा संपत्ति का मूल्य, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन पत्र में बताए गए हैं।

च. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ. प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–चालू निवेश के अलावा संपत्ति का मूल्य, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

52. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के अनुसार अतिरिक्त जानकारी।

(रूपए करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ में भाग या (हानि)		अन्य वृहत आय में हिस्सेदारी		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)
कुल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	67.14%	3,133.14	91.87%	544.12	100.00%	4.03	91.93%	548.15
सहायक कंपनी								
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	1.33%	62.01	(2.03%)	(12.05)	-	-	(2.02%)	(12.05)
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	3.63%	169.40	(4.16%)	(24.62)	-	-	(4.13%)	(24.62)
इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.20%	196.22	0.99%	5.87	-	-	0.98%	5.87
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	3.12%	145.82	0.89%	5.27	-	-	0.88%	5.27
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	5.14%	239.90	10.16%	60.16	-	-	10.09%	60.16
इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड,	0.39%	18.40	0.00%	(0.01)	-	-	0.00%	(0.01)
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	0.11%	4.98	(0.05%)	(0.29)	-	-	(0.05%)	(0.29)
इरकॉन अयोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	-	-	-	0.00%	-
इरकॉन लुधियाना सपनगर हाईवे लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	-	-	-	0.00%	-
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	-	-	-	0.00%	-
इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	-	-	-	0.00%	-
सहायक कंपनियों का योग		**3,970.07**		**578.45**		**4.03**		**582.48**

निकाय का नाम	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ में भाग या (हानि)		अन्य वृहत आय में हिस्सेदारी		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (रु.)
सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हित	0.02%	1.13	0.00%	-	-	-	0.00%	-
सहायक कंपनियों का निवल		**3,971.20**		**578.45**	**-**	**4.03**		**582.48**
संयुक्त उद्यम कंपनियां								
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.64%	76.37	(0.04%)	(0.23)	-	-	(0.04%)	(0.23)
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	4.82%	224.92	2.68%	15.85	-	-	2.66%	15.85
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.36%	156.84	(0.01%)	(0.07)	-	-	(0.01%)	(0.07)
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	1.94%	90.40	0.58%	3.41	-	-	0.57%	3.41
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	1.37%	63.94	0.05%	0.30	-	-	0.05%	0.30
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.55%	25.76	(0.04%)	(0.23)	-	-	(0.04%)	(0.23)
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.23%	57.34	(0.88%)	(5.21)	-	-	(0.87%)	(5.21)
कुल संयुक्त उद्यम		**695.57**		**13.82**		**-**		**13.82**
निवल योग	**100%**	**4,666.77**	**100%**	**592.27**	**100%**	**4.03**	**100%**	**596.30**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002871एन

ह0/–
हरबीर सिंह गुलाटी
साझेदार
स.सं 084072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2022

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह0/–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह0/–
गुमुथुन बोजू गोडा
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीईओ और निदेशक (कार्य)
डीआईएन–07654014

ह0/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–129 (4) के साथ पठित खंड 143–(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 22 जुलाई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है, जो दिनांक 27 मई 2022 की उनकी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के अधिक्रमण में है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इनने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों (अनुबंध–। के अनुसार) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों (अनुबंध–।। के अनुसार) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के खंड 139(5) और 143(6)(क), निजी निकाय होने के कारण इरकॉन सोना टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं है, जिसमें उनके सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजन करने का प्रावधान है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और ना ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(विक्रम डी. गुरूगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक: 23 अगस्त, 2022

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

अनुबंध–I

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2021–22 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–139 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
2. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
3. इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाइवे लिमिटेड
4. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह0/–

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)

रेल वाणिज्यिक

अनुबंध–II

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2021–22 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–129 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड
2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
3. इरकॉन रिन्युवेबल पावर लिमिटेड
4. इरकॉन हरिद्वार बायपास लिमिटेड
5. इरकॉन भुज एक्सप्रेसवे लिमिटेड
6. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाइवे लिमिटेड
7. इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)
2. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआर)
3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)
4. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
5. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

ह0/–

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)

रेल वाणिज्यिक
























MEA Vs IRCON
DDA Sports Complex, Saket, New Delhi
11 December 2021



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय

सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017

दूरभाष: 91–11–26530266 फैक्स: 91–11–26522000 / 26854000

ई–मेल: info@ircon.org वेबसाइट: www.ircon.org

सीआईएन: L45203DL1976GOI008171